विषय–वस्तु	पृष्ठ सं	CONTENTS	Page No.
निष्पादन वैशिष्ट्य 2009-10	2	Performance Highlights 2009-10	91
निष्पादन की एक झलक	3	Performance at a Glance	92
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की कलम से	4	Message from the Chairman & Managing Director	93
सूचना	6	Notice	95
निदेशकों की रिपोर्ट	9	Directors' Report	98
कंपनी शासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट	24	Report of the Board of Directors on Corporate Governance	112
कंपनी शासन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र	46	Auditors' Certificate on Corporate Governance	134
तुलन पत्र	47	Balance Sheet	135
लाभ व हानि लेखा	48	Profit & Loss Account	136
तुलन पत्र व लाभ व हानि लेखा की अनुसूचियाँ	49	Schedules to Balance Sheet and Profit & Loss Account	137
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	57	Significant Accounting Policies	145
लेखों पर टिप्पणियां	63	Notes on Accounts	151
नकदी प्रवाह का विवरण	78	Cash Flow Statement	166
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	80	Report of the Auditors	168
बेसल II प्रकटीकरण	81	Basel II Disclosures	169
ईसीएस प्रारूप	179	ECS Format	180
प्रॉक्सी फार्म	181	Proxy Form	182

लेखा परीक्षक AUDITORS	पंजीयक व शेयर अंतरण एजेंट REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT
मेसर्स वी खन्ना एण्ड कं. M/s. V KHANNA & CO. मेसर्स एम थॉमस एण्ड कं. M/s. M THOMAS & CO. मेसर्स शिरोमणि त्यागी एण्ड कं. M/s. SHIROMANY TYAGI & CO. मेसर्स आर बंसल एण्ड कं. M/s. R.BANSAL & CO. मेसर्स एम पी चिताले एण्ड कं. M/s. M P CHITALE & CO. मेसर्स पी चंद्रशेखार M/s. P CHANDRASEKAR	**मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** **M/s Link Intime India Private Limited** **(यूनिट : विजया बैंक Unit: Vijaya Bank)** **सी–13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपउंड,** **C-13, Pannalal Silk Mills Compound,** **एल.बी.एस. रोड, भाडूंप (पश्चिम),** **L.B.S.Road, Bhandup (West),** **मुंबई - 400 078 MUMBAI - 400 078** फोन : 022-25963838 फैक्स : 022-25946969 Tel: (022) 25963838 Fax: (022) 25946969 ई–मेल E-mail: mumbai@linkintime.co.in

विजया बैंक VIJAYA BANK

(भारत सरकार का उपक्रम A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय Head Office, No.41/2, एम जी रोड M.G. Road, बेंगलूर Bangalore - 560 001

फोन Phone: 080 - 2558 4066 [20 लाईन lines] फैक्स Fax: 080 – 2559 8040

वेबसाईट Website : www.vijayabank.com

ई–मेल E-Mail : vijbank@vsnl.com

निष्पादन वैशिष्ट्य : 2009-10

कारोबार वृद्धि

- वर्ष के दौरान कुल कारोबार रु. एक लाख करोड के ऐतिहासिक लक्ष्य को पार करते हुए रु.1,03,867 करोड हो गया (वर्ष-दर-वर्ष 15% वृद्धि दर्ज करते हुए). अब विजया बैंक बडे बैंकों की श्रेणी में शामिल हो गया है.
- 'प्रति कर्मचारी कारोबार' की दृष्टि से उत्पादकता रु.7.85 करोड से बढकर रु.9.30 करोड हो गयी जबकि निवल लाभ प्रति कर्मचारी पिछले वर्ष के रु.2.28 लाख से बढकर रु. 4.54 लाख हो गया है.
- प्रति शाखा कारोबार मार्च 2009 को दर्ज रु.82 करोड से बढकर रु. 90 करोड हो गया.
- कुल जमाराशियां 13.56% की वृद्धि के साथ रु.61932 करोड हो गयी.
- बचत बैंक जमाराशियां रु.10,000 की सीमा पार करते हुए 20% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ रु. 10721 करोड हो गयी.
- सकल अग्रिम 16.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए रु.41935 करोड हो गए.
- वर्ष के दौरान सीडी अनुपात 65.78% से बढकर 67.71% हो गया.

प्राथमिकता क्षेत्र परिचालन

- प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम 40% मानदंड की तुलना में समायोजित निवल बैंक ऋण का 40.57% दर्ज करते हुए कुल रु.14553 करोड हो गया.
- कृषि अग्रिम 16% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.5222 करोड रहा.
- एमएसएमई क्षेत्रों को अग्रिम 19% की वृद्धि के साथ रु.5436 करोड रहा.
- कमजोर वर्ग को अग्रिम बढकर रु.3462 करोड हो गया जो एएनबीसी का 9.7% है.
- शिक्षा ऋण 24 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए रु.535 करोड रहा जिसमें खातों की संख्या 28475 है.
- वर्ष 2009-10 के दौरान जोडे गए स्व-सहाय दल की संख्या रु.244 करोड का संवितरण करते हुए रु.44243 करोड हो गयी (अब तक बैंक द्वारा 118257 एसएचजी को वित्तपोषित किया गया है).

इन्फोटेक प्रगति

- 71 नए एटीएम संस्थापित किए गए जिससे एटीएम की कुल संख्या बढकर 435 हो गयी.
- बैंक के ग्राहकों को सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों के 56000 से अधिक एटीएम की सुविधा नैशनल फैनांशियल स्विच के जरिए उपलब्ध है जिसका विजया बैंक एक सदस्य है.
- बैंक ने वी-मोबाइल, मोबाइल बैंकिंग माड्यूल, प्रौद्योगिकी से जुडे ग्राहकों हेतु सर्वोत्कृष्ट सुविधा शुरू की है.
- 'एसएमएस अलर्ट' सेवाओं की शुरूआत की गयी तथा मार्च, 2010 तक 3.65 लाख ग्राहक पंजीकृत किए गए.
- वी-नेट बैंकिंग, बैंक द्वारा प्रदत्त इंटरनेट बैंकिंग माड्यूल, मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए उन्नयित किया गया.

लाभ एवं लाभप्रदता

- परिचालन लाभ 18 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए रु.1056.96 करोड रहा.
- निवल लाभ 93.26% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए पिछले वित्त वर्ष के रु.262.48 करोड की तुलना में पहली बार रु.500 करोड के आंकडे को पार करते हुए रु.507.29 करोड रहा.
- जमा लागत 135 बीपीएस की भारी गिरावट के साथ 7.56% से 6.21% हो गयी जिससे अग्रिम पर आय में 83 बीपीएस गिरावट को ऑफसेट कर दिया.
- औसत निवल संपत्ति पर आय 11.10% से बढकर 21.41% हो गयी जबकि आस्तियों पर आय वर्ष के दौरान 0.59% से बढकर 0.76% हो गयी.
- निवल ब्याज आय 28.83% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.1124.80 करोड से बढकर रु.1449.07 करोड हो गयी. निवल ब्याज मार्जिन 50 बीपीएस की वृद्धि दर्ज करते हुए 2.04% से बढकर 2.54% रहा.
- प्रति शेयर अर्जन पिछले वर्ष के रु.6.05 की तुलना में बढकर रु.11.70 हो गया तथा बही मूल्य रु. 51.35 से बढकर रु. 57.97 हो गया.

पूंजी पर्याप्तता

- पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल II) 9% के मानदंड के प्रति 12.50% रहा.
- टियर I पूंजी अनुपात 7.69% रहा जबकि टियर II पूंजी अनुपात 4.81% रहा.

निष्पादन की एक झलक

(राशि रु.करोडों में)

प्रमुख मानदंड	2007-08	2008-09	**2009-10**
शाखाओं की संख्या	1051	1101	**1158**
आरक्षिति और अधिशेष	2026	2216	**2542**
सकल लाभ	661	899	**1057**
निवल लाभ	361	262	**507**
कुल जमाराशियाँ	47952	54535	**61932**
वृद्धि %	27.52	13.73	**13.56**
सकल ऋण	32019	35875	**41935**
वृद्धि %	29.93	12.04	**16.89**
कुल कारोबार	79971	90410	**103867**
वृद्धि %	28.47	13.05	**14.88**
निवेश	16617	17388	**21107**
प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम	11536	13450	**14553**
एएनबीसी को	46.81	42.00	**40.57**
कुल कर्मचारी	11439	11975	**11565**
प्रति कर्मचारी कारोबार	7.33	7.85	**9.30**
प्रमुख अनुपात (%)			
जमा लागत	7.13	7.56	**6.21**
अग्रिम पर आय	10.38	11.09	**10.26**
निवल ब्याज मार्जिन	1.98	2.04	**2.54**
आस्तियों पर आय	0.75	0.59	**0.76**
पूंजी पर्याप्तता अनुपात % (बेसल II)	11.27	13.15	**12.50**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

मैं सहर्ष वर्ष 2009-10 के लिए आपके बैंक के कार्यकारी परिणामों की विशेषताओं को आपके साथ बाँटना चाहता हूँ. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 2009-10 भारतीय अर्थव्यवस्था तथा बैंकिंग उद्योग के लिए चुनौतियों से भरा था. जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के दबावों, विभिन्न आर्थिक क्षेत्र में मंदी की चुनौतियों से जूझ रही थी ; आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना बैंकिंग उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती थी. विजया बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां कारोबार परिवेश के बाहरी दबावों से अछूता रहना तथा पिछले वित्तीय वर्ष के दूसरी छमाही में शुरू हुई पुनरुद्धार प्रक्रिया को जारी रखना था. साथ ही, आपके बैंक के लिए एक प्रमुख कार्य अपनी शक्तियों को भुनाना था, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तथा बुनियादी तत्वों को भी मजबूत बनाना था. यह अत्यंत संतोष की बात है कि हम सब ने मिलकर इन चुनौतियों का सामना किया तथा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में हमने कई नए मील के पत्थर पार किए. मैं सादर आपका आभार प्रकट करता हूं क्योंकि आपके पूर्ण सहयोग एवं समर्थन के बिना यह सब हासिल करना संभव नहीं था.

वर्ष 2009-10 के दौरान आपके बैंक ने तीन प्रमुख मील के पत्थर पार किए. हमने पहली बार निवल लाभ के अधीन रु.500 करोड के ऐतिहासिक लक्ष्य को पार किया – जो पिछले वर्ष दर्ज अच्छी एवं गुणवत्ता कारोबार वृद्धि के कारण ही संभव हुआ. कारोबार के अधीन रु.1,00,000 करोड को पार करना एक और मील का पत्थर था जिसके फलस्वरूप आज हम बडे पीएसयू बैंकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं. बचत बैंक जमाराशियों में लगातार वृद्धि के कारण हमारे कारोबार की वृद्धि हुई जिसकी वजह से हम पहली बार रु.10000 करोड की सीमा को तेजी से पार कर सके.

इस पृष्ठभूमि में, मैं संक्षेप में कुछ विशेष क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिसमें हमने पिछले वर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. सबसे पहले, हमने कोर अर्जन में अपनी स्थिति को दृढ किया, जो कि पिछली कई तिमाहियों में उद्धारक विशेषता रही. शायद हम उन पीएसयू बैंकों में से एक है जिन्होंने कोर अर्जन – जिसे सामान्य: निवल ब्याज आय (एनआईआई) कहा जाता है, में उत्तरोत्तर सुधार किया. वर्ष के लिए, एनआईआई की वृद्धि 29% रही जिसके कारण निवल ब्याज मार्जिन 2.54% रहा, जो मार्च, 2009 की स्थिति से 50 बीपीएस अधिक है. ब्याज लागत नियंत्रण क्षेत्र में हमारे लगातार प्रयास के फलस्वरूप एनआईआई में वृद्धि हुई जिससे ब्याज आय वृद्धि में ढील दूर हुई.

वर्ष के लिए हमारे ब्याज आय में सीमांत गिरावट दर्ज हुई, जो प्रवृत्ति समस्त उद्योग में नजर आयी, जबकि हमारे ब्याज लागत में 8.79% की भारी गिरावट दर्ज हुई. फलस्वरूप, जमा लागत में 135 बीपीएस की आयी गिरावट ने अग्रिमों पर आय में 83 बीपीएस गिरावट को ऑफसेट कर दिया, जिससे एक बेहतर ब्याज परिवेश की शुरूआत हुई. हमारे ब्याज लागत रोकथाम के प्रयासों में परिचालन व्यय की रोकथाम का सहयोग रहा है. वर्ष के लिए लागत पर रोक के हमारे प्रयासों से मंद खजाना अर्जन के बावजूद हमारे परिचालन लाभ में 18% वृद्धि दर्ज हुई. 2009-10 के लिए आपके बैंक ने रु.1057 करोड का परिचालन लाभ अर्जित किया.

वर्ष के लिए निवल लाभ रु.507 करोड रहा जो वर्ष–दर–वर्ष 94% वृद्धि दर्शाता है. निवल लाभ में अच्छी वृद्धि से लाभप्रदता में उचित सुधार हुआ जो कि पिछले वित्तीय वर्ष के 0.59% की तुलना में 0.76% के आस्ति पर आय (आरओए) में हुई वृद्धि से स्पष्ट झलकता है. कारोबार मिश्रण के फलस्वरूप एनआईएम तथा आरओए दोनों में महत्वपूर्ण सुधार हो सका जो पिछले वर्ष में आपके बैंक की एक सर्वोत्कृष्ट उद्धारक विशेषता रही. मुझे यकीन है कि आपको महसूस हुआ होगा कि हमारे तुलन पत्र में परिमाणात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से वृद्धि, हमारी बुनियादी बातों में प्रगति का सूचक है.

अब मैं वृद्धि के शीर्षस्थ एवं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं. हमने वर्षांत में 14.9% वृद्धि दर्ज करते हुए रु.103867 करोड का कुल कारोबार हासिल किया. हमारे कारोबार की मात्रा में रु.61932 करोड की जमाराशि तथा रु.41935 करोड के अग्रिम शामिल हैं जिसमें कारोबार संरचना में विशेषकर जमाराशि में पर्याप्त पुनर्निर्माण किया गया है. हमने जानबूझकर उच्च लागत थोक जमाराशि के बडे हिस्से को कम किया है जो हमारी लाभप्रदता में कमी लाते थे. अग्रिम के क्षेत्र में, हमने खुदरा क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की योजना पर ध्यान दिया है. हालांकि, हमने उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है. चूंकि पहली तीन तिमाहियों में ऋण की मांग में बेहद कमी थी. 31 मार्च, 2010 को खुदरा अग्रिम में सीमांत वृद्धि दर्ज करते हुए हमारी बकाया राशि रु.9349 करोड थी. नामित प्राथमिकता क्षेत्र में परिचालन के संबंध में इन क्षेत्रों में दिए गए अग्रिम कुल रु.14553 करोड थे, जो समायोजित निवल बैंक ऋण के 40% मानदंड के प्रति 40.57% है. प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि, एमएसएमई तथा कमजोर वर्ग को अग्रिम में क्रमश: 16%, 19% तथा 14% की अच्छी प्रगति दर्ज हुई जो राष्ट्रीय प्राथमिकता मुदों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता दर्शाती है. शैक्षिक ऋण, जो हमारा एक प्राथमिकता क्षेत्र है, में 24% की वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए रु.535 करोड की कुल बकाया राशि थी.

विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने में समर्थन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा ऐसे में हमने मूलभूत पहलुओं पर ध्यान दिया जैसे शाखा

विस्तार, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आईटी समर्थ सुपुर्दगी माध्यम विस्तार, नए उत्पादों का सृजन तथा अपनी क्षमता व सर्वोत्तम परंपराओं पर सूक्ष्म निगरानी जैसे कि बेसल II.

वर्ष के दौरान 57 नई शाखाएं तथा 71 अतिरिक्त एटीएम खोले गए जिससे हमारी शाखाओं तथा एटीएम की संख्या बढकर क्रमश: 1158 तथा 435 हो गयी है. वर्ष के दौरान वी-नेट, बैंक द्वारा प्रदत्त इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल का उन्नयन किया गया जिसमें प्रौद्योगिकी समर्थ ग्राहकों के लिए नए मूल्यों की सुविधा दी गयी. वर्ष के दौरान वी-मोबाइल, मोबाइल बैंकिंग माड्यूल की भी शुरूआत की गयी और इसके साथ ही विजया बैंक, इस प्रकार की वर्चुअल बैंकिंग प्रदान करनेवाले चुनिंदा बैंकों की श्रेणी में आ गया. हमने वर्ष के दौरान ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट सुविधा की भी शुरूआत की तथा मार्च 2010 तक इस सेवा के अधीन हमारे 3.65 लाख जमाराशि ग्राहक पंजीकृत हो गए थे. आगे, वर्ष के दौरान, तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस) तथा राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण (एनईएफटी) के अधीन औसत हिट में पर्याप्त सुधार हुआ. वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने वी-जेनयूथ उन्नति, नयी पीढी ग्राहकों के लिए एक आवर्ति जमा योजना की शुरूआत की जिससे मौजूदा तथा नए ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई. मैं आपको पुन: आश्वासन देना चाहता हूं कि समग्र कारोबार विकास योजना में आपके बैंक का प्रमुख ध्यान ऐसे ही क्षेत्रों तथा अन्य समर्थ प्रणालियों पर केंद्रित रहेगा.

गत वर्ष के आरंभ से फिसलन प्रबंधन आपके बैंक की बहुत बडी चुनौती रही. हम एनपीए अनुपात को कम करने में काफी हद तक सफल रहे हैं फिर भी एनपीए के अधीन बहुत कुछ करना बाकी है. मैं मानता हूं कि पिछले वर्ष एनपीए में बहुत वृद्धि हुई हालांकि ये वृद्धि कुछ बडे खातों में अप्रत्याशित फिसलन की वजह से हुई. तथापि, आपके बैंक ने विनियामक द्वारा अपेक्षित प्रावधान किए हैं तथा एनपीए के संबंध में इस स्थिति को समाप्त करने के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं.

वर्ष 2010-11 के लिए वर्ष-दर-वर्ष 21% की वृद्धि दर्ज करते हुए रु.1,26,000 करोड का कारोबार हासिल करना हमारा लक्ष्य है जिसमें जमाराशि के अधीन रु.74000 करोड तथा अग्रिम के अधीन रु.52000 करोड होगा. चालू वर्ष के दौरान हम आगे 100 शाखाएँ व 215 एटीएम खोलने का प्रस्ताव रखते हैं. हम कारोबार मिश्रण में खुदरा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखेंगे ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक लाभदायक वृद्धि के पथ पर अग्रसर रहे. हम तृतीय पक्षकार कारोबार जैसे बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखते हैं जिससे हमारी अन्य आय में वृद्धि होगी तथा वित्तीय वर्ष11 के दौरान फोन बैंकिंग तथा ऑन-लाइन ट्रेडिंग पोर्टल जैसी सेवाएं शुरू करने का भी प्रस्ताव है. इन योजनाओं से तथा एनपीए को 1% में सीमित रखने की योजना से मुझे विश्वास है कि हमारे कोर अर्जन में चालू वर्ष के दौरान भी लगातार वृद्धि होगी. अंत में मुझे दृढ विश्वास है कि आपके निरंतर सहयोग तथा हमारे सामूहिक प्रयासों से बैंक चालू वर्ष के दौरान भी नयी उत्कृष्ट ऊंचाइयों को छू लेगा.

शुभकामनाओं सहित,

आपका,

आल्बर्ट तावरो

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूर – 560 001

सूचना

यह नोटिस दिया जाता है कि विजया बैंक (शेयर व बैठक) विनियम 2003 के विनियम 56 के अंतर्गत विजया बैंक के शेयरधारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक, **शुक्रवार, 09 जुलाई, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे** मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, एम.जी. रोड, बेंगलूर – 560001 में आयोजित की जाएगी जिसमें नीचे उल्लिखित कारोबार किया जाएगा :

मद सं.1 : 31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा एवं 31 मार्च, 2010 तक के बैंक के तुलन-पत्र, लेखों से संबंधित अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करना, अनुमोदित करना तथा अंगीकार करना.

मद सं.2 : वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए बैंक के शेयरों पर लाभांश की घोषणा.

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **विजया बैंक**

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 29.05.2010

(के. गोपालकृष्णन नायर)
कंपनी सचिव

1. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेकर वोट देने के हकदार शेयरधारक, खुद के बजाय बैठक में भाग लेकर वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का भी हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक के शेयरधारक होने की ज़रूरत नहीं है. तथापि, ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं है. विजया बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता. प्रॉक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा जब उसे बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् **2.00 बजे शनिवार, 3 जुलाई, 2010** को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, 41/2, एम.जी.रोड, बेंगलूर – 560 001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति, किसी ऐसी कंपनी या कंपनी निकाय को, जो बैंक का शेयरधारक हो, विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने या वोट देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करते हुए संकल्प की एक ऐसी प्रतिलिपि जिसे उस बैठक के अध्यक्ष ने, जिसमें उसे पारित किया गया हो, सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित किया हो, बैठक की तारीख से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात् **2.00 बजे शनिवार, 3 जुलाई, 2010** को या उससे पहले यानी समापन घंटों तक या उससे पूर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, विजया बैंक, मंडल सचिवालय, प्र.का., बेंगलूर – 560 001 को जमा/प्रस्तुत किया गया हो.

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची

शेयर धारकों की सुविधा के लिए इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पर्ची संलग्न की गयी है. शेयर धारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे संलग्न पर्ची भरें और उसमें निर्दिष्ट स्थान में अपने हस्ताक्षर कर उसे बैठक के स्थान में अभ्यर्पित करें. शेयर धारकों के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को चाहिए कि वह उपस्थिति-सह-प्रवेश पर्ची पर यह उल्लेख करें कि वह 'प्रॉक्सी' है या 'प्राधिकृत प्रतिनिधि'.

4. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना

विजया बैंक के विनियम 2003 (शेयर व बैठक) के खंड 12 के अनुसार दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में तथा अंतिम लाभांश पाने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण करने के संबंध में बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर अंतरण पुस्तक गुरुवार, 6 जुलाई 2010, से शुक्रवार 9 जुलाई 2010 (दोनों दिनों सहित) बंद रहेगा.

5. लाभांश का भुगतान

बैंक की निदेशक मंडल की सिफारिश के अनुसार अगर कोई लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित किया गया हो तो घोषणा के 30 दिनों के अंदर उन सभी को लाभांश अदा किया जाएगा जो बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत है :

क) जो एनएसडीएल तथा सीडीएसएल से अमूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में 5 जुलाई, 2010 को कारोबार घंटों की समाप्ति पर प्रस्तुत की गयी सूची के अनुसार हितकारी मालिक है.

ख) जो 09 जुलाई, 2010 को बैंक के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत शेयरधारक है.

ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट डाक द्वारा या ईसीएस या अन्य अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए शेयर अंतरण एजेंट अर्थात मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के माध्यम से घोषणा के 30 दिनों के अंदर अर्थात 09 अगस्त, 2010 के अंदर भेजा/जमा किया जाएगा.

6. लाभांश वारंट/इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (जमा समाशोधन) में बैंक खाते के विवरण – (ईसीएस) :

लाभांश का वितरण करते समय शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत बैंक खाते के विवरण लाभांश वारंट पर दर्शाना तथा जहां कहीं उपलब्ध है ईसीएस के प्रयोग को सेबी ने अनिवार्य किया है. यह आदेश सभी सूचीबद्ध कंपनियों व बैंकों पर लागू है. कुछ केंद्रों में ईसीएस सुविधा की अनुपस्थिति में तथा शेयरधारकों द्वारा इस प्रकार की सुविधा न लिए जाने की स्थिति में बैंक अपने पास उपलब्ध बैंक विवरण लाभांश वारंटों पर मुद्रित करेगा.

मूर्त रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक अपने बैंक अधिदेश के विवरण विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में स्थित शेयर प्रभाग तथा निवेशक शिकायत कक्ष को या हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को अपने अभिलेखों को अद्यतित करने के लिए प्रेषित करें.

शेयरधारक जो अमूर्त रूप में अपने शेयर रखे हुए हैं अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ संपर्क करें ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके. वार्षिक रिपोर्ट में ईसीएस/बैंक अधिदेश का प्रपत्र संलग्न है.

7. दावा नहीं किया गया लाभांश, अगर कोई हो तो

पिछली अवधियों के लिए जिन शेयरधारकों ने लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है/भुनाया नहीं है, अगर कोई हो तो, उनसे अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें ताकि अनुलिपि लाभांश वारंट/तारीखों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके.

घोषणा की दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति के बाद 7 दिनों के अंदर यदि किसी शेयरधारक ने लाभांश भुनाया/का दावा न किया हो तो बैंक लाभांश खाते से ऐसी राशि का एक अलग खाते ''..... वर्ष के लिए विजया बैंक का अदत्त लाभांश खाता'' में अंतरण कर दिया जाएगा.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की नयी धारा 10(ख) के अनुसार 7 वर्षों तक अदत्त या दावा रहित लाभांश की राशि को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 ग के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा तथा इसके बाद न बैंक या न आईईपीएफ से इसकी अदायगी का दावा किया जा सकता है.

8. तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सामान्य बैठक में वितरित नहीं की जाएगी अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां साथ में लाएं जो बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पतों पर डाक द्वारा भेजी जाती है.

9. शेयरों का अमूर्तीकरण

उन शेयरधारकों से जिनके शेयर प्रमाणपत्र मूर्त रूप में है, अनुरोध है कि अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा लें, चूंकि सेबी ने हमारे बैंक का नाम अनिवार्य रूप से अमूर्त रूप में शेयरों का व्यापार करने की सूची में जोडा है.

10. पते में परिवर्तन अधिसूचित करना

शेयरधारकों से अनुरोध है कि पते में परिवर्तन/बैंक खाते में परिवर्तन हो तो तत्काल निम्न को अधिसूचित करें :

क) अमूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी.

ख) मूर्त रूप में धारित शेयरों के संबंध में शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट : विजया बैंक, सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपाउंड, एलबीएस रोड, भांडूप (प), मुंबई – 400 078 को.

11. फोलियो का समेकन

शेयरधारक जो समान नाम या संयुक्त नाम पर अलग-अलग फोलियो में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं उनसे अनुरोध है कि उसी नाम क्रम में शेयर प्रमाणपत्र बैंक के शेयर अंतरण भेजें ताकि एक ही फोलियो के रूप में समेकन हो सके.

12. स्थिति में परिवर्तन का अभिलेखन

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को तत्काल निम्न सूचना दें :

क) स्थाई निवास के लिए भारत लौटते समय निवासीय स्थिति में परिवर्तन.

ख) भारत में स्थित बैंक खाते के विवरण जैसे पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार तथा खाते की संख्या और पिन सहित बैंक का पता, अगर पहले नहीं दिया हो तो.

13. अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन वितरित नहीं किया जाएगा.

14. वित्तीय कैलेंडर

विवरण	दिनांक
मंडल की बैठक के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को सूचना	21.04.2010 (बुधवार)
लेखों के अनुमोदनार्थ तथा लाभांश की सिफारिश हेतु मंडल की बैठक	30.04.2010 (शुक्रवार)
भारतीय रिज़र्व बैंक को लेखों का प्रस्तुतीकरण (30.06.2010 से पहले)	31.05.2010 (सोमवार)
वार्षिक सामान्य बैठक सूचना	29.05.2010 (शनिवार)
समाचार पत्रों में वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना प्रकाशित करना (वार्षिक सामान्य बैठक से 21 दिनों से पहले तथा पुस्तक बंद करने से 7 दिनों पहले – एल.ए.खंड 16)	31.05.2010 (सोमवार)
स्टॉक एक्सचेंज को पुस्तक बंद करने की सूचना देना (पुस्तक बंद करने से कम से कम 15 दिनों पहले – एल.ए.खंड 16)	29.05.2010 (शनिवार)
शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण (सूचना कम से कम बैठक से 21 दिनों पहले प्रेषित की जाएगी)	07.06.2010 (सोमवार) से 10.06.2010 (गुरुवार)
लाभांश भुगतान के उद्देश्य से पुस्तक बंद करना	06.07.2010 (मंगलवार) से 09.07.2010 (शुक्रवार)
प्रॉक्सी फार्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख (बैठक दिनांक से 4 दिनों पहले)	03.07.2010 (शनिवार)
खातों के अनुमोदन, वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु वार्षिक सामान्य बैठक की दिनांक (भा.रि.बैं. को खातों की प्रस्तुति दिनांक से 42 दिनों के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की जानी चाहिए)	09.07.2010 **(शुक्रवार)** अपरान्ह 3.00 बजे

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते **विजया बैंक**

ह/–
(के. गोपालकृष्णन नायर)
कंपनी सचिव

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 29.05.2010

निदेशकों की रिपोर्ट 2009-10

निदेशक मंडल, दिनांक 31 मार्च 2010 को लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा सहित, बैंक की 30वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है.

प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण

1. आर्थिक परिदृश्य

चालू नीतियों के समर्थन तथा सुधरती वित्तीय बाजार परिस्थितियों के चलते, वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार जारी है. सुधार प्रक्रिया मुख्यतः, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के कारण है, विशेषकर जो एशिया में हैं, चूंकि प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि कमजोर रही. वैश्विक अर्थव्यवस्था को कई चुनौतियों का सामना करना पड रहा है जैसे, उच्च स्तरीय बेरोजगारी, जो कि यू.एस. तथा यूरो क्षेत्र में करीब 10% है. विनिर्माण क्षेत्र में नए सिरे से गतिविधियों के संकेत तथा खुदरा बिक्री में सुधार के बावजूद यूरोप में आर्थिक सुधार की संभावना पर कुछ देशों में वित्तीय दबाव के बादल छाए हुए हैं.

प्रमुख प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं में मूल मुद्रास्फीति स्तर अब भी मंद है चूंकि उत्पादन अंतर बना हुआ है और बेरोजगारी अब भी अधिक है. मुद्रास्फीति अपेक्षाएं भी बेहतर नियंत्रित हैं. इसके विपरीत, ईएमई में मूल मुद्रास्फीति बढती जा रही है विशेषकर एशिया में. इसकी वजह से कुछ ईएमई के केंद्रीय बैंकों ने अपनी उदार मौद्रिक नीतियों को चरणबद्ध तरीके से बंद करना शुरू कर दिया है.

2009-10 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अच्छा रहा. केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के पूर्वानुमान अनुसार 2009-10 में जीडीपी की समग्र वृद्धि 7.2% रही जो कि 2008-09 के 6.7% के स्तर से वृद्धि दर्शाती है. 2009-10 के लिए अंतिम वास्तविक जीडीपी वृद्धि, जैसा कि भा.रि.बैं. द्वारा अनुमोदित है, 7.2 - 7.5% के बीच रहेगी. 2009-10 में जीडीपी में कृषि, उद्योग तथा सेवाक्षेत्र की अनुमानित हिस्सेदारी क्रमशः 14.6%, 28.2% तथा 57.2% है.

वर्ष 2009-10 के दौरान (अप्रैल 09 – जनवरी 10), निर्यात यूएस $131.8 बिलियन रहा, पिछले वर्ष के तदनुरूपी अवधि के दौरान 22.8% की वृद्धि के प्रति 17.9% की गिरावट दर्ज हुई. इसी अवधि के दौरान आयात में पिछले वर्ष के 32% वृद्धि के प्रति 19.8% की गिरावट दर्ज हुई. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च 2010 के अंत में यूएस डालर 279 बिलियन रहा. हाल ही के ग्रीक ऋण संकट के संबंध में भारतीय बाजार में पूंजी प्रभार के संबंध में अल्पावधि असुरक्षा होने की संभावना है. हालांकि, इसका दीर्घकालीन प्रभाव गंभीर नहीं रहेगा. मुद्रास्फीति परिदृश्य में, थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति वर्ष दर वर्ष के आधार पर, भा.रि.बैं. के मार्च 2010 के लिए 8.5% आधारभूत अपेक्षा से अधिक मार्च 2010 को 9.9% था. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संदर्भ में मुद्रास्फीति वर्ष दर वर्ष जनवरी 2010 में बहुत अधिक 16.2% रही.

2. बैंकिंग परिदृश्य

2009-10 के दौरान मौद्रिक और कुल ऋण में वृद्धि मुख्यतः भा.रि.बैं. के अनुमानों के अनुरूप रही. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की सकल जमाराशियों में वर्ष के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 17.0% वृद्धि दर्ज की गयी. अग्रिमों में पिछले वर्ष के 18.2% की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 16.7% की वृद्धि दर्ज हुई. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने फरवरी से अप्रैल 2010 में अपनी जमा दरों में 25-50 आधार अंकों की बढोत्तरी की है, जो कि जमा दरों में विपरीत प्रवृत्ति दर्शाता है. उधारी क्षेत्र में, मार्च तथा जून 2009 के मध्य 25-100 आधार अंक के स्तर में कमी के चलते, एससीबी के बेंचमार्क मूल उधार दरों (बीपीएलआर) में जुलाई 2009 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ.

2009-10 के अधिकतर भाग के दौरान, भा.रि.बैं. का मुख्य लक्ष्य उसके द्वारा 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के प्रत्युत्तर में अपनायी गयी उदार मौद्रिक नीति दृष्टिकोण को धीरे-धीरे हटाने का था. इसकी जरूरत बढते हुए राजकोषीय घाटे पर अंकुश लगाने की आवश्यकता के कारण थी.

भा.रि.बैं. ने अपनी अशंकित निकास रणनीति के अनुक्रम में, जिसका उसने पिछले वर्ष अनुसरण किया था, 2010-11 के लिए अपनी मौद्रिक नीति वक्तव्य में, 20 अप्रैल, 2010 से तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन रिपो दर 25 आधार अंकों की बढोत्तरी से 5.0 प्रतिशत से 5.25 प्रतिशत हो गई और एलएएफ के अधीन रिवर्स रिपो दर 25 आधार अंकों की बढोत्तरी से 3.5 प्रतिशत से 3.75 प्रतिशत हो गयी. आगे, सीआरआर को 25 आधार प्वाइंट बढा कर 5.75 प्रतिशत से 6 प्रतिशत कर दिया गया है. इन उपायों से मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में कमी आने की उम्मीद है और मुद्रास्फीति के और अधिक बढने पर रोक लगेगी. चूंकि बैंकिंग प्रणाली में तरलता के पर्याप्त रूप से बने रहने के आसार हैं, सुधार को बनाए रखने के लिए ऋण विस्तार के प्रभावित होने की संभावना नहीं है.

3. दृष्टिकोण

आईएमएफ ने अपने जनवरी 2010 के लिए आर्थिक दृष्टिकोण समाचार में वैश्विक वृद्धि के 2009 के -0.8% से 2010 में 3.9% तक सुधार तथा 2011 में आगे 4.3% तक सुधार अनुमानित किया है. तीन प्रमुख मुद्दे , जो संभाव्यतः वैश्विक दृष्टिकोण में योगदान करेंगे, भारी मौद्रिक तथा वित्तीय समर्थन, आत्मविश्वास में बढोत्तरी तथा ईएमई में मज़बूत सुधार है.

घरेलू क्षेत्र में, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ सुधार पथ पर है. अक्तूबर 2009 से निर्यात बढ रहा है, एक ऐसी प्रवृत्ति जिसके आगे जारी रहने की संभावना है. औद्योगिक सुधार तेजी से व्यापक होता जा रहा है. बैंक ऋण तथा वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा गैर-बैंकिंग स्त्रोतों से जुटाए गए वित्तीय संसाधनों में निरंतर वृद्धि, भी दर्शाती है कि सुधार में तेजी आ रही है.

संतुलित सामान्य मानसून तथा बढती घरेलू और बाह्य मांग के परिदृश्य में औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्रों में अच्छे प्रदर्शन के बने रहने के पूर्वानुमान पर, 2010-11 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का आधारभूत अनुमान ऊर्ध्वमुखी 8 प्रतिशत रखा गया है. मुद्रास्फीति पहलू पर, घरेलू मांग - आपूर्ति संतुलन तथा वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, मार्च 2011 के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के लिए अनुमान 5.5% रखा गया है.

भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा सतत विकास प्रयासों में तात्कालिक आवश्यकता है और विशेषकर, बैंक इस प्रयास में योगदान कर सकते हैं. भा.रि.बैं. ने अपनी दिनांक 20 नवंबर, 2007 की अधिसूचना में बैंकों को सलाह दी है कि वे इन मुद्दों को नोट करें और सतत विकास के उद्देश्य के लिए इन मुद्दों पर विचार करते हुए उपयुक्त कार्य योजना बनाएं.

वर्ष 2009-10 में विजया बैंक का निष्पादन

4. कार्यकारी परिणाम

वर्ष 2009-10 के लिए बैंक द्वारा दर्ज परिचालन लाभ 2008-09 के रु.898.91 करोड की तुलना में रु.1056.96 करोड रहा, जबकि वर्ष 2009-10 के लिए निवल लाभ, 2008-09 के रु.262.48 करोड के मुकाबले 93.27% की वृद्धि के साथ रु.507.29 करोड रहा. जमा राशियों के संदर्भ में जमाओं की औसत लागत 2008-09 के 7.56% से घटकर 2009-10 में 6.21% हो गई, जोकि मुख्य बाजार ब्याज दरों में गिरावट तथा बैंक द्वारा उच्च-लागत वाले बृहत जमा के मामले में कम आश्रय के कारण रहा. तथापि, अग्रिमों पर आय में 2008-09 के 11.09% से घटकर 2009-10 में 10.26% हो गयी, जो कि उद्योग की प्रवृत्ति के अनुरूप रही.

बैंक के वित्तीय परिणामों की प्रवृति तथा महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शायी गई है :

तालिका - 1

आय-व्यय मानदंड

(रु. करोडों में)

क्रम सं.	आय - व्यय शीर्ष	2008-09	2009-10	वार्षिक वृद्धि (%)
1	ब्याज आय	5238	5201	-0.71
2	ब्याज खर्च	4113	3752	-8.79
3	निवल ब्याज आय (1-2)	1125	1449	28.83
4	गैर ब्याज आय	699	680	-2.77
I.	निवेशों की बिक्री पर लाभ	304	283	-6.84
II.	अन्य गैर ब्याज आय	395	397	0.51
5	निवल कुल आय (3+4)	1824	2129	16.72
6	परिचालन खर्च	925	1072	15.88
I.	स्टाफ खर्च	598	706	18.10
II.	अन्य परिचालन खर्च	327	366	11.83
7	परिचालन लाभ (5-6)	899	1057	17.58
8	परिचालन लाभ (खज़ाना लाभ को छोडकर)	595	774	30.08
9	प्रावधान और आकस्मिक खर्च	636	550	-13.63
10	निवल लाभ	262	507	93.27

तालिका - 2

लाभप्रदता/कुशलता/दक्षता अनुपात

क्रम सं.	मानदंड (%)	2008-09	2009-10
1	निधि पर प्रतिफल	8.88	7.89
2	निधि लागत	6.97	5.69
3	ब्याज विस्तार (1-2)	1.91	2.20
4	अग्रिम पर प्रतिफल	11.09	10.26
5	जमा लागत	7.56	6.21
6	निवल ब्याज मार्जिन	2.04	2.54
7	निवेश पर प्रतिफल - क्रय लाभ को छोडकर - क्रय लाभ सहित	 7.72 9.38	 6.67 7.05
8	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में अन्य परिचालन खर्च	0.55	0.56
9	लागत-आय अनुपात	50.71	50.34
10	औसत कार्यकारी निधि की तुलना में स्थापना लागत	1.01	1.07
11	आस्तियों पर आय	0.59	0.76
12	ईक्विटी पर आय	11.10	21.41
13	पूंजी पर्याप्तता अनुपात - बेसल-I - बेसल-II	13.08 13.15	11.79 12.50
14	सकल गैर-निष्पादित आस्तियां	1.95	2.37
15	निवल गैर-निष्पादित आस्तियां	0.82	1.40

5. लाभांश

समग्र लाभप्रदता की स्थिति पर गौर करते हुए निदेशक मण्डल ने वर्ष 2009-10 के लिए रु.10/- के अंकित मूल्य वाले ईक्विटी शेयर के लिए प्रति शेयर रु.2.50 का लाभांश घोषित किया है जो कुल रु.108.38 करोड बनता है.

6. पूंजी पर्याप्तता

31.03.2010 को बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बेसल–II) 12.50% रहा जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक का मानदंड 9% है. बैंक की टायर–I पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.69% तथा टायर–II पूंजी 4.81% रहा.

7. शाखा नेटवर्क

वर्ष के दौरान सत्तावन अतिरिक्त शाखाएँ खोली गईं, जिससे कुल शाखाओं का नेटवर्क मार्च 2009 के 1101 से मार्च 2010 में 1158 हो गया जो कि, संपूर्ण भारत में फैली हुई हैं. 2009-10 के दौरान तीन विस्तार काउंटर खोले गए थे जिससे कुल विस्तार काउंटरों की संख्या 46 हो गई.

8. जमा संग्रहण

बैंक की कुल जमाराशियां, दि.31.03.2009 के रु.54535.43 करोड से बढकर दि.31.03.2010 को रु.61931.74 करोड हो गयी यानी 13.56% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई. कासा जमाराशि में 16.35% की वृद्धि दर्ज हुई, जो कुल जमाराशि की 24.6% बनती है. कासा जमाराशि में वृद्धि बचत बैंक जमाराशि में 20% की वृद्धि से प्रभावित हुई जिसमें वर्ष के दौरान रु.10000 करोड सीमा को पार किया.

वर्ष के दौरान बैंक ने 'अगली पीढी के ग्राहकों के लिए एक नया उत्पाद वी–जेन यूथ उन्नति आवर्ती जमा खाता' शुरू किया. लगभग दो महीने की अल्प अवधि में उत्पाद को जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और रु.1.64 करोड शेष राशि के साथ 26139 खाते खोले गए. एक जमाराशि अभियान जिसमें विभिन्न वर्गों के बचत बैंक खातों जैसे गृहस्थ, वेतनभोगी वर्ग तथा अन्य कार्य वर्ग को शामिल करते हुए शुरू किया गया जिसके परिणामस्वरूप लगभग 5 लाख खाते खोले गए और कुल रु.640.40 करोड का संग्रहण किया गया. जमा अभियानों के अलावा, वी–जेन यूथ बचत बैंक खाता धारकों तथा एचएनआई वर्ग के बचत बैंक खातों के पोषण हेतु विभिन्न गतिविधियाँ की गई. इन सब के परिणाम स्वरूप बचत बैंक जमा संविभाग में दर्ज वृद्धि उच्चतम वृद्धियों में से एक रही.

9. ऋण विस्तार

बैंक की कुल अग्रिमों में, 16.89% की वार्षिक वृद्धि के साथ मार्च 2009 के रु.35874.63 करोड से बढकर मार्च 2010 में रु.41934.53 करोड हो गए. तथापि, औसत सकल ऋण में 8.35% की वार्षिक वृद्धि के साथ 2008-09 के रु.34540.16 करोड से बढकर 2009-10 में रु.37424.90 करोड हो गए जो समीक्षाधीन वर्ष के अधिकांश महीनों में कम ऋण खपाने की प्रवृत्ति दर्शाती है.

बुनियादी सुविधाओं के लिए वित्त

बुनियादी सुविधा क्षेत्र के लिए बकाया अग्रिमों में मार्च 2009 के रु.7722 करोड से मार्च 2010 में रु.10445 करोड की बढोत्तरी हुई यानी इस दौरान 35.26% की वृद्धि दर अंकित की गई. बैंक ने बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रमुख क्षेत्रों जैसे; बिजली क्षेत्र, सडक, पत्तन, हवाई अड्डे, इंडस्ट्रियल पार्क, विशेष आर्थिक अंचल, गैस/पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन, दूरसंचार आदि को वित्तपोषित किया.

खुदरा ऋण

बैंक ने अपनी खुदरा उधार योजनाओं जैसे आवास ऋण, शिक्षा ऋण, आभूषण ऋण आदि को प्राथमिकता देना जारी रखा. तथापि, खुदरा ऋण वर्ग में वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान मंद वृद्धि देखने को मिली जो कि वर्ष के अधिकांश महीनों में मंदी की प्रवृत्ति के चलते उद्योग में विद्यमान वृद्धि/प्रवृत्ति के अनुरूप थी.

वर्ष के दौरान बैंक ने खुदरा ऋण के अधीन रु.2857.98 करोड का संवितरण किया और मार्च 2010 को बकाया राशि रु.9348.90 करोड रही. खुदरा ऋण संविभाग बैंक के सकल ऋण का 22.26% बनता है.

वर्ष के दौरान बैंक ने आवास ऋण के अधीन रु. 614.40 करोड, शिक्षा ऋण के अधीन रु.144.44 करोड, वाहन ऋण के अधीन रु.359.46 करोड तथा आभूषण ऋण योजनाओं के अधीन रु.718.91 करोड का संवितरण किया. 31 मार्च 2010, आवास ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण व आभूषण ऋण योजनाओं के अधीन बकाया राशि क्रमश: रु.4525.60 करोड, रु.534.47 करोड, रु.791.98 करोड तथा रु.571 करोड रही. आभूषण ऋण वर्ग के अधीन वर्ष–दर–वर्ष वृद्धि 65.90% रही तथा शिक्षा ऋण वर्ग के अधीन वह वृद्धि 24% रही.

वर्ष के दौरान बैंक ने एक नया खुदरा उत्पाद वी–गोल्ड नकद ऋण भी शुरु किया ताकि छोटे कारोबारियों, खुदरा व्यापारियों तथा व्यवसायिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, विशेषकर अर्ध शहरीय तथा शहरीय क्षेत्रों में.

वर्ष के दौरान बैंक ने प्रमुख आटो निर्माताओं जैसे अशोक लेयलैण्ड, महिन्द्रा व महिन्द्रा, वी.ई. कर्मिशियल व्हीकल लि., (आइशर मोटर्स) और टाटा मोटर्स लि., के साथ वाहन ऋण के अधीन संविभाग तैयार करने हेतु, करार किया.

प्राथमिकता क्षेत्र उधार

बैंक का कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम मार्च 2009 के रु.13450 करोड से बढकर मार्च 2010 के अंत तक 8.20% की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज करते हुए रु.14553 करोड हो गया. बैंक का प्राथमिकता क्षेत्र ऋण समायोजित निवल बैंक ऋण का 40.57% बनता है जबकि निर्धारित मानदंड 40% है.

कृषि वित्त

बैंक के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिम मार्च 2009 से 18.18% की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2009 के रु.3053 करोड की तुलना में मार्च 2010 को रु.3608 करोड हो गया. कुल कृषि अग्रिम जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 18% मानदंड के प्रति 14.56% बना रु.5222 करोड पर रहा (कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्त पर 4.50% उच्चतम सीमा के साथ).

विशेष कृषि ऋण योजना के अधीन बैंक ने रु.4713 करोड के लक्ष्य के प्रति वर्ष 2009-10 के दौरान रु.4103 करोड का संवितरण किया है जो 87.06% की उपलब्धि बनती है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने 42348 विजया किसान कार्ड जारी किए तथा रु.336.27 करोड संवितरित किए. बैंक ने कृषकों की सुविधा के लिए कुछ चुनी गयी शाखाओं में एटीएम समर्थ किसान क्रेडिट कार्डों का प्रवर्तन किया है.

नए किसानों को शामिल करना

वर्ष के दौरान बैंक ने विभिन्न कृषि संबंधी गतिविधियों के अधीन 39728 नए किसानों को वित्त प्रदान कर रु.430.47 करोड का संवितरण किया. हालांकि भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण व अर्ध-शहरीय शाखा के लिए 100 नए किसानों को वित्त देने का न्यूनतम मानदंड निर्धारित किया है, बैंक द्वारा औसतन 78 नए किसानों को वित्त प्रदान किया गया.

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) का वित्तपोषण

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों को अग्रिम मार्च 2009 के रु.4552 करोड से बढकर मार्च 2010 रु.5436 करोड हो गया जो वर्ष-दर-वर्ष 19.42% की वृद्धि दर्शाता है. भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के अंतर्गत अग्रिमों को पांच वर्षों के अंदर यानी 2009-10 तक दुगुना किया जाना है. बैंक ने इस लक्ष्य को मार्च 2008 में ही प्राप्त कर लिया है.

कमज़ोर वर्गों को अग्रिम

मार्च 2010 तक बैंक द्वारा कमज़ोर वर्गों को बकाया अग्रिम रु.3462 करोड था जो कि 10% के मानदंड के प्रति एएनबीसी का 9.65% है.

महिला हिताधिकारियों को ऋण

2009 के रु.2052 करोड के प्रति मार्च 2010 तक महिला हिताधिकारियों को रु.2342 करोड का अग्रिम दिया गया, जो 14.13% का वृद्धि दर दर्ज करता है. महिलाओं को निवल बैंक ऋण के 5% के निर्धारित न्यूनतम मानदंड के प्रति बैंक की उपलब्धि 6.52% है.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को अग्रिम

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ग्राहकों को दिए गए बैंक का कुल अग्रिम मार्च 2009 के रु.441 करोड के मुकाबले, वर्ष के दौरान रु.59.86% की वृद्धि दर्शाते हुए यथा मार्च 2010 को रु.705 करोड रहा.

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

मार्च 2010 को अल्पसंख्यक समुदायों को दिए गए अग्रिमों की मात्रा रु.1566 करोड है और यह कुल प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों का 10.75% बनता है.

सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत उधार

बैंक सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लागू करने पर जोर देता आ रहा है. मार्च 2010 को ऐसी योजनाओं के अधीन बकाया कुल राशि रु.243.74 करोड है जिसमें 26141 हिताधिकारी शामिल हैं.

स्व-सहाय दल (एसएचजी)

वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक ने, 44243 स्व-सहाय दलों का वित्तपोषण किया और रु.244 करोड ऋण संवितरित किए. संचयी रूप से, अब तक बैंक ने 118257 स्व-सहाय दलों का वित्तपोषण किया और रु.646 करोड संवितरित किए. इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अपने बेहतरीन निष्पादन के लिए बैंक को वर्ष 2008-09 के लिए कर्नाटक राज्य में एसएचजी बैंक लिंकेज के लिए सर्वोत्कृष्ट निष्पादन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

जनश्री बीमा योजना

यह भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाओं में से एक है, जिसमें एसएचजी की महिला सदस्यों को जीवन सुरक्षा तथा शारीरिक रूप से असक्षम होने के प्रति बीमा भी प्राप्त होता है. इसके अलावा, उनके 9वीं से 12वीं कक्षाओं में पढने वाले बच्चों को भी छात्रवृति उपलब्ध कराई जाती है. बैंक ने विभिन्न एसएचजी की महिला सदस्यों के लाभार्थ योजना का कार्यान्वयन किया है. अब तक 1735 सदस्यों को शामिल किया गया और पात्र छात्रों को रु.1.36 लाख की छात्रवृति संवितरित की गई है.

विश्वेश्वरय्या ग्रामीण बैंक

बैंक द्वारा प्रायोजित विश्वेश्वरय्या ग्रामीण बैंक (वीजीबी), एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) ने वर्ष 2009-10 के दौरान अच्छी प्रगति जारी रखी. वीजीबी की कर्नाटक राज्य के मंड्या जिले में कुल 30 शाखाएं हैं. मार्च 2010 को कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमश: रु.191.35 करोड व रु.133.41 करोड रहे. वीजीबी का निष्पादन तथा कार्यकारी परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहे. 31.03.2010 को वीजीबी ने रु.335.48 लाख का निवल लाभ अर्जित किया है.

कृषि ऋण में माफी तथा ऋण राहत योजना – 2008

बैंक ने भारत सरकार की कृषि ऋण में माफी तथा ऋण राहत योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया. योजना के अधीन बैंक ने 47807 छोटे तथा सीमांत किसानों को रु.147.12 करोड की ऋण माफी सुविधा प्रदान की. ऋण माफी के अधीन रु.60.41 करोड की राहत सुविधा के लिए एकबारगी समझौता हेतु पात्रता के लिए 21664 अन्य किसानों की पहचान की गयी है.

वित्तीय समावेशन

मार्च 2010 को बैंक के पास 2.72 लाख सादा खाते थे जिनमें रु.29.99 करोड की राशि शेष थी. कर्नाटक के सभी तीनों जिलों में वित्तीय समावेशन के पहले चरण की सफलतापूर्वक संपन्नता के बाद बैंक ने अपने ग्राहकों को कारोबार संवाददाता माडल द्वारा स्मार्ट कार्ड/हस्त धारित मशीन के माध्यम से घर आँगन में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराने की पहल की है. शाखा रहित बैंकिंग के अधीन बैंक ने 5 कारोबार संवाददाताओं/उप-एजेंटों के माध्यम से कर्नाटक राज्य में 14 गाँवों को मार्च 2010 तक 2300 स्मार्ट कार्ड जारी किए हैं.

इलैक्ट्रानिक सुविधा अंतरण योजना (ईबीटी) के अधीन बैंक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अधीन मजदूरी का संवितरण कर रहा है. बैंक इन भुगतानों का संपूर्ण मंड्या जिले में 'एक जिला एक बैंक मॉडल' के अधीन भी भुगतान कर रहा है. बैंक ने एमजीएनआरईजीएस के अधीन 459 खाते खोले और 229 कार्ड जारी किए, जबकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन (एसएसपी) योजना के अधीन 29 खाते खोले गए तथा कार्ड जारी किए गए. आगे, उक्त योजनाओं के अधीन बैंक कर्नाटक के तीन जिलों अर्थात, चित्रदुर्गा, बेल्लारी व गुलबर्गा में भाग ले रहा है, जहाँ कर्नाटक सरकार द्वारा 'एकजिला अनेकबैंकमॉडल' प्रायोगिकतौर पर कार्यान्वित किया गया है. बैंक ने एमजीएनआरईबीएस के अधीन 754 खाते खोले तथा 652 स्मार्ट कार्ड जारी किए. एसएसपी के अधीन 161 खाते खोले गए तथा कार्ड जारी किए गए.

इस वर्ष के दौरान बैंक ने अगले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन हेतु व्यापक रूप रेखा तैयार की है, जो कि 500 गाँवों में 600 कारोबार संवाददाताओं को शामिल करते हुए तथा देश में 6.50 लाख घरों को प्रावरित करेगी. 2010-11 के दौरान बैंक रूप रेखा के अधीन अपने सभी 361 सेवा क्षेत्र के गाँवों को जहाँ 2000 से अधिक जनसंख्या है प्रावरित करने का लक्ष्य रखता है. बैंक की अगले दो वर्षों में अन्य गाँवों को प्रावरित करने की योजना है.

सामान्य ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 'सादा खाता' धारकों की बाधा-रहित ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने 9.50% प्र.व (स्थिर) ब्याज दर पर अधिकतम रु.25,000/- की ऋण सीमा के साथ, **'विजया सामान्य ऋण कार्ड योजना'** शुरु की है, जहाँ कोई प्रतिभूति/मार्जिन/अंतिम उपयोग पर जोर दिया जाता है. मार्च 2010 तक बैंक ने विजया सामान्य ऋण कार्ड के अधीन 1825 खातों का वित्तीयन किया है जिसमें रु.109.34 लाख शेष राशि है.

भा.रि.बैं. के प्लैटिनम जुबली समारोह के अंतर्गत बैंक ने कोडिहल्ली (कर्नाटक राज्य) में 'संपर्क कार्यक्रम' आयोजित कर भाग लिया और 855 सादा खाते खोलते हुए सभी गाँव वासियों को बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करायी.

ऋण पुनर्संरचना

उद्योग तथा अन्य क्षेत्रों में मौजूदा प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए बैंक ने जरूरतमंद उधारकर्ताओं की पात्र अग्रिमों की पुनर्संरचना की. इस प्रकार आर्थिक मंदी से प्रभावित क्षेत्रों को राहत पहुंचायी. वर्ष के दौरान, बैंक ने रु.1563 करोड राशिवाले 7108 ऋण खातों को पुनर्संरचित करके, रु.2573 करोड राशिवाले 16760 खातों की पुनर्संरचना की.

10. आस्ति गुणवत्ता

बैंक नए फिसलन को रोकने तथा लगातार आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने पर ज़ोर देता रहा है. इस दिशा में बैंक ने विभिन्न उपायों को लागू किया है जिसमें से कुछ इस प्रकार है :

- क्षीण संकेत दर्शानेवाले/देय राशि में चूक होनेवाले खातों को पहचाना गया तथा उन्हें विशेष विशेष निगरानी में रखा. जहां कहीं भी संभव था ऐसी आस्तियों की पुनर्संरचना की गयी, योग्य मामलों में आवश्यकता-आधारित अतिरिक्त ऋण सीमाओं पर विचार किया गया ताकि नए फिसलन को रोका जा सके.
- जानबूझकर चूककर्ताओं के मामले में प्रतिभूतिकरण, लोक अदालत/डीआरटी आदि कानूनी विकल्प सहित कठोर वसूली उपाय तत्काल शुरू किए गए.
- त्वरित वसूली की सुविधा के लिए चूककर्ताओं की देय राशि के सौहार्दपूर्ण निपटान के लिए 'विजया अदालतों' का नियमित रूप से आयोजन किया गया. वर्ष के दौरान ऐसे समझौते के जरिए बैंक ने 5594 खातों से रु.35.66 करोड की वसूली हुई.

मार्च 2010 को सकल गैर-निष्पादन आस्ति 2.37% रही, जबकि निवल एनपीए अनुपात 1.40% था. वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक को रु.424.82 करोड.की कुल नकद वसूली हुई (ब्याज सहित) तथा रु.163.10 करोड के एनपीए का उन्नयन किया. 31 मार्च 2010 को रु.213 करोड के अस्थिर प्रावधानीकरण के अलावा अप्रत्याशित चूक के लिए रु.194.59 करोड का प्रावधानीकरण भी किया. मार्च 2010 को प्रावधान प्रावरण अनुपात (पीडब्ल्यूओ सहित) 64.24% रहा.

11. निवेश और निधि प्रबंधन

बैंक का कुल निवेश संविभाग 31.03.2009 के रु.17388 करोड से 31.03.2010 को रु.21107 करोड तक बढ गया. वर्ष के दौरान निवेश पर औसत प्रतिफल (निवेश की बिक्री पर लाभ रहित) 2008-09 में 7.72% की तुलना में 6.67% है. समीक्षाधीन वर्षभर में बैंक की चलनिधि की स्थिति सामान्य रूप से संतोषजनक रही. बैंक ने वर्ष में भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित सीआरआर/एसएलआर अपेक्षाओं की पूर्ति लगातार की.

बैंक ने वित्त वर्ष के दौरान आईटीएमएस (एकीकृत खजाना प्रबंधन सॉफ्टवेयर) का सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया तथा उसे सीबीएस के साथ जोड दिया.

आरटीजीएस और एनआईएफटी का कार्यान्वयन

बैंक, 14 जून, 2004 को रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली में शामिल हुआ और 12 जनवरी, 2005 से ग्राहकों के लेनदेन कर रहा है. 31.03.2010 को बैंक की सभी शाखाएं/विस्तार काउंटर/सेवा शाखाएं तथा क्षेत्रीय कार्यालय आरटीजीएस सक्षम है. बैंक 7 दिसंबर, 2006 से नैशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (एनईएफटी) में शामिल हुआ. यह सुविधा सभी आरटीजीएस सक्षम शाखाओं/कार्यालयों को प्रदान कर दी गयी है.

12. जोखिम प्रबंधन

बैंक का जोखिम प्रबंधन कार्य कई समितियों द्वारा देखा जाता है जिसमें मंडल स्तर की समिति, मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) शामिल है. जोखिम प्रबंधन नीतियों को कॉर्पोरेट स्तर पर ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में लागू किया जाता है.

उपरोक्त प्राथमिकता जोखिम नीतियों के अलावा बैंक ने विभिन्न जोखिम संबंधी नीतियों की स्थापना की है जैसे कि आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी), कारोबार निरंतरता तथा विपदा पुनरुत्थान योजना, प्रकटन, तनाव परीक्षण, संपार्श्विक प्रबंधन, बाहरी दर निर्धारण अपनाना, वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग का जोखिम प्रबंधन, आईटी सुरक्षा, देशी जोखिम प्रबंधन, आदि. इन जोखिम प्रबंधन नीतियों की आवधिक तौर पर समीक्षा व इनमें संशोधन किया जाता है.

भा.रि.बैं. द्वारा निर्धारित जोखिम संविभाग टेंप्लेट के आधार पर बैंक ने तिमाही आधार पर बैंक के जोखिम संविभाग का स्वत: मूल्यांकन किया है जो भा.रि.बैं. व मंडल को प्रस्तुत करने से पहले गुणवत्ता आश्वासन टीम द्वारा परीक्षित किया जाता है.

ऋण जोखिम

बैंक की उधार नीति को समय-समय पर संशोधित करके उसमें अन्य मुद्दों के साथ कई पहलू जैसे कि जोखिम क्षमता, जोखिम आधारित मूल्य निर्धारण, जोखिम विशाखन/निवारण रणनीति, विवेकपूर्ण सीमाएं, ऋण जोखिम सीमा, अधिमान्य क्षेत्र वृद्धि रणनीतियां, ऋण अनुमोदन प्रक्रिया, प्रलेखन तथा सुरक्षा मानदंड, सुरक्षा मूल्यांकन आदि को शामिल किया जाता है.

ऋण समीक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बैंक ने रु. 5 करोड व उससे अधिक राशि के ऋणों के लिए ऑन-साइट ऋण लेखा परीक्षा शुरू की है तथा रु. 5 करोड से कम ऋणों के लिए ऋण समीक्षा प्रणाली को संशोधित भी किया है. बैंक भा.रि.बैं. की इस अपेक्षा का अनुपालन भी कर रहा है कि कम-से-कम 30% से 40% के ऋण जोखिमों को ऋण समीक्षा तंत्र/ऋण लेखापरीक्षा के अधीन प्रावरित किया जाए. बैंक की तनाव परीक्षण योजना के अनुसार वार्षिक आधार पर ऋण जोखिम पर तनाव परीक्षण किया जाता है.

बैंक ने एक व्यापक जोखिम दर निर्धारण/स्कोरिंग प्रणाली तैयार की है जो विवेकशील तरीके से ऋण निर्णय लेने के लिए प्रतिपार्टी पर विविध

जोखिम पहलुओं के एकल स्रोत सूचक के रूप में कार्य करती है. आवास तथा अन्य खुदरा क्षेत्रों के लिए अलग जोखिम स्कोरिंग मॉडल तैयार किया गया है ताकि जोखिम दर निर्धारण प्रयोग का अधिकाधिक प्रावरण सुनिश्चित किया जा सके जो कि वर्तमान में लगभग 90% है. रु.1 करोड व अधिक के ऋण जोखिमों के संबंध में तिमाही आधार पर प्रवसन विश्लेषण भी किया जाता है. सितंबर 2009 से बैंक ने ऋण जोखिम दर निर्धारण सॉफ्टवेयर शुरू किया है जो कि सभी खुदरा तथा गैर-खुदरा ऋणों के संबंध में जोखिम दर निर्धारण करने के लिए बेसल II के अनुरूप है. इस सॉफ्टवेयर से बैंक यह सुनिश्चित कर लेता है कि किसी भी ऋण को मंजूर करने से पूर्व सभी प्रकार के ऋणों को जोखिम दर निर्धारण के अधीन प्रावरित किया जाता है ताकि ऋण गुणवत्ता को बनाए रख सकें तथा बेसल II के अधीन उन्नत दृष्टिकोण का अनुपालन कर सके.

एएलएम व बाज़ार जोखिम

बैंक की बाज़ार जोखिम आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) द्वारा देखा जाता है. विभिन्न साम्यिक खंडों में असमानताओं को घटाने के लिए उपयुक्त सहनशील सीमाएं निर्धारित की जाएं ताकि चल निधि व ब्याज दर जोखिम दोनों का प्रबंधन किया जा सके तथा इनकी पाक्षिक अंतरालों पर निगरानी की जाती है तथा इसके बारे में मंडल को सूचित किया जाता है.

बाजार जोखिम मूल्यांकन वीएआर (जोखिम पर मूल्य), एजीएल (कुल अंतराल सीमा) तथा अवधि अंतराल विश्लेषण जैसे साधनों के जरिए किया जाता है. एकल देशी सीमा तथा सभी देशों के लिए समूह सीमा भी तैयार की जाती है ताकि देशी जोखिम का प्रबंधन एवं निगरानी की जा सके. खजाना परिचालन पर मिड-ऑफिस रिपोर्ट भी मासिक आधार पर एएलसीओ के समक्ष रखी जाती है जिसमें छूट, समीक्षा तथा अनुपालन के संबंध में भी सूचना शामिल है.

संपूर्ण ऋण संविभाग पर ब्याज दर जोखिम को पहचाना जाता है तथा जोखिम पर अर्जन (ईएआर) जैसे साधनों से मापा जाता है. इसके अलावा संविभाग संवेदनशील विश्लेषण भी किया जाता है तथा शीर्ष प्रबंधन द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है. आगे, उच्च प्रबंधन द्वारा संविभाग अस्थिरता विश्लेषण किया जाता है तथा उसकी समीक्षा भी की जाती है. चलनिधि जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में संभाव्यता निधिकरण योजनाएं, विवेकपूर्ण अनुपात/सीमाएं तय की गयी हैं तथा वास्तविक स्थिति की निगरानी की जाती है. तिमाही आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में ब्याज दर जोखिम, चल निधि जोखिम, फॉरेक्स, आदि पर भार परीक्षण किया जाता है तथा एएलसीओ को सूचित किया जाता है. अल्पावधि चलनिधि की निगरानी करने के लिए दैनिक आधार पर एएलएम विवरणी तथा मध्य कार्यालय रिपोर्ट भी तैयार की जाती है.

परिचालनात्मक जोखिम

विभिन्न परिचालनात्मक जोखिमों को दूर करने की दृष्टि से वर्ष के दौरान कई अध्ययन किए गए. इसमें डाटा केंद्र, खुदरा आस्ति केंद्रीयकरण संसाधन कक्ष, आरटीजीएस/एनईएफटी आदि की कार्य प्रणाली का अध्ययन भी शामिल है. बैंक ने मानकीकृत प्रणाली के लिए योग्यता मानदंड लागू करना शुरू किया है जिसके लिए आरसीएसए (जोखिम व नियंत्रण स्व-मूल्यांकन) कार्य के अधीन सूक्ष्म कारोबार प्रक्रिया अपनायी है. वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय स्तर पर दो आरसीएसए कार्यशालाएं तथा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर 8 आरसीएसए कार्यशालाएं आयोजित की गयीं जिसमें 7 परिचालनात्मक क्षेत्रों के संबंध में जोखिम का मूल्यांकन तथा तदनुरूपी नियंत्रण उपाय का मूल्यांकन किया गया. बैंक ने शीर्ष स्तर पर कारोबार निरंतरता प्रबंधन समिति (बीसीएमसी) और प्र.का./क्षे.का./शाखाओं में आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का भी गठन किया है जो कारोबार निरंतरता प्रक्रिया संबंधी गतिविधियों को लागू करता है और उसकी देखरेख करते हैं. वर्ष के दौरान बैंक ने कारोबार निरंतरता तथा विपदा जूझन योजना की समीक्षा भी है.

बेसल II का अनुपालन

बेसल II मानदंडों का अनुपालन करने के लिए बैंक ने त्रैमासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में पूंजी पर्याप्तता का परिकलन पर साथ-साथ कार्य योजना तैयार की है तथा उसे भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करने के साथ ही मंडल को सूचित किया है.

इसके अलावा, बैंक ने 4 दर निर्धारण एजेंसियों जैसे क्रिसिल, आईसीआरए, सीएआरई तथा फिच के साथ करार किया है ताकि कॉर्पोरेट ग्राहकों का जोखिम दर निर्धारण कर सके.

भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत आवधिक दृष्टिकोण तथा परिचालन जोखिम के लिए आधार सूचकांक दृष्टिकोण अपनाने के साथ बैंक ने बेसल II मानदंडों का अनुपालन कर लिया है तथा 31 मार्च, 2010 को समग्र पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9% न्यूनतम निर्धारित मानदंड की तुलना में 12.5% है.

एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना

बेसल II ढांचे में सरल तथा प्रभावी ढंग से अपनाने के उद्देश्य में बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) के कार्यान्वयन को अपनाया है.

आईआरएमएस परियोजना में छः समाधान हैं - जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन (सीआरएम) ; बाज़ार जोखिम प्रबंधन (एमआरएम) ;

परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) ; ऋण जोखिम दर निर्धारण समाधान (सीआरआर) (खुदरा व गैर-खुदरा) ; आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) तथा निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एफटीपी) समाधान. वर्ष के दौरान, बैंक ने इस योजना का चरण I लागू किया अर्थात मानकीकृत पहुंच हासिल करना तथा उन्नत पहुंच लागू करने के कार्य में निरंतर आगे बढ रहा है.

13. अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग

मार्च 2010 को, बैंक का विदेशी कारोबार पण्यावर्त रु.12530 करोड रहा जिसमें निर्यात के अधीन रु.5479 करोड, आयात के अधीन रु.2360 करोड तथा विप्रेषण कारोबार के अधीन रु.4691 करोड है.

बैंक छः विनिमय गृहों व मध्य पूर्वी देशों से तीन अनिवासी बैंकों के साथ रुपया आहरण व्यवस्था में भाग ले रहा है. इसके अलावा, ग्राहकों की सेवा करने के लिए विदेश स्थित संपर्ककर्ता बैंकों के साथ आहरण व्यवस्था तथा चेक वसूली सुविधा है.

"विजया बैंक त्वरित विप्रेषण" सुविधा में बैंक की शाखाओं से सीधे ग्राहकों के खाते में विनिमय गृहों के जरिए गल्फ देशों से ऑन-लाइन विप्रेषण जमा करने की सुविधा उपलब्ध है. संप्रति, यह सुविधा यूएई विनिमय केंद्र एलएलसी.अबु दाबी, यूएई में उपलब्ध है. अन्य विनिमय गृहों के साथ भी इसी प्रकार की व्यवस्था करने की योजना है.

एनआरआई जमाराशियों को सुधारने की दृष्टि से बैंक ने निर्वासित भारतीयों के एनआरआई खातों का प्रचार करने के लिए अपने अधिकारियों को यूएई में प्रतिनियुक्त किया है.

14. व्यापारी बैंकिंग व सहायक गतिविधियां

बैंक, श्रेणी I व्यापारी बैंकर के रूप में निर्गम बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी, निक्षेपागार भागीदारी के लिए सेबी से पंजीकृत है. ब्लाक की गयी राशि (एएसबीए) योजना द्वारा समर्थित एप्लिकेशनों के अधीन जारी आईपीओ/अधिकार स्वीकृत करने के लिए 'स्व प्रसारित सिंडिकेट बैंक' (एससीएसबी) के रूप में भी बैंक पंजीकृत है.

बैंक ने ब्याज/लाभांश/कॉर्पोरेटों का धनवापसी आदेशों के भुगतान के लिए भुगतान बैंकर का कार्य भी करता है.

बैंक अपने ग्राहकों को जमानिक्षेपी सेवाएं प्रदान करता है. निवेशक समुदाय को मूल्य वर्धित सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ऑन-लाइन ट्रेडिंग पोर्टल शुरू करने का प्रस्ताव रखता है जो अभी कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है.

सरकारी कारोबार

विभिन्न सरकारी कारोबार के प्रति बैंक अपने 288 नामित शाखाओं में प्रत्यक्ष कर तथा 37 शाखाओं में अप्रत्यक्ष कर की भी सुविधा प्रदान करता है. सभी शाखाओं के जरिए कर का भुगतान करने के लिए ग्राहकों के लिए ई-भुगतान सुविधा उपलब्ध है. इसके अतिरिक्त, 153 नामित शाखाओं में पीपीएफ खाते खोले जा सकते हैं तथा बैंक की सभी शाखाओं के जरिए राज्य व केंद पेंशन भुगतान संवितरित की जाती है.

15. कार्ड कारोबार

बैंक के क्रेडिट कार्ड परिचालन के अधीन, मार्च 2010 को संचयी कार्ड आधार रु.1.48 लाख रहा जिसका पण्यावर्त रु.445 करोड है. बैंक में 1098 व्यापारी संस्थाएं जोडी गयी हैं.

डेबिट कार्ड के अधीन, बैंक ने 2009-10 के दौरान अच्छी प्रगति दर्शायी है. मार्च 2010 को, पिछले वित्त वर्ष के 7.05 लाख रु. की तुलना में बैंक का डेबिट कार्ड आधार 11.35 लाख रु. रहा.

बैंक नाबालिगों के लिए एक विशेष बचत बैंक जमाराशि योजना, वी-जेन यूथ बचत बैंक खाता प्रदान करता है. 12 वर्ष से अधिक उम्र के खातेदारों को बैंक के एटीएम से नकद आहरित करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए एटीएम कार्ड जारी किए जाते हैं.

16. विपणन ढांचा

बैंक के प्र.का. में विपणन प्रभाग नए उत्पादों को तैयार करने, उसकी समीक्षा करने व वर्तमान उत्पादों को बेहतर बनाने, विपणन अभियान आयोजित करने, बैंक द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यमों (एडीसी) द्वारा समर्थित प्रौद्योगिकी पर जागरूकता लाने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं.

बैंक के ग्राहक सौहार्द योजनाओं जैसे, वी-जेन यूथ बचत बैंक खाता, वी-जेन यूथ उन्नति आवर्ती जमा खाता, वी-प्लेटिनम बचत बैंक खाता आदि को पोषित करने के लिए बैंक जन्मदिन, परीक्षा, त्यौहार आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर ग्राहकों को ग्रीटिंग कार्ड भेज रहा है. बच्चों में छिपी कुशलता प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न उम्र समूहों के बच्चों के लिए वी-जेन यूथ चित्र प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा जिसमें 5000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई. बैंक की नयी पीढी के उत्पादों को बढावा देने के लिए प्रमुख शहरों के अपार्टमेंट कांप्लेक्सों में वी-जेन यूथ हंगामा जैसे परस्पर विचार विनिमयवाले उत्सव आयोजित किए गए. बैंक ने 24 वीं राज्य स्तरीय अंतर-उच्च विद्यालय विजया बैंक वी-जेन यूथ प्रश्न प्रतियोगिता भी आयोजित की. इन सभी प्रयासों से बैंक की कोर जमाराशि संविभाग में उत्साहवर्धक

परिणाम प्राप्त हुए तथा ऐसे ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बना सके.

17. प्रचार तथा जनसंपर्क

बैंक ने दृश्यता को लक्षित मौजूदा बाह्य प्रचार परियोजनाओं को विभिन्न रेल्वे स्टेशनों, बस अड्डा तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग, हाईवे, हवाईअड्डों पर विज्ञापन पट्ट लगाकर चालू रखा है. पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने उत्तर एवं मध्य भारत में बैंक की दृश्यता एवं उसके उत्पादों/सेवाओं का प्रचार करने के लिए हिन्दी एवं क्षेत्रीय भाषा में प्रमुख प्रिंट मीडिया विज्ञापन अभियान चलाया.

18. ग्राहक सेवा और शिकायतों का निपटान

बैंक में एक संपूर्ण शिकायत निवारण तंत्र है तथा प्रयास किया जाता है कि सभी शिकायतों को निर्धारित समय के अंदर निपटाया जा सके. बैंक ने ग्राहक सेवा पर एक स्थायी समिति गठित की है जिसमें एक ग्राहक सदस्य के रूप में है. बैंक द्वारा एक ग्राहक सेवा समिति मंडल का भी गठन किया गया है जिसमें ग्राहक को एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. ये समितियां आवधिक रूप से बैठक आयोजित करती है और ग्राहक सेवा का मूल्यांकन एवं निगरानी करती है तथा उनकी शिकायतों का निवारण करती है. बैंक ने बेंगलूर शहर में एक ग्राहक सेवा अध्ययन भी किया है तथा एक सूचनात्मक अनुमान पर भी पहुंचा है. यह अध्ययन अन्य महानगरों में भी करने का प्रस्ताव है ताकि बैंक की समग्र कारोबार योजना के अभिन्न अंग के रूप में ग्राहकों को व्यवहार्य रूप से शामिल किया जा सके.

बैंकिंग कूट व भारतीय मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)

बैंक बीसीएसबीआई का सदस्य है तथा उसने बीसीएसबीआई द्वारा पहले ही तैयार की गयी स्वैच्छिक कूट को अपनाया है अर्थात (i) 'ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता कूट' (ii) 'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति प्रतिबद्धता'. बैंक ने बीसीएसबीआई के मार्गनिर्देशानुसार कई नीतियों को भी तैयार किया है तथा उसका अनुपालन किया है.

19. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)

इंफोटेक प्रगति

बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान एकीकृत खजाना प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस), मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) को लागू किया है. इस प्रणाली को परिचालन में लाया गया है तथा केंद्रीकृत प्लैटफार्म पर कोर बैंकिंग प्रणाली के साथ जोडा गया है. ये परियोजनाएं चालू वित्त वर्ष के दौरान देश भर में लागू की जाएंगी.

सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग सोल्यूशन के अधीन लाने के कारण हमारे ग्राहकों को हमारी सभी शाखाओं से आरटीजीएस तथा एनईएफटी सेवाएं उपलब्ध हैं. चूंकि आरटीजीएस तथा एनईएफटी में (सीधे संसाधन के द्वारा) एसटीपी लगाया गया है, ग्राहकों को तत्काल अंतर बैंक तथा बैंक के अंदर निधि अंतरण सुविधा प्राप्त है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक द्वारा एसएमएस अलर्ट सुविधा शुरू की गयी. 31 मार्च 2010 को बैंक के लगभग 3.65 लाख ग्राहकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है यह सुविधा नि:शुल्क प्रदान की गयी है.

बैंक ने बेंगलूर में स्थित अपने डाटा केंद्र तथा मुंबई स्थित विपदा वसूली केंद्र में हार्डवेयर सहित संरचना का उन्नयन किया है ताकि सभी शाखाओं के सीबीएस में माइग्रेट किए जाने के बाद परिकलनात्मक क्षमता की वर्धित अपेक्षा को संभाला जा सके.

वी-मोबाइल

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने मोबाइल बैंकिंग माड्यूल, वी-मोबाइल सुविधा शुरू की. इस उत्पाद से शेष राशि की जानकारी, लघु विवरणी, निधि अंतरण, बिल भुगतान, मोबाइल मुद्रा चार्जिंग सुविधा, आदि सुविधाएं उपलब्ध है. 31.03.2010 को वी-मोबाइल के 17840 पंजीकृत प्रयोगकर्ता थे.

इंटरनेट बैंकिंग

2009-10 के दौरान बैंक का इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल, वी-नेट बैंकिंग उच्च वर्शन में उन्नयन किया गया. वी-नेट बैंकिंग में शेष राशि की जानकारी, खाता विवरणी, अंतर बैंक निधि अंतरण, एसएमएस अलर्ट से संबंधित लेनदेन, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर तथा उपयोगकर्ता बिल का भुगतान, आदि पूर्व सुविधाओं के अतिरिक्त अभी एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए अन्य बैंकों को ऑन-लाइन निधि अंतरण हिताधिकारी का ऑन-लाइन पंजीकरण, सेवा कर, केंद्रीय शुल्क के विप्रेषण के लिए अद्यतन चालान प्रारूप की उपलब्धता आदि विशेषताएं उपलब्ध हैं. कोर बैंकिंग प्लॉटफार्म में सभी शाखाओं के जुडने के साथ बैंक के सभी ग्राहक इंटरनेट के जरिए किसी भी समय, किसी भी स्थान से अपने खाते को देखने तथा लेनदेन करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. अब तक वी-नेट बैंकिंग मॉड्यूल में 44887 ग्राहक शामिल हुए हैं.

वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम

ग्राहकों तथा बैंकों के आपसी लाभ के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम समर्थित प्रौद्योगिकी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विपणन कक्ष में कई कार्यकलाप किए हैं. ग्राहकों को मेल भेजे गए जिसमें

इंटरनेट बैंकिंग जैसे वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम के लाभ, डेबिट कार्ड का उपयोग, ऑन-लाइन खरीद, आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए निधि अंतरण के लाभ पर प्रकाश डाला गया. कर्मचारी महाविद्यालय के सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में फ्रंटलाइन कर्मचारियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम पर एक सत्र चलाया जाता है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारी सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचायी जाती है स्टाफ सदस्यों को कार्यशालाओं में इन माध्यमों की जानकारी दी जा रही है. आंतरिक कार्यशालाओं के अतिरिक्त आईडीआरबीटी ने पहले ही बेंगलूर, मंगलूर तथा हैदराबाद आरटीजीएस/एनईएफटी पर कार्यशालाएं आयोजित की है.

एटीएम

वर्ष 2009-10 के दौरान 71 एटीएम चालू किए गए जिससे मार्च 2010 के अंत तक कुल एटीएम की संख्या 435 हो गयी. इस प्रकार बैंक के ग्राहकों को नैशनल फैनंशियल स्विच (एनएफएस) के अधीन देश भर में जुडे हुए 56000 एटीएम की सुविधा प्राप्त है.

आंतरिक नियंत्रण (आईसी)

बैंक में क्षेत्रीय तथा प्रशासनिक स्तरों पर विभिन्न कार्यों के लिए सुसज्जित नीतियां जैसे आईटी व आईएस सुरक्षा, इंटरनेट बैंकिंग, आईटी प्रापण, इंटरनेट इस्तेमाल, ई-मेल इस्तेमाल, कारोबार निरंतरता, विपदा क्षतिपूर्ति, आउटसोर्सिंग आदि हैं. प्रत्येक गतिविधि के साथ जुडे जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण हैं. इन नीतियों पर आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है.

सूचना सुरक्षा

बैंक में मंडल निदेशकों द्वारा अनुमोदित आईटी व आईएस सुरक्षा पर एक सुलिखित पॉलिसी है जिसकी नियमित समीक्षा की जाती है. सूचना प्रणाली आस्तियों की सुरक्षा के लिए अत्यधिक उपयुक्त प्रणाली लगायी गयी है तथा समय परीक्षित प्रणाली भी लगायी गयी है.

नेटवर्किंग :

बैंक अपनी सभी शाखाओं, विस्तार काउंटरों तथा कार्यालयों को कार्पोरेट व्यापक क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के अधीन लाया है तथा इससे शाखाओं की 100% नेटवर्किंग हासिल हुई है. बैंक ने जोडरहित संपर्क स्थापित करने के लिए नवीनतम तकनीकी जैसे एमपीएलएस, वीएसएटीएस, रेडियो तरंग, सीडीएमए, आदि का भी उपयोग करता है.

चेक ट्रंकेशन प्रणाली (सीटीएस) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने एनसीआर क्षेत्र दिल्ली में चेक ट्रंकेशन प्रणाली का कार्यान्वयन किया है. अन्य केंद्रों में सीटीएस लागू करने के लिए बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों की प्रतीक्षा है.

20. मानव संसाधन प्रबंधन

श्रमशक्ति तथा स्टाफ उत्पादकता

बैंक में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या मार्च 2009 के 11975 की तुलना में मार्च, 2010 में 11565 थी. कुल स्टाफ में से 5194 अधिकारी, 3866 लिपिकीय कर्मचारी, 2505 अधीनस्थ कर्मचारी हैं. मार्च 2010 के अंत तक महिला कर्मचारियों की संख्या 2211 जिसमें 905 अधिकारी और 1306 एवार्ड स्टाफ हैं जो कि बैंक के कुल कर्मचारियों का 19.12% हैं. मार्च 2010 के अंत तक शारीरिक रूप से असक्षम वर्ग में 199 कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक वर्ग में 568 कर्मचारी थे.

उत्पादकता माप प्रति कर्मचारी कारोबार मार्च 2009 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रु.7.85 करोड की तुलना में मार्च 2010 में रु.9.30 करोड रहा.

भर्ती तथा पदोन्नतियां

बैंक कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान में 123 अधिकारियों, मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II में 3 अधिकारियों के अलावा 500 लिपिकों की भर्ती प्रक्रिया में लगा है. 2009-10 के दौरान परवर्ती भर्ती के जरिए बैंक ने मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-II में 112 अधिकारियों तथा मध्य प्रबंधन श्रेणी वेतनमान-III में 6 अधिकारियों की भर्ती की है.

प्रशिक्षण

अतिरिक्त एवं सक्षम श्रमशक्ति तथा वर्धित बजट आबंटन के जरिए बैंक की प्रशिक्षण प्रणाली को सुदृढ किया गया है. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में बदलते बाजार परिवेश के अनुसार सुधार किया गया है.

वर्ष के दौरान 4 कार्यपालकों ने विदेश में आयोजित संगोष्ठी/सम्मेलन में भाग लिया जबकि एनआईबीएम, पुणे द्वारा आयोजित 'प्रभावी शाखा प्रबंधन' कार्यक्रम में 348 शाखाध्यक्षों तथा 6 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया. बैंक ने वर्ष 2009-10 के दौरान ऋण में 85 अधिकारियों, फॉरेक्स में 60 अधिकारियों तथा विपणन में 90 अधिकारियों को व्यापक प्रशिक्षण दिलाया.

पिछले वित्त वर्ष के दौरान बैंक ने 7031 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जो कि कुल कर्मचारियों का 61% बनता है. जबकि 6289 कर्मचारियों को बैंक की निजी स्थापना में प्रशिक्षण दिलाया गया, 742 को समुद्रपारीय संस्थाओं को शामिल करते हुए प्रतिष्ठित बाह्य प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण दिलाया गया.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी

मार्च 2010 के अंत तक कुल 11565 स्टाफ में से 1636 अनुसूचित जाति वर्ग के थे और 588 अनुसूचित जनजाति वर्ग के थे. अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित मामलों और उनके सेवा मामलों में भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के तत्काल कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए कार्मिक विभाग, प्र.का. में एक अलग अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष का निर्माण किया गया है. ये कक्ष सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कार्य कर रहे हैं. प्र.का. के मुख्य संपर्क अधिकारी अ.जा/अ.ज.जा. कर्मचारियों से संबंधित सभी नीति निर्णयों में शामिल किए जाते हैं. अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के प्रतिनिधियों व प्रबंधन के बीच तिमाही बैठकें आयोजित की जाती है. बैंक नियमित तौर से अ.जा/अ.ज.जा. के लिए भर्ती-पूर्व/पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण सुविधा भी देती है.

बैंक ने अन्य पिछडे वर्गों और अल्प संख्यक समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में एक महा प्रबंधक को भी पदनामित किया है. बैंक भारत सरकार की सभी आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहा है जिसमें शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति भी शामिल हैं.

स्टाफ संबंध

वर्ष के दौरान बैंक की व्यवहार्य एवं मानवीय दृष्टिकोण के रहते बैंक को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए जिससे उसने उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छू लिया. वर्ष के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण तथा मधुर रहे. कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने तथा विवाद, यदि कोई, को सौहार्दपूर्ण तरीके से दूर करने के उद्देश्य से मान्यता प्राप्त यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित अंतरालों पर सलाहकार समिति बैठक तथा समझौता समिति बैठकें हुईं. इन बैठकों में बैंक के शीर्ष कार्यपालक उपस्थित रहें.

खेलखूद को प्रोत्साहन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक खेलखूद तथा खिलाडियों के व्यक्तित्व को बढावा देने पर जोर देता रहा. बैंक के कई खेलखूद कार्मिक विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिए तथा वर्ष के दौरान पुरस्कार प्राप्त किया.

बॉस्केटबॉल :

बैंक की बॉस्केटबॉल टीम स्टेट एसोसिएशन कप बॉस्केटबॉल चैंपियनशिप में भाग लिया और लगातार 14वीं वर्ष पुरस्कार प्राप्त किया. इस टीम ने स्टेट सीनियर लीग चैंपियनशिप-2009 में भी पुरस्कार प्राप्त किया. वर्ष के दौरान लुधियाना में आयोजित नैशनल बॉस्केटबॉल चैंपियनशिप के लिए कर्नाटक राज्य की टीम में बैंक के चार सदस्यों ने भाग लिया.

क्रिकेट : बैंक के श्री आर.विनयकुमार को, चेन्नई में आयोजित के.एस.सुब्बय्या पिल्ले ट्रॉफी के लिए कर्नाटक राज्य टीम के कैप्तान के रूप में नामित किया गया. श्री सी.एम.गौतम तथा श्री एस.आई.अक्षय ने भी कर्नाटक राज्य का प्रतिनिधित्व किया.

श्री आर.विनयकुमार तथा श्री सी.एम.गौतम ने 2009-10 में दिलीप टॉफी के लिए साउथ जोन टीम तथा दियोधर टॉफी चैंपियनशिप में भाग लिया.

श्री आर.विनयकुमार, जिन्होंने आईपीएल के तीसरे अंक में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा पुरस्कार प्राप्त किया, वेस्ट इंडीस में अप्रैल 2010 के अंत में आयोजित टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की ओर से चुने गए.

कब्बड्डी : बैंक की कब्बड्डी टीम कर्नाटक राज्य उद्योग कब्बड्डी टूर्नामेंट तथा राज्य ए डिविजन लीग चैंपियनशिप में भाग लिया तथा दोनों प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की. इसके अलावा श्री के.मनोज और श्री सेल्वराज, बैंक के कब्बड्डी टीम के सदस्य अक्तूबर 2009 के दौरान एसएआई स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, सोनीपत में आयोजित राष्ट्रीय कब्बड्डी कोचिंग कैंप में भाग लेने के लिए चुने गए.

व्हेट लिफ्टिंग : श्री एस.प्रकाश, बैंक के व्हेट लिफ्टिंग टीम के सदस्य ने वर्ष के दौरान बेंगलूर में आयोजित राज्य व्हेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भाग लिया और दूसरा पुरस्कार प्राप्त किया (77 कि.ग्रा. भार श्रेणी में रजत पदक).

स्टाफ कल्याण उपाय

बैंक में विभिन्न स्टाफ कल्याण योजनाएं जैसे कैंटीन अनुदान, वाहन भत्ता, वार्षिक स्वास्थ्य जांच, प्र.का. में स्वास्थ्य जांच, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वार्षिक चिकित्सा भत्ता, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति, रजत जयंती पुरस्कार प्रदान करना, मकान किराया प्रतिपूर्ति, हॉलिडे होम, आदि हैं.

बैंक में कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अलग कल्याण निधि न्यास भी है अर्थात कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना, अस्पतालीकरण व्यय के दावे की प्रतिपूर्ति, चश्मे के व्यय की प्रतिपूर्ति, मृत कर्मचारी के आश्रितों को अंतिम संस्कार व्यय, अधिवर्षिता उम्र होने के बाद बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि देना, आदि.

बैंक एक "परिवार कल्याण योजना" भी चला रहा है जिसके अधीन योजना के सदस्यों से एकत्रित राशि मृतक स्टाफ सदस्य के परिवार के सदस्यों (नामितियों) को वितरित की जाती है.

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

त्वरित निर्णय लेने तथा त्रुटिमुक्त केंद्रीयकृत कर्मचारी डाटा प्रबंधन तैयार करने के लिए बैंक एचआरएमएस (पीपल सॉफ्ट) सॉफ्टवेयर लागू कर रहा है. सॉफ्टवेयर के अनेक मॉड्यूल पहले ही परिचालन में आ गए हैं.

21. आंतरिक लेखा कार्य

अंतर बैंक लेनदेनों के संबंध में मिलान 31.03.2010 तक कर दिया गया है. अंतर शाखा बकाया प्रविष्टियों के मिलान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित छह महीनों की न्यूनतम अवधि की तुलना में बैंक की वर्तमान स्थिति 3 महीने हैं. विभिन्न संवेदनशील खातों के अधीन सभी बकाया प्रविष्टियों का तुरंत अनुवर्तन किया जा रहा है. लंबित अदालत मामलों से संबंधित प्रविष्टियों को छोडकर अन्य सभी दीर्घकालीन बकाया प्रविष्टियों को समाप्त किया गया है.

22. आंतरिक निरीक्षण

बैंक ने सुपरिभाषित लेखा परीक्षा नीति लागू की है. मंडल की लेखा परीक्षा समिति नियमित तौर पर लेखा परीक्षा कार्य के निष्पादन की देखरेख करती है जिसके लिए बैंक की लेखा परीक्षा प्रणाली व आंतरिक नियंत्रण में सुधार लाने के लिए मार्गदर्शन व निर्देश देती है.

बैंक नियमित तौर पर जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा तथा अचानक निरीक्षण करती है. इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान 41 फॉरेक्स शाखाओं, 12 सेवा शाखाओं, 27 मुद्रा कोष, 10 क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय के 7 विभागों का निरीक्षण किया गया. आईएस लेखा परीक्षा नीति के अनुसार शाखाओं में आईएस लेखा परीक्षा की जाती है.

बैंक का 76.54% कारोबार सनदी लेखाकारों के बाह्य फर्म द्वारा सम वर्ती लेखा परीक्षा के अधीन है जबकि 17 शाखाओं में हमारे आंतरिक निरीक्षकों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा की गयी. बैंक लेखा परीक्षा प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है जिसमें जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली (आरबीआईए) में स्वचालन भी शामिल है.

अपने ग्राहक को जानिए/धन शोधन निवारक

प्रौद्योगिकी विकास के कारण धन शोधक अपने काले धन को शीघ्र ही दूसरे महाद्वीपों को भेज देते हैं जिसका पता लगाना तथा निवारण करना मुश्किल हो जाता है. धन शोधन निवारण अधिनियम के दिशानिर्देशानुसार खाते खोलते समय तथा उसमें होने वाली लेनदेनों की निगरानी करने के लिए बैंक ने सतर्कता बरतने के लिए कई कदम उठाएं हैं :

- भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय बैंक संघ द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार बैंक ने 'अपने ग्राहक जानिए' तथा 'धन शोधन निवारण ' पर नीति तैयार की है.
- जोखिम ग्राहकों की श्रेणी बनाने के लिए खाता खोलने के फार्म को संशोधित किया गया है.
- सीबीएस परिवेश में संदेहास्पद लेनदेनों का पता लगाने के लिए धन शोधन निवारक सॉफ्टवेयर (एएमएल सॉफ्टवेयर) संस्थापित किया गया है तथा संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) तैयार करके एफ आईयू, इंडिया को प्रस्तुत किया जाता है. दिशानिर्देशानुसार एफ आईयू (आई) को जाली मुद्रा रिपोर्ट (सीसीआर) भी भेजा जा रहा है.
- इलेक्ट्रॉनिक फार्म में नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर) नियमित रूप से मासिक आधार पर फैनांशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) को प्रस्तुत किया जाता है.

अपने ग्राहक जानिए/धन शोधन निवारण अवधारणा के महत्व व अनुपालन पर स्टाफ को संवेदनशील बनाने के लिए बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक विशेष सत्र शामिल किया है.

23. सतर्कता

प्रधान कार्यालय में बैंक के सतर्कता विभाग की अध्यक्षता मुख्य महा प्रबंधक स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी कर रहे हैं. सतर्कता विभाग के अधीन धोखाधडी निवारण व निगरानी कक्ष भी कार्यरत है. सतर्कता विभाग, बैंक का सारा सतर्कता कार्य केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप करता है. रु.1.00 लाख व अधिक की धोखाधडी के मामले मंडल के निदेशकों के समक्ष रखा जाता है तथा इसकी रिपोर्ट भा.रि.बैं. को धोखाधडी के पता चलने तथा रिपोर्ट किए जाने पर अग्रेषित किया जाता है. मंडल की लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर रु.1.00 लाख व अधिक की धोखाधडियों की सूचना दी जाती है. भा.रि.बैं. के मार्गनिर्देशों के अनुपालन में रु.1.00 करोड व अधिक की उच्च मूल्य धोखाधडियों की समीक्षा मंडल की एक विशेष समिति के द्वारा की जा रही है. पता किए गए धोखाधडी की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के बाद बैंक द्वारा निवारक सतर्कता उपाय के रूप में क्षेत्र स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए उचित अनुदेश जारी किए जाते हैं. बैंक ने तदनुसार, ''विसिल ब्लोअर्स'' नीति लागू किया है, यह स्टाफ सदस्य का कर्तव्य बनता है कि वह अपने दैनिक कामकाज के दौरान अपनी जानकारी में किसी धोखाधडी/अनाचार की घटना का रिपोर्ट मुख्य सतर्कता अधिकारी/कार्यकारी निदेशक/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को करें.

आगे, सतर्कता विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित क्षेत्रीय सतर्कता अधिकारियों द्वारा निवारक सतर्कता पर ध्यान देने के लिए शाखाओं

की अचानक जांच की जाती है. एक ही प्रकार की धोखाधडियों को बार-बार होने से रोकने और निवारक सतर्कता उपायों को सशक्त बनाने के लिए मौजूदा प्रणाली में कमियों को हटाने के सभी प्रयास किए जाते हैं.

24. अनुपालन

मंडल अनुमोदित अनुपालन नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार अपेक्षित है तथा तदनुसार बैंक ने अनुपालन नीति अपनायी है. अनुपालन विभाग, प्र.का. सुनिश्चित करता है कि प्रधान कार्यालय में भारत सरकार, भा.रि.बैं., भा.बैं.सं. तथा दूसरों से प्राप्त विभिन्न संप्रेषण का अनुपालन किया जाता है जिसके लिए संबंधित परिचालनात्मक विभागों को अपेक्षित कार्रवाई के लिए ऐसे सभी संप्रेषण भेजे जाते हैं. अनुपालन विभाग की अध्यक्षता मुख्य अनुपालन अधिकारी कर रहे हैं जो उप महा प्रबंधक स्तर के है.

25. सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पारित किया है जो 12 अक्तूबर 2005 को लागू हुआ. प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक हित में सार्वजनिक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना को प्राप्त करने का अधिकार देता है. इसका लक्ष्य प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा इससे प्रासंगिक मामलों में खुलापन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही लाना है.

क्षेत्रीय कार्यालय के दूसरी पंक्ति के कार्यपालक को सार्वजनिक सूचना अधिकार के रूप में नामित किया जाता है तथा क्षेत्राध्यक्षों को अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है. प्र.का. में उप महा प्रबंधक को सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में तथा महा प्रबंधक को अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है.

अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना तथा अधिनियम के अधीन दी जा सकने वाली सूचना निर्धारित समय सीमा के अंदर दी जाती है. 2009-10 के दौरान, इस अधिनियम के अंतर्गत बैंक को 377 आवेदन व 52 अपील प्राप्त हुए तथा जिसका जवाब दिया गया.

26. सुरक्षा व्यवस्था

बैंक में सुसंस्थापित सुरक्षा व्यवस्था है, जिसमें भा.रि.बैं./भा.बैं.सं. के दिशानिर्देशानुसार शाखाओं तथा मुद्राकोषों में सभी जरूरी तथा अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. बैंक की 1056 शाखाओं में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार सुरक्षित कक्ष उपलब्ध है हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारितानुसार सुरक्षित कक्ष उपलब्ध न किए गए शाखाओं को चरणबद्ध तरीके से नए परिसर में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है. चेतावनी, नकद एवं कीमती वस्तुओं की मात्रा तथा निरंतर सर्वेलेंस की आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए चुनी गयी शाखाओं में सीसीटीवी सर्वेलेंस प्रणाली संस्थापित की गयी है.

बैंक में 29 मुद्रा कोष है. 28 मुद्रा कोषों में पुलिस गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं. बैंक की भुवनेश्वर मुद्राकोष में चौबीस घंटे की चौकसी के लिए महा निदेशक रिसेटलमेंट द्वारा प्रायोजित निजी सुरक्षा एजेंसी उपलब्ध करायी गयी है.

मुद्राकोष/शाखाओं में नियोजित सशस्त्र गार्डों को वार्षिक आधार पर फाइरिंग अभ्यास सहित प्रशिक्षण दिया जाता है. क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय में सुरक्षा समिति गठित की गयी है जो विभिन्न सुरक्षा पहलुओं की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से बैठक आयोजित करते हैं.

बैंक में 414 सशस्त्र गार्ड हैं जो अतिसंवेदनशील शाखाओं/मुद्राकोषों में एस्कार्ट ड्यूटी तथा प्रधान कार्यालय की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं.

आठ शाखाओं में सेंधमारी की घटनाओं की रिपोर्ट के अलावा डकैती/चोरी की कोई घटना नहीं घटी है. हालांकि, नकद या संपत्ति की कोई हानि नहीं हुई है.

27. हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

बैंक के कर्मचारियों के मिले-जुले प्रयासों से बैंक, 31.03.2010 को "क" क्षेत्र में 94.58%, "ख" क्षेत्र में 90.87% व "ग" क्षेत्र में 69.63% का हिन्दी पत्राचार का स्तर हासिल किया.

बैंक के सात क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें स्कूल/कॉलेज के अध्यापक, छात्र, ग्राहक व स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया. बैंक के 134 कार्यपालकों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला आयोजित की गयी. राजभाषा पर संसदीय समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के आदेशानुसार सभी हिन्दी कार्यशालाओं में 'यूनिकोड' पर सत्र शामिल किए गए. बैंक ने कृ.बैं.म., भा.रि.बैं., पुणे द्वारा आयोजित हिन्दी में राष्ट्रीय सेमिनार में सक्रिय रूप से भाग लिया. स्टाफ सदस्यों के लिए 82 हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गयी जिसमें 1439 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया. बैंक की द्विभाषी वेबसाइट भी उपलब्ध है.

राजभाषा पर संसदीय राजभाषा समिति (आलेखा एवं साक्ष्य समिति) ने भुवनेश्वर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)

का निरीक्षण किया तथा उन्होंने बैंक में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य की सराहना की.

28. पुरस्कार

हिन्दी भाषा के कार्यान्वयन में बेहतर प्रदर्शन के लिए बैंक को वर्ष 2007-08 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार में तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना के अंतर्गत वर्ष 2008-09 के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में बैंक को "ग" क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ.

वर्ष 2008-09 के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हमारे बैंक को क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (उत्तर-पूर्व), गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसएलबीसी गुजरात ने बैंक को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया.

बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर-उत्तर को वर्ष 2008-09 में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नराकास, बेंगलूर द्वारा प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया. साथ ही वर्ष के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता व हुब्ली को राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्रमश: नराकास, कोलकाता व हुब्ली द्वारा द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद को नराकास, अहमदाबाद द्वारा सांत्वना पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

बेंगलूर शहर में कार्यरत स्टाफ सदस्यों ने नराकास के तत्वावधान में आयोजित अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में भाग लिया. 12 प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी और हमारे बैंक को 9 पुरस्कार प्राप्त हुआ जिसमें 2 प्रथम पुरस्कार थे.

वर्ष के दौरान कुल कारोबार में एसएचजी कारोबार के सबसे अधिक हिस्सा को अभिज्ञप्त करते हुए वर्ष 2008-09 के एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अधीन कर्नाटक राज्य के वाणिज्यिक बैंकों में बैंक को नाबार्ड से पुरस्कार प्राप्त हुआ.

29. कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

एक जिम्मेदार एवं अनुक्रियात्मक कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते विजया बैंक लगातार समुदाय एवं सामाजिक निवेशों में लगा रहता है. विभिन्न कार्यों के बीच :

- शिक्षा को बढावा देने के लिए बैंक ने कुक्कुंदूर, कार्कला में स्थित संत मरिया गोरेट्टी उच्च प्राथमिक स्कूल को कक्षा हेतु एक कमरा दान दिया, भारतीय विद्या भवन, शिमोगा को भवन निर्माण के लिए रु.5 लाख का अनुदान दिया, होळलकेरे स्थित एस.बी. उच्च विद्यालय को कंप्यूटर दान किया, कर्नाटक राज्य में 'अक्ष्य पात्र' स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में अंशदान दिया.
- मंगलूर में बैंक के संस्थापक अध्यक्ष श्री ए.बी.शेट्टी के नाम से एक चौक विकास के लिए रु.33.70 लाख का अनुदान दिया.
- सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास कार्यक्रम द्वारा उजिरे में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए विश्व तुलु कूटा - ग्रामीण समूह के समामेलन के लिए रु.10 लाख का अनुदान किया तथा मैसूर में प्रख्यात दशहरा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए रु.2 लाख का अनुदान किया.
- स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में हेल्पेज इंडिया, बेंगलूर को कैटराक्ट शल्य चिकित्सा करने के लिए, नजरत अस्पताल, लखनऊ के गरीब मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराने के लिए दान दिया. बैंक ने अक्कलकोट, महाराष्ट्र में एसएसए मंडल को पीने के पानी का कूलर उपलब्ध कराया तथा साथ ही बेंगलूर, मैसूर तथा कोंकण रेलवे स्टेशनों में शैक्षिक/सार्वजनिक उपयुक्तता साइन बोर्ड लगाया.
- उपरोक्त के अलावा बैंक की विजया ग्रामीण विकास स्थापना (वीआरडीएफ) तथा विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाएं (वीआईबीएसईटीआई) विभिन्न रोजगार कार्यकलापों के अधीन प्रशिक्षण देने के उद्देश्य के प्रति समर्पित है.
- वित्तीय समावेशन एक दूसरा पहलू है जहां बैंक सक्रिय रूप से शामिल है.

विजया ग्रामीण विकास स्थापना

वर्ष के दौरान वीआरडीएफ ने विभिन्न विषयों को शामिल करते हुए 66 प्रशिक्षण/जागरूकता कार्यक्रम चलाए जिससे 5074 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ. ग्रामीण जनता के लाभ के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर चलाए गए.

प्रतिष्ठान ने सरकारी स्कूलों में पढनेवाले तथा गांवों से आनेवाले गरीब योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी. प्रतिष्ठान ने हावेरी, धारवाड तथा मंड्या जैसे जिलों में अपने कार्यकलाप शुरू किए हैं, जिसमें बैंक की अग्रणी बैंक के रूप में जिम्मेदारी है.

वीआईबीएसईटीआई (विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान)

कर्नाटक के मंड्या में बैंक की स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था विजया बैंक स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (वीआईबीएसईटीआई) स्थापित

है. प्रशिक्षार्थियों की आवास सुविधाओं के लिए संस्था की निजी कैंपस है. यह विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन/ जागरूकता कार्यक्रम तथा उत्पाद विकास कार्यशालाएं चलाती आ रही है. वर्ष के दौरान संस्थान ने 56 कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 472 प्रशिक्षण दिवस थे तथा 1843 हिताधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 1330 स्व-उद्यम/लाभप्रद स्व-रोजगार में लग गए. संचयी रूप से 355 कार्यक्रम चलाए गए जिसमें 12417 हिताधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया, 8677 स्व-रोजगार में लग गए. दूसरी वीआईबीएसईटीआई वर्ष 2003 में हावेरी में स्थापित की गयी, वर्ष के दौरान 72 कार्यक्रम किए गए जिसमें 277 प्रशिक्षण दिवस थे, 2968 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें 2462 विभिन्न स्व-रोजगार उद्यमों में लग गए. संस्था द्वारा संचयी रूप से 324 कार्यक्रम चलाए गए जिसमें 11966 हिताधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया जिसमें से 8861 स्व-रोजगार में लग गए.

30. मंडल की बैठकें व मंडल की अन्य उप-समितियों की बैठकें

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 12 बैठकें, मंडल की प्रबंध समिति की 19 बैठकें, मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 9 बैठकें, निदेशक प्रवर्तक समिति की 4 बैठकें, मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति की 6 बैठकें, रु.1.00 करोड व अधिक मूल्य की धोखाधडियों की समीक्षा समिति की 4 बैठकें, रेम्यूनरेशन समिति की 2 बैठकें, नामांकन समिति की 1 बैठक, ग्राहक सेवा समिति की 4 बैठकें, शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति की 4 बैठकें तथा शेयर अंतरण समिति की 12 बैठकें हुईं.

31. निदेशक मंडल

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल के गठन में नीचे उल्लिखित परिवर्तन हुए :

1. श्री एस.सी.कालिया, कार्यकारी निदेशक 20.11.2009 को विजया बैंक के कार्यालय से पदमुक्त हुए.
2. श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे को श्री एस.सी.कालिया के स्थान पर 20.11.2009 से बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.
3. श्री ब्रज मोहन शर्मा, गैर अधिकारी निदेशक, जो सीए श्रेणी के अधीन नियुक्त किए गए थे, 02.01.2010 से निदेशक नहीं रहे.

31.03.2010 को बैंक के निदेशक मंडल में निम्नलिखित सदस्य हैं :

i. श्री आल्बर्ट तावरो, अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक
ii. श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे, कार्यकारी निदेशक
iii. श्री जी.बी.सिंह, सरकार के नामिती निदेशक
iv. श्री के.वेंकटप्पा, भारतीय रिज़र्व बैंक के नामिती निदेशक
v. श्री पी.शांताराम शेट्टी, कामगार कर्मचारी निदेशक
vi. श्री रंजन शेट्टी, अधिकारी-कर्मचारी निदेशक
vii. श्री निशांक कुमार जैन, गैर-सरकारी निदेशक
viii. श्री श्रीधर चेरुकूरी, गैर-सरकारी निदेशक
ix. श्री बी.इब्राहिम, गैर-सरकारी निदेशक
x. श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.), शेयरधारक नामिति निदेशक
xi. श्री अशोक कुमार शेट्टी, शेयरधारक नामिति निदेशक
xii. श्री एस.अनंतन, शेयरधारक नामिति निदेशक

निदेशक मंडल, बैंक में निदेशकों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री एस.सी.कालिया तथा श्री ब्रज मोहन शर्मा की मूल्यवान सेवाओं की प्रशंसा करता है.

आभार

निदेशक मंडल, वर्ष 2009-10 के दौरान, बैंक की सर्वांगीण प्रगति में सभी ग्राहकों, शेयरधारकों, स्टाफ सदस्यों, वित्तीय संस्थाओं और अन्य बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्य सरकारों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारत सरकार से प्राप्त अमूल्य सहयोग और सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है.

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से,

प्रधान कार्यालय, बेंगलूर
दिनांक : 30 अप्रैल, 2010

(आल्बर्ट तावरो)
अध्यक्ष एंव प्रबंध निदेशक

कंपनी शासन पर विजया बैंक के

निदेशक मंडल की रिपोट - 2009 - 10

1. परिचय

स्टॉक विनिमय के साथ सूचीबद्धता संबंधी करार के खंड 49 की अनिवार्यता तथा कंपनी शासन पर डॉ.गांगुली समिति रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार भी बैंक कंपनी शासन के उच्चतम मानक की प्राप्ति का लक्ष्य करता है. बैंक अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य जनता, समाज, संरक्षकों, सरकार तथा विनियामकों समेत सभी हितधारकों की ओर अपने उत्तरदायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है.

2. शासन संहिता पर बैंकं के सिद्धांत

कंपनी शासन प्रतीक है, ज़िम्मेदारी व मूल्य जनक प्रबंधन तथा बैंक के नियंत्रण का. बैंक की नीतियाँ व प्रथाएँ न केवल संवैधानिक अपेक्षाओं के अनुरूप है बल्कि जोखिमधारकों के संपूर्ण हित में काम करने की हमारी प्रतिबद्धता का सूचक है.

बैंक, कंपनी शासन की परिभाषा एक नियमबद्ध प्रक्रिया के रूप में करता है जिसके द्वारा संगठनों को अपनी धन-संपदा उत्पन्न करने की क्षमता को बढाने हेतु निर्देश दिए जाते हैं तथा उनका नियंत्रण किया जाता है. चूंकि कंपनी समाज के संसाधनों को व्यापक मात्रा में नियोजित करती है इसलिए यह आवश्यक है कि इन संसाधनों का उपयोग हितधारकों की महत्वकांक्षाओं तथा समाज की उम्मीदों के अनुरूप किया जाए.

बैंक के कंपनी शासन सिद्धांत निम्नलिखित व्यापक लोकाचार पर आधारित है :

1. लाभप्रद वृद्धि उत्पन्न करना जिससे दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित की जा सके. इससे हमारे हितधारकों की संपत्ति अधिकाधिक बढती है.
2. कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा न सिर्फ उच्च स्तरीय पारदर्शिता और प्रकटन स्तर बनाकर प्रमाणपत्र जारी करना.
3. कार्य दल का अनुरक्षण ज्ञान तथा विद्वत्ता के नेटवर्क के रूप में करना. हमारी कंपनी संस्कृति खुला संवाद, आपसी सम्मान, स्पष्ट लक्ष्य तथा निर्णायक नेतृत्व है.
4. एक ऐसा प्रबंधन जो खुला है, पारदर्शी है, अग्रसक्रिय है, गुण आधारित तथा पक्षपात मुक्त है जिससे समाज के सभी वर्गों को उचित न्याय सुनिश्चित किया जा सके.

   अत: बैंक अपने शेयरधारकों के प्रति, अपने आपको न्यास मानता है तथा शेयरधारकों की संपत्ति को सृजित करना व उसे सुरक्षित रखना अपनी ज़िम्मेदारी समझता है. बैंक इसे प्रभावी कंपनी रणनीतियों, अग्रसक्रिय कारोबार योजनाओं, नीतियों तथा प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाता है जिससे नैतिक व वैधिक ज़िम्मेदारियों की पूर्ति की जा सके.

3. निदेशक मंडल

मंडल का गठन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 के अनुसार किया गया है, जिससे कंपनी शासन की अपेक्षाओं की पूति होती है.

3.1 दिनांक 31.03.2010 को निदेशक मंडल की संरचना

कार्यपालक	2
गैर-कार्यपाालक	10
कुल	12

ये निदेशक, बैंक की प्रगति के लिए, अपने वैविध्य ज्ञान, अनुभव और अपने विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ अपना उत्कृष्ट योगदान देते रहे हैं. मंडल की संरचना, शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने संबंधी करारनामे की अपेक्षाओं के अनुरूप है.

3.2 निदेशक मंडल के विवरण

क्रम सं.	नाम	पदनाम	निदेशक–पद का स्वरूप	पद संभालने की तारीख
1.	श्री आल्बर्ट तावरो	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	कार्यपालक	02.08.2008 से
2.	श्री एस.सी.कालिया *	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	08.10.2008 से
3.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे **	कार्यकारी निदेशक	कार्यपालक	20.11.2009 से
5.	श्री जी.बी.सिंह	नामिती – भारत सरकार	गैर – कार्यपालक	20.08.2007 से
6.	श्री के. वेंकटप्पा	नामिती – भारतीय रिजर्व बैंक	गैर – कार्यपालक	27.02.2007 से
7.	श्री पी. शांताराम शेट्टी	कामगार निदेशक	गैर – कार्यपालक	02.11.2007 से
8.	श्री अशोक कुमार शेट्टी	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2008 से
9.	श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2008 से
11.	श्री ब्रज मोहन शर्मा ***	गैर – सरकारी निदेशक, सनदी लेखाकार	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	02.01.2007 से
12.	श्री निशांक कुमार जैन	गैर – सरकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	03.01.2008 से
13.	श्री श्रीधर चेरुकूरी	गैर – सरकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	10.07.2008 से
14.	श्री एस.अनंतन	नामिती – शेयरधारक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	08.08.2008 से
15.	श्री रंजन शेट्टी	अधिकारी – कर्मचारी निदेशक	गैर – कार्यपालक	09.09.2008 से
16.	श्री बी.इब्राहिम	गैर – सरकारी निदेशक	गैर – कार्यपालक स्वतंत्र	02.03.2009 से

* श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 से भारत सरकार द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने पर बैंक के कार्यकारी निदेशक नहीं रहे.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे को दि.20.11.2009 से भारत सरकार द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया.

*** श्री ब्रज मोहन शर्मा दि.02.01.2010 से अवधि समाप्ति पश्चात बैंक के निदेशक नहीं रहे.

3.3 वर्ष 2009-10 के दौरान नियुक्त निदेशकों की रूपरेखा

नाम	**श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे**
जन्म तिथि	28.01.1954
उम्र	56 वर्ष
अर्हता	एम.एससी, डीबीएम, एमएमएस, एमबीए (यूएसए), सीएआईआईबी
निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	कार्यकारी निदेशक दि.20.11.2009 की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ के ज़रिए बैंकिंग कंपनी (अर्जन एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप–धारा 3 (ए) के अधीन भारत सरकार द्वारा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त.
अनुभव	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे को विभिन्न क्षेत्रों में कई पुरस्कार एवं मान्यता के साथ बैंकिंग क्षेत्र में 33 वर्ष से अधिक का व्यापक अनुभव है. पुणे यूनिवर्सिटी से एम.एससी. में स्वर्ण पदक तथा ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी, यूएसए से एम.बी.ए. किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऋण प्रबंधन, वसूली, खजाना एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, देश के कई स्थानों में विभिन्न स्तरों पर उन्हें व्यापक अनुभव एवं विशेषज्ञता है.

3.4 मंडल की बैठकें :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, नीचे उल्लिखित तारीखों को मंडल की 12 बैठकें हुईं, जब कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड 12 के अंतर्गत 6 बैठकें बुलाई जानी थी.

28.04.2009	25.05.2009	09.07.2009	25.07.2009	28.08.2009	29.09.2009
29.10.2009	04.12.2009	29.12.2009	23.01.2010	06.03.2010	29.03.2010

निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुईं मंडल की बैठकों में उनकी उपस्थिति के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत है:

3.5 मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

निदेशक का नाम	अवधि	इनके कार्यकाल में हुई बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	पिछली वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थिति
1 श्री आल्बर्ट तावरो	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	– हाँ –
2 श्री एस.सी.कालिया	01.04.2009 - 20.11.2009	7	7	– हाँ –
3 श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे	20.11.2009 - 31.03.2010	5	5	– लागू नहीं –
4 श्री जी.बी.सिंह	01.04.2009 - 31.03.2010	12	10	– नहीं –
5 श्री पी.शांताराम शेट्टी	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	– नहीं –
6 श्री श्रीधर चेरुकूरी	01.04.2009 - 31.03.2010	12	9	– हाँ –
7 श्री अशोक कुमार शेट्टी	01.04.2009 - 31.03.2010	12	10	– हाँ –
8 श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)	01.04.2009 - 31.03.2010	12	11	– हाँ –
9 श्री के वेंकटप्पा	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	– नहीं –
10 श्री ब्रज मोहन शर्मा	01.04.2009 - 01.01.2010	9	9	– हाँ –
11 श्री निशांक कुमार जैन	01.04.2009 - 31.03.2010	12	11	– हाँ –
12 श्री एस.अनंतन	01.04.2009 - 31.03.2010	12	11	– हाँ –
13 श्री रंजन शेट्टी	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	– हाँ –
14 श्री बी.इब्राहिम	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	– हाँ –

4. मंडल की समितियां :

एसईबीआई और भा.रि.बैं. की अपेक्षाओं के अनुरूप, मंडल ने निदेशकों की नीचे उल्लिखित समितियों का गठन किया है. ये समितियां, उनको सौंपे गए काम के अधीन आनेवाली गतिविधियों पर और एसईबीआई व भा.रि. बैं. के मार्गनिर्देशों के अनुसार निगरानी रखती हैं. मंडल ने नीचे उल्लिखित समितियों का गठन किया :

1. प्रबंध समिति	7. निदेशकों की पदोन्नति समिति
2. लेखापरीक्षा समिति	8. ग्राहक सेवा समिति
3. शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति	9. पारिश्रमिक समिति
4. शेयर अंतरण समिति	10. नामांकन समिति
5. जोखिम प्रबंधन समिति	11. चयन विवाद निपटान हेतु विशेष समिति
6. उच्च मूल्य धोखाधडी की समीक्षा हेतु समिति	

4.1 मंडल की प्रबंध समिति :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के खंड – 13 का अनुसरण करते हुए मंडल की प्रबंध समिति का गठन किया गया है.

मंडल की प्रबंध समिति के गठन का उद्देश्य है, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कारोबार संबंधी विभिन्न मामलों पर विचार करना जैसे; नई जमा योजनाएं शुरू करने, सीमाओं की मंजूरी चाहे निधि आधारित हो या निधियेतर आधरित हो, समझौता/बट्टे खाते डालने, पूंजीगत और राजस्व खर्च की मंजूरी, परिसर, निवेश, दान आदि के लिए अनुमोदन प्राप्त करना. समिति उन अधिकारों का प्रयोग करती है जिसे, केंद्र सरकार के अनुमोदन से और भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति से उसे मंडल द्वारा दिया जाए.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) की 19 बैठकें हुईं. वर्ष के दौरान हुईं, एमसीबी की बैठकों के ब्यौरे और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

27.04.2009	25.05.2009	27.06.2009	09.07.2009	24.07.2009	17.08.2009
28.08.2009	23.09.2009	28.10.2009	16.11.2009	05.12.2009	21.12.2009
29.12.2009	12.01.2010	22.01.2010	08.02.2010	22.02.2010	12.03.2010
29.03.2010					

4.1.1 एमसीबी की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1. श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	19	19
2. श्री एस.सी.कालिया* कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 20.11.2009	10	10
3. श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे ** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	20.11.2009 - 31.03.2010	09	09
4. श्री पी.शांताराम शेट्टी *** कामगार – निदेशक	सदस्य	28.08.2009 - 27.02.2010	11	11
5. श्री श्रीधर चेरुकूरी **** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	25.03.2010 - 31.03.2010	1	1
6. श्री अशोक कुमार शेट्टी ***** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 27.08.2009	6	6
7. श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) #1 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 25.09.2009	8	6
8. श्री के.वेंकटप्पा गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	19	19
9. श्री ब्रज मोहन शर्मा #2 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 01.01.2010	13	13
10. श्री निशांक कुमार जैन #3 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	25.09.2009 - 25.03.2010	10	9
11. श्री एस.अनंतन #4 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	09.01.2010 - 31.03.2010	6	6
12. श्री रंजन शेट्टी #5 अधिकारी–कर्मचारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 27.06.2009 व 06.03.2010 - 31.03.2010	5	5
13 श्री बी.इब्राहिम #6 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	09.07.2009 - 08.01.2010	10	9

* श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने पर प्रबंधन समिति के सदस्य नहीं रहे.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने पर प्रबंधन समिति की सदस्य बन गयी हैं.

*** श्री पी.शांताराम शेट्टी दि.28.08.2009 से दि.27.02.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य थे.

**** श्री श्रीधर चेरुकुरी दि.25.03.2010 से समिति के सदस्य हैं.

***** श्री अशोक कुमार शेट्टी दि.01.04.2009 से दि.27.08.2009 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य थे.

#1 श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) दि.01.04.2009 से दि.25.09.2009 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य थे.

#2 श्री ब्रज मोहन शर्मा दि.01.04.2009 से दि.02.01.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य थे.

#3 श्री निशांक कुमार जैन दि.25.09.2009 से दि.25.03.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य थे.

#4 श्री एस.अनंतन दि.09.01.2010 से समिति के सदस्य बन गए हैं.

#5 श्री रंजन शेट्टी दि.01.04.2009 से दि.27.06.2009 तक और फिर दि.06.03.2010 से समिति के सदस्य है.

#6 श्री बी.इब्राहिम दि.09.07.2009 से दि.08.01.2010 तक समिति के सदस्य थे.

4.2 निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और सूची बनाने संबंधी करारनामों के अनुसार, मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया जाता है और उसके कामकाज तय किए जाते हैं. एसीबी, बैंक में लेखा परीक्षा से संबंधित सब प्रकार के कामकाज के संबंध में निर्देश देता है. इसमें शामिल हैं; बैंक के अंदर आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण का संगठनात्मक और गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण का अनुवर्तन.कंपनी के सभी सदस्यों को वित्त का अच्छा ज्ञान है.

लेखापरीक्षा समिति के कामकाज इस प्रकार हैं :

- बैंक की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया पर निगरानी रखना तथा वित्तीय जानकारी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय प्रकटन सुनिश्चित करना;
- प्रबंध वर्ग के साथ, तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना और इस सिलसिले में इन बातों पर खास बल देना जैसे; लेखा नीतियां ओर परिपाटी, वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा मानकों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का पालन करना, लेखा परीक्षा में निर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करना, वित्तीय संस्थाओं, संबंधित पार्टी के लेन-देन आदि के बारे में शेयर बाजार के मार्गेनिर्देशों और कानूनी अपेक्षाओं की पूर्ति करना.
- उन मामलों में, जहां धोखाधडी का शक हो अथवा अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की नाकामी नजर आए, आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई जांच के निष्कर्षो की समीक्षा करना तथा नियंत्रण तंत्र मतबूत करने के लिए सुझाव देना.
- वार्षिक/अर्ध-वार्षिक और तिमाही खातों और रिपोर्टो के अंतिम रूप से पहले केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार- विमर्श करना और खासकर लेखा नीतियों और परिपाटियों एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप में परिवर्तनों पर खास ध्यान देना.
- जमाकर्ताओं, शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और लेनदारों, को किए जानेवाले भुगतान में काफी हद तक यदि कोई चूक हुई हो तो उसकी वजह जानना.
- प्रबंध वर्ग के साथ सांविधिक व आंतरिक लेखा परीक्षकों का कार्य निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों की पर्याप्तता की समीक्षा, किसी महत्वपूर्ण निष्कर्षो पर आंतरिक लेखा परीक्षकों से चर्चा व उस पर अनुवर्तन.
- यह समिति खासकर इनके अनुवर्तन पर ध्यान देती है:
  - क) अंतर शाखा समायोजन खाते
  - ख) अंतर शाखा खातों और नॉस्ट्रो खातों में काफी लंबे समय से मिलान न की गईं प्रविष्टियां
  - ग) विभिन्न शाखाओं में बाकी पडी बहियों का संतुलन कार्य
  - घ) धोखाधडी और
  - ङ) आंतरिक लेखा कार्य के प्रमुख क्षेत्र

बैंक ने, कंपनी शासन के बुनियादी तत्वों की कद्र करते हुए और भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें 5 निदेशक हैं जिसके अध्यक्ष के रूप में वित्त की जानकारी रखनेवाले गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक हैं.

भा.रि.बैं. की अपेक्षानुसार, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें सामान्यत : तिमाही में कम से कम एक बार और वर्ष में कम से कम छह बार बुलायी जानी चाहिए. वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 9 बैठकें हुईं.

04.04.2009	28.04.2009	19.06.2009	25.07.2009	07.09.2009
29.10.2009	12.11.2009	29.12.2009	23.01.2010	

4.2.1 एसीबी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1. श्री एस.अनंतन * गैर-कार्यकारी निदेशक – सनदी लेखाकार	अध्यक्ष	02.01.2010 - 31.03.2010	1	1
2. श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे ** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
3. श्री के.वेंकटप्पा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	9	9
4. श्री जी.बी.सिंह गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	9	8
5. श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.) गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	9	7
6. श्री ब्रज मोहन शर्मा *** गैर-कार्यकारी निदेशक – सनदी लेखाकार	अध्यक्ष	01.04.2009 - 01.01.2010	8	8
7. श्री एस.सी.कालिया **** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 20.11.2009	7	7

* श्री एस.अनंतन दि.02.01.2010 से समिति के अध्यक्ष बन गए हैं.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति की सदस्य बन गयी हैं.

*** श्री ब्रज मोहन शर्मा दि.02.01.2010 से मंडल से सेवानिवृत्त होने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

**** श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर लेखा परीक्षा समिति के सदस्य नहीं रहे.

4.3 शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति

बैंक ने, शेयरधारकों और निवेशकर्ताओं की, उनकी रुचि से जुडे हुए मामलों पर शिकायतों का निवारण करने के इरादे से, शेयरधारक/ निवेशकर्ता शिकायत समिति का गठन किया है.

यह समिति, शेयरों के अंतरण, प्रेषण, बैंक द्वारा जारी शेयरों को खडिंत करने और समेकित करने तथा शेयरधारकों की किसी अन्य शिकायतों पर निगरानी रखती है. आगे, यह समिति निवेशकर्ताओं की शिकायतों के निवारण पर समयबद्ध ढंग से निगरानी रखती है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की नीचे उल्लिखित तारीखों को 4 बैठकें हुईं :

27.04.2009	24.07.2009	29.10.2009	08.02.2010

4.3.1 शेयरधारक/निवेशकर्ता शिकायत समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री अशोक कुमार शेट्टी गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	4	3
2.	श्री एस.सी.कालिया * कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 20.11.2009	3	3
3.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे ** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	20.11.2009 - 31.03.2010	1	1
4.	श्री निशांक कुमार जैन*** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 22.08.2009	2	1
5.	श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
6.	श्री श्रीधर चेरुकूरी **** गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	2	2
7.	श्री एस.अनंतन गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4

* श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति की सदस्य बन गयी हैं.

*** श्री निशांक कुमार जैन दि.23.08.2009 से समिति के सदस्य नहीं रहे.

**** श्री श्रीधर चेरुकूरी दि.23.08.2009 से दि.31.03.2010 तक समिति के सदस्य हैं.

श्री के.गोपालकृष्णन नायर, कंपनी सचिव भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, शेयर बाजार के साथ करार सूचीबद्ध कराने, कंपनियों के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करते रहे हैं.

4.4. शेयर अंतरण समिति

शेयरधारकों/ निवेशकर्ताओं से संबंधित निदेशकों की उप-समिति के अलावा, बैंक ने, निदेशकों की शेयर अंतरण समिति का गठन किया है जिसके सदस्यों के रूप में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में) और दो गैर-सरकारी निदेशक हैं. यह समिति, पंद्रह दिनों में एक बार बैठती है जिससे कि शेयरों का अंतरण शीघ्रता से हो. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 12 बैठकें हुईं, जिनके ब्यौरे निम्नानुसार हैं. इसके अलावा कुछ शेयर अंतरणों की सूचियां समिति को परिचालित करके अनुमोदित करा लिया गया व बाद में नियमित बैठकों में इन्हें अनुमोदित व अनुसमर्थित करा लिया गया.

28.04.2009	25.05.2009	09.07.2009	24.07.2009
28.08.2009	29.09.2009	29.10.2009	04.12.2009
29.12.2009	23.01.2010	06.03.2010	29.03.2010

4.4.1 शेयर अंतरण समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दोरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12
2.	श्री पी.शांताराम शेट्टी * कामगार निदेशक	सदस्य	01.04.2009 -22.08.2009	4	4
3.	श्री एस.अनंतन ** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 22.08.2009	4	3
4.	श्री श्रीधर चेरुकूरी *** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	8	6
5.	श्री रंजन शेट्टी **** अधिकारी–कर्मचारी निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	8	8

* श्री पी.शांताराम शेट्टी दि.23.08.2009 से समिति के सदस्य नहीं रहे.

** श्री एस.अनंतन दि.23.08.2009 से समिति के सदस्य नहीं रहे.

*** श्री श्रीधर चेरुकूरी दि.23.08.2009 से समिति के सदस्य बन गए हैं.

**** श्री रंजन शेट्टी दि.23.08.2009 से समिति के सदस्य बन गए हैं.

4.5. जोखिम प्रबंधन समिति

डॉ.गंगूली समिति की सिफारिशों के अनुसार, बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रण नीति बनाने व बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करने के लिए बैंक ने 23.07.2003 को जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया.

समिति के कामकाज :

1. जोखिम प्रबंधन नीति और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए रणनीति बनाना तथा बैंक में विभिन्न जोखिम प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय करना.
2. जोखिम को मापने के लिए नीतियां और मार्गनिर्देश बनाना.
3. जोखिम के समस्त क्षेत्रों में प्रबंधन और रिपोर्टिंग.
4. यह सुनिश्चित करना कि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया (लोगों, पद्धतियों, परिचालन, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) से बैंक की नीति की तुष्टि होती है.
5. जोखिम आंकने के लिऐ वित्तीय मानकों को तगडा बनाना और इस्तेमाल की जा रहीं समस्त पद्धतियों को कारगर बनाना.

समिति की 6 बैठकें हुईं जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

27.04.2009	27.06.2009	17.08.2009	29.10.2009	29.12.2009	22.02.2010

4.5.1 जोखिम प्रबंधन समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	6	6
2.	श्री एस.सी.कालिया * कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 20.11.2009	4	4

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
3.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे ** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4.	श्री के.वेंकटप्पा गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	6	6
5.	श्री निशांक कुमार जैन *** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	3	3
6.	श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) #1 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 22.08.2009	3	2
7.	श्री श्रीधर चेरुकूरी #2 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 22.08.2009	3	2
8.	श्री शांताराम शेट्टी #3 कामगार निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	3	3

* श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त की गयी हैं.

*** श्री निशांक कुमार जैन दि.23.08.2009 से समिति के सदस्य बन गए.

#1 श्री अशोक कुमार दि.01.04.2009 से दि.22.08.2009 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य रहे.

#2 श्री श्रीधर चेरुकूरी दि.01.04.2009 से दि.22.08.2009 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य रहे.

#3 श्री शांताराम शेट्टी दि.23.08.2009 से समिति के सदस्य बन गए.

4.6. उच्च मूल्य की धोखाधडी से सबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति

1 करोड रु. व उससे अधिक रकम के धोखाधडी के मामलों पर निगरानी रखने पर खासा ध्यान देने की दृष्टि से, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार, मंडल की समिति का गठन किया गया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 4 बार बैठकें, नीचे उल्लिखित तारीखों को हुई:

25.05.2009	24.07.2009	04.12.2009	08.02.2010

4.6.1 उच्च मूल्य की धोखाधडी से संबंधित मामलों की समीक्षा करने के लिए समिति के निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
2.	श्री एस.सी.कालिया * कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 20.11.2009	2	2
3.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे ** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4.	श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.) गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
5.	श्री रंजन शेट्टी *** अधिकारी–कर्मचारी निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	2	2
6.	श्री बी इब्राहिम **** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	2	2
7.	श्री श्रीधर चेरुकूरी #1 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 22.08.2009	2	कुछ नहीं
8.	श्री ब्रज मोहन शर्मा #2 गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 22.08.2009	2	2

* श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर सदस्य नहीं रहे.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर सदस्य बन गयी हैं.

*** श्री रंजन शेट्टी दि.23.08.2009 से दि.31.03.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य हैं.

**** श्री बी.इब्राहिम दि.23.08.2009 से दि.31.03.2010 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य हैं.

#1 श्री श्रीधर चेरुकूरी दि. 23.08.2009 से समिति के सदस्य नहीं रहे.

#2 श्री ब्रज मोहन शर्मा दि. 23.08.2009 से समिति के सदस्य नहीं रहे.

4.7 ग्राहक सेवा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुसरण करते हुए, मंडल ने, नीचे उल्लिखित सदस्यों के साथ 08.09.2004 को ग्राहक सेवा समिति का गठन किया.

मंडल की ग्राहक सेवा समिति से अपेक्षा की जाती है कि वह :

1. ग्राहक सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं और निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में बैंक की तदर्थ समिति के कामकाज पर निगरानी रखें.
2. व्यापक निक्षेप नीति बनाएं और उसमें इस तरह के मामले जोडें जैसे; जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उसका खाता चलाने की रीति, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण और इन सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा.
3. ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढाने के लिए नए किस्म के उपाय करें और
4. हमेशा सब प्रकार के ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार लाना.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की 4 बैठकें हुई

25.05.2009	09.07.2009	21.12.2009	12.03.2010

4.7.1 ग्राहक सेवा समिति के निदशकों की उपस्थिति संबंधी ब्योरे

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
2.	श्री एस.सी.कालिया * कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 20.11.2009	2	2

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
3.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे ** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4.	श्री के.वेंकटप्पा गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
5.	श्री बी.टी.रुद्रप्पा ग्राहकों के प्रतिनिधि	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	4	3
6.	श्री पी.शांताराम शेट्टी *** कामगार निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 22.08.2009	2	2
7.	श्री बी.इब्राहिम **** गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	23.08.2009 - 31.03.2010	2	1

* श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर समिति के सदस्य नहीं रहे.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं.

*** श्री पी.शांताराम शेट्टी दि.01.04.2009 से दि.22.08.2009 तक की अवधि के दौरान समिति के सदस्य थे.

**** श्री बी.इब्राहिम दि.23.08.2009 को समिति के सदस्य बन गए.

4.8 पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति

वरिष्ठ प्रबंध श्रेणी – वेतन–मान – V और उससे उच्चतर वेतन मान के कार्यपालकों के मामलों की समीक्षा करने के लिए, विजया बैंक(अधिकारी)सेवा विनियम, 1982 के विनियम 19(2)के नियमों के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया. यह समिति, अनुशासनिक मामलों और बैंक के शीर्ष कार्यपालकों(वेतन–मान VII) की पदोन्नति पर निगरानी रखती है.

55 वर्ष की उम्र होने पर या उसके बाद किसी भी समय अथवा 30 वर्ष की कुल सेवा पूरी करने के बाद किसी भी समय, अधिकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की समीक्षा करने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया. इस समिति में, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, सरकारी निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक हैं.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इस समिति की 4 बैठकें हुईं:

25.05.2009	28.08.2009	04.12.2009	06.03.2010

4.8.1 पदोन्नति संबंधी निदेशकों की समिति में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
2.	श्री एस.सी.कालिया * कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 20.11.2009	2	2
3.	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे ** कार्यकारी निदेशक	सदस्य	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4.	श्री जी.बी.सिंह गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 -31.03.2010	4	4
5.	श्री के.वेंकटप्पा गैर–कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4

* श्री एस.सी.कालिया दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर सदस्य नहीं रहे.

** श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे दि.20.11.2009 के भारत सरकार की अधिसूचना सं.एफ.सं.9/12/09-बीओ.1 के ज़रिए बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं.

4.9 पारिश्रमिक समिति

भारत सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार निदेशकों को पारिश्रमिक दिया जाता है. दि.09.03.2007 के भारत सरकार के पत्रांक एफ.सं.20/1/2005-बीओ.1 के अनुसार बैंक निदेशक मंडल ने दि.30.07.2007 को पारिश्रमिक समिति का गठन किया. यह समिति बैंक के पूर्णकालिक निदेशक अर्थात अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक व कार्यकारी निदेशक के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन के मूल्यांकन तथा संगत वर्ष के 31 मार्च को पात्र प्रोत्साहन देने हेतु गठित की गयी है.

वर्ष 2009-10 के दौरान, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यकारी निदेशक को निष्पादन से जुडी प्रोत्साहन राशि सहित पारिश्रमिक के ब्यौरे नीचे प्रस्तुत हैं :

	श्री आल्बर्ट तावरो (अ.एवं प्र. नि.)	श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (का.नि.)	श्री एस.सी.कालिया (भू.का.नि.)
वेतन	रु.13,89,601.60	रु.3,59,568.19	रु.7,68,351.33
भत्ते	--	--	--
भ.नि. पर अंशदान	रु.1,28,547.50	रु.28,279.90	रु.69,177.33
अन्य (छु.कि.रि., आदि)	--	---	रु.85,027.00
अन्य अनुलाभ	रु.19584.00	रु.6.873.00	रु.12.068.00
कुल	रु.15,37,733.10	रु.3,94,721.09	रु.9,34,623.66
स्टॉक विकल्प	--	----	---

गैर-कार्यपालक/स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के निर्देशानुसार मंडल/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क, यात्रा व विराम व्यय को छोडक़र कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है.

समिति की समीक्षाधीन अवधि के दौरान 28.08.2009 एवं 22.01.2010 को बैठक आयोजित की गई.

4.9.1 पारिश्रमिक समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1.	श्री जी.बी.सिंह गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2
2.	श्री के.वेंकटप्पा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2
3.	श्री अशोक कुमार शेट्टी गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2
4.	श्री एस.अनंतन गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2

4.10. नामांकन समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 01.11.2007 के पत्र सं डीबीओडी.सं बीसी.47/29.39001/2007-08 में दिए गए निदेशानुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 (3)(आई) के तहत संप्रति चुने गए निदेशकों/निदेशकों के रूप में चुने जानेवाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त व उचित स्थिति' अध्यवसायी से निर्धारित करने के लिए मंडल की नामांकन समिति दिनांक 28.12.2007 को गठित की गयी. समिति के निम्न सदस्य होंगे.

1.	सरकार नामिती निदेशक	:	समिति का अध्यक्ष
2.	भारिबैं नामिती निदेशक	:	सदस्य
3.	गैर सरकारी निदेशक (सी ए संवर्ग)	:	सदस्य

समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 27.04.2009 को समिति की एक बैठक हुई तथा यह पाया गया कि चुने जाने वाले निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंड अनुसार 'उपयुक्त व उचित' हैं.

4.10.1. नामिती समिति की बैठक में निदेशकों की उपस्थिति के ब्यौरे

निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1. श्री जी.बी.सिंह गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष	01.04.2009 - 31.03.2010	1	1
2. श्री के.वेंकटप्पा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 31.03.2010	1	1
3. श्री ब्रज मोहन शर्मा गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य	01.04.2009 - 02.01.2010	1	1

4.11 चुनाव विवादों का निपटारा समिति

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3)के खण्ड (बी) तथा (सी) के अनुसार एक विशेष समिति का गठन किया गया. इस खण्ड के अनुसार समिति के निम्न सदस्य होंगे :

1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	:	समिति के अध्यक्ष
2.	सरकारी नामिती निदेशक	:	सदस्य
3.	भारिबैं नामिती निदेशक	:	सदस्य

वर्ष के दौरान समिति के कोई बैठक आयोजित नहीं हुई.

गैर कार्यपालक/शेयरधारक निदेशकों के शेयरधारण के विवरण

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की संख्या
1. श्री अशोक कुमार शेट्टी	3,900
2. श्री अशोक कुमार आई.ए.एस. (से.नि.)	100
3. श्री एस.अनंतन	1,200

5. आचार संहिता

बैंक, सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित आचार संहिता का पालन कर रहा है. तदनुसार सभी निदेशकों/उच्च प्रबंधन कार्मिकों से वार्षिक आधार पर उसके अनुपालन संबंधी पुष्टीकरण प्राप्त की जाती है.

6. सामान्य बैठक

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

दिनांक	समय	स्थान
27.06.2007	11.00 बजे	मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, एम.जी.रोड, बेंगलूर
25.07.2008	10.15 बजे	
10.07.2009	10.15 बजे	

नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे. इन बैठकों में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किए गए :

1.	श्री आल्बर्ट तावरो	-	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री एस.सी.कालिया	-	कार्यकारी निदेशक
3.	श्री ब्रज मोहन शर्मा	-	निदेशक (सनदी लेखाकार श्रेणी एवं एसीबी के अध्यक्ष)
4.	श्री अशोक कुमार, आई.ए.एस. (से.नि.)	-	शेयरधारकों के निदेशक
5.	श्री अशोक कुमार शेट्टी	-	शेयरधारकों के निदेशक
6.	श्री एस अनंतन	-	शेयरधारकों के निदेशक
7.	श्री श्रीधर चेरुकुरी	-	गैर-अधिकारी निदेशक
8.	श्री निशांक कुमार जैन	-	गैर-अधिकारी निदेशक
9.	श्री रंजन शेट्टी	-	अधिकारी-कर्मचारी निदेशक
10.	श्री बी.इब्राहित	-	गैर अधिकारी निदेशक

श्री एम.साहू, अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रेक्षक के रूप में बैठक में उपस्थित थे. वर्ष 2009-2010 के दौरान ऊपर उल्लिखित एक ही सामान्य बैठक हुई.

7. शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकर्ताओं की शिकायतों का निवारण

हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों के कार्यालय में शेयर अंतरण, लाभांश के भुगतान तथा निवेशकर्ता से संबंधित अन्य गतिविधियों पर गौर किया जाता है और उनका संसाधन किया जाता है.बैंक, यह सुनिश्चित करता है कि शेयरों के अंतरण का सारा काम, उनको प्रस्तुत किए गए दिन से एक महीने के अंदर पूरा किया जाता है. मंडल ने, शेयरों के अंतरण तथा अन्य संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए निवेशकर्ता शिकायत समिति और शेयर अंतरण समिति का गठन किया है. ये समितियां नियमित अंतराल में बैठती है और शेयरों के अंतरण की पुष्टि करने के अलावा निवेशकर्ताओं की शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती है.

बैंक ने अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है जिसका कर्तव्य है, शेयरों का अंतरण करना, लाभांश का भुगतान करना, शेयरधारकों की दरख्वास्त दर्ज करना तथा शेयरों को जारी करने से संबंधित दूसरी गतिविधियों में निवेशकर्ताओं की शिकायतों का संकल्प पारित करना. निवेशकर्ता, अपने अंतरण विलेख/दरख्वास्त/शिकायतें, रजिस्ट्रार के पास, नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकते हैं:

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट : विजया बैंक)
सी -13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपाउंड
एल.बी.एस.रोड , भांडूप (पश्चिम)
मुंबई - 400 078
टेलीफोन: (022) 25963838, 25946570 - 78
फैक्स: (022) 25946969
ईमेल : mumbai@linkintime.co.in और rnt.helpdesk@linkintime.co.in

निवेशकर्ताओं की सहूलियत के लिए, शेयर अंतरण की उनकी दरख्वास्त तथा उनकी शिकायतें, बेंगलूर स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भी स्वीकार की जाती हैं:

महा प्रबंधक
मंडल सचिवालय (शेयर प्रभाग)
विजया बैंक, प्रधान कार्यालय
41/2, एम.जी.रोड
बेंगलूर - 560 001
कर्नाटक
टेलीफोन : 080 25594737,
080 25584066 विस्तार 271 या विस्तार 514
फैक्स : 080 25594737
ई-मेल : sdigc@vijayabank.co.in
वेबसाईट : www.vijayabank.com

शेयरधारकों की शिकायतों पर तुरंत गौर करने और शिकायतों का फौरन निवारण करने पर बैंक, सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और उसे सुनिश्चित करता है.

शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के ईक्विटी शेयरों का अंतरण हमारे शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई द्वारा किया जाता है. जब कभी उन्हें शेयर अंतरण के अनुरोध प्राप्त होते हैं तो उन्हें संवीक्षा कर तथा सही पाये जाने पर संसाधित कर, उन्हें बैंक के प्रधान कार्यालय में अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है.

शेयर अंतरण/अमूर्तिकरण/पुन: मूर्तिकरण/विभाजन/पुन: स्थापन/समेकन इत्यादि संबंधी अनुरोध मंडल की शेयर अंतरण समिति के समक्ष उनके अनुपालनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं. इस प्रयोजनार्थ शेयर अंतरण समिति की बैठक पाक्षिक आधार पर आयोजित की जाती है. मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शेयर अंतरण समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अंतरण,अमूर्तिकरण आदि कर शेयरधारकों को भेजता है. बैंक यह सुनिश्चित करता है कि प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के अंतर्गत उसे विधिवत रुप से अंतरित किया जाता है.

शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध करने संबंधी करार के खंड 47 के अनुसार आर व टी अभिकर्ता द्वारा किए गए शेयर अंतरण तथा शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित शेयर अंतरण पर रिपोर्ट, बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है.

प्राप्त, निपटायी गयीं और लंबित शिकायतों की संख्या

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुबंई द्वारा शेयरधारकों की सभी शिकायतें सीधे प्राप्त की जाती हैं और बैंक द्वारा प्राप्त सारी शिकायतें उनके पास भेजी जाती हैं. 2009-2010 के दौरान प्राप्त और निपटायी गयीं तथा 31.03.2010 को लंबित दरख्वास्तों / शिकायतों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

	01.04.2009 को लंबित	प्राप्त	निपटाई गईं	31.03.2009 को लंबित
क) दरख्वास्तों की संख्या	कुछ नहीं	3680	3680	कुछ नहीं
ख) शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं	2076	2076	कुछ नहीं

उक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रही. 31.03.2010 को, शेयर अंतरण के संबंध में हमारे पास कोई दरख्वास्त लंबित नहीं थी.

8. शेयरधारकों के साथ प्रकटीकरण, संप्रेषण और संबंध

बैंक के प्रवर्तकों/निदेशकों, प्रबंध वर्ग, उसके सहयोगी संस्थाओं और/उनके रिशतेदारों के साथ बैंक का, तात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ऐसा कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जिससे व्यापक रूप से बैंक के हितों को संभावित रूप से प्रभावित करे.

वित्तीय वर्ष 2009-10 में, बैंक ने, पूंजी बाजार से संबंधित मामलों के बारे में समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति की और बैंक पर, शेयर बाजारों, एसईबीआई, अथवा किसी दूसरे सांविधिक प्राधिकारियों ने कोई जुर्माना नहीं लगाया है, न ही कोई अवक्षेप किया है. बैंक ने, सांविधिक समय सीमा के अंदर वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित की और पात्र शेयरधारकों को लाभांश अदा किया.

बैंक से संबंधित जानकारी, खास तौर पर वार्षिक रिपोर्टों के ज़रिए जिसमें अध्यक्ष का बयान, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और समेकित लेखा आदि होते हैं, उपलब्ध कराई जाती है. शेयरधारकों को तिमाही, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निष्पादन के बारे में जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशन, शेयर बाजारों को दी गई सूचना, प्रेस-विज्ञप्ति और वेबसाइट अर्थात् www.vijayabank.com के जरिए भी दी जाती है.

वर्ष के दौरान, बैंक के तिमाही/अर्ध वार्षिक / वार्षिक परिणाम, अन्य समाचार पत्रों के अलावा नीचे उल्लिखित समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए गए :

अवधि	दैनिक का नाम		प्रकाशन तारीख
	अंग्रेजी	कन्नड	
मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष	डेक्कन हेराल्ड	उदयवाणी	29.04.2009
जून, 2009 को समाप्त तिमाही	बिज़नस स्टैनडर्ड	उदयवाणी	26.07.2009
सितंबर, 2009 को समाप्त अर्ध वर्ष	डेक्कन हेराल्ड	उदयवाणी	30.10.2009
दिसंबर, 2009 को समाप्त तिमाही	फैनांशियल एक्सप्रेस	उदयवाणी	24.01.2010

9. अधिदेशात्मक और गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

9.1 बैंक ने, शेयर बाजारों के साथ किए गए सूची बनाने संबंधी करारनामे के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार, समस्त लागू अधिदेशात्मक अपेक्षाओं की पूर्ति की.

9.2 गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी नीचे प्रस्तुत है:

	अपेक्षा	अनुपालन
9.2.1	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष को, कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने का हक होना चाहिए और साथ ही उसे, अपने कर्तव्य निभाने में लगे खर्च की पूर्ति की जानी चाहिए.	बैंक के अध्यक्ष का कार्यभार, भारत सरकार द्वारा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संभाल रहे हैं और इसलिए यह अपेक्षा लागू नहीं होती है.
9.2.2	पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन की अर्ध-वार्षिक घोषणा, प्रत्येक शेयरधारक के घर पर भेजी जानी चाहिए.	बैंक अपने सभी शेयरधारकों को वर्ष के दौरान हुई उल्लेखनीय गतिविधियों सहित सारांश के साथ वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रेषित करता है. बैंक के त्रैमासिक वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल के अनुमोदन के बाद समाचार पत्र , स्टॉक एक्सचेंज तथा बैंक के वेबसाईट में प्रकशित किये जाते हैं.
9.2.3	डाक से प्राप्त मत	बैंक ने, ऐसे किसी भी नाजुक मामलों को, जिसमें डाक से चलाए गए मतों से तय किया जाना पडे, विचारार्थ नहीं उठाया है.

10. शेयरधारकों की जानकारी के लिए

बैंक, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है जिसका प्रधान कार्यालय, बेंगलूर में है. 31.03.2010 को देशभर में फैली हुई 1,158 शाखाओं के जरिए बैंक ने अपनी मौजूदगी कायम की है.बैंक के शेयरों को नीचे उल्लिखित प्रमुख शेयर बाजारों में सूचीबद्ध किया गया है:

1) **बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि.,**
कार्पोरेट रिलेशनशिप विभाग
पहली मंजिल, न्यू ट्रेडिंग रिंग
फिरोज जीजीबॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट
फोर्ट, मुंबई – 400 001
बीएसई कूट : 532401

2) **नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.**
एक्सचेंज प्लाजा, 5 वां तल
प्लाट सं सी/1, जी ब्लॉक
बांद्रा – कुर्ला कॉम्पलेक्स
बांद्रा(पूर्व), मुंबई 400 051
एनएसई कूट : विजया बैंक ईक्यू एई बीई बीटी

3) **बेंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लि.**
पो.बा. सं 27024
51, स्टॉक एक्सचेंज टावर्स
पहला क्रॉस जे.सी.रोड,
बेंगलूर – 560 027
शेयर बाज़ारों को, सूचीबद्ध करने संबंधी वर्ष 2009-2010 का वार्षिक शुल्क, नियत तारीख से पहले अदा किया गया.

10.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंकों के शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है लेकिन बैंक ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड और केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपी लिमिटेड के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण किया है. अमूर्त किए गए ईक्विटी शेयरों के लिए, बैंक को आईएसआईएन कूट सं. आईएनई 705ए01016 आबंटित की गई है. चूंकि बैंक के शेयरों का व्यापार तीन शेयर बाज़ारों में किया जाता है इसलिए चल-निधि सामान्य है.

बैंक ने, दोनों निक्षेपियों अर्थात्; एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास कुल स्वीकृत पूंजी एवं बैंक की जारी तथा सूचीबद्ध पूंजी के समाधान के लिए सचिवालयिक लेखा परीक्षा के संबंध में तथा अर्ह कंपनी सचिव द्वारा, एसईबीआई के निर्देशानुसार शामिल किए गए अन्य मामलों के संबंध में एसईबीआई की अपेक्षाओं की पूर्ति की है.

31.03.2010 को शेयरधारकों द्वारा अमूर्त और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	कुल शेयरधारक	कुल शेयर	शेधर धारण का %
अमूर्त			
भारत के राष्ट्रपति	1	23,35,17,800	53.87
एनएसडीएल में अन्य	153518	15,11,68476	34.87
सीडीएसएल में अन्य	52383	2,03,46,353	4.69
कुल	**205902**	**40,50,32,629**	**93.43**
मूर्त	84364	28485171	6.57
अन्य	----	-----	------
सकल योग	**290266**	**43,35,17,800**	100

10.2 इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं(ईसीएस)

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस), लाभांश/ब्याज आदि का भुगतान करने की एक अनूठी रीति है, जिसमें निवेशकर्ता को देय रकम, सीधे उसके बैंक खाते में जमा की जाती है. बैंक ने, शेयरधारकों को ईसीएस की सुविधा का लाभ उठाने का मौका दिया है.
ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं) संबंधी अधिदेश फार्म, वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है जिसे रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के पास भेजा जाए. ईसीएस के जरिए लाभांश न पाने का विकल्प, शेयरधारक की इच्छानुसार किसी भी समय वापस लिया जा सकता है.

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किया गया लाभांश:

वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने वित्तीय वर्ष 2008-09 के संबंध में शेयरधारकों को 10% का लाभांश का भुगतान किया. बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 28.04.2009 को आयोजित मंडल की बैठक में लाभांश के लिए सिफारिश की और दिनांक 10.07.2009 को आयोजित नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में उसकी घोषणा की. वार्षिक सामान्य बैठक और वर्ष 2008-09 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए बही बंद करने के लिए दिनांक 06.07.2009 से 10.07.2009 तक की अवधि निर्धारित की गयी थी. दिनांक 10.08.2009 तक सभी लाभांश वारंटों को प्रेषित किया गया/ईसीएस जमा की गयी.

10.3 बैंक की शेयर पूंजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 3(2ए) के अनुसार केंद्रीय सरकार भारिबैं के साथ परामर्श कर तथा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्राधिकृत पूंजी को जैसा वह उचित समझती है बढा अथवा घटा सकती है और ऐसी बढोत्तरी अथवा कमी के बाद प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड रुपयों से अधिक अथवा एक हजार पांच सौ करोड रुपयों से कम नहीं होगी.

दि.10.11.2009 की अधिसूचना के ज़रिए भारत सरकार ने बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.1,500 करोड से रु.3,000 करोड वर्धित किया. तदनुसार, संप्रति बैंक की पूंजी रु.3,000 करोड है जिसे रु.10/- के 300 करोड पूर्ण प्रदत्त शेयरों में विभाजित किया है.

भारत सरकार के पास बैंक की ईक्विटी शेयर पूंजी का 53.87% हिस्सा है तथा वह बैंक का प्रमुख शेयरधारक है. 31.03.2009 को भारत सरकार ने रु.10/- के 50 करोड बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर के प्रति रु.500 करोड की पूंजी प्रदान की है जिस पर ब्याज दर रेपो का कूपन दर प्लस 100 आधार प्वाइंट है. तदनुसार, बैंक की मौजूदा प्राधिकृत प्रदत्त पूंजी निम्नानुसार है :

	(रु. करोड)
प्राधिकृत पूंजी :	
रु.10/- के 300 करोड शेयर	रु. 3,000.00
प्रदत्त पूंजी :	
रु.10/- के 50 करोड बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर	रु. 500.00
रु.10/- के 43,35,17,800 ईक्विटी शेयर	रु. 433.52
कुल प्रदत्त पूंजी	रु. 933.52

सारणी 1 : यथा 31.03.2010 को शेयर धारण का संवर्गवार संवितरण :

	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
ए	प्रवर्तक का धारण		
1.	प्रवर्तक		
	– भारतीय प्रवर्तक (भारत सरकार)	23,35,17,800	53.87
	– विदेशी प्रवर्तक	-	-
2.	सहमति द्वारा कार्य करने वाले व्यक्ति		
	उप–कुल	**23,35,17,800**	**53.87**
बी	गैर–प्रवर्तक का धारण		

	संवर्ग	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड व यूटीआई	48,61,097	1.12
	ख) बैंक, वित्तीय संस्थाएं , बीमा कंपनियां (केन्द्र व राज्य संस्थाएं/गैर-सरकार संस्थाएं)	5,5916177	12.88
	ग) एफआईआई/एफएमएफ	194,69,959	4.49
	उप-कुल	**8,02,47,233**	**18.49**
सी	अन्य		
	क) निजी कार्पोरेट निकाय	1,64,01,559	3.78
	ख) भारतीय जनता	10,04,79,721	23.20
	ग) एनआरआई/ओसीबी	28,71,487	0.66
	घ) अन्य कोई	- शून्य -	- शून्य -
	उप-कुल	**11,97,52,767**	**27.64**
	सकल योग	**43,35,17,800**	**100.00**

सारणी 2 : यथा 31.03.2010 को कुल विदेशी शेयर धारण :

क्रम सं.	विवरण	शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत
1	जीडीआर तथा एडीआर धारण	- शून्य -	- शून्य -
2	विदेशी प्रवर्तक	- शून्य -	- शून्य -
3	विदेशी संस्थागत निवेशक	1,59,82,996	3.69
4	विदेशी म्यूचुअल फंड	34,86,963	0.80
5	एनआरआई	28,71,387	0.66
6	विदेशी बैंक	- शून्य -	- शून्य -
7	विदेशी राष्ट्रीय	100	0.00
	कुल	**2,23,41,446**	**5.15**

सारणी 3 : यथा 31.03.2010 को बैंक के 1% से अधिक ईक्विटी शेयर धारण करनेवाले शेयर धारकों की सूची :

क्रम सं.	शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर धारण का प्रतिशत	संवर्ग
1	भारत के राष्ट्रपति	23,35,17,800	53.87	भारतीय प्रवर्तक
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	52,83,784	1.22	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था
3	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,99,85,814	4.61	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था
4	भारतीय जीवन बीमा निगम मनी प्लस	1,38,13,333	3.19	सरकार द्वारा प्रायोजित वित्तीय संस्था

10.4 विज़िल ब्लोअर नीति :

बैंक ने आंतरिक परिपत्रों के जरिए दोहराया है कि स्टाफ सदस्य संगठन के संबंध में महत्वपूर्ण रूप से असर करनेवाले वास्तविक सूचनाएं, शिकायत/सुझाव के रूप में उचित माध्यम के ज़रिए दे सकते हैं.

यदि अत्यावश्यक/आपात हो तो हिचकिचाहट/भय बिना समुचित प्राधिकारी के साथ सीधे संपर्क कर सकता है. इस तरह स्टाफ सदस्य असली विज़िल ब्लोअर के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर ऐसा कोई भी विचलन,जिसका सुधार करना है और जो कि संगठन के हित में है, विधिवत रूप से लिखकर व हस्ताक्षर कर प्रबंधन के ध्यान में ला सकते हैं.

10.5 शेयर बाजार संबंधी आंकड़े

अप्रैल, 2009 से मार्च 2010 तक एनएसई और बीएसई में मासिक उच्च और निम्न कोटेशन और व्यापार किए गए शेयरों की मात्रा निम्नानुसार है:

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज(एनएसई) ऑफ इंडिया लिमिटेड						
माह	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	एनएसई निफ्टी
अप्रैल 2009	29.70	23.05	**26.15**	29.04.2009	41654074	3473.95
मई 2009	47.05	26.40	**46.20**	29.05.2009	88082210	4448.95
जून 2008	50.00	41.05	**45.70**	30.06.2009	87247251	4291.10
जुलाई 2009	46.85	37.00	**43.70**	31.07.2009	35291381	4636.45
अगस्त 2009	45.00	40.10	**42.70**	31.08.2009	23398558	4662.10
सितंबर 2009	51.90	41.30	**51.50**	30.09.2009	125478802	5083.95
अक्तूबर 2009	55.50	43.25	**43.95**	30.10.2009	92419016	4711.70
नवंबर 2009	56.65	40.75	**51.60**	30.11.2009	110657626	5032.70
दिसंबर 2009	58.70	49.70	**51.90**	31.12.2009	127636987	5201.05
जनवरी 2010	56.50	46.60	**50.25**	29.01.2010	79968758	4882.05
फरवरी 2010	52.00	45.65	**47.65**	26.02.2010	37259050	4922.30
मार्च 2010	51.30	46.25	**47.45**	31.03.2010	39439731	5249.10

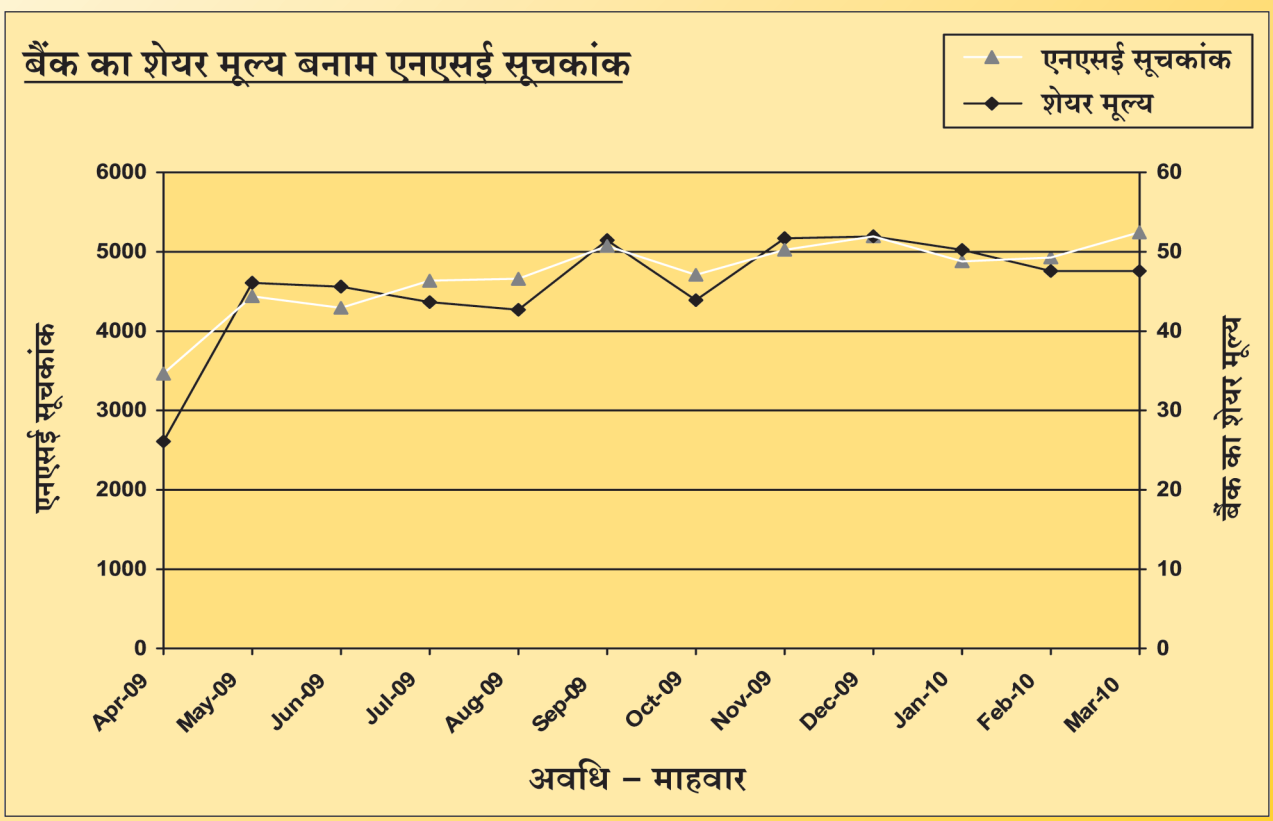

बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएसई)						
माह	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	बंद (रु.)	समाप्त तारीख	शेयरों के व्यापार की मात्रा	बीएसई सेंसेक्स
अप्रैल 2009	29.75	23.00	**26.20**	29.04.2009	15768646	11403.25
मई 2009	47.00	26.00	**46.25**	29.05.2009	23160505	14625.25
जून 2008	50.00	41.20	**45.90**	30.06.2009	24122335	14493.84
जुलाई 2009	46.80	37.00	**43.60**	31.07.2009	94,77,795	15670.31
अगस्त 2009	45.00	40.25	**42.70**	31.08.2009	7356780	15666.64
सितंबर 2009	51.90	41.00	**51.50**	30.09.2009	34378183	17126.84
अक्तूबर 2009	55.45	43.00	**43.85**	30.10.2009	22753271	15896.28
नवंबर 2009	56.65	40.90	**51.55**	30.11.2009	28551416	16926.22
दिसंबर 2009	58.75	49.70	**51.95**	31.12.2009	24787379	17464.81
जनवरी 2010	56.55	46.75	**50.30**	29.01.2010	14796217	16357.96
फरवरी 2010	52.00	45.85	**47.75**	26.02.2010	5410881	16429.55
मार्च 2010	51.30	46.20	**47.35**	31.03.2010	6967391	17527.77

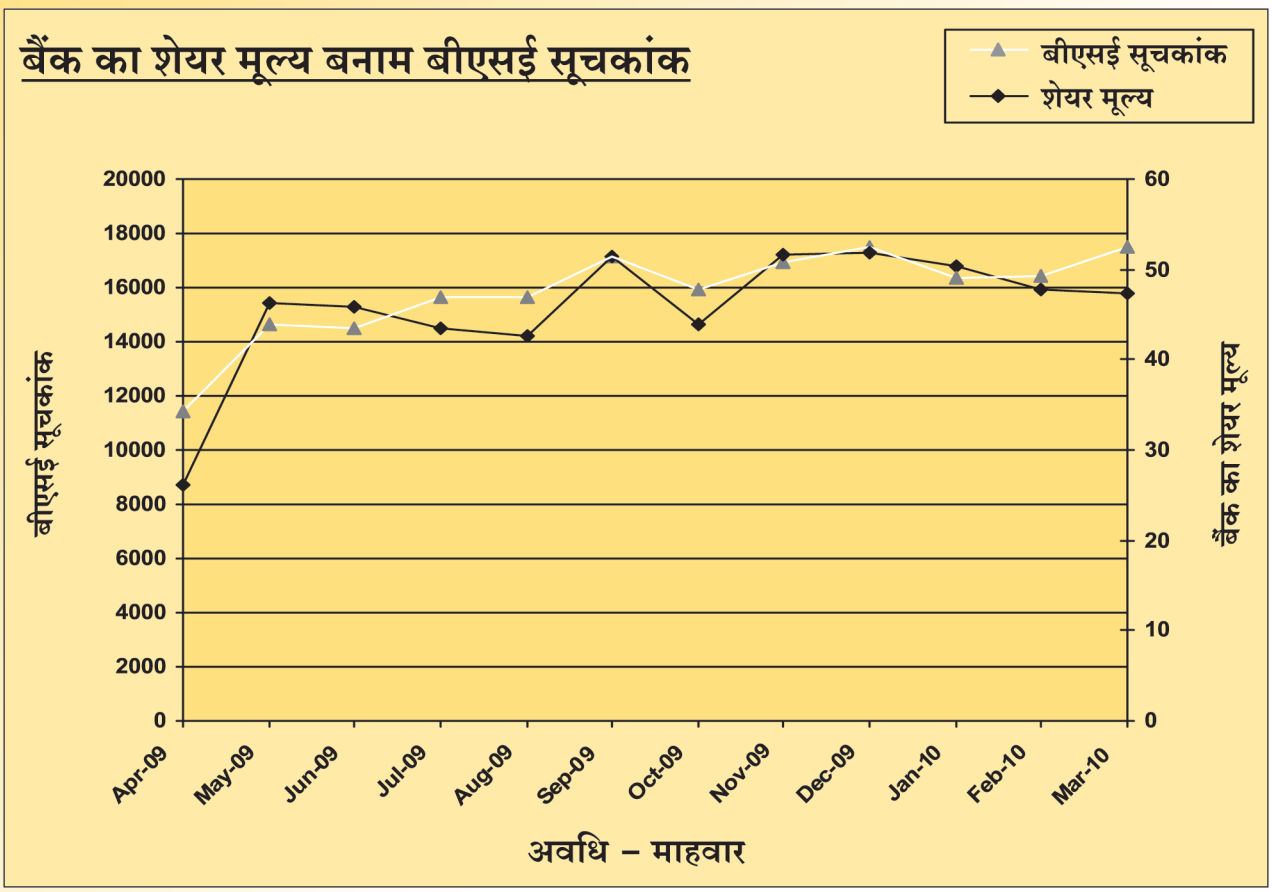

10.6 31.03.2010 को विजया बैंक के शेयरधारण का मूल्य–वार वितरण

अधिकृत मूल्य के शेयर – रु.	शेयरधारक		शेयर	
	संख्या	प्रतिशत	रु.	प्रतिशत
2500 तक	2,11,054	72.71.	242989420	5.60
2501 से 5000	42,231	14.55	178984680	4.13
5001 से 10000	24982	8.60	219107110	5.05
10001 से 20000	7548	2.60	116860920	2.70
20001 से 30000	1553	0.54	39956770	0.92
30001 से 40000	849	0.29	31242210	0.72
40001 से 50000	532	0.19	25369530	0.59
50001 से 100000	787	0.27	58424510	1.35
100001 व उससे अधिक	730	0.25	3422242850	78.94
कुल	**290266**	**100**	**433,51,78,000**	**100.00**

आल्बर्ट तावरो
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

शुभलक्ष्मी पानसे
कार्यकारी निदेशक

जी.बी.सिंह
निदेशक

के.वेंकटप्पा
निदेशक

पी.शांताराम शेट्टी
निदेशक

रंजन शेट्टी
निदेशक

श्रीधर चेरुकूरी
निदेशक

अशोक कुमार शेट्टी
निदेशक

अशोक कुमार
निदेशक

निशांक कुमार जैन
निदेशक

एस.अनंतन
निदेशक

बी.इब्राहिम
निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 29.05.2010

कंपनी शासन के संबंध में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में :

विजया बैंक के सदस्य.

हमने, शेयर बाज़ार के साथ बैंक के सूचीकरण करारनामे के संबंधित खंड 49 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए, विजया बैंक द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है.

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन, प्रबंध वर्ग की जिम्मेदारी है. हमारा परीक्षण, कंपनी शासन की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन तक सीमित था. यह न तो लेखा परीक्षा है न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिव्यक्त राय.

हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय व सर्वोत्तम जानकारी में, बैंक ऊपर उल्लिखित सूचीकरण करारनामे में यथा निर्दिष्ट कंपनी शासन की शर्तों का पालन किया है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लघन नहीं हुआ है.

हमें यह उल्लेख करना होगा कि शेयरधारकों और निवेशकर्ता शिकायत समिति द्वारा रखे गए और बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा यथा प्रमाणित, अभिलेखों के अनुसार बैंक के खिलाफ निवेशकर्ता की, अधिकतम एक महीने से अधिक कोई शिकायत लंबित नहीं है.

आगे हम उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन, बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में न कोई आश्वासन है न ही बैंक का कामकाज चलाने में प्रबंध वर्ग की दक्षता अथवा क्षमता का संकेत है.

मेसर्स वी.खन्ना एण्ड कं
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000200 सी

(वी.के.खन्ना)
साझेदार
सदस्यता सं.008276

मेसर्स एम. थामस एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.004408 एस

(मुरली रमणन)
साझेदार
सदस्यता सं. 080972

मेसर्स शिरोमणि त्यागी एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.006117 एन

(प्रदीप त्यागी)
साझेदार
सदस्यता सं. 084840

मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.002736 एन

(आर.एस.बंसल)
साझेदार
सदस्यता सं. 013000

मेसर्स एम.पी.चिताले एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू

(उल्हास चिटाले)
साझेदार
सदस्यता सं. 032292

मेसर्स पी.चंद्रशेखार
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं.000580 एस

(लक्ष्मी सी.)
साझेदार
सदस्यता सं.028508

Place : बेंगलूर
Date : 29.05.2010

अनुसूची-17
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2009-10

1. लेखा परिपाटी :

अन्यथा उल्लिखित बातों को छोडकर, वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के साथ पठित लागू लेखा मानक के अनुकूल है तथा सांविधिक प्रावधानों तथा भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित व्यवहार के अनुरूप है.

सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुकूल वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए प्रबंधन को रिपोर्ट की गयी आस्तियों की राशि, देयताएं, राजस्व, वित्तीय विवरणियों में व्यय तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन को प्रभावित करनेवाले अनुमान तथा आकलन करना जरूरी है. प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरणियों की तैयारी में प्रयुक्त आकलन विवेकशील तथा उचित है. लेखा आकलन में किसी भी संशोधन को वर्तमान तथा भविष्य के लिए अभिज्ञप्त किया जाता है.

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

(I) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से भिन्न लेन-देन

(क) दोनों आस्तियों या देयताओं के अंतर्गत भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ विदेशी मुद्रा शेषराशि का बकाया तथा वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्यांकन वर्षांत दरों से (एफईडीएआई) द्वारा निर्दष्टानुसार किया गया है. परिणामी लाभ/हानि को आय/हानि के रूप में दर्शाया गया है.

(ख) आय और व्यय मदों को, लेन-देन की तारीखों को विद्यमान विनिमय दरों के अनुसार रखा गया है.

(ग) विदेशी मुद्राओं में जारी गारंटियों और साख पत्रों सहित स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं के निमित्त प्रासंगिक देयतओं का, जिन्हें तुलन-पत्र में दर्शाया गया है, वर्षांत में विद्यमान एफईडीएआई अधिसूचित विनिमय दरों से मूल्यांकन किया गया है.

(II) एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों से संबंधित लेन-देन :

उचित ब्याज सहित एफसीएनआर/ईईएफसी/आरएफसी खातों में विदेशी मुद्रा जमाराशियों को तथा तदनुरूपी आस्तियों को बाज़ार से जुडी हुई काल्पनिक दरों के अनुरूप रखा गया है,जिनकी आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. वर्षांत में आस्ति व देयताओं को एफडीएआई द्वारा निर्धारित भाव पर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है. लाभ व हानि विवरणी में परिणामी अंतर को आय/हानि माना जाता है.

3. विनिधान

(I) विनिधान को निम्न छह समूहों में वर्गीकृत कर तुलन-पत्र में दर्शाया गया है :

(क) सरकारी प्रतिभूतियां
(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
(ग) शेयर
(घ) डिबेंचर और बांड
(ड) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों/एसोसिएट्स में विनिधान
(च) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड की यूनिटें नाबार्ड-आरआईडीएफ, अधिमान उद्यम के लिए शेयर, उद्यम पूंजी निधि आदि)

(II) बैंक के विनिधान संविभाग का निम्न तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(क) परिपक्व होने तक रखे गए
(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध
(ग) व्यापार के लिए रखे गए

बैंक, अभिग्रहण के समय प्रत्येक की श्रेणी निश्चित कर और उसका तदनुसार वर्गीकरण करता है. अंतरण के दिनांक को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाज़ार मूल्य की निम्नतम दर पर एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रतिभूतियों का अंतर किया जाता है. ऐसे अंतरणों पर यदि कोई मूल्यह्रास हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाता है एवं प्रतिभूति के बही मूल्य पर इसे बदल दिया जाता है.

(III) मूल्यांकन

(क) परिपक्व होने तक रखे गए

(i) इस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत विनिधानों का मूल्यांकन वर्षांत में अभिग्रहण लागत पर किया गया है परंतु जहां अभिग्रहण लागत अंकित मूल्य से अधिक हो वहां प्रीमियम को स्थिर लाभ प्रणाली के अनुसार अमूर्त किया जाता है.

(ii) अनुषंगी संस्थाओं/संयुक्त उपक्रमों में विनिधान के मामले में, मूल्य में कोई ह्रास होने पर अस्थाई से भिन्न विनिधान को पहचाना गया है और अलग-अलग रूप से प्रत्येक विनिधान के लिए प्रावधान किया गया है. आरआरबी में विनिधान का मूल्यांकन ढुलाई लागत पर किया गया है.

(iii) इस श्रेणी में विनिधान के बिक्री पर अर्जित लाभ को पहले लाभ-हानि लेखा में लिया गया है और तदनंतर 'पूंजीगत आरक्षिति खाते' में विनियोजित किया गया है.बिक्री पर हुई हानि को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है.

(ख) बिक्री के लिए उपलब्ध

(i) इस श्रेणी में प्रत्येक स्क्रिप का मूल्यांकन तुलन-पत्र की तारीख को, शेयर बाज़ार में किए व्यापार/निर्धारित भाव, एसजीएल खाते से संबंधित लेन-देन, भारतीय निश्चित आय मुद्रा बाज़ार और भारतीय प्राइमरी डीलर संघ (पीडीएआई) तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित कीमतों से उपलब्ध बाज़ार दरों से किया गया है. सूची से इतर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है.

(ii) ऊपर मद 3(I) में उल्लिखित प्रत्येक समूह के अंतर्गत निवल मूल्यह्रास को पहचाना गया है और पूर्ण रूप से उसके लिए प्रावधान किया गया है. प्रत्येक समूह के अंतर्गत निवल मूल्य वृद्धि की अवहेलना की गयी है. किसी एक समूह में प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित निवल मूल्यह्रास को किसी दूसरे समूह में निवल वृद्धि के कारण नहीं घटाया गया है.

(iii) प्रतिभूतियों का बही मूल्य, पुनर्मूल्यांकन के बाद बदला नहीं गया है. अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उनकी आवश्यकता रही हो.

(iv) इस श्रेणी में विनिधान की बिक्री पर लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

(ग) व्यापार के लिए रखे गए

(i) अलग-अलग स्क्रिप का मूल्यांकन किया गया है और मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो उसको नज़रअंदाज़ किया गया है तथा मूल्यह्रास को लाभ-हानि खाते में दर्शाया गया है. मूल्यांकन के लिए, तुलन-पत्र की तारीख को, शेयर बाज़ार में किए व्यापार/निर्धारित भाव, एसजीएल, खाते से संबंधित लेन-देन, भारतीय निश्चित आय मुद्रा बाज़ार और भारतीय प्राइमरी डीलर संघ (पीडीएआई) तथा भारतीय व्युत्पन्न संघ (एफआईएमएमडीए) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित कीमतों से उपलब्ध बाज़ार दर अपनाई गई हैं. सूची से इतर प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया है.

(ii) अलग-अलग स्क्रिप का बही मूल्य प्रत्येक पुनर्मूल्यांकन के बाद जहां कहीं मूल्यह्रास किया गया है वही बदला गया है. अन्यथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार उनकी आवश्यकता रही हो.

(iii) इस श्रेणी में विनिधान की बिक्री पर लाभ अथवा हानि को लाभ-हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है.

IV. विवेकपूर्ण मानदंड

(क) (i) केंद्र सरकार की गारंटी सहित प्रतिभूतियों को मूल धन/ब्याज भुगतानों की बकाया राशि पर ध्यान न देते हुए निष्पादक निवेश माने जाते हैं. तथापि, यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है तो उसे केवल नकदी आधार पर आय के रूप में पहचाना जाएगा.

(ii) प्रतिभूतियां जो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत हैं, जहाँ मूलधन/ब्याज देय है परन्तु 31.03.2010 को 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मदों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है. आगे, राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी गई प्रतिभूतियों के लिए जहाँ मूलधन/ब्याज देय है लेकिन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए प्रदत्त नहीं है, ब्याज को केवल नकद आधार पर पहचाना जाता है.

(ख) प्रतिभूतियां जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अधिमान्य शेयरों द्वारा गारंटीकृत नहीं है : मूलधन/ब्याज/निर्धारित देय है परन्तु वर्ष के अंत में 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अदा नहीं किए गए हैं, मदों को अनुपयोज्य निवेश माने जाते हैं तथा भारतीय रिज़र्व बैंक मार्गनिर्देशानुसार प्रावधान किया गया है.

(ग) डिबेंचरों/बांडों के मामले में जब मूलधन/ब्याज बकाया है, अग्रिमों के मामले में प्रावधान किया गया है.

(घ) यदि जारीकर्ता द्वारा बैंक से प्राप्त की गई कोई भी ऋण सुविधा गैर निष्पादक बने तो उनके द्वारा किसी प्रतिभूति से किए गए निवेश को अनुपयोज्य निवेश माना जाता है.

(ड.) अनुपयोजय निवेशों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान अपेक्षा अन्य निष्पादक निवेशों के मामले में वृद्धि के प्रति समायोजित नहीं किया गया है.

(च) बैंक के संविभाग में ईक्विटी शेयर को आवधिक आधार पर विपणन के लिए अंकित किया गया है. ईक्विटी शेयर जिनके लिए वर्तमान भाव दर उपलब्ध नहीं है या जहां शेयर बाजार के अनुरूप भाव दर नहीं दिए जाते हैं को विश्लेषित मूल्य (पूनर्मूल्यांकन आरक्षिति, यदि कोई, पर विचार किए बिना) पर मूल्यांकित किया जाता है जो कि कंपनी के अद्यतन तुलन पत्र से निश्चित किया जाता है (मूल्यांकन तारीख से एक वर्ष से पूर्व नहीं हो). यदि अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न हो तो शेयरों को रु.1 प्रति कंपनी के दर से मूल्यांकित किया जाता है.

(छ) ईक्विटी शेयरों के मामले में यदि भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार भावदर या अद्यतन पत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी का शेयरों में निवेश के रु.1 की कीमत मानी जाती है तो उन ईक्विटी शेयरों को भी अनुपयोज्य निवेश माना जाएगा.

4. व्युत्पन्न से संबंधित लेनदेन

व्युत्पन्न करारों को प्रतिरक्षा और व्यापार के रूप में नामोद्दिष्ट कर निम्नानुसार लेखाबद्ध किया गया है:

क. **प्रतिरक्षा विनिमय**: बाजार मूल्य या कम लागत पर या वित्तीय विवरण बाजार मूल्य पर धारित आस्ति या देयता से संबंधित विनिमय को छोडकर, ब्याज युक्त आस्ति व देयताओं की प्रतिरक्षा हेतु ब्याजदर विनिमय को प्रोद्भवित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है. ऐसी स्थिति में विनिमय बाज़ार को अंकित किया गया है एवं परिणामी लाभ व हानि का नामोद्दिष्ट आस्ति या देयता को बाजार मूल्य के समायोजन के रूप में अभिलिखित किया गया है.

समाप्त की गई विनिमय के मामले में, लाभ व हानि को आस्थगित कर, विनिमय की शेष संविदागत अवधि या आस्ति/देयता की अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार माना गया है.

ख. **प्रतिरक्षा मदों को पुनर्नामित करना :** यदि प्रतिरक्षा मदों को एक आस्ति/ देयता मद से दूसरे आस्ति/देयता मद के रूप में पुनर्नामोद्दिष्ट किया जाता है तो, उक्त कार्य को एक प्रतिरक्षा की समाप्ति एवं दूसरे का उपार्जन के रूप में लेखाबद्ध किया जाएगा. पुनर्नामोद्दिष्ट किए जाने की तारीख को विनिमय बाज़ार को अंकित किया जाता है और विनिमय की शेष अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार बाजार मूल्य के बही में अंकित करने के मूल्य परिशोधित किया जाता है. बाजार मूल्य को बही में अंकित करने के प्रति संतुलन समायोजन को नए रूप से नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की प्रतिरक्षा पर प्राप्त या प्रदत्त प्रीमियम के रूप में माना जाएगा और पुनर्नामोद्दिष्ट आस्ति/देयता की अवधि या विनिमय की शेष अवधि, जो भी कम हो, के अनुसार इनका परिशोधन किया जाएगा.

ग. **व्यापारी विनिमय** : व्यापारी विनिमय के संबंध में बाज़ार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और परिणामी लाभ या हानि को आय विवरण में अभिलेखित किया जाता है. विनिमय की समाप्ति पर प्राप्त लाभ या हानि को तात्कालिक आय या व्यय के रूप में अभिलिखित किया जाता है.

5. अचल आस्तियां/मूल्यह्रास

(I) अचल आस्तियां

(क) बैंक परिसर में शामिल है, पूर्ण स्वमित्ववाली संपत्ति और पट्टा-धृति संपत्ति, खरीदी गई और आबंटित भूमि और भवनों का, करारनामों/आबंटित पत्रों और वास्तविक कब्जों के आधार पर पंजीकरण किया गया है. अन्य अचल आस्तियों को उनके इस्तेमाल की तारीख से पूंजीकृत किया जाता है. मूल्यांकित परिसर और अन्य अचल आस्तियों को छोडकर परिसर और दूसरे अन्य अचल आस्तियों को उनकी ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया गया है. ऐसी अचल आस्तियों को पुनर्मूल्यांकित रकम के आधार पर दर्शाया गया है.

(ख) पट्टे पर /किराए पर ली गई संपत्ति के संबंध में पूंजीगत आस्तियों के अभिग्रहण के लिए किए गए अग्रिम भुगतान को 'अन्य आस्तियों' के अंतर्गत रखा गया है.

(II) मूल्यह्रास

(क) कुछ संपत्तियों की सम्मिश्र लागत सहित जहां भूमि लागत का पृथककरण करना संभव नहीं है, कंप्यूटरों से भिन्न अचल आस्तियों का 'आय कर नियमों' के अंतर्गत ह्रासमान संतुलन पद्धति के आधार पर निर्धारित दर से मूल्यह्रास किया गया है. कंप्यूटरों का मूल्यह्रास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर 33.33% प्र.व. की दर से किया गया है. चालू वर्ष में अमूर्त आस्तियों के रूप में माने गए अन्य सॉफटवेयर खर्चों को 100% पर परिशोधित किया गया है. वित्तीय वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में किए गए जोड पर मूल्यह्रास, निर्धारित मूल्यह्रास दर के 100% की दर से किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिन व उससे अधिक दिनों के लिए उपयोग किया गया हो और निर्धारित मूल्यह्रास दर के 50% की दर से उपयोग किया गया है बशर्ते कि वर्ष के दौरान आस्तियों का 180 दिनों से कम समय तक उपयोग किया गया हो. बिक्री/निपटान वर्ष में कोई मूल्यह्रास नहीं किया गया है.

(ख) परिसरों के संबंध में पुनर्मूल्यांकित राशि पर वृद्धिशील मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते से समायोजित किया गया है.

6. पट्टे पर दी गई आस्तियां :

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के मार्गनिर्देश तथा संबद्ध अवधि के लिए लागू लेखाकरण मानक 19 के अनुसार लेखाकरण किया गया है. गैर- निष्पादक आस्तियों के संबंध में प्रावधान करते समय अग्रिमों के लिए भारतीय रिज़व बैंक द्वारा निर्धारित आस्तियों के वर्गीकरण से संबंधित मानदंड अपनाए गए हैं.

7. गैर-बैंकिंग आस्तियां :

गैर बैंकिंग आस्तियों को उनकी लागत पर दर्शाया गया है.

8. अग्रिम:

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, अग्रिमों का वर्गीकरण अब तक की गयी वसूलियों को ध्यान में रखते हुए मानक, अवमानक, संदिग्ध

तथा हानिपरक आस्तियों के रूप में किया जाता है. गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार किया जाता है.

(क) भारतीय रिजव बैंक के मार्गनिर्देशानुसार, मूल धनराशि/ब्याज की वसूली के आधार पर अग्रिमों का 'निष्पादक', "अनर्जक' आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है तथा अग्रिमों को 90 दिनों के बकाया रकम अदा करने संबंधी मानदण्डों सहित"अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण किया गया है. राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के संबंध में खातों का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने के मामले में गारंटी लागू करने की अपेक्षा को पृथक कर दिया गया है. अनर्जक आस्तियों को प्रावधान की संगणना करने के लिए अवमानक संदिग्ध और हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

तुलन-पत्र में दर्शाए गए अग्रिम, (अस्थायी प्रावधानों सहित) अनर्जक अग्रिमों, उचंत ब्याज तथा प्राप्त ईसीजीसी/डीआईसीजीसी, दावों के संबंध में निवल प्रावधान है.

(ख) अग्रिमों में पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) में बैंक की सहभागिता/योगदान तथा/या अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के ऋण आस्तियों के आस्ति समर्थित समनुदेशन जहां बैंक ने जोखिम सहभागी आधार पर कार्य किया है.

(ग) पूर्व वर्षों में बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति की गयी वसूली को लाभ व हानि खाते में डाला जाता है.

(घ) उधारकर्ता के वर्तमान स्तर के अनुरूप निष्पादक आस्ति के रूप में अब तक अपेक्षित नहीं समझे गए लाभ-हानि खाते में किए गए प्रावधान बट्टे खाते से वापस लाभ-हानि खाते में डाले जाते हैं.

(ङ) मानक अग्रिमों पर प्रावधान को "अन्य देयताएं और प्रावधान" के अंतर्गत दर्शाया गया है.

(च) अग्रिमों पर प्रावधान, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार किया गया है :

1. **मानक आस्तियां** : वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को मानक अग्रिम का 1% प्रत्यक्ष कृषि और लघु व मझौले उद्यम क्षेत्र के अधीन बकाया निष्पादक अग्रिमों का 0.25% तथा अन्य सभी बकाया निष्पादक अग्रिमों पर 0.40%.

2. **अवमानक आस्तियां** : बकाया अग्रिमों के 10% की दर से यद्यपि, अवमानक आस्तियों के मामले में, जिसे प्रारंभ से "अप्रतिभूत निवेश" के रूप में पहचाना गया है के लिए बकाया शेष के 20% का प्रावधान रखा गया है.

3. **संदिग्ध आस्तियां** : जितनी अवधि के लिए आस्तियां संदिग्ध रही हों उसके आधार पर प्रतिभूत अंश के 20% से 100% तक और डीआईसीजीसी योजना के संबंध में वसूल की गयी राशि का और ईसीजीसी योजना के अंतर्गत रक्षित वसूल की गई/करने योग्य गारंटी का निवल निकालने के बाद बकाया शेष राशि के गैर-जमानती अंश का 100%.

4. **हानिपरक आस्तियां** : बकाया अग्रिमों का 100%.

(छ) <u>पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खाते</u> :

पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित खातों के संबंध में दि.27.08.2008 के परिपत्र तथा दि.07.07.2009 के मास्टर परिपत्र के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अग्रिमों की पुनर्संरचना के सामान्य ढांचे के अनुसार पुनर्संरचित मूल्य के उचित मूल्य में ह्रास को दूर करने के लिए प्रावधान किए गए हैं.

अग्रिमों के उचित मूल्य में ह्रास का परिकलन पुनर्संरचना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर से किया जाता है.

पुनर्संरचना से पूर्व ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संरचना से पूर्व अग्रिम पर प्रभारित वर्तमान दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर के सम दर पर बट्टागत तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है.

पुनर्संरचना के बाद ऋण के उचित मूल्य का परिकलन पुनर्संरचना पर अग्रिम पर प्रभारित दर पर ब्याज प्रतिफलित करनेवाले नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य तथा मूलधन, पुनर्संरचना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर के सम दर पर बट्टागत तथा पुनर्संरचना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित सावधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम से किया जाता है.

पुनर्संरचित खातों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार विशेष वितरण, जहां कहीं भी अनुमत है, सहित किया गया है.

9. राजस्व निर्धारण:

नीचे उल्लिखित मामलों को छोडकर आय/व्यय को उपचित आधार पर लेखा बद्ध किया गया है :

(क) अनर्जक आस्तियों के मामले में, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार नकदी आधार पर आय का निर्धारण किया गया है. जहां अगर नियमन के रूप में एनपीए खातों की श्रेणी बढाने के लिए वसूली पर्याप्त न हो वहां ऐसी वसूली का सबसे पहले मूल धनराशि /बही शेषराशि के प्रति और बाद में ब्याज संबंधी

देयताओं के प्रति विनियोग किया गया है. अनर्जक विनिधान के संबंध में जब तक अन्यथा सहमति प्राप्त न की जाती तब तक उपर्युक्त लेखाकरण प्रणाली अपनायी जाती है.

(ख) केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों के मामले में, आय को नकदी आधार पर पहचाना जाएगा यदि ब्याज 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए वसूल नहीं किया जाता है.

(ग) म्यूउचल फंड यूनिटों,बीमा एवं निक्षेपागार सहभागी कारोबार पर कमीशन, व्यापारी बैंकिंग लेनदेन, सामान्य बीमा करोबार, मुद्रा अंतरण सेवाएं, म्यूचुअल फंड उत्पादों की बिक्री, लॉकर किराया, सरकारी करोबार पर कमीशन आदि से प्राप्त आय को नकद/वसूली आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है.

(घ) गैर–निधि आधारित कारोबार से अर्जित कमीशन अर्थात साख पत्र तथा बैंक गारंटियों का परिकलन नकद आधार पर किया जाता है.

(ङ) प्रतिभूतियों पर देय परंतु 90 दिनों के बाद भी अदत्त ब्याज का, भा.रि.बैंक के मार्गनिर्देश के अनुसार वसूली आधार पर निर्धारण किया गया है.

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक से जारी संशोधित दिशानिर्देशों के क्रम में परिपक्व मीयादी जमाओं तथा अपरिचालित बचत जमाराशिओं पर बचत बैंक जमाराशि ब्याज दर का प्रावधान किया गया है.

(छ) विवादाधीन/समझौते के अधीन कर्मचारियों संबंधी मामलों के संबंध में किए गए दावों के कारण उत्पन्न खर्च को अंतिम समझौता/निर्धारण वर्ष के दौरान लेखाबद्ध किया गया है.

(ज) मुकदमा दायर खातों के मामलों में विधि प्रभार लाभ हानि खाते में डाला जाता है. इसी प्रकार ऐसे मुकदमा दायर खातों के मामलों में वसूला गया विधिक व्यय को आय के रूप में लिया जाता है एवं राशि को प्रत्यावर्तित किया जाता है.

(झ) वी आवास ऋणों के संबंध में बैंक द्वारा ली गई बीमा पालिसियों पर प्रीमयम को भुगतान वर्ष में ही प्रभारित किया गया है.

10. निवल लाभ

निवल लाभ निर्धारित करने से पहले निम्नलिखित किए गए:

(क) सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार आय कर और धन कर के लिए प्रावधान

(ख) अग्रिम/विनिधान के लिए प्रावधान

(ग) विनिधान के मूल्य में समायोजन

(घ) प्रावधान और आकस्मिक व्यय में अंतरण

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदण्डों के अनुसार छ: माह से अधिक अवधि के लिए असमायोजित अंतर शाखा लेखों के लिए प्रावधान

(च) अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान

11. कर्मचारी संबंधी लाभ :

(क) जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना चुनी है, उनके संबंध में बैंक द्वारा भविष्य निधि को मान्यता देने हेतु निर्धारित यथानुपात अंशदान किया जाता है. दूसरों के मामले में, जिन्होंने पेंशन योजना अपनाई है उनके मामले में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) के अनुसार, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पेंशन निधि में अंशदान किया जाता है.

(ख) उपदान निधि में अंशदान, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है.

(ग) छुट्टी नकदीकरण, साधिकार छुट्टी तथा बीमारी छुट्टी के प्रति देयता भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 15 (संशोधित)बीमांकिक मूल्यांकन के आधार प्रदान किया जाता है.

12. कराधान के लिए प्रावधान :

कर व्यय में वर्तमान एवं आस्थगित कर शामिल है. वर्तमान आय कर का परिकलन आय कर अधिनियम 1961 के अनुसार कर प्राधिकारियों को भुगतान की जानेवाली अपेक्षित राशि से किया जाता है. आस्थगित आय कर में वर्ष के लिए कर योग्य आय तथा लेखांकन आय के बीच के समय वर्तमान वर्ष के समय अंतराल का प्रभाव तथा पूर्व वर्षों के समय अंतराल का प्रत्यावर्तन प्रतिफलित करता है. आस्थगित कर का परिकलन तुलन पत्र तारीख को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों तथा कर कानून के आधार पर किया जाता है.

13. खंड रिपोर्टिंग :

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशानुसार बैंक ने निम्नानुसार खंड रिपोर्टिंग शुरू की है.

1. **खजाना :** जिसमें सभी निवेश संविभाग, निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि, विदेशी विनिमय लेनदेनों पर लाभ/हानि, ईक्विटी, व्युत्पन्न तथा मुद्रा बाजार परिचालनों से आय शामिल है. इस खंड के व्यय में बाह्य स्रोतों व आंतरिक स्रोतों से उधार में लिए गए निधि पर ब्याज व्यय तथा परिपक्व होने तक धारित निवेश श्रेणी पर मूल्यह्रास/प्रीमियम का परिशोधन शामिल है.

2. **कॉर्पोरेट/थोक बैंकिंग** में कॉर्पोरेट ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.

3. **खुदरा बैंकिंग** में खुदरे ग्राहकों से उधार तथा जमाराशि तथा खंड के अभिज्ञप्त अर्जन तथा व्यय शामिल है.

4. **अन्य बैंकिंग परिचालन** में खजाना, थोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग के अधीन शामिल नहीं किए गए अन्य सभी परिचालन शामिल है.

14. प्रति शेयर अर्जन :

प्रति शेयर अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयर धारकों के लिए निर्धारित अवधि के लिए निवल लाभ या हानि (देने योग्य कर की कटौती के बाद) का अवधि के दौरान बकाया ईक्विटी शेयर के भारित औसत संख्या से विभाजित करते हुए किया जाता है. प्रति ईक्विटी शेयर कम हुए अर्जन का परिकलन ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या तथा वर्षांत में बकाया कम होने वाले संभावित ईक्विटी शेयर से किया जाता है.

15. आकस्मिक देयताएं तथा प्रावधान :

पूर्व घटना के फलस्वरूप हुए दायित्व के कारण प्रावधान को अभिज्ञप्त किया जाता है. यह एक संभावना है कि दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के बाह्य प्रवाह की आवश्यकता है जिसके लिए विश्वस्त अनुमान लगाया जा सकता है. प्रावधानों का वर्तमान मूल्य से बट्टागत नहीं किया जाता है तथा तुलन पत्र तारीख को दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित सर्वोत्कृष्ट अनुमान के आधार पर परिकलन किया जाता है. प्रत्येक तुलन पत्र तारीख को इनकी समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्कृष्ट अनुमान प्रतिफलित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है.

16. अन्य :

नकद प्रवाह विवरणी में नकद तथा नकदी समतुल्य राशि में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे गए तथा शेषराशि (अनूसची-6) तथा बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि (अनूसची-7) शामिल है.

17. बैंक ने विनियामक परिवर्तन सहित, यदि कोई है, के अधीन पिछले वर्षों के समान लेखांकन नीति का पालन किया है.

आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**शुभलक्ष्मी पानसे** कार्यकारी निदेशक	**के. वेंकटप्पा** निदेशक	**निशांक के. जेन** निदेशक
एस.अनंतन निदेशक	**अशोक कुमार शेट्टी** निदेशक	**अशोक कुमार** निदेशक	**पी. शांताराम शेट्टी** निदेशक
रंजन शेट्टी निदेशक	**बी. इब्राहिम** निदेशक	**के.जयकर शेट्टी** महा प्रबंधक	

हमारे समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स वी.खान्ना एण्ड कं सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000200 सी	**मेसर्स एम. थामस एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004408 एस	**मेसर्स शिरोमणि त्यागी एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.006117 एन
(वी.के.खन्ना) साझेदार सदस्यता सं.008276	**(मुरली रमणन)** साझेदार सदस्यता सं. 080972	**(प्रदीप त्यागी)** साझेदार सदस्यता सं. 084840
मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	**मेसर्स एम.पी.चिताले एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	**मेसर्स पी.चंद्रशेखार** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस
(आर.एस.बंसल) साझेदार सदस्यता सं. 013000	**(उल्हास चिटाले)** साझेदार सदस्यता सं. 032292	**(लक्ष्मी सी.)** साझेदार सदस्यता सं.028508

Place : बेंगलूर
Date : 30.04.2010

अनुसूची – 18 : लेखों पर टिप्पणियां

1. अंतर शाखा और अन्य लेखों में 31.03.2010 को बकाया प्रविष्टियों का समाधान कर दिया गया है. विदेशी बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक सहित अंतर शाखा और अंतर बैंक लेखों, ड्राफ्ट लेखों, उचंत लेखों, शाखा समायोजन लेखों,समाशोधन लेन–देन,निधि अंतरण, तार अंतरण, प्रदत्त/प्रदेय लाभांश/ब्याज भुगतान आदेशों से संबंधित शेषराशियों,लेखों आस्तियों के अर्जन हेतु प्रदत्त अग्रिमों आदि में बकाया प्रविष्टियों को हटाने का कार्य 31.12.2009 तक समाप्त हो चुका है तथा शेष अवधि के लिए प्रक्रिया जारी है. बैंक की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर ऊपर उल्लिखित बातों का परिणामी प्रभाव, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा.
2. बैंक द्वारा खरीदे गए कुछ परिसरों के संबंध में जिनकी लागत 10.60 करोड रु. है (पिछले वर्ष 11.65 करोड रुपए) विविध विवाद या अन्य औपचारिकताओं के लंबित होते हुए प्रलेखन/पंजीकरण संबंधी औपचारिकताएं अभी पूरी की जानी है.
3. उन शाखाओं के संबंध में जिनकी लेखा परीक्षा नहीं हुई है, संबद्ध शाखाओं द्वारा पेश की गई विवरणियों/अग्रिमों का वर्गीकरण अपनाया गया है.
4. ईसीजीसीआई लि. के पास लंबित तथा विचारार्थ प्रेषित रु.4.14 करोड के दावे भी (पिछले वर्ष रु.5.36 करोड), प्रावधान का परिकलन करने की दृष्टि से वसूली योग्य समझे गए हैं.
5. बैंक के पक्ष में निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद कर देयताओं के संबंध में प्रबंधन द्वारा कोई भी प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है. आगे, प्राप्त विधिक मत के आधार पर आयकर अधिनियम के अधीन कुछ दावों के संबंध में कर प्रावधानों का परिकलन करते समय कुछ कटौतियों पर विचार किया गया है.
6. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गेनर्देशों के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए जाते हैं :

i) पूंजी **(रु. करोडों में)**

क्रम सं.	मद	31.03.2010	31.03.2009
1.	सीआरएआर (%)		
	बेसल I	11.79	13.08
	बेसल II	12.50	13.15
2.	सीआरएआर – टियर I पूंजी (%)		
	बेसल I	7.28	7.71
	बेसल II	7.69	7.74
3.	सीआरएआर –टियर II पूंजी (%)		
	बेसल I	4.51	5.37
	बेसल II	4.81	5.41
4.	भारत सरकार के शेयर धारण का प्रतिशत	53.87	53.87
5.	टियर II पूंजी के रूप में जमा की गयी गौण ऋण की राशि (रु. करोडों में)	-	-
6.	वर्ष के दौरान टियर I पूंजी के रूप में जुटाए गए शाश्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस) की राशि (रु. करोडों में)	-	500.00

ii) निवेश (रु. करोडों में)

क्रम सं.	मद	31.03.2010	31.03.2009
1.	निवेश का मूल्य		
	निवेश का सकल मूल्य		
	भारत में	21326.34	17844.38
	भारत के बाहर	-	-
	मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान		
	भारत में	218.89	456.68
	भारत के बाहर	-	-
	निवेश का निवल मूल्य		
	भारत में	21107.45	17387.70
	भारत के बाहर	-	-
2.	निवेश पर मूल्यह्रास के प्रति धारित प्रावधानों का उतार–चढाव		
	अथशेष	437.43	346.74
	जोडें : i) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	-	90.69
	ii) निवेशों के शिफ्टिंग में कमी	56.21	145.53
		493.64	582.96
	घटाएं : अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना	294.00	145.53
	इति शेष	199.64	437.43

iii) पुन: खरीद लेनदनों के ब्यौरे (एलएएफ रिपो के अधीन भा.रि.बैंक से प्राप्त सहित) निम्नानुसार है : (रु. करोडों में)

ब्यौरे	वर्ष के दौरान बकाया			31 मार्च 2010 को
	न्यूनतम	अधिकतम	दैनिक औसत	
पुन: खरीद के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां	0.00	187.21	7.99	0.00
पुन: खरीद के विपरीत के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां	0.00	2 400.00	517.71	0.00

iv) गैर एसएलआर निवेशों का जारीकर्ता संरचना (रु. करोडों में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	असार्वजनिक नियोजन की सीमा	निवेश श्रेणी से निम्न प्रतिभूतियोंकी सीमा	"श्रेणी रहित" प्रतिभूतियों की सीमा	" सूची रहित " प्रतिभूतियों की सीमा
01	पीएसयू	308.76	234.60		20.92	10.72
02	वित्तीय संस्थाएँ	2044.36	1890.25	52.80	1895.38	1895.55
03	बैंक	221.81	102.05		20.00	
04	निजी कंपनी	783.77	564.32	27.10	76.40	42.01
05	अनुषंगी/संयुक्त उपक्रम/सह संस्थाएं	10.38	10.38		10.38	10.38
06	अन्य	--	--	--	--	--
07	मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति धारित प्रावधान	163.44	XXX	XXX	XXX	XXX
	कुल	**3205.65**	**2801.16**	**79.90**	**2023.08**	**1958.66**

v) क) गैर निष्पादक गैर–एसएलआर निवेश (रु. करोडों में)

ब्यौरे	राशि
यथा दिनांक 01.04.2009 को अथशेष	21.33
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00
उपरोक्त अवधि के दौरान कटौती	0.00
यथा दिनांक 31.03.2010 को इतिशेष	21.33
कुल धारित प्रावधान	19.25

ख) गैर–निष्पादक विनिधान के लिए प्रावधान में उतार–चढाव (रु. करोडों में)

ब्यौरे	31.03.2010	31.03.2009
अथशेष	19.25	21.54
जोडें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00	0.06
घटाएँ : अधिक प्रावधान को बट्टे खाते डालना/पुनरांकन करना	0.00	2.35
इतिशेष	19.25	19.25

vi) व्युत्पन्न :

क) वायदा दर करार/ब्याज दर स्वैप (रु. करोडों में)

ब्यौरे		31.03.2010	31.03.2009
क.	स्वैप करार के आनुमानिक मूल धनराशि	1125.00	1925.00
ख.	इन करारों के अधीन यदि प्रतिपार्टियां अपनी दायित्वों को नहीं निभाते हैं तो होनेवाली हानि	11.99	47.32
ग.	स्वैप में प्रवेश करने के लिए बैंक को आवश्यक संपार्श्विक	--	--
घ.	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का केंद्रीकरण	--	--
ड.	स्वैप बही का उचित मूल्य	(64.43)	(85.17)

1) ब्याज दर स्वैप, आस्ति/देयताओं पर ब्याज दर जोखिम की रक्षा और व्यापार के उद्देश्य से की गयी थी.

2) स्वैप की शर्ते चल ब्याज दर की तुलना में निश्चित ब्याज दर तथा निश्चित ब्याज दर की तुलना में चल ब्याज दर प्राप्त करने के लिए है.

3) स्वैप के लिए प्रतिपक्षी पार्टी बैंक है और प्रत्येक बैंक की जोखिम निहित ऋण, अनुमोदित ऋण जोखिम सीमा के अंदर है.

4) एफआरए सौदे को ग्राहक के सौदे के साथ समर्थित किया जाता है, अर्थात् ग्राहक को बेचा जाता है और अंतर बैंक बाज़ार में उसे रक्षित किया जाता है.

ख) विनिमय से ब्याज दर व्युत्पन्न (रु. करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	राशि
01	वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न ब्याज दर (प्रपत्र-वार)	शून्य
02	31 मार्च 2010 को आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न किया ब्याज दर(प्रपत्र-वार)	शून्य
03	आनुमानिक मूल धनराशि के विनिमय से व्युत्पन्न किया ब्याज दर व 'अधिक प्रभावी' नहीं है (प्रपत्र-वार)	शून्य
04	विनिमय के बाज़ार मूल्य से व्युत्पन्न बकाया ब्याज दर व जो 'अधिक प्रभावी' नहीं है(प्रपत्र-वार)	शून्य

vii) व्युत्पन्न में जोखिम जानकारी पर प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और भा.रि. बैंक के मार्गेनिर्देशों के अनुरूप जोखिम प्रतिरक्षा, व्यापार तथा ग्राहक सेवा के लिए व्युत्पन्न लेनदेन करने के लिए एक व्यापक व्युत्पन्न नीति तैयार की है. नीति में व्युत्पन्न लेनदेन के लिए समुचित सीमा सहित प्रकार, दायरा और प्रयोग संबंधी दिशानिर्देश दिए गए हैं. परिचालनात्मक दक्षता और जोखिम संबंधी चूक को मद्दे नज़र रखते हुए व्युत्पन्न कार्य फ्रंट आफीस,मिड आफीस और बैक आफीस में वर्गीकृत किया गया है तथा प्रत्येक का संविभाग स्पष्ट निर्धारित है. नीति के अनुसार प्रभावी निष्पादन के लिए प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर निरंतर निगरानी रखी जाती हैऔर जोखिम कम करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं. व्युत्पन्न लेनदेनों पर एक नोट हर महीने निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है. आय के लेखाकरण और पहचान के लिए लेखाकरण नीति लागू है.

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण (रु. करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौर	मुद्रा व्युत्पन्न		ब्याज दर व्युत्पन्न	
		31.03.2010	31.03.2009	**31.03.2010**	31.03.2009
i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूल राशि)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए	-	-	775.00	1625.00
	ख) व्यापार के लिए	-	-	350.00	300.00
ii)	बाजार स्थिति में अंकित (1)				
	क) आस्ति (+)	-	-	11.99	47.32
	ख) देयता (-)	-	-	76.42	132.49
iii)	ऋण जोखिम (2)	-	-	22.99	75.07
iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन होने पर संभावित प्रभाव (100 * पीवी 01)		-		
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर	-	-	(75.87)	(134.12)
	ख) व्यापार व्युत्पन्न पर	-	-	(7.21)	(8.81)
v)	वर्ष के दौरान पायी गयी अधिकतम व न्यूनतम 100 * पीवी 01	-	-		
	क) प्रतिरक्षा पर - अधिकतम	-	-	(134.59)	(168.62)
	- न्यूनतम	-	-	(75.43)	(31.97)
	ख) व्यापार पर - अधिकतम	-	-	(10.36)	(9.63)
	- न्यूनतम	-	-	(7.21)	(5.76)

viii) आस्ति गुणवत्ता

क) गैर निषादक आस्ति (रु. करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010	31.03.2009
i)	निवल अग्रिमों के प्रति निवल गै.नि.आ. (%)	1.40	0.82
(ii)	गै.नि.आ. का अंतरण (सकल)		
	अथशेष	698.82	511.50
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1207.58	666.93
	वर्ष के दौरान हुई कमी	911.95	479.61
	इतिशेष	994.45	698.82
(iii)	निवल गै.नि.आ. में अंतरण		
	अथशेष	292.29	181.61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	289.54	110.68
	वर्ष के दौरान हुई कमी	0.00	-
	इतिशेष	581.83	292.29
(iv)	गै.नि.आ. के लिए प्रावधान का अंतरण (मानक आस्ति पर प्रावधान को छोडकर)		
	अथशेष	400.84	328.52
	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	475.15	134.24
	अधिक प्रावधानों को बट्टा खाता डालना/वापस लेना	467.59	61.92
	इतिशेष	408.40	400.84

ख) पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों के विवरण (रु. करोडों में)

क्रम सं.	ब्यौरे	31.03.2010	31.03.2009
क.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि,	1633.88	974.33
	उनमें से सीडीआर के अधीन	58.80	-
ख.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत के अधीन मानक आस्तियों की राशि,	1473.76	913.32
	उनमें से सीडीआर के अधीन	58.80	-
ग.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि,	100.81	60.36
	उनमें से सीडीआर के अधीन	-	-
घ.	पुनर्संरचना, पुनर्व्यवस्था, पुन:बातचीत के अधीन संदिग्ध आस्तियों की राशि *	59.31	0.65
	उनमें से सीडीआर के अधीन	-	-
	नोट: (क = ख + ग + घ)		
	* उपरोक्त में से आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान हानिपरक आस्तियों में चले गए खाते – रु.0.95 करोड		

एसएमई खातों के लिए ऋण पुनर्संरचना			
		31.03.2010	31.03.2009
क	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की आस्तियों की कुल राशि (ख + ग + घ)	220.63	113.49
ख	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की मानक आस्तियों की राशि	205.57	96.05
ग	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की अवमानक आस्तियों की राशि	12.51	17.31
घ	पुनर्संरचना के अधीन एसएमई की संदिग्ध आस्तियों की राशि *	2.55	0.13
* उपरोक्त में से आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान हानिपरक आस्तियों में चले गए खाते – रु.0.33 करोड			

ग) पुनर्संरचित खातों के विवरण (रु. करोडों में)

		सीडीआर संयंत्र	एसएमई ऋण पुनर्संरचना	अन्य
पुनर्संरचित मानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	9	2312	10349
	बकाया राशि	58.80	205.57	1209.39
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	5.01	0.59	7.14
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम	उधारकर्ताओं की सं.	-	1256	1946
	बकाया राशि	-	12.51	88.30
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	-	0.05	0.82
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम *	उधारकर्ताओं की सं.	-	188	166
	बकाया राशि	-	2.55	56.76
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	-	0.01	0.03
* उपरोक्त में से आईआरएसी मानदंडों के अनुसार वर्ष के दौरान हानिपरक आस्तियों में चले गए खाते, एमएसएमई – रु.0.33 करोड की बकाया राशि वाले 12 खाते, उचित मूल्य में ह्रास शून्य व अन्य – रु.0.62 करोड की बकाया राशि वाले 19 खाते, उचित मूल्य में ह्रास रु.0.01 करोड				
कुल	उधारकर्ताओं की सं.	**9**	**3756**	**12461**
	बकाया राशि	**58.80**	**220.63**	**1354.45**
	घाटा (उचित मूल्य में मूल्यह्रास)	**5.01**	**0.65**	**7.99**

घ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 अगस्त, 2008 के विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्पष्टीकरण/दिशानिर्देशों के अधीन पुनर्संरचित अग्रिमों के मामले में बैंक ने, अग्रिमों के उचित मूल्य पर मूल्यह्रास के लिए रु.289.97 लाख की राशि का प्रावधान किया है, बैंक की राय में इस प्रकार की संरचना, ऐसे पुनर्संरचित अग्रिमों पर ब्याज दर के उर्ध्वमुखी संशोधन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है. कथित परिपत्र में पुनर्संरचना के लिए निहित शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है.

ङ) आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गयी आस्तियों के विवरण (रु. करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
01	खातों की संख्या	2	-
02	प्र.कं./पु.कं. को बेचे गए खातों की कुल मूल्य (प्रावधानों का निवल)	4.67	-
03	कुल प्रतिफल	38.39	-
04	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	--	-
05	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि	33.72	-

च) **खरीदे/बेचे गए अनिष्पादक आस्तियों के विवरण**

i) खरीदे गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण (रु. करोडों में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1.(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
(ख) कुल बकाया	-	-
2.(क) इसमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खाते	-	-
(ख) कुल बकाया	-	-

ii) बिक्री किए गए अनिष्पादक वित्तीय आस्तियों के विवरण (रु. करोडों में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1. बिक्री किए गए खातों की संख्या	2	-
2. कुल बकाया	38.89	-
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	38.39	-

छ) **मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान** (रु. करोडों में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
मानक आस्तियों के प्रति प्रावधान	223.40	223.40
पुनर्संरचित खाते के प्रति प्रावधान – मानक	15.04	4.94
कुल	**238.44**	228.34

ज) **कारोबार अनुपात** (रु. करोडों में)

विवरण	31.03.2010	31.03.2009
कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	7.89%	8.88%
गैर–ब्याज आय कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप	1.03%	1.18%
परिचालनात्मक लाभ कार्यकारी निधि प्रतिशत के रूप	1.60%	1.52%
औसत आस्तियों पर प्राप्तियां	0.76%	0.59%
प्रति कर्मचारी औसत कारोबार (जमाराशियां + अग्रिम)	8.36	7.56
प्रति कर्मचारी निवल लाभ	0.045	0.023

ix) **आस्ति देयता प्रबंधन :** आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरुप : (रु. करोडों में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिनों से 3 महीने	3 महीनों से अधिक व 6 महीनों तक	6 महीनों से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	170.67	1153.36	2370.59	2626.72	7000.10	9890.18	17506.51	20127.39	791.02	295.20	**61931.74**
अग्रिम *	1079.22	182.19	230.99	394.68	1848.20	1754.13	2657.73	24601.02	3986.41	4787.16	**41521.73**
निवेश *	133.00	121.09	327.06	294.10	615.54	363.60	48.02	705.84	4135.50	14363.69	**21107.44**
उधार **	0.00	0.00	0.00	0.00	150.04	0.21	0.10	176.97	2.05	1507.99	**1837.36**
विदेशी मुद्रा अस्तियां	114.36	16.06	24.96	4.45	157.77	84.99	8.10	0.03	0.00	0.00	**410.72**
विदेशी मुद्रा देयताएं	99.74	1.99	3.22	27.33	38.63	87.54	93.50	51.55	7.22	0.00	**410.72**

आस्तियों और देयताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार वर्गीकृत किया गया है.

* आंकडे स्थूल रूप से निवल प्रावधान है.

** भारत में उधार

x) संवेदनशील क्षेत्र को उधार

क) स्थावर संपदा क्षेत्र को उधार (रु. करोडों में)

	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
1)	प्रत्यक्ष उधार		
	क. आवासी बंधक		
	(i) आवासीय संपदा पर बंधक के रूप में पूर्ण रूप से प्रतिभूत उधार जिसमें उधारकर्ता रहेगा या उसे किराए पर देगा	5700.57	4427.88
	(ii) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में शामिल किए जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवास ऋण (उपरोक्त में शामिल किए गए)	4318.42	3355.72
	ख. वाणिज्यिक संपदा		
	वाणिज्यिक संपदा पर बंधक के रूप में प्रतिभूत उधार (कार्यालय भवन, रिटेल स्पेस, बहु उद्देश्य वाणिज्यिक परिसर,बहु परिवार आवासीय भवन, बहु किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या भण्डार जगह, होटेल, भू-स्वाधीन, विकास तथा निर्माण आदि) जोखिम में गैर निधि आधारित सीमा भी शामिल होंगे.	4100.25	4199.04
	ग. बंधक के रूप में दी गयी प्रतिभूतियां तथा अन्य प्रतिभूत जोखिम में निवेश		
	(i) आवासीय	0.87	1.66
	(ii) वणिज्यिक संपदा	5.00	5.00
2)	अप्रत्यक्ष उधार		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवासीय वित्तीय कंपनी (एचएफसी) पर निधि आधारित गैर-निधि आधिारित उधार	469.99	192.94
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल जोखिम		10276.68	8826.52

ख) पूंजी बाज़ार को उधार (रु. करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2010	31.03.2009
(i)	ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उनमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट जिसकी मूल निधि का अनन्य रूप से कंपनी कर्ज में निवेश नहीं किया गया है.	333.17	344.22
(ii)	शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अग्रिम या निर्बंध आधार पर व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर व ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश करने के लिए अग्रिम.	0.16	0.02
(iii)	किसी भी अन्य कार्य के लिए अग्रिम जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	-	1.07
(iv)	किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए शेयर या परिवर्तनीय बाँड परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के जैसे संपार्श्विक प्रतिभूति से प्रतिभूत अग्रिम जहाँ शेयर/परिवर्तनीय बाँड/परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति से पूर्ण रूप से रक्षित नहीं है.	0.58	0.63
(v)	शेयर दलाल को प्रतिभूत व अप्रतिभूत अग्रिम एवं शेयर दलाल और शेयर संतुलनकर्ता की ओर से जारी गारंटी.	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने के उद्देश्य से नई कंपनियों के ईक्विटी में प्रवर्तक का अंशदान चुकाने के लिए निर्बंध आधार पर या शेयर/बांड/डिबेंचर के ज़मानत के प्रति कंपनियों को मंजूर ऋण.	-	-
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को तात्कालिक ऋण	-	-
(viii)	बैंकों द्वारा शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड यूनिटों के संबंध में ली गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं	-	-
(ix)	मार्जिन जमा व्यापार के लिए शेयर दलालों का वित्तपोषण.	-	-
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत व पंजीकृत न की गई दोनों) को किया गया सब प्रकार के निवेश को ईक्विटी के समतुल्य माना जाएगा और उसे (प्रत्यक्ष व परोक्ष) पूंजी बाज़ार निवेश सीमाओं के अनुपालन के लिए माना जाएगा.	-	12.50
	पूंजी बाज़ार को कुल निवेश	333.91	358.44

xi) जोखिम वर्ग–वार देश उधार (रु. करोडों में)

जोखिम का वर्ग	31.03.2010 को उधार (निवल)	31.03.2010 को धारित प्रावधान	31.03.2009 को उधार (निवल)	31.03.2009 को धारित प्रावधान
नगण्य	221.97	-	405.72	-
कम	156.14	-	262.42	-
मध्यम	6.63	-	9.90	-
बहुत	0.08	-	1.48	-
अत्यधिक	0.57	-	0.94	-
सीमित	--	-	-	-
ऋण से पृथक	--	-	-	-
कुल	385.39	-	680.46	-

प्रत्येक देश के साथ बैंक का विदेशी विनिमय लेन-देन के संबंध में दिए गए निवल निधिक उधार बैंक के कुल आस्तियों के 1% के अंदर हाने के कारण उसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 19.02.2003 के परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.71/21.04.103/2002-03 के साथ पढे दिनांक 17.06.2004 परिपत्र डीबीबोडी/बीसी.96/ 21.04.103/2003-04 के अनुसार प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है.

xii) ऋण निवेश के ब्यौरे जहाँ वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अधिक विवेकपूर्ण निवेश किया गया (रु. करोडों में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	निवेश सीमा	मंजूर सीमा	अवधि जिसमें सीमा को पार किया गया	सीमा पार की गयी अवधि के दौरान बकाया राशि	मंडल की मंजूरी के ब्यौरे	31.3.09 की स्थिति
01	इंडियन पोटॉश लिमिटेड	694.26	725.00	अप्रैल'09 - 553.17 मई'09 - 202.44 जून'09 - 102.12 जुलाई'09 - 101.98 अगस्त'09 - 101.93 सितंबर'09 - 101.93 अक्तूबर'09 - 141.71 नवंबर'09 - 141.11 दिसंबर'09 - 141.17 जनवरी'10 - 141.17 फरवरी'10 - 141.11 मार्च'10 - 566.17	शून्य	सीडी/एमसी (एसएससी-12)अ:213/08-09 दि. 24.11.2008 ऋण सीमाएं दि.23.05.2010 तक नवीकृत है	566.17
2	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल)	694.26	925.00	जनवरी'10 - 928.93 फरवरी'10 - 928.93 मार्च'10 - 930.45	पार की गयी राशि नामे की गयी मासिक ब्याज तथा रु.2.39 करोड की ईक्विटी निवेश है	एमसी (एसएसी-12)/परि-3:2010 दि.23.01.2010	930.45 *

* रु.2.39 करोड के निवेश जोखिम तथा रु.3.06 करोड के मासिक ब्याज प्रतिफलित करनेवाली सीमा से अधिक

xiii) वर्ष के दौरान बैंक द्वारा मार्जिन जमा व्यापार के लिए वित्तपोषण नहीं किया गया है एवं किसी भी आस्ति को प्रतिभूत नहीं किया गया है.

xiv) जमाराशियों, अग्रिम, ऋण जोखिम तथा एनपीए पर ध्यान एकाग्र करना

(बैंक द्वारा समेकितानुसार)

क) जमाराशियों पर एकाग्रता (रु. करोडों में)

20 बडे जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां	11868.19
बैंक की कुल जमाराशियों की तुलना में 20 बडे जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	19.16%

ख) अग्रिमों पर एकाग्रता (रु. करोडों में)

20 बडे जमाकर्ताओं के कुल अग्रिम	10334.26
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में 20 बडे जमाकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	24.69%

ग) जोखिमों पर एकाग्रता (रु. करोडों में)

20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के कुल जोखिम	12275.83
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिमों की तुलना में 20 बडे उधारकर्ताओं/ग्राहकों के जोखिम का प्रतिशत	29.33%

घ) एनपीए पर एकाग्रता (रु. करोडों में)

कुल जोखिम की तुलना में शीर्ष 4 एनपीए खाते	182.17

xv) क्षेत्रवार एनपीए

क्रम सं.	क्षेत्र	उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में एनपीए प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	1.77%
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम एवं बडे)	5.70%
3	सेवाएं	0.95%
4	वैयक्तिक ऋण	9.14%

xvi) एनपीए का चलन

विवरण	राशि रु. करोडों में
1 अप्रैल, 2009 को सकल एनपीए	698.82
वर्ष के दौरान जोड (नए एनपीए)	1207.58
उप-कुल (क)	1906.40
घटाएं :	
(i) उन्नयन	163.10
(ii) वसूली (उन्नयन किए गए खातों से की गयी वसूलियों को छोडकर)	270.19
(iii) बट्टे खाते डालना	478.66
उप-कुल (ख)	911.95
31 मार्च, 2010 को सकल एनपीए (क - ख)	994.45

xvii) समुद्रापारीय आस्तियां, एनपीए तथा राजस्व : शून्य

xviii) प्रायोजित तुलन पत्र से इतर एसपीवी (जिनका लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	समुद्रपारीय
शून्य	शून्य

xix) वर्ष के दौरान बैंक ने यूएसडी 2500 से कम अलग-अलग मूल्यवाले या 31 मार्च, 2002 तक लाए गए समान, लाभ व हानि खाते में रु.2,40,51,875 के कुल, दावा नहीं किए गए नोस्ट्रो तथा मिरर ऋण शेषराशि का अंतरण किया है तथा दि.11.05.2009 के भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र सं.डीबीओडी.बीपी.बीसी. सं.133/21.04.018/2008-09 के अनुसार सामान्य आरक्षिति में समायोजित किया है.

xx) प्रावधान कवरेज अनुपात : 31 मार्च, 2010 को कवरेज अनुपात भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार 64.24% है.

xxi) अप्रतिभूत अग्रिम : बैंक में कोई अप्रतिभूत अग्रिम नहीं है जबकि अमूर्त प्रतिभूतियों को संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में लिया गया है.

xxii) वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने भारत में यूएसडी 101, 846, 135.46 राशि के निर्यात किए गए माल के संबंध में 42 आश्वासन पत्र जारी किए. ये आश्वासन पत्र बैंक के वित्तपोषण पर उससे पडनेवाले प्रभाव के विधिवत मूल्यांकन करने के बाद तथा बैंक के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए गए. तुलन पत्र की तारीख को यूएसडी 32, 601, 875.91 (रु.44.98 प्रति यूएसडी की दर से लगभग रु.146.64 करोड) के 18 आश्वासन पत्र बकाया है, हमारे विचार से बैंक की वित्तीय स्थिति पर जिसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा.

xxiii)वर्ष 2009-10 के दौरान बैंक ने कोई बैंकश्यूरेंस कारोबार नहीं किया है.

7. लेखाकरण मानकों का अनुपालन :

i) भौतिक पिछली अवधि की लाभ व हानि खाते में शामिल ऐसी कोई भी मदें नहीं है जिसे "एएस-5" के अनुसार प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है.

ii) बैंक की लेखा नीति सं.9 के अनुसार कुछेक मदों को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है. लेकिन प्रबंधन की यही राय है कि नियोजित रकम नगण्य होने के कारण "एएस-9" के अधीन उसे प्रकट करने की ज़रूरत नहीं है.

iii) बैंक द्वारा एएस। ।। के अनुसार लेनदेन की तारीख को दर पर नहीं बल्कि एफईडीएआई द्वारा निर्धारित पिछले महीने के अंतिम सप्ताह की साप्ताहिक औसत दर पर विदेशी मुद्रा लेनदेनों का निरंतर रूप से पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है. प्रबंधन की यह राय थी कि वर्ष के दौरान खातों पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं है.

iv) भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा लेखाकरण मानक के अनुसार निम्नलिखित जानकारी प्रकट की गयी है:

लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) (रु. करोडों में)

क्रम सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	पेंशन
I.	**मुख्य बीमांकित धारण**		
	बट्टागत दर	8.20%	8.40%
	वेतन मूल्यवर्धन दर	5.50%	5.50%
	मूल वेतन में मूल्यवर्धन की दर		2.50%
	ह्रास दर	1.50%	1.50%
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल दर	8.30%	8.70%
II.	**दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)**		
	अवधि के आरंभ में पीवीओ	226.10	525.50
	ब्याज की लागत	15.78	40.58
	चालू सेवा लागत	13.56	28.90
	प्रदत्त लाभ	(19.83)	(36.58)
	दायित्व पर बीमांकिक लाभ/(हानि)(समतुलन आंकडे)	5.60	92.72
	अवधि के अंत में पीवीओ	241.22	651.12
III.	**योजना आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**		
	अवधि के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	251.24	403.87
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	19.47	38.36
	अंशदान	4.00	118.90
	प्रदत्त लाभ	(19.83)	(36.58)
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)(समतुलन आंकडे)	8.18	16.81
	अवधि के अंत में योजना आस्तियों पर उचित मूल्य	263.06	541.35
IV.	**योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल**		
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	19.47	38.36
	योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	8.17	16.81
	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	27.64	55.17

V.	**अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)**		
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – दायित्व	(5.60)	(92.72)
	अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/(हानि) – योजना आस्तियाँ	8.17	16.81
	अवधि के लिए कुल लाभ/(हानि)	(2.57)	75.91
	अवधि में अभिज्ञप्त बीमांकिक लाभ/(हानि)	(2.57)	(75.91)
VI.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि तथा संबंधित विश्लेषण**		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	241.22	651.12
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य	263.06	541.35
	अंतर	(21.84)	109.77
	तुलन पत्र में अभिज्ञप्त राशि		109.77
VII.	**लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	13.57	28.90
	ब्याज लागत	15.78	40.58
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(19.47)	(38.36)
	वर्ष के दौरान अभिज्ञप्त निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	(2.57)	75.91
	पैरा 59(बी) में सीमा का प्रभाव	21.83	
	लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञप्त व्यय	29.14	107.03
VIII.	**तुलन पत्र में अभिज्ञप्त देयताओं में उतार–चढ़ाव**		
	प्रारंभिक निवल देयता	(25.14)	121.64
	उपर्युक्त के अनुसार व्यय	29.14	107.03
	प्रदत्त अंशदान	(4.00)	(118.90)
	अंतिम निवल देयता	--	109.77
IX.	**चालू अवधि के लिए राशि**		
	दायित्व का वर्तमान मूल्य	241.22	651.12
	योजना आस्तियाँ	263.06	541.35
	अधिक/(कमी)	21.83	(109.77)
	योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन – लाभ (हानि)	(11.65)	(24.50)
	योजना आस्तियों पर अनुभव समायोजन – लाभ/(हानि)	8.18	16.81
X.	**योजना आस्तियों के प्रमुख संवर्ग (कुल योजना आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**		
	भारत सरकार प्रतिभूतियाँ	25.00%	20.00%
	राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ	4.00%	20.00%
	उच्च गुणात्मक कंपनी बांड	70.00%	48.00%
	अन्य (स्पष्ट करें)	1.00%	12.00%
	कुल	100.00%	100.00%
XI.	**अगले वर्ष के दौरान उद्यम अंशदान का उत्तम प्राक्कलन**	**4.00**	**110.00**

v) **वर्ष के दौरान विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए किए गए प्रावधान निम्नानुसार हैं** (रु. करोडों में)

क्रम सं.	अन्य दीर्घावधि लाभ	31.03.2010	31.03.2009
1	पेंशन	119.77	121.64
2	छुट्टी नकदीकरण	62.25	30.56
3	ग्रैच्युटी	-	1.00
4	बीमारी छुट्टी	0.00	9.17

vi) कारोबार खंड (रु. करोडों में)

कारोबार खंड #	खज़ाना		कंपनी/समग्र बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
राजस्व	1641.69	1715.37	2168.39	2085.41	1670.11	1744.55	399.89	391.30	5880.10	5936.63
परिणाम	308.76	270.37	407.81	328.41	314.10	274.55	75.20	62.56	1105.89	935.89
अनाबंटित व्यय									48.93	36.98
परिचालनात्मक लाभ									1056.96	898.91
प्रावधान व आकस्मिकताएं									355.82	357.41
कर के लिए प्रावधान									193.85	279.02
असाधारण लाभ/हानि									-	-
निवल लाभ									507.29	262.48
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां	24462.48	21501.93	26651.28	21904.19	17782.41	17470.91	373.27	399.17	69269.44	61276.20
अनाबंटित आस्तियां									952.64	1106.40
कुल आस्तियां									70222.08	62382.60
खंड देयताएं	23514.29	20785.07	25618.24	21173.92	17093.14	16888.45	358.80	385.86	66584.47	59233.30
अनाबंटित देयताएं									3637.61	3149.30
कुल देयताएं									70222.08	62382.60

आईसीएआई के एएस-17 की शर्तों के अनुसार खंड रिपोर्टिंग के लिए बैंक के कारोबार को चार वर्गों में विखंडन किया गया है - (क) खज़ाना परिचालन एवं (ख) कंपनी/थोक बैंकिंग (ग) खुदरा बैंकिंग व (घ) अन्य बैंकिंग परिचालन

चूंकि बैंक का कोई समुद्रपारीय शाखा नहीं है, भौगोलिक खंड के अधीन कोई रिपोर्टिंग नहीं की गयी है.

खंड राजस्व के आधार पर व्ययों का विभाजन किया जाता है.

खंड जहाँ कहीं आस्ति व देयता का खंड से प्रत्यक्ष रूप से संबंध है उसे तदनुसार खंड को आबंटित करें और जहाँ कहीं प्रत्यक्ष संबंध नहीं है वहाँ खंड राजस्व के आधार पर आबंटित करें

प्रधान कार्यालय में उपलब्ध आंकडों के आधार पर उपर्युक्त जानकारी संकलित की गयी है.

vii) सापेक्ष्य पार्टी प्रकटन एएस-18 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित को सापेक्ष्य पार्टी के रूप में अभिज्ञप्त किया है.

क)	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक 1) आल्बर्ट तावरो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 2) एस.सी. कालिया, कार्यकारी निदेशक (19.11.2009 तक) 3) श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे, कार्यकारी निदेशक (20.11.2009 से)
ख)	अनुषंगी : विश्वेश्वरय्या ग्रामीण बैंक - बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (मालिकाना हक - 35%)

वर्ष के दौरान संबद्ध पार्टियों के साथ लेनदेन निम्नानुसार हैं.

क) i) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को वर्ष के दौरान प्रदत्त मानदेय निम्नानुसार : राशि (रु . में)

श्री आल्बर्ट तावरो, अ.व.प्र.नि. (01.04.2009 से 31.03.2010 तक)	14,09,185.60
श्री सुभाष चंद्र कालिया, का.नि. (01.04.2009 से 20.11.2009 तक)	8,65,446.33
श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे, का.नि. (20.11.2009 से 31.03.2010 तक)	3,66,441.19

ii) श्री आल्बर्ट तावरो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बैंक से रु.50.00 लाख का आवास ऋण लिया है तथा 31.03.2010 को रु.44.30 लाख बकाया है.

ख) (रु. करोडों में)

विवरण	बैंक के साथ सहयोगी संस्थाओं के लेनदेन के ब्यौर	31.03.2010 को बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम
उधार	नकदी ऋण	0.0003	15.00
	ओवरड्राफ्ट		
जमा	सावधि जमा	29.65	29.65
निवेश	शेयर बांड	3.10	3.10
प्रदत्त ब्याज		0.33	
प्राप्त ब्याज		1.64	

viii) प्रति शेयर अर्जन

बैंक , "प्रति शेयर अर्जन" पर लेखाकरण मानक 20 के अनुरूप प्रति ईक्विटी शेयर पर मूल अर्जन रिपोर्ट करता है. इस अवधि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन का परिकलन करने के लिए वर्ष के दौरान कर पश्चात निवल लाभ को बकाया ईक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या से विभाजित किया जाता है.

मूल प्रति शेयर अर्जन का परिकलन		
क.	ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (रु. करोडों में)	507.30
ख.	भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या (संख्या करोडों में)	43.35
ग.	मूल प्रति शेयर अर्जन (रुपयों में)	11.70
घ.	प्रति शेयर का नाममात्र मूल्य (रुपयों में)	10.00

कोई कम किए गए संभाव्य शेयर नहीं है.

ix) आय पर कर के लिए लेखाकरण

बैंक ने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 22 "आय पर कर के लिए लेखा" के अनुपालन में आयकर के लिए लेखांकन किया है. तदनुसार आस्थगित आस्ति और देयता की पहचान की जाती है.

क) आस्थगित कर के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं : (रु. करोडों में)

क्रम सं.	समय में अंतर	आस्थगित कर आस्ति		आस्थगित कर देयता	
		31.03.2010	31.03.2009	**31.03.2010**	31.03.2009
1.	अग्रेनीत हानि		-	-	-
2.	छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान	48.98	32.87	-	-
3.	पेंशन के लिए प्रावधान	--	-	-	-
4.	धारा 40(ए)(आईए) के अधीन व्यय		-	-	-
5.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यह्रास	--	-	-	-
6.	कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास	--	-	-	-
7.	स्थावर आस्तियाँ	3.13	0.83	-	-
8.	वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	79.54	20.39	-	-
9.	व्युत्पन्न लेनदेन पर हानि	18.74	38.04	-	-

ख) वर्ष के दौरान आय कर के लिए किए गए प्रावधान : (रु. करोडों में)

विवरण	**31.03.2010**	31.03.2009
आयकर के लिए प्रावधान	251.64	218.43
अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान	शून्य	3.80
आस्थगित कर के लिए प्रावधान	(58.27)	12.73
एमएटी ऋण पात्रता	--	44.06

x) एएस-26 के अनुसार - आईसीएआई द्वारा जारी अमूर्त आस्तियां, साफ्टवेयर (परिचालन साफ्टवेयर को छोडकर) को अमूर्त आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. बैंक ने अर्जन के वर्ष में उपयोग किए जानेवाले साफ्टवेयर की लागत को 100% के रूप में परिशोधन किया है. वर्ष के दौरान रु.18.72 करोड (पिछले वर्ष रु.9.67 करोड) को लाभ व हानि लेखा में प्रभारित किया गया है.

xi) प्रबंधन की राय में,बैंक की कोई भी अचल आस्ति भौतक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं है जिसके लिए लेखाकरण मानक-28, क्षतिग्रस्त आस्ति, लागू हो.

xii) बैंक ने आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान के रूप में 20.68 करोड रु. का प्रावधान किया है (पिछले वर्ष रु.0.45 करोड)

8. क) ग्राहकों की शिकायतें :

क.	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं.	19
ख.	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं.	1671
ग.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं.	1669
घ.	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं.	21

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसले :

क.	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	1
ख.	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित फैसलों की सं.	6
ग.	वर्ष के दौरान कार्यान्वित फैसलों की सं.	5
घ.	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किए गए फैसलों की सं.	2 *

* दोनों मामले अपील/समीक्षाधीन हैं.

9. भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान कोई जुर्माना नहीं लगाया है :

10. प्रावधान व आकस्मिक व्यय के विस्तृत ब्यौरे (रु. करोडों में)

लाभ व हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत 'प्रावधान व आकस्मिक व्यय' के विस्तृत ब्यौरे	**31.03.2010**	31.03.2009
निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	-181.03	124.32
एनपीए के लिए प्रावधान	474.35	134.24
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	0.00	25.50
आयकर के लिए किए गए प्रावधान		
i) चालू कर	252.12	218.43
ii) आस्थगित कर	-58.26	12.73
iii) अनुषंगी लाभ कर	--	3.80
iv) एमएटी ऋण पात्रता	--	44.06
अन्य प्रावधान व आकस्मिक व्यय		
i) आकस्मिक व्यय हेतु प्रावधान	20.68	0.45
ii) अन्य	65.81	127.51
iii) वापस लिया गया अधिक प्रावधान	(24.00)	(54.61)
कुल	549.67	636.43

11. अस्थिर प्रावधान (रु. करोडों में)

क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2010**	**31.03.2009**
क.	आरंभिक शेष	**213.00**	213.00
ख.	वर्ष के दौरान किए गए अस्थिर प्रावधान	**-**	-
ग.	वर्ष के दौरान आहरित राशि	**-**	-
घ.	अंतिम शेष	**213.00**	213.00

12. औद्योगिक स्तर करार तथा वेतन संशोधन कार्य अंतिम रूप लेने तक, बकाया के प्रति तिमाही के दौरान प्राक्कलन आधार पर रु.114.00 करोड.का प्रावधान रखा गया है तथा उसे कर्मचारी लागत के अधीन सम्मिलित किया गया है.

13. कृषि ऋण छूट तथा ऋण राहत योजना 2008

i) कृषि ऋण छूट तथा ऋण राहत योजना 2008 दिशानिर्देशानुसार भा.रि.बैं. ने छोटे व सीमांत किसानों के लिए एडीडब्ल्यूडीआरएस–ऋण छूट योजना के अधीन रु.147.12 करोड का अंतिम दावा राशि के प्रति रु.99.05 करोड की प्रतिपूर्ति की है. वर्ष 2009-10 के दौरान प्राप्त राशि रु.36.33 करोड है. शेष प्राप्त की जानेवाली राशि रु.48.07 करोड है.

ii) कृषि ऋण छूट तथा ऋण राहत योजना 2008 दिशानिर्देशानुसार, 'अन्य किसानों' द्वारा उनके संपूर्ण हिस्से (पात्र राशि का 75% हिस्सा) की चुकौती पर ही ओटीएस राहत (पात्र राशि का 25% हिस्सा) दिया जा सकता है. ऐसे में संबंधित 'अन्य किसानों' को रु.36.14 करोड दिया गया है, जो भारत सरकार से प्राप्त राहत राशि का 25% हिस्सा बनता है.

बैंक ने पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक को 26.09.2009 को रु.29.48 करोड (11315 खाते) के लिए 'प्रारंभिक दावा' किया है ताकि राशि की प्रतिपूर्ति हो जाए तथा 30.06.2010 तक ओटीएस हिताधिकारियों द्वारा भुगतान के लिए अंतिम तारीख की बढोत्तरी को मद्दे नजर रखते हुए तथा भा.रि.बैं. मार्गनिर्देशानुसार 30.06.2010/30.06.2011 से पहले सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा सत्यापन के बाद 'अंतिम दावा' प्रस्तुत किया जाएगा. भारत सरकार से प्राप्य 'ऋण छूट योजना 2008' (अन्य किसानों) के अधीन बकाया राशि यथा 31.03.2010 को रु.36.14 करोड है.

iii) योजना के अधीन देय पात्र देयता को अंतिम रूप देने तक, भारत सरकार से प्राप्य ब्याज के प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है.

14. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन शामिल आपूर्तिकर्ता/सेवा प्रदाता के संबंध में बैंक के पास पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है. इस वजह से उक्त अधिनियम की धारा 22 के अधीन प्रकट की जाने वाली अपेक्षित सूचना नहीं दी गयी है.

15. चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने हेतु पिछले साल के अंकों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुन: समूहन/वर्गीकृत किया गया है.

आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**शुभलक्ष्मी पानसे** कार्यकारी निदेशक	**के. वेंकटप्पा** निदेशक	**निशांक के. जेन** निदेशक
एस.अनंतन निदेशक	**अशोक कुमार शेट्टी** निदेशक	**अशोक कुमार** निदेशक	**पी. शांताराम शेट्टी** निदेशक
रंजन शेट्टी निदेशक	**बी. इब्राहिम** निदेशक	**के.जयकर शेट्टी** महा प्रबंधक	

हमारे समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स वी.खन्ना एण्ड कं सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000200 सी	**मेसर्स एम. थामस एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004408 एस	**मेसर्स शिरोमणि त्यागी एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.006117 एन
(वी.के.खन्ना) साझेदार सदस्यता सं.008276	**(मुरली रमणन)** साझेदार सदस्यता सं. 080972	**(प्रदीप त्यागी)** साझेदार सदस्यता सं. 084840
मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं. सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	**मेसर्स एम.पी.चिताले एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	**मेसर्स पी.चंद्रशेखर** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस
(आर.एस.बंसल) साझेदार सदस्यता सं. 013000	**(उल्हास चिटाले)** साझेदार सदस्यता सं. 032292	**(लक्ष्मी सी.)** साझेदार सदस्यता सं.028508

Place : बेंगलूर
Date : 30.04.2010

31.02.2010 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

(रु. 000 को छोड. दिया गया है)

विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	**5200 64 63**	5237 82 52
अन्य आय	**679 45 19**	698 81 03
	5880 09 82	5936 63 55
घटाएं		
वर्ष के दौरान जमाराशियों, उधार आदि पर प्रदत्त ब्याज	**3751 56 59**	4113 02 43
उपबंध व आकस्मिक व्यय सहित परिचालन खर्च	**1621 23 36**	1561 13 14
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	**- 26 23**	23 06
	507 56 10	**262 24 92**
जोडें		
अचल आस्ति पर मूल्यह्रास	**48 92 55**	36 98 14
उपबंध और आकस्मिक व्यय	**549 66 60**	636 43 17
I परिचालन से उत्पन्न नकदी लाभ (परिचालन आस्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व)	**1106 15 25**	**935 66 23**
II परिचालन आस्तियों व देयताओं से नकदी प्रवाह		
देयताओं में वृद्धि/(गिरावट)		
जमाराशियां	**7396 32 08**	6583 41 14
अन्य देयताएं व उपबंध	**-263 39 84**	-361 75 36
आस्तियों में वृद्धि/(गिरावट)		
अग्रिम	**-6054 04 94**	-3778 45 25
निवेश	**-3719 74 38**	-770 38 24
अन्य आस्तियां	**-189 14 11**	-88 77 29
II का कुल	**-2830 01 19**	**1584 05 00**
क. परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह (I+II)	**-1723 85 94**	**2519 71 23**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान		
अचल आस्तियों की खरीद	**-48 84 23**	-22 40 40
ख. निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**-48 84 23**	**-22 40 40**

(रु. 000 को छोड. दिया गया है)

विवरण	31.03.2010 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2009 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी	-	500 00 00
शेयर प्रीमियम	-	-
अन्य आरक्षितियाँ व अधिशेष	**-19 54 57**	-21 41 94
उधार	**-330 68 01**	-1299 63 04
गौण ऋण के प्रतिदान पर चुकाई गयी राशि	-	-
नए गौण ऋण जारी करने से वर्धित राशि	-	
प्रदत्त लाभांश : पिछले वर्ष घोषित लाभांश तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त	-	-101 43 88
घोषित अंतरिम लाभांश तथा चालू वर्ष के दौरान प्रदत्त	-	-
घ. वित्त पोषण गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	**-350 22 58**	-922 48 86
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)	**-2122 92 75**	1574 81 97
नकदी प्रवाह में वृद्धि/(गिरावट)		
I. वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य राशि		
क) भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद व शेषराशि	**5730 40 57**	5661 54 94
ख) बैंकों में शेषराशि व मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**1941 77 65**	435 81 31
I का कुल	**7672 18 22**	**6097 36 25**
II. वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य राशि		
क) भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी व शेषराशि	**4099 57 69**	5730 40 57
ख) बैंकों में शेषराशि व मांग व अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	**1449 67 78**	1941 77 65
II का कुल	**5549 25 47**	**7672 18 22**
वर्ष के दौरान कुल नकदी प्रवाह	**-2122 92 75**	**1574 81 97**
नकदी प्रवाह (I - II) में वृद्धि/(गिरावट)		

बैंक के निदेशक मंडल ने दि 30.04.2010 को हुई बैठक में उपर्युक्त नकदी प्रवाह विवरण को अभिलिखित किया.

आल्बर्ट तावरो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**शुभलक्ष्मी पानसे** कार्यकारी निदेशक	**के. वेंकटप्पा** निदेशक	**निशांक के. जेन** निदेशक
एस.अनंतन निदेशक	**अशोक कुमार शेट्टी** निदेशक	**अशोक कुमार** निदेशक	**पी. शांताराम शेट्टी** निदेशक
रंजन शेट्टी निदेशक	**बी. इब्राहिम** निदेशक	**के.जयकर शेट्टी** महा प्रबंधक	

हमारे समदिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

मेसर्स वी.खन्ना एण्ड कं सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000200 सी	**मेसर्स एम. थामस एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.004408 एस	**मेसर्स शिरोमणि त्यागी एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.006117 एन	**मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.002736 एन	**मेसर्स एम.पी.चिताले एण्ड कं.** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	**मेसर्स पी.चंद्रशेखर** सनदी लेखाकार पंजीकरण सं.000580 एस
(वी.के.खन्ना) साझेदार सदस्यता सं.008276	**(मुरली रमणन)** साझेदार सदस्यता सं. 080972	**(प्रदीप त्यागी)** साझेदार सदस्यता सं. 084840	**(आर.एस.बंसल)** साझेदार सदस्यता सं. 013000	**(उल्हास चिटाले)** साझेदार सदस्यता सं. 032292	**(लक्ष्मी सी.)** साझेदार सदस्यता सं.028508

Place : बेंगलूर
Date : 30.04.2010

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति

1. हमने विजया बैंक के 31 मार्च, 2010 के तुलन पत्र का और साथ ही उस दिनांक को समाप्त वर्ष के बैंक के लाभ – हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण का, जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है, निरीक्षण किया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 1018 शाखाओं की विवरणियाँ समाविष्ट हैं. बैंक ने, हमारे द्वारा परीक्षित और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित शाखाओं का चयन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार किया है. तुलन पत्र, लाभ–हानि लेखा में उन 120 शाखाओं की विवरणियां सम्मिलित की गयी है, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है. ये गैर लेखा परीक्षित शाखाएं 0.43% अग्रिम का, 1.19% जमाराशियों का, 0.40% ब्याज पर आय और 0.97% ब्याज पर व्यय के बनते हैं. ये वित्तीय विवरणियां बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित अपना मत जाहिर करने की है.

2. हमने भारत में सामान्यत: स्वीकृत मानक लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा की है. इन मानकों की आवश्यकता है कि हमें योजना बनानी चाहिए एवं यह उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करनी चाहिए कि वित्तीय विवरणी रिपोर्टिंग ढ़ाचें के अनुसार तैयार की गई है तथा यह उतार–चढाव समुचित है. लेखा परीक्षा में जाँच आधार पर जाँच करना, राशि के समर्थन में साक्ष्य जुटाना और वित्तीय विवरणी में उसे प्रकट करना शामिल है. साथ ही लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण और प्रबंधन द्वारा किया गया उल्लेखनीय अनुमान के साथ–साथ समग्र वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करना शामिल है. हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत को ठीक से दर्शाती है.

3. तुलन–पत्र और लाभ–हानि लेखा, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म 'ए' व 'बी' के अनुसार तैयार किया गया है.

4. उपर्युक्त में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की अपेक्षानुसार और साथ ही उन बातों के अधीन, जिनको प्रकट करने पर इस अधिनियम में प्रतिबंध लगाया गया है, और आगे निम्न के अधीन :

   क) हमने ऐसी सारी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे और हमने उनको संतोषजनक पाया है.

   ख) बैंक के जो लेन–देन हमारी जानकारी में आए हैं, वे बैंक के अधिकारों के अंदर हैं.

   ग) कार्यालय और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पायी गई हैं.

5. हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण लागू लेखाकरण मानदंडों का अनुपाल करते हैं.

6. हमारी राय जोडे बगैर निम्नलिखित की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं :

   क) नोट सं.12 : अनुमानित आधार पर वेतन बकाया के लिए किए गए रु.114 करोड के प्रावधान के संबंध में

   ख) नोट सं.13 : कृषि ऋण के अधीन पात्र भारत सरकार के रु.36.14 करोड के दावे के संबंध में नोट सं.13

   छूट एवं ऋण राहत योजना 2008 जिस पर हमारी लेखा परीक्षा की जाती है तथा.

7. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए अनुसार :

   i) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुपालन करते हुए,टिप्पणियों के साथ पठित तुलन–पत्र, पूर्ण एवं निष्पक्ष हैं, जिसमें आवश्यक सभी विवरण दिए गए हैं और इसे सही ढंग से तैयार किया गया है, ताकि 31 मार्च, 2010 तक बैंक के कारोबार का सही निष्पक्ष चित्र दर्शाया जा सके ;

   ii) भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण नीतियों का अनुपालन करते हुए, टिप्पणियों के साथ पठित लाभ–हानि लेखा, लेखा से संबंधित वर्ष में अर्जित लाभ की सही शेष राशि दर्शाता है; तथा.

   iii) नकद प्रवाह विवरण,विवरण की अवधि के लिए नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाता है.

मेसर्स वी.खन्ना एण्ड कं	मेसर्स एम. थामस एण्ड कं.	मेसर्स शिरोमणि त्यागी एण्ड कं.	मेसर्स आर.बंसल एण्ड कं.	मेसर्स एम.पी.चिताले एण्ड कं.	मेसर्स पी.चंद्रशेखार
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं. 000200 सी	पंजीकरण सं. 004408 एस	पंजीकरण सं.006117 एन	पंजीकरण सं.002736 एन	पंजीकरण सं.101851 डब्ल्यू	पंजीकरण सं.000580 एस
(वी.के.खन्ना)	**(मुरली रमणन)**	**(प्रदीप त्यागी)**	**(आर.एस.बंसल)**	**(उल्हास चिटाले)**	**(लक्ष्मी सी.)**
साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार	साझेदार
सदस्यता सं.008276	सदस्यता सं. 080972	सदस्यता सं. 084840	सदस्यता सं. 013000	सदस्यता सं. 032292	सदस्यता सं.028508

Place : बेंगलूर
Date : 30.04.2010

यथा 31 मार्च 2010 को बेसल II प्रकटीकरण दस्तावेज़

तालिका डीएफ – 1
कार्यान्वयन क्षेत्र

लागू नहीं चूंकि बैंक की कोई सामूहिक इकाइयां नहीं है जहां लेखों का समेकन किया जाता है, यद्यपि विश्वेश्वरय्या बैंक हमारी सहयोगी संस्था है, हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.

तालिका डीएफ – 2
पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) सभी पूंजी लिखत विशेषकर टियर 1 या उच्चतर टियर 2 में समावेश हेतु पात्र लिखतों की मुख्य बातों की शर्त एवं निबंधनों पर सारांश जानकारी	बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.1,500 करोड़ से बढ़कर दि. 10.11.2009 को रु. 3,000 करोड़ बन गयी. निर्गमित व प्रदत्त ईक्विटी पूंजी रु.433.52 करोड है. वर्ष 2008-09 (मार्च 2009 में) के दौरान बैंक को भारत सरकार से शास्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयरों के रूप में रु.500 करोड.की पूंजी सहायता प्राप्त हुई. बैंक ने वचन पत्र के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय गौण ऋण के रूप में रु.1650 करोड.जुटाया जिसमें से रु.1,500 करोड.को टियर II पूंजी के रूप में संगणित किया गया. ऋण लिखतों की शर्तें व निबंधन निम्नानुसार है.

यथा 31.03.2010 को बैंक के टियर I/टियर II निर्गमन के बकाया संबंधी विवरण

क्र. सं.	निर्गमन विवरण	जुटाई गयी राशि (रु. करोड)	स्वरूप	आबंटन की तारीख	देय तारीख	कूपन दर (31 मार्च को वार्षिक रूप से देय)	दर निर्धारण
1.	टियर I शास्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर	500.00	शास्वत	31.03.2009	-	अस्थाई संबद्ध तारीख को प्रचलित रिपो दर के आधार पर वार्षिक रूप से रिपो दर से 100 बीपीएस से अधिक समायोजित	लागू नहीं
2.	ऊपरी टियर II श्रृंखला I	300.00	180 महीने 10वें वर्ष के अंत में माँग विकल्प सहित	20.03.2007	20.03.2022	10.10% प्र.व. यदि माँग विकल्प उपयोग नहीं किया तो 10वें वर्ष के बाद 50 बीपीएस स्टेप अप सहित	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
3.	ऊपरी टियर II श्रृंखला II	300.00	180 महीने 10वें वर्ष के अंत में माँग विकल्प सहित	17.03.2008	17.03.2023	9.45% प्र.व. यदि माँग विकल्प उपयोग नहीं किया तो 10वें वर्ष के बाद 50 बीपीएस स्टेप अप सहित	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
4.	निचली टियर II श्रृंखला III	150.00	90 महीने	08.11.2002	08.05.2010	7.50% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
5.	निचली टियर II श्रृंखला IV (बारक्ले बैंक के साथ ब्याज दर स्वैप)	250.00	123 महीने	15.03.2005	15.06.2015	7.15% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
6.	निचली टियर II श्रृंखला V	250.00	120 महीने	01.08.2006	01.08.2016	9.25% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
7.	निचली टियर II श्रृंखला VI	200.00	123 महीने	31.07.2007	31.10.2017	9.50% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
8.	निचली टियर II श्रृंखला VII	200.00	124 महीने	31.12.2007	30.04.2018	9.35% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
कुल रु.2150 करोड							

परिमाणात्मक प्रकटन **रु. करोडों में**

(ख)	टियर । पूंजी की राशि		
	प्रदत्त पूंजी		**433.52**
	शास्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर :		**500.00**
	आरक्षितियाँ		**1376.19**
	अधिशेष		**853.76**
	नवोन्मेष लिखतें		कुछ नहीं
	अन्य पूंजी लिखतें		कुछ नहीं
	तरलहीन निवेश के लिए समायोजन		**(-) 35.00**
	टियर । पूंजी से घटायी गयी राशि :		
	अन्य अमूर्त आस्तियाँ (आस्थगित कर आस्ति)		**(-) 150.39**
	कुल टियर । पूंजी		**2978.08**
(ग)	टियर ।। पूंजी की राशि (टियर ।। पूंजी से निवल कटौतियाँ)		
	(i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	140.25	
	(ii) सामान्य प्रावधान	223.41	**363.66**
(घ)	ऊपर टियर ।। पूंजी में समावेश हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखत		**600.00**
	• कुल बकाया राशि	600.00	
	• उसमें से वर्ष के दौरान जुटाई गयी	कुछ नहीं	
	• पूंजी निधि के रूप में संगणित योग्य राशि	600.00	
(ङ)	निचली टियर ।। पूंजी में समावेश हेतु पात्र गौण ऋण :		**900.00**
	• कुल बकाया राशि	1050.00	
	• उसमें से वर्ष के दौरान जुटाई गयी	कुछ नहीं	
	• पूंजी निधि के रूप में संगणित योग्य राशि	900.00	
(च)	पूंजी से अन्य कटौतियाँ यदि हो		**NIL**
	कुल टियर ।। पूंजी		**1863.66**
(छ)	कुल पात्र पूंजी : टियर । पूंजी	2978.08	
	टियर ।। पूंजी	1863.66	**4841.74**

तालिका डीएफ – 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों के समर्थन के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की पद्धति पर चर्चा का सारांश	बेसल ।। पर भारिबैं के निदेशानुसार हमारे बैंक ने 31.03.2009 से प्रभावी ऋण जोखिम के लिए 'मानकीकरण दृष्टिकोण', बाज़ार जोखिम के लिए 'मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण' तथा परिचालन जोखिम के लिए 'मूल संकेत दृष्टिकोण' अपनाया है. मौजूदा तथा भविष्य के क्रियाकलापों के समर्थन हेतु अतिरिक्त पूंजी निर्धारण के लिए बैंक आईसीएएपी नीति का पालन करती है. कारोबार के भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सतत आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक पर्याप्त पूंजी के रख-रखाव हेतु आईसीएएपी को अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण		(रुपए करोडों में)		
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ			
	• मानक पद्धति के अधीन संविभाग	**रु. 3082.96 (अन्य आस्तियाँ सहित)**		
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम	**कुछ नहीं** – चूंकि प्रतिभूतिकरण के अतंर्गत बैंक का कोई ऋण जोखिम नहीं है.		
(ग)	बाज़ार जोखिम मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	**रु. 193.82**		
	• ब्याज दर जोखिम	रु. 137.70		
	• विदेशी विनिमय जोखिम	रु. 1.85		
	• ईक्विटी जोखिम	रु. 54.27		
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ– मूल सूचक पद्धति	**रु. 209.60**		
	आवश्यक पूंजी	**रु. 3486.38 – न्यूनतम पूंजी आवश्यकता**		
	रखी गयी पूंजी	**रु. 4841.74 – 31.03.2010 को पूंजी निधि**		
(ड)	कुल तथा टियर । पूंजी अनुपात		**बेसल ।**	**बेसल ।।**
		सीआरएआर – :	**11.79%**	**12.50%**
		सीआरएआर – टियर । पूंजी	7.28%	7.69%
		सीआरएआर – टियर ।। पूंजी	4.51%	4.81%
	• शीर्ष समेकित समूह के लिए	लागू नहीं, चूंकि हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.		
	• महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए			

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल है • अतिदेय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखाकरण कार्य के लिए) • बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा	बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, एक मज़बूत प्रणाली, कार्यपद्धतियां तथा नीति पर चलती है. जहाँ निदेशक मंडल तथा मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति निदेश देती है वहीं वरिष्ठ कार्यपालकों से सम्मिलित ऋण जोखिम प्रबंधन उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम उपशामक (सीआरएम) दर निर्धारण आदि तैयार किये गए हैं जिसमें उद्देश्य, गुंजाइश तथा जोखिम रिपोर्ट करने का स्वरूप, उसका माप, प्रणालियाँ, नीतियाँ, सीआरएम के ज़रिए जोखिम का नियंत्रित/कम करने हेतु अपनाई जानेवाली रणनीतियाँ, प्रक्रियात्मक कदम, उपशामक के निरंतर प्रभाव के लिए विकास, संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है. बेसल ।। मानदंडों के उच्चतर दृष्टिकोण तक जाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम निर्धारण, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम एएलएम तथा एफ़टीपी के छः समाधानों के माध्यम से एकीकरण जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन अपनाया है. **आईआरएसी पर बैंक की नीति (आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण) मानदंड** भारतीय रिज़र्व बैंक पर समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर है. आस्तियों को निष्पादक तथा गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने हेतु 90 दिनों के चूक मानदंड अपनाया जाता है. आईआरएसी के संपूर्ण आंकडे लेखा परीक्षा के अधीन है. मानक आस्ति (निष्पादक) तथा गैर निष्पादक आस्ति दोनों पर निर्धारितानुसार पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुनर्रचित आस्तियों के लिए बैंक ने सामान्य अस्थाई प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया है.

	अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण उद्देश्य के लिए) : कोई आस्ति गैर निष्पादक तब बनती है जब उससे बैंक को कुछ आय प्राप्त न हो जैसे (क) जब ऋण का ब्याज व/या किस्त 'बकाया' बनता है (*) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों के अधिक की अवधि के लिए (ख) खाता तब 'आउट आफ आर्डर' बनता है जब वह (#) नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं के संबंध में 90 दिनों तक अप्रचलित हो (ग) खरीदे गए बिल/भुनाए गए बिल के संबंध में यदि बिल 'अतिदेय' बन जाते हैं (घ) किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज को तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर वसूल न किया गया है (ङ) जहाँ तक कृषि ऋणों, अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उसपर ब्याज एक फसल मौसम में अतिदेय रहता हो (च) जब गैर निधि आधारित राशियों के परिणति की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर. * 'अतिदेय' का तात्पर्य है किसी ऋण सुविधा के अधीन बैंक की देय कोई राशि, यदि वह देय नियत दिनांक को या गैर निधि आधारित राशि के परिणत होने पर भुगतान नहीं किया जाता. # 'आउट आफ आर्डर' का तात्पर्य है बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहता है या 90 दिन निरंतर रूप से आवश्यक राशि जमा नहीं की गयी या 90 दिनों से पहले नामे डाला गया ब्याज को प्रावरित करने हेतु खाते में काफी जमा न हो तो. **बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :** बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का सूत्रपात किया है तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बेसल ।। कार्यकारी समूह आदि जैसी विभिन्न समितियों को गठित किया है ताकि कई प्रबंधन तकनीकों को सुधारा जा सके जिससे ऋण जोखिम पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले बाह्य तथा आंतरिक घटकों को हिसाब में लेते हुए ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, संवीक्षा व नियंत्रण करने में बैंक को मदद मिले. बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तथा उधार नीति को और सुचारू बनाया है. इसमें ऋण मूल्यांकन नाम जैसे बेंचमार्क/प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर रोक अनुपात आंतरिक अधिकतम सीमा, बडे.ऋण प्रस्ताव के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण संकेद्रीकरण, ऋण समीक्षा संयंत्र/ऋण लेखा परीक्षा, उच्च मूल्य उधार खातों (व्यापक ऋण संवीक्षा रिपोर्ट) की विशेष समीक्षा, जोखिम, संकेंद्रीकरण/ जोखिम दर निर्धारण के आधार पर अनुवीक्षण व लागत निर्धारण तथा जोखिम दर निर्धारण के आधार पर समीक्षा शामिल है तथा इसमें संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाज़ार, भू संपदा तथा पण्य क्षेत्र के लिए जोखिम उच्चतम सीमा भी प्रावरित है. बैंक की व्यापक वसूली नीति भी तैयार की गयी है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	**सकल ऋण जोखिम (अन्य आस्तियों को छोडकर)**
(ख) सकल ऋण जोखिम - – निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग	**निधि आधारित : रु. 58055.93 करोड** **गैर निधि आधारित : रु. 4134.31 करोड** **कुल रु. 62190.24 करोड**
(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक संवितरण – निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग • समुद्रपारीय • देशी	समुद्रपारीय: निधि आधारित व गैर निधि आधारित: कुछ नहीं देशी : निधि आधारित: रु. 58055.93 करोड. गैर निधि आधारित: रु. 4134.31 करोड. **कुल रु. 62190.24 करोड**

(घ) ऋण का उद्योगवार संवितरण	**ऋण का उद्योगवार संवितरण**	(रु. करोडों में)
	मूलभूत संरचना – दूरसंचार, सडक, पत्तन, पानी की आपूर्ति आदि	10444.80
	बिजली	5323.80
	पेट्रोलियम	1364.31
	लोहा और इस्पात	1874.56
	निर्माण	608.46
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	2676.63
	खनन	68.91
	सिमेंट	101.12
	अन्य धातु	81.25
	इंजिनीयरिंग, इलेक्ट्रानिकस	430.19
	हीरे व जवाहरात	358.90
	कपडा (कपास, जूट व अन्य)	380.13
	तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	65.92
	कागज़ व कागज़ के उत्पाद	75.36
	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	42.45
	खाद्य संसाधन (समुद्री व अन्य खाद्यान्न)	85.75
	केमिकल/डाय/पेंट, ड्रक्स/फार्मासिटुकल्स	163.10
	एनबीएफसी	860.02
	अन्य उद्योग	1322.17

(ङ) 31.03.2010 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन **(रु. करोड़ों में)**

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन–3 महीने	3 महीनों से 6 म हीने तक	6 महीनों से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
अग्रिम	1079.22	182.19	230.99	394.68	1848.20	1754.13	2657.73	24601.02	3986.41	4787.16	**41521.73**
निवेश	133.00	121.09	327.06	294.10	615.54	363.60	48.02	705.84	4135.50	14363.69	**21107.44**
वि.वि.आस्तियाँ	114.38	16.06	24.96	4.45	157.77	84.99	8.10	0.03	0.00	0.00	**410.72**

31.03.2010 **को स्थिति** **(रु. करोडों में)**

(च)	एनपीए की राशि (सकल)	**994.45**
	• अवमानक	500.71
	• संदिग्ध 1	247.71
	• संदिग्ध 2	229.84
	• सदिग्ध 3	9.79
	• हानि	6.53
(छ)	निवल एनपीए	**581.83**
(ज)	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	**2.37%**
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	**1.40%**
(झ)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)	
	• अथशेष	698.82
	• परिवर्धन	1207.58
	• कटौतियाँ	911.95
	• इतिशेष	**994.45**

		(रु. करोडों में)
	एनपीए का उतार-चढ़ाव (निवल)	
	• अथशेष	292.29
	• परिवर्धन	289.54
	• कटौतियाँ	0.00
	• इतिशेष	581.83
(ञ)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतर-चढाव	
	• अथशेष	400.84
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	475.15
	• बट्टे खाता डालना	467.59
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	--
	• इतिशेष	408.40
(ट)	गैर-निष्पादन निवेशों की राशि	21.33
(ठ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों की राशि (एनपीआई)	19.25
(ड)	नवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	
	• अथशेष	19.25
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	0.00
	• बट्टे खाता डालना	0.00
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	19.25

तालिका डीएफ – 5

ऋण जोखिम – मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए • प्रयुक्त ऋण का दर्जानिर्धारण एजेंसी के नाम तथा परिवर्तन के लिए कारण	बैंक ने भारिबैं द्वारा अनुमोदित निर्धारण एजेंसियों जैसे सीआरआईएसआईएल/ आईसीआरए/एफआईटीसीएस/सीएआरई के ही दर निर्धारणों का उपयोग किया है. बाह्य दर निर्धारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा अपने निवेश के लिए ग्राहकों को बाह्य दर निर्धारण की माँग करने योग्य बनाने हेतु बैंक ने इन चार दर निर्धारण एजेंसियों के साथ एक अलग से समझौता करार किया है. इस करार में बैंक के ग्राहकों के लिए रियायती शुल्क का प्रावधान है.
• ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया जाता है.	रु.5 करोड.से अधिक सभी कार्पोरेट ऋण जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को ऋण जोखिम.
• पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गयी प्रक्रिया का विवरण	बैंक ने केवल उन बैंक दर निर्धारणों का उपयोग किया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक ने कोई सार्वजनिक निर्गम रेटिंग का उपयोग नहीं किया है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(ख) मानकीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों और कटौती की गयी जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	**ऋण जोखिम (रु करोडों में)**
• 100% जोखिम भार से नीचे	39673.44
• 100% जोखिम भार	17189.92
• 100% से अधिक जोखिम भार	2303.81
• कटौती की गयी	3023.07
• कुल	**62190.24**

तालिका डीएफ - 6
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : - मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्न शामिल हैं :	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल ।। अंतिम दिशानिर्देशों में सूचितानुसार ऋण जोखिम को कम करने के लिए सामान्य सिद्धांत जैसे विशिष्ट ग्रहणाधीकर रखना, आवश्यक न्यूनतम मार्जिन निर्धारण, मूल्यांकन, वैधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण, आवधिक निरीक्षण, सुलभ तरलता आदि का उपयोग किया गया है. मुद्रा बेमेल तथा परिपक्वता बेमेल के लिए समायोजन सहित सभी निर्धारित मार्जिन लिए गए हैं. जोखिम भारिता को समनुदेशित करने से पहले ऋण जोखिम से उपलब्ध वित्तीय संपार्श्विकों को समायोजित किया जाता है. सीआरएम के प्रभाव का दुहरी लेखाकरण नहीं किया जाता है.
• तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर बैंक द्वारा उपयोग करने की सीमा तक तथा नीति तथा प्रक्रिया के लिए • संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ.	
• बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विवरण	सीआरएम के उद्देश्य के लिए वित्तीय संपार्श्विक में बैंक की अपनी सावधि जमाराशि, नकद मार्जिन, जीवन पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, 99.99 शुद्धता आधार का सोना
• मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उन का ब्यौरा और उन की ऋण – पात्रता	गारंटी दिए गए ऋण जोखिम में केंद्र/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीएसटीएमई द्वारा गारंटी शामिल है.
• जोखिम न्यूनीकरण मदों के अंतर्गत अधिक जोखिम (बाज़ार या ऋण) संबंधी सूचना	सीआरएम/गारंटी दिए गए ऋण जोखिम किसी भी बाज़ार उतार–चढाव के अधीन नहीं है तथा ये ऋण जोखिम विभिन्न है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा प्रावरित

रु. करोड़ों में

ऋण जोखिम	ऋण व अग्रिम	गैर–निधि आधारित	निवेश	कुल
ऋण जोखिम	41934.53	4134.31	16121.40	62190.24
सीआरएम/ वित्तीय संपार्श्विक	2301.15	721.92	0.00	3023.07
निवल ऋण जोखिम	39633.38	3412.39	16121.40	59167.17

(ग) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि गारंटी/ऋण व्युत्पन्न द्वारा प्रावरित (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत)

रु. करोड़ों में

गारंटी की स्थिति	ऋण व अग्रिम	गैर–निधि आधारित	निवेश	कुल
ऋण जोखिम	41934.53	4134.31	16121.40	62190.24
केंद्र सरकार	966.68	0.00	14180.25*	15146.93
राज्य सरकार	2110.75	0.00	20.30	2131.05
ईसीजीसी	410.46	0.00	0.00	410.46
सीजीएसटीएमई	9.20	0.00	0.00	9.20
कुल :	**3497.09**	**0.00**	**14200.55**	**17697.64**
निवल ऋण जोखिम	**38437.44**	**4134.31**	**1920.85**	**44492.60**

* इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी बांड/प्रपत्र तथा/या केंद्र सरकार द्वारा गारंटी शामिल है.

मानकीकृत पद्धति (निधि व निधियेतर आधारित) के अधीन ऋण जोखिम संविभाग के लिए, कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक का परिकलन मार्जिन, जहां कहीं लागू हो, के बाद किया जाता है.

तालिका डीएफ - 7
प्रतिभूतिकरण
मानकीकृत प्रक्रिया हेतु प्रकटीकरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बैंकिंग बही या ट्रेडिंग बही में किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

तालिका डीएफ - 8
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) मानकीकृत पद्धति द्वारा प्रावरित संविभाग सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता	बाजार जोखिम ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा, पण्य मूल्य में बाजार चलन की वजह से संभावित जोखिम है. बेसल–II में बाजार जोखिम के लिए दो पद्धति का प्रस्ताव है यथा मानकीकृत अवधि प्रक्रिया तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया. संप्रति बैंक ने "मानकीकृत अवधि प्रक्रिया" लागू किया है तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया लागू करने जा रहा है. मानकीकृत अवधि प्रक्रिया में निम्न विशेषताएं हैं. 1. मानकीकृत प्रक्रिया के अधीन पूंजी अपेक्षा का परिकलन ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा पण्य जोखिम के आधार पर किया जाता है. 2. सामान्य बाजार जोखिम का परिकलन संशोधित अवधि तथा आय में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है. 3. विशेष जोखिम का परिकलन बाह्य जोखिम दर निर्धारण, प्रपत्र की अवधि आदि के आधार पर किया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के उद्देश्य के लिए बैंक ने 'मानकीकृत अवधि पद्धति' को अपनाया है जो निम्न प्रकार है:

31.03.2010 को बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल — रु. करोडों में

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
(क)	**एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम**	0.00
	ब्याज दर (क +ख)	0.00
	क. सामान्य बाजार जोखिम	0.00
	i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	0.00
	ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
(ख)	**विशिष्ट जोखिम**	0.00

(ख) निम्न के लिए पूंजी अपेक्षा

(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए पूंजी प्रभार हेतु बाज़ार जोखिम

- ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर (क +ख)	**137.70**
क. सामान्य बाजार जोखिम	98.82
i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	93.75
ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	4.81
iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.26
ख. विशिष्ट जोखिम	38.88
ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित रप्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	**45.47**
I. ब्याज दर संबंधी लिखात {क +(ख या ग जो भी अधिक हो)}	**137.70**
II. ईक्विटी (क+ख)	**54.27**
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	27.06
ख. विशिष्ट जोखिम	27.21

- ईक्विटी स्थिति जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम

III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	**1.85**
IV. बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (I+II+III)	**193.82**
कुल जोखिम भारित आस्तियाँ	**2153.55**

तालिका डीएफ – 9
परिचालन – जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल ।। से संबंधित भारिबैं के अंतिम मार्गनिर्देशों में दर्शाया गयानुसार 'मूल सूचक पद्धति' के अनुरूप परिचालन – जोखिम के लिए बैंक पूंजी प्रभार परिकलन अपना रहा है. बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की यह समिति सभी प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं नियंत्रण करेगी. साथ में यह समिति बीसीपी, बीसीडीआरपी, 'बाहरी स्रोतों' के जोखिम प्रबंधन केवाईसी शर्तें एवं धन–शोधन निवारक मार्गनिर्देश संबंधी विस्तृत नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुपालन से इस प्रकार के जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय करेगी. बैंक ने कार्यपालक स्तर पर 'जोखिम पर्यवेक्षकों' तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर 'क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी' के रूप में पहचान की गई ताकि जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों के संबंध में सभी प्रकार के आंकडों की आवश्यकता की जांच एवं परख की जा सकें.

आगे बैंक परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण हेतु निम्न उपाय कर रहा है

- अनुदेश पुस्तिका/मैनुअल आवधिक अंतरालों पर अद्यतित किए जाते हैं. नियमित/वार्षिक स्तर पर समीक्षा के बाद विविध नीतियों का संशोधन किया जाता है.
- त्रैमासिक आधार पर धोखाधडी तथा अन्य पहलुओं के कारण घटी हानि संबंधी घटनाओं की सूचना परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है.
- आईटी सुरक्षा नीति बैंक में बनाई गई है तथा विविध आईटी सुरक्षा समाधान जैसे डाटा केन्द्र एवं शाखाओं को एण्टी वैरस, फायर वाल, एनक्रिप्शन तकनीकी, इनट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली, रौटर आधारित सुरक्षा नीति, नेटवर्क सुरक्षा नीति का अनुपालन किया. अप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण संबंधी नीति, पासवर्ड सुरक्षा, पासवर्ड का दुरुपयोग संबंधी मार्गनिर्देश आदि का कार्यान्वयन कोर बैंकिंग क्षेत्र में किया है. बैंक के अपने नेट वर्क तथा डाटा सेंटर सुविधाओं की संवेदनशीलता, मूल्यांकन व भेदन परीक्षण किया जा रहा है ताकि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. तीसरी पार्टी के साफटवेयर अप्लिकेशन की आईएस लेखा परीक्षा बैंक द्वारा की जाती है ताकि गोपनीयता, समाकलन तथा इस के सभी आईटी स्रोतों की उपलब्धता में लगातार वृद्धि ला सकें.
- सिस्टम खराब होने की संभाव्यता को रोकने के लिए, जिसके कारण कारोबार में रुकावट हो सकती है, बैंक ने विविध स्तरों पर आपदा वसूली एवं कारोबार की निरंतरता तंत्र एवं उपायों को कार्यान्वयन किया है. विशेषतया संवेदनशील जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली, नेटवर्क सुविधा, आईटीएमएस, आईआरएमएस, हेचआरएमएस के लिए.
- मौजूदा वर्ष 2008-09 में संशोधित आरबीआइए फार्मेट पर आधारित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है.
- कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अन्तर्गत हमारे बैंक ने 100% उपलब्धता प्राप्त की है एवं सीबीसी प्रौद्योगिकी तथा जोखिम प्रबंधन पहलू दोनों में स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया.
- जोखिम एवं नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यान्वित किया गया तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना के बाह्य सलाहकार की सहायता से मुख्य जोखिम सूचक की पहचान की गई.
- हानि की घटनाओं/परिचालनात्मक जोखिम के कारण हानि संबंधी विस्तृत डाटा आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि आनेवाले दिनों में उन्नत मापन दृष्टिकोण की ओर आगे बढ सके.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन
3 वर्षों के लिए सकल आय का औसतन

(रु. करोडों में)

		31.03.07	31.03.08	31.03.09
1	निवल लाभ	331.34	361.28	262.48
	जोडें			
2	प्रावधान एवं आकस्मिताएँ	364.68	299.60	636.43
3	परिचालन व्यय	650.72	701.27	924.70
4	**उपकुल**	**1346.74**	**1362.15**	**1823.61**
	घटाएँ			
5	एचटीएम संवर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि	0.00	0.00	221.51
6	बीमा क्रियाकलाप तथा बैंक के पक्ष में बीमा दावों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
7	अन्य अति साधारण या अनियमित आय की मद	10.50	0.00	0.00
8	वर्ष के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि का निराकरण	42.40	5.37	54.61
9	चल अचल आस्तियों के निपटान से हुई हानि	-0.07	6.00	0.23
10	बैंक के पक्ष में कानूनी समझौतों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
11	**उपकुल**	**52.83**	**11.37**	**276.35**
12	परिचालन जोखिम की गणना के उद्देश्य से सकल आय	**1293.91**	**1350.78**	**1547.26**

3 वर्षों की सकल आय का औसतन = रु.1397.32 करोड
परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार = सकल आय का औसतन * आल्फा (15%)
= रु.209.60 करोड
समान जोखिम भारित आस्तियाँ : रु.2328.89 करोड

तालिका डीएफ – 10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

साधारण गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता में आईआरआरबीबी की प्रकृति एवं मुख्य पूर्व धारणा, ऋण के पूर्व भुगतानों के संबंध में एवं अपरिपक्व जमा का व्यवहार तथा आईआरआरबीबी के बारंबार मापन

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में कारोबार उद्देश्य, मुद्रा बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार जिस में बैंक के परिचालन होते हैं को समझना तथा इन मानदण्डों के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए अपनी तैयारी को पहचानना व निर्धारित करना शामिल हैं.

तुलन पत्र में होनेवाले ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक दो प्रक्रियाओं/दृष्टिकोणों को अपनाता है.

1) पारंपरिक गैप विश्लेषण परिणामों के आधार पर तुलन पत्र पर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) का पहला दृष्टिकोण. इस में ब्याज दर पर बैंक के नज़रिए पर आधारित होकर आस्ति एवं देयताओं का समतुलन/पुन:समतुलन सावधानी पूर्वक करना भी शामिल है ताकि जोखिम भरे ब्याज आय को दूर कर सकें. उचित प्रकार की (प्रकार एवं परिपक्वता) आस्तियों एवं देयताओं की धारणा करते हुए जोखिम को न्यूनतम कर सकने के अभ्यास के ज़रिए कथित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक के कुछ लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं (जैसे लक्ष्य आय की प्राप्ति के साथ साथ जोखिम को कम करना)
2) बचाव व्यवस्था के जरिए तुलन पत्र से बाहर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) करना दूसरा दृष्टिकोण है. बचाव व्यवस्था से तुलन पत्र के बाहर की स्थिति बनती है. ओटीसी व्युत्पन्न उत्पाद जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने व्यापार संविभाग की बचाव व्यवस्था के लिए किया जाता है एवं कुछ देयताएँ ब्याज दर के स्वैप होते हैं (आईआरएस).

बाजार जोखिम प्रबंधन/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एमआरएमसी/आल्को) अपनी पाक्षिक बैठकों में आस्ति देयता प्रबंधन पद्धतियों पर विचार-विमर्श करती हैं. इसके अलावा तुलन पत्र प्रबंधन समूह बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है.

बैंक द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण

बैंक नियमित रूप से निवेश सूची की अवधि एवं आशोधित अवधि का विश्लेषण करता है तथा ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए अपनी निवेश सूची को पुन: समतुलन करता है. आल्को/एमआरएमसी द्वारा पाक्षिक अंतरालों पर तथा मंडल द्वारा मासिक अंतरालों पर कथित निवेश सूची के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है.

आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी 1999 के मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणी (आईआरएस) पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है. संवेदनशील आस्तियों की प्रतिशतता विविध दर-वार संवेदन अंतरों की पाक्षिक अंतरालों पर मंडल द्वारा निर्धारित छूट-सीमाओं के प्रति एमआरएमसी/आल्को द्वारा निगरानी रखी जाती है.

छूट सीमा के उल्लंघन पर संबंधित परिचालनीय तुलन पत्र की मदों के परिपक्वता प्रोफाइल की पुनर्संरचना के अनुदेश के साथ या बगैर एमआरएमसी/आल्को कथित उल्लंघन का अनुसमर्थन करता है. ब्याज दर एवं बाज़ार की स्थिति के मद्दे नज़र समानुपातिक है. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करते समय निम्न पर किये गये व्यावहारिक विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखा गया :

i) बचत जमा के अस्थित एवं कोर भाग
ii) सीसी/ओडी खातों की पुन: मूल्यनिर्धारण विशेषता
iii) निवेश सूची में अत:स्थापन के विकल्प

जोखिम पर आय (ईएआर) :

3 महीने, 6 महीने तथा 1 वर्ष के समतल तक ब्याज दर संवेदनशील आस्ति देयता अंतरों की आय रेखा पर समांतर एवं असमांतर विचलन के कारण आय जोखिम की गणना की जाती है. यह विश्लेषण पाक्षिक आधार पर किया जाता है एवं एमआरएमसी/आल्को की पाक्षिक बैठकों में और बाद में मंडल की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है.

1 वर्ष तक के गैप प्रोफाइल पर आधारित होकर एवं ब्याज दर पर बैंक की मद्दे नजर, तुलनपत्र की मदों या बाह्य मदों की बचाव स्थिति की रणनीतियों में परिवर्तन करने वाली ईएआर राशि की पाक्षिक आधार पर निगरानी की जाती है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दर के परिवर्तन के लिए आय एवं आर्थिक मूल्य या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त मापन में वृद्धि (अवनति) आईआरआरबीबी को मापने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, मुद्रा के कारण छिन्न भिन्न हुआ (जहाँ कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त है)

जोखिम पर आय (ईएआर) :

100 आधार बिन्दु के लिए, ब्याज दर में पूर्व निर्धारित वृद्धि, एनआईआई पर 1 वर्ष अंतर के समतल के कारण प्रभाव *83.01* करोड.

बैंक ने छूट सीमा को रु.110 करोड में निर्धारित किया है अत:, ईएआर (83.01) का उपरोक्त प्रभाव सीमा के अंदर है.

आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण

आर्थिक मूल्य यानी आर्थिक मूल्य पर 200 आधार बिन्दुओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के कारण पूंजी निधि पर प्रभाव का मूल्यांकन, अवधि अंतर पद्धति के ज़रिए नियमित अंतरालों पर किया जाता है. विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आस्ति व देयताओं की निवल अवधि अंतर के लिए एक सीमा निर्धारित की गई तथा नियमित अंतरालों पर इस की निगरानी की जाती है.

यथा 31 मार्च 2010 को बेसल II प्रकटीकरण दस्तावेज़

तालिका डीएफ – 1
कार्यान्वयन क्षेत्र

लागू नहीं चूंकि बैंक की कोई सामूहिक इकाइयां नहीं है जहां लेखों का समेकन किया जाता है, यद्यपि विश्वेश्वरय्या बैंक हमारी सहयोगी संस्था है, हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.

तालिका डीएफ – 2
पूंजी संरचना

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) सभी पूंजी लिखत विशेषकर टियर 1 या उच्चतर टियर 2 में समावेश हेतु पात्र लिखतों की मुख्य बातों की शर्त एवं निबंधनों पर सारांश जानकारी	बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु.1,500 करोड़ से बढ़कर दि. 10.11.2009 को रु. 3,000 करोड़ बन गयी. निर्गमित व प्रदत्त ईक्विटी पूंजी रु.433.52 करोड है. वर्ष 2008-09 (मार्च 2009 में) के दौरान बैंक को भारत सरकार से शास्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयरों के रूप में रु.500 करोड.की पूंजी सहायता प्राप्त हुई. बैंक ने वचन पत्र के रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय गौण ऋण के रूप में रु.1650 करोड.जुटाया जिसमें से रु.1,500 करोड.को टियर II पूंजी के रूप में संगणित किया गया. ऋण लिखतों की शर्तें व निबंधन निम्नानुसार है.

यथा 31.03.2010 को बैंक के टियर I/टियर II निर्गमन के बकाया संबंधी विवरण

क्र. सं.	निर्गमन विवरण	जुटाई गयी राशि (रु. करोड)	स्वरूप	आबंटन की तारीख	देय तारीख	कूपन दर (31 मार्च को वार्षिक रूप से देय)	दर निर्धारण
1.	टियर I शास्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर	500.00	शास्वत	31.03.2009	-	अस्थाई संबद्ध तारीख को प्रचलित रिपो दर के आधार पर वार्षिक रूप से रिपो दर से 100 बीपीएस से अधिक समायोजित	लागू नहीं
2.	ऊपरी टियर II श्रृंखला I	300.00	180 महीने 10वें वर्ष के अंत में माँग विकल्प सहित	20.03.2007	20.03.2022	10.10% प्र.व. यदि माँग विकल्प उपयोग नहीं किया तो 10वें वर्ष के बाद 50 बीपीएस स्टेप अप सहित	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
3.	ऊपरी टियर II श्रृंखला II	300.00	180 महीने 10वें वर्ष के अंत में माँग विकल्प सहित	17.03.2008	17.03.2023	9.45% प्र.व. यदि माँग विकल्प उपयोग नहीं किया तो 10वें वर्ष के बाद 50 बीपीएस स्टेप अप सहित	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
4.	निचली टियर II श्रृंखला III	150.00	90 महीने	08.11.2002	08.05.2010	7.50% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
5.	निचली टियर II श्रृंखला IV (बारक्ले बैंक के साथ ब्याज दर स्वैप)	250.00	123 महीने	15.03.2005	15.06.2015	7.15% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
6.	निचली टियर II श्रृंखला V	250.00	120 महीने	01.08.2006	01.08.2016	9.25% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
7.	निचली टियर II श्रृंखला VI	200.00	123 महीने	31.07.2007	31.10.2017	9.50% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
8.	निचली टियर II श्रृंखला VII	200.00	124 महीने	31.12.2007	30.04.2018	9.35% प्र.व.	पीआर1+ सीएआरई द्वारा
कुल रु.2150 करोड							

परिमाणात्मक प्रकटन **रु. करोडों में**

(ख)	टियर । पूंजी की राशि		
	प्रदत्त पूंजी		**433.52**
	शास्वत गैर संचयी अधिमान्य शेयर :		**500.00**
	आरक्षितियाँ		**1376.19**
	अधिशेष		**853.76**
	नवोन्मेष लिखतें		कुछ नहीं
	अन्य पूंजी लिखतें		कुछ नहीं
	तरलहीन निवेश के लिए समायोजन		**(-) 35.00**
	टियर । पूंजी से घटायी गयी राशि :		
	अन्य अमूर्त आस्तियाँ (आस्थगित कर आस्ति)		**(-) 150.39**
	कुल टियर । पूंजी		**2978.08**
(ग)	टियर ।। पूंजी की राशि (टियर ।। पूंजी से निवल कटौतियाँ)		
	(i) पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति	140.25	
	(ii) सामान्य प्रावधान	223.41	**363.66**
(घ)	ऊपर टियर ।। पूंजी में समावेश हेतु पात्र ऋण पूंजी लिखत		**600.00**
	• कुल बकाया राशि	600.00	
	• उसमें से वर्ष के दौरान जुटाई गयी	कुछ नहीं	
	• पूंजी निधि के रूप में संगणित योग्य राशि	600.00	
(ङ)	निचली टियर ।। पूंजी में समावेश हेतु पात्र गौण ऋण :		**900.00**
	• कुल बकाया राशि	1050.00	
	• उसमें से वर्ष के दौरान जुटाई गयी	कुछ नहीं	
	• पूंजी निधि के रूप में संगणित योग्य राशि	900.00	
(च)	पूंजी से अन्य कटौतियाँ यदि हो		**NIL**
	कुल टियर ।। पूंजी		**1863.66**
(छ)	कुल पात्र पूंजी : टियर । पूंजी	2978.08	
	टियर ।। पूंजी	1863.66	**4841.74**

तालिका डीएफ – 3

पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधियों के समर्थन के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण की पद्धति पर चर्चा का सारांश	बेसल ।। पर भारिबैं के निदेशानुसार हमारे बैंक ने 31.03.2009 से प्रभावी ऋण जोखिम के लिए 'मानकीकरण दृष्टिकोण', बाज़ार जोखिम के लिए 'मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण' तथा परिचालन जोखिम के लिए 'मूल संकेत दृष्टिकोण' अपनाया है. मौजूदा तथा भविष्य के क्रियाकलापों के समर्थन हेतु अतिरिक्त पूंजी निर्धारण के लिए बैंक आईसीएएपी नीति का पालन करती है. कारोबार के भविष्य की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सतत आधार पर नियामक न्यूनतम से अधिक पर्याप्त पूंजी के रख-रखाव हेतु आईसीएएपी को अर्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण		(रुपए करोडों में)		
(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ			
	• मानक पद्धति के अधीन संविभाग	**रु. 3082.96 (अन्य आस्तियाँ सहित)**		
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम	**कुछ नहीं** – चूंकि प्रतिभूतिकरण के अतंर्गत बैंक का कोई ऋण जोखिम नहीं है.		
(ग)	बाज़ार जोखिम मानकीकरण अवधि दृष्टिकोण के लिए पूंजी आवश्यकताएँ	**रु. 193.82**		
	• ब्याज दर जोखिम	रु. 137.70		
	• विदेशी विनिमय जोखिम	रु. 1.85		
	• ईक्विटी जोखिम	रु. 54.27		
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएँ– मूल सूचक पद्धति	**रु. 209.60**		
	आवश्यक पूंजी	**रु. 3486.38 – न्यूनतम पूंजी आवश्यकता**		
	रखी गयी पूंजी	**रु. 4841.74 – 31.03.2010 को पूंजी निधि**		
(ड)	कुल तथा टियर । पूंजी अनुपात		**बेसल ।**	**बेसल ।।**
		सीआरएआर – :	**11.79%**	**12.50%**
		सीआरएआर – टियर । पूंजी	7.28%	7.69%
		सीआरएआर – टियर ।। पूंजी	4.51%	4.81%
	• शीर्ष समेकित समूह के लिए	लागू नहीं, चूंकि हमारे बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है.		
	• महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए			

तालिका डीएफ - 4

ऋण जोखिम – सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) ऋण जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण जिसमें शामिल है • अतिदेय तथा अनर्जक की परिभाषा (लेखाकरण कार्य के लिए) • बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा	बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, एक मज़बूत प्रणाली, कार्यपद्धतियां तथा नीति पर चलती है. जहाँ निदेशक मंडल तथा मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति निदेश देती है वहीं वरिष्ठ कार्यपालकों से सम्मिलित ऋण जोखिम प्रबंधन उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हैं. ऋण जोखिम प्रबंधन, संपार्श्विक प्रबंधन तथा ऋण जोखिम उपशामक (सीआरएम) दर निर्धारण आदि तैयार किये गए हैं जिसमें उद्देश्य, गुंजाइश तथा जोखिम रिपोर्ट करने का स्वरूप, उसका माप, प्रणालियाँ, नीतियाँ, सीआरएम के ज़रिए जोखिम का नियंत्रित/कम करने हेतु अपनाई जानेवाली रणनीतियाँ, प्रक्रियात्मक कदम, उपशामक के निरंतर प्रभाव के लिए विकास, संवीक्षा तथा पर्यवेक्षण यंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी है. बेसल ।। मानदंडों के उच्चतर दृष्टिकोण तक जाने के लिए बैंक ने ऋण जोखिम निर्धारण, ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम, परिचालन जोखिम एएलएम तथा एफ़टीपी के छः समाधानों के माध्यम से एकीकरण जोखिम प्रबंधन का कार्यान्वयन अपनाया है. **आईआरएसी पर बैंक की नीति (आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण) मानदंड** भारतीय रिज़र्व बैंक पर समय-समय पर जारी संशोधित दिशानिर्देशों के आधार पर है. आस्तियों को निष्पादक तथा गैर निष्पादक आस्तियों के रूप में वर्गीकरण करने हेतु 90 दिनों के चूक मानदंड अपनाया जाता है. आईआरएसी के संपूर्ण आंकडे लेखा परीक्षा के अधीन है. मानक आस्ति (निष्पादक) तथा गैर निष्पादक आस्ति दोनों पर निर्धारितानुसार पर्याप्त प्रावधान किया गया है. इसके अलावा पुनर्रचित आस्तियों के लिए बैंक ने सामान्य अस्थाई प्रावधान तथा अतिरिक्त प्रावधान सुनिश्चित किया है.

	अनर्जक आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण उद्देश्य के लिए) : कोई आस्ति गैर निष्पादक तब बनती है जब उससे बैंक को कुछ आय प्राप्त न हो जैसे (क) जब ऋण का ब्याज व/या किस्त 'बकाया' बनता है (*) मीयादी ऋण के संबंध में 90 दिनों के अधिक की अवधि के लिए (ख) खाता तब 'आउट आफ आर्डर' बनता है जब वह (#) नकद ऋण जैसी परिचालन सीमाओं के संबंध में 90 दिनों तक अप्रचलित हो (ग) खरीदे गए बिल/भुनाए गए बिल के संबंध में यदि बिल 'अतिदेय' बन जाते हैं (घ) किसी भी तिमाही में प्रभारित ब्याज को तिमाही के अंत से 90 दिनों के अंदर वसूल न किया गया है (ङ) जहाँ तक कृषि ऋणों, अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उस पर ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय हो तथा दीर्घावधि फसल ऋणों के मामले में मूल राशि का किश्त या उसपर ब्याज एक फसल मौसम में अतिदेय रहता हो (च) जब गैर निधि आधारित राशियों के परिणति की तारीख से 90 दिन समाप्त होने पर. * 'अतिदेय' का तात्पर्य है किसी ऋण सुविधा के अधीन बैंक की देय कोई राशि, यदि वह देय नियत दिनांक को या गैर निधि आधारित राशि के परिणत होने पर भुगतान नहीं किया जाता. # 'आउट आफ आर्डर' का तात्पर्य है बकाया शेष मंजूर सीमा/आहरण अधिकार से निरंतर रूप से अधिक रहता है या 90 दिन निरंतर रूप से आवश्यक राशि जमा नहीं की गयी या 90 दिनों से पहले नामे डाला गया ब्याज को प्रावरित करने हेतु खाते में काफी जमा न हो तो. **बैंक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा :** बैंक ने एक व्यापक ऋण जोखिम प्रबंधन नीति का सूत्रपात किया है तथा ऋण जोखिम प्रबंधन समिति, बेसल ।। कार्यकारी समूह आदि जैसी विभिन्न समितियों को गठित किया है ताकि कई प्रबंधन तकनीकों को सुधारा जा सके जिससे ऋण जोखिम पर प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाले बाह्य तथा आंतरिक घटकों को हिसाब में लेते हुए ऋण जोखिमों की पहचान, मापन, संवीक्षा व नियंत्रण करने में बैंक को मदद मिले. बैंक ने जोखिम प्रबंधन नीतियाँ तथा उधार नीति को और सुचारू बनाया है. इसमें ऋण मूल्यांकन नाम जैसे बेंचमार्क/प्रमुख वित्तीय संकेतकों पर रोक अनुपात आंतरिक अधिकतम सीमा, बडे.ऋण प्रस्ताव के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, ऋण संकेद्रीकरण, ऋण समीक्षा संयंत्र/ऋण लेखा परीक्षा, उच्च मूल्य उधार खातों (व्यापक ऋण संवीक्षा रिपोर्ट) की विशेष समीक्षा, जोखिम, संकेंद्रीकरण/ जोखिम दर निर्धारण के आधार पर अनुवीक्षण व लागत निर्धारण तथा जोखिम दर निर्धारण के आधार पर समीक्षा शामिल है तथा इसमें संवेदनशील क्षेत्र जैसे पूंजी बाज़ार, भू संपदा तथा पण्य क्षेत्र के लिए जोखिम उच्चतम सीमा भी प्रावरित है. बैंक की व्यापक वसूली नीति भी तैयार की गयी है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	**सकल ऋण जोखिम (अन्य आस्तियों को छोडकर)**
(ख) सकल ऋण जोखिम - – निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग	**निधि आधारित : रु. 58055.93 करोड** **गैर निधि आधारित : रु. 4134.31 करोड** **कुल रु. 62190.24 करोड**
(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक संवितरण – निधि आधारित व गैर निधि आधारित अलग-अलग • समुद्रपारीय • देशी	समुद्रपारीय: निधि आधारित व गैर निधि आधारित: कुछ नहीं देशी : निधि आधारित: रु. 58055.93 करोड. गैर निधि आधारित: रु. 4134.31 करोड. **कुल रु. 62190.24 करोड**

(घ) ऋण का उद्योगवार संवितरण	**ऋण का उद्योगवार संवितरण**	(रु. करोडों में)
	मूलभूत संरचना – दूरसंचार, सडक, पत्तन, पानी की आपूर्ति आदि	10444.80
	बिजली	5323.80
	पेट्रोलियम	1364.31
	लोहा और इस्पात	1874.56
	निर्माण	608.46
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	2676.63
	खनन	68.91
	सिमेंट	101.12
	अन्य धातु	81.25
	इंजिनीयरिंग, इलेक्ट्रानिकस	430.19
	हीरे व जवाहरात	358.90
	कपडा (कपास, जूट व अन्य)	380.13
	तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद	65.92
	कागज़ व कागज़ के उत्पाद	75.36
	चमड़ा व चमड़ा उत्पाद	42.45
	खाद्य संसाधन (समुद्री व अन्य खाद्यान्न)	85.75
	केमिकल/डाय/पेंट, ड्रक्स/फार्मासिटुकल्स	163.10
	एनबीएफसी	860.02
	अन्य उद्योग	1322.17

(ङ) 31.03.2010 को आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन **(रु. करोड़ों में)**

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-28 दिन	29 दिन–3 महीने	3 महीनों से 6 म हीने तक	6 महीनों से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
अग्रिम	1079.22	182.19	230.99	394.68	1848.20	1754.13	2657.73	24601.02	3986.41	4787.16	**41521.73**
निवेश	133.00	121.09	327.06	294.10	615.54	363.60	48.02	705.84	4135.50	14363.69	**21107.44**
वि.वि.आस्तियाँ	114.38	16.06	24.96	4.45	157.77	84.99	8.10	0.03	0.00	0.00	**410.72**

31.03.2010 **को स्थिति** **(रु. करोडों में)**

(च)	एनपीए की राशि (सकल)	**994.45**
	• अवमानक	500.71
	• संदिग्ध 1	247.71
	• संदिग्ध 2	229.84
	• सदिग्ध 3	9.79
	• हानि	6.53
(छ)	निवल एनपीए	**581.83**
(ज)	एनपीए अनुपात	
	• सकल अग्रिम के प्रति सकल एनपीए	**2.37%**
	• निवल अग्रिम के प्रति निवल एनपीए	**1.40%**
(झ)	एनपीए का उतार-चढ़ाव (सकल)	
	• अथशेष	698.82
	• परिवर्धन	1207.58
	• कटौतियाँ	911.95
	• इतिशेष	**994.45**

		(रु. करोडों में)
	एनपीए का उतार-चढ़ाव (निवल)	
	• अथशेष	292.29
	• परिवर्धन	289.54
	• कटौतियाँ	0.00
	• इतिशेष	581.83
(ञ)	एनपीए हेतु प्रावधान का उतर-चढाव	
	• अथशेष	400.84
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	475.15
	• बट्टे खाता डालना	467.59
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	--
	• इतिशेष	408.40
(ट)	गैर-निष्पादन निवेशों की राशि	21.33
(ठ)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों की राशि (एनपीआई)	19.25
(ड)	नवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव	
	• अथशेष	19.25
	• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	0.00
	• बट्टे खाता डालना	0.00
	• अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	0.00
	• इतिशेष	19.25

तालिका डीएफ – 5

ऋण जोखिम – मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) मानकीकरण दृष्टिकोण के अधीन संविभागों के लिए • प्रयुक्त ऋण का दर्जानिर्धारण एजेंसी के नाम तथा परिवर्तन के लिए कारण	बैंक ने भारिबैं द्वारा अनुमोदित निर्धारण एजेंसियों जैसे सीआरआईएसआईएल/ आईसीआरए/एफआईटीसीएस/सीएआरई के ही दर निर्धारणों का उपयोग किया है. बाह्य दर निर्धारण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने तथा अपने निवेश के लिए ग्राहकों को बाह्य दर निर्धारण की माँग करने योग्य बनाने हेतु बैंक ने इन चार दर निर्धारण एजेंसियों के साथ एक अलग से समझौता करार किया है. इस करार में बैंक के ग्राहकों के लिए रियायती शुल्क का प्रावधान है.
• ऋण जोखिम के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक ऐजेंसी का प्रयोग किया जाता है.	रु.5 करोड.से अधिक सभी कार्पोरेट ऋण जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को ऋण जोखिम.
• पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गयी प्रक्रिया का विवरण	बैंक ने केवल उन बैंक दर निर्धारणों का उपयोग किया है जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है. इसके अलावा बैंक ने कोई सार्वजनिक निर्गम रेटिंग का उपयोग नहीं किया है.
परिमाणात्मक प्रकटीकरण	
(ख) मानकीकरण दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम न्यूनीकरण के पश्चात ऋण जोखिम की राशियों के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख जोखिम समूहों और कटौती की गयी जोखिम राशि में बैंक की बकाया राशियाँ (रेटिंग सहित और रेटिंग रहित)	**ऋण जोखिम (रु करोडों में)**
• 100% जोखिम भार से नीचे	39673.44
• 100% जोखिम भार	17189.92
• 100% से अधिक जोखिम भार	2303.81
• कटौती की गयी	3023.07
• कुल	**62190.24**

तालिका डीएफ - 6
ऋण जोखिम न्यूनीकरण : - मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत प्रकटन

गुणात्मक प्रकटीकरण	
(क) ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्न शामिल हैं :	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बेसल ।। अंतिम दिशानिर्देशों में सूचितानुसार ऋण जोखिम को कम करने के लिए सामान्य सिद्धांत जैसे विशिष्ट ग्रहणाधीकर रखना, आवश्यक न्यूनतम मार्जिन निर्धारण, मूल्यांकन, वैधिक निश्चितता, प्रलेखीकरण, आवधिक निरीक्षण, सुलभ तरलता आदि का उपयोग किया गया है. मुद्रा बेमेल तथा परिपक्वता बेमेल के लिए समायोजन सहित सभी निर्धारित मार्जिन लिए गए हैं. जोखिम भारिता को समनुदेशित करने से पहले ऋण जोखिम से उपलब्ध वित्तीय संपार्श्विकों को समायोजित किया जाता है. सीआरएम के प्रभाव का दुहरी लेखाकरण नहीं किया जाता है.
• तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर बैंक द्वारा उपयोग करने की सीमा तक तथा नीति तथा प्रक्रिया के लिए • संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ.	
• बैंक द्वारा लिए गए मुख्य प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियों के विवरण	सीआरएम के उद्देश्य के लिए वित्तीय संपार्श्विक में बैंक की अपनी सावधि जमाराशि, नकद मार्जिन, जीवन पॉलिसी, एनएससी, केवीपी, 99.99 शुद्धता आधार का सोना
• मुख्यतया जिस प्रकार के प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता स्वीकार किए जाते हैं उन का ब्यौरा और उन की ऋण – पात्रता	गारंटी दिए गए ऋण जोखिम में केंद्र/राज्य सरकार, ईसीजीसी, सीजीएसटीएमई द्वारा गारंटी शामिल है.
• जोखिम न्यूनीकरण मदों के अंतर्गत अधिक जोखिम (बाज़ार या ऋण) संबंधी सूचना	सीआरएम/गारंटी दिए गए ऋण जोखिम किसी भी बाज़ार उतार–चढाव के अधीन नहीं है तथा ये ऋण जोखिम विभिन्न है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए ऋण जोखिम संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि मार्जिन लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक द्वारा प्रावरित

रु. करोड़ों में

ऋण जोखिम	ऋण व अग्रिम	गैर–निधि आधारित	निवेश	कुल
ऋण जोखिम	41934.53	4134.31	16121.40	62190.24
सीआरएम/ वित्तीय संपार्श्विक	2301.15	721.92	0.00	3023.07
निवल ऋण जोखिम	39633.38	3412.39	16121.40	59167.17

(ग) प्रत्येक अलग से प्रकट किए गए संविभाग के लिए कुल ऋण जोखिम (तुलन पत्र की निवल अवधारणा में तथा उसके बाहर जहां कहीं लागू होने के बाद) जो कि गारंटी/ऋण व्युत्पन्न द्वारा प्रावरित (जब कभी भा.रि.बैं. द्वारा विशेष रूप से अनुमत)

रु. करोड़ों में

गारंटी की स्थिति	ऋण व अग्रिम	गैर–निधि आधारित	निवेश	कुल
ऋण जोखिम	41934.53	4134.31	16121.40	62190.24
केंद्र सरकार	966.68	0.00	14180.25*	15146.93
राज्य सरकार	2110.75	0.00	20.30	2131.05
ईसीजीसी	410.46	0.00	0.00	410.46
सीजीएसटीएमई	9.20	0.00	0.00	9.20
कुल :	**3497.09**	**0.00**	**14200.55**	**17697.64**
निवल ऋण जोखिम	**38437.44**	**4134.31**	**1920.85**	**44492.60**

* इसमें केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी बांड/प्रपत्र तथा/या केंद्र सरकार द्वारा गारंटी शामिल है.

मानकीकृत पद्धति (निधि व निधियेतर आधारित) के अधीन ऋण जोखिम संविभाग के लिए, कुल पात्र वित्तीय संपार्श्विक का परिकलन मार्जिन, जहां कहीं लागू हो, के बाद किया जाता है.

तालिका डीएफ - 7
प्रतिभूतिकरण
मानकीकृत प्रक्रिया हेतु प्रकटीकरण

बैंक ने वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान बैंकिंग बही या ट्रेडिंग बही में किसी भी आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है.

तालिका डीएफ - 8
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण (क) मानकीकृत पद्धति द्वारा प्रावरित संविभाग सहित बाजार जोखिम के लिए सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता	बाजार जोखिम ब्याज दर, ईक्विटी मूल्य, विदेशी मुद्रा, पण्य मूल्य में बाजार चलन की वजह से संभावित जोखिम है. बेसल–II में बाजार जोखिम के लिए दो पद्धति का प्रस्ताव है यथा मानकीकृत अवधि प्रक्रिया तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया. संप्रति बैंक ने "मानकीकृत अवधि प्रक्रिया" लागू किया है तथा आंतरिक मॉडल प्रक्रिया लागू करने जा रहा है. मानकीकृत अवधि प्रक्रिया में निम्न विशेषताएं हैं. 1. मानकीकृत प्रक्रिया के अधीन पूंजी अपेक्षा का परिकलन ब्याज दर जोखिम, ईक्विटी मूल्य जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम तथा पण्य जोखिम के आधार पर किया जाता है. 2. सामान्य बाजार जोखिम का परिकलन संशोधित अवधि तथा आय में परिवर्तन के आधार पर किया जाता है. 3. विशेष जोखिम का परिकलन बाह्य जोखिम दर निर्धारण, प्रपत्र की अवधि आदि के आधार पर किया जाता है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

पूंजी प्रभार के परिकलन के उद्देश्य के लिए बैंक ने 'मानकीकृत अवधि पद्धति' को अपनाया है जो निम्न प्रकार है:

31.03.2010 को बाज़ार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार का कुल — रु. करोडों में

	जोखिम श्रेणी	पूंजी प्रभार
(क)	**एचएफटी के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए बाज़ार जोखिम**	0.00
	ब्याज दर (क +ख)	0.00
	क. सामान्य बाजार जोखिम	0.00
	i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	0.00
	ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	0.00
	iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.00
(ख)	**विशिष्ट जोखिम**	0.00

(ख) निम्न के लिए पूंजी अपेक्षा

(ख) एएफएस के अन्तर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए पूंजी प्रभार हेतु बाज़ार जोखिम

- ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर (क +ख)	**137.70**
क. सामान्य बाजार जोखिम	98.82
i) निवल स्थिति (समानांतर विचलन)	93.75
ii) सम स्तरीय अस्वीकृति (कर्वेचर)	4.81
iii) ऊर्ध्वस्थ अस्वीकृति (बेसिस)	0.26
ख. विशिष्ट जोखिम	38.88
ग. एएफएस के अन्तर्गत धारित रप्रतिभूतियों के लिए वैकल्पिक कुल पूंजी प्रभार	**45.47**
I. ब्याज दर संबंधी लिखात {क +(ख या ग जो भी अधिक हो)}	**137.70**
II. ईक्विटी (क+ख)	**54.27**
क. सामान्य बाज़ार जोखिम	27.06
ख. विशिष्ट जोखिम	27.21

- ईक्विटी स्थिति जोखिम
- विदेशी विनिमय जोखिम

III. विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण	**1.85**
IV. बाजार जोखिम के लिए कुल पूंजी प्रभार (I+II+III)	**193.82**
कुल जोखिम भारित आस्तियाँ	**2153.55**

तालिका डीएफ – 9
परिचालन – जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बेसल ।। से संबंधित भारिबैं के अंतिम मार्गनिर्देशों में दर्शाया गयानुसार 'मूल सूचक पद्धति' के अनुरूप परिचालन – जोखिम के लिए बैंक पूंजी प्रभार परिकलन अपना रहा है. बैंक ने परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की यह समिति सभी प्रकार के परिचालनात्मक जोखिमों की पहचान, निगरानी एवं नियंत्रण करेगी. साथ में यह समिति बीसीपी, बीसीडीआरपी, 'बाहरी स्रोतों' के जोखिम प्रबंधन केवाईसी शर्तें एवं धन–शोधन निवारक मार्गनिर्देश संबंधी विस्तृत नीतिगत मार्गनिर्देशों के अनुपालन से इस प्रकार के जोखिमों के न्यूनीकरण के उपाय करेगी. बैंक ने कार्यपालक स्तर पर 'जोखिम पर्यवेक्षकों' तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर 'क्षेत्रीय जोखिम अधिकारी' के रूप में पहचान की गई ताकि जोखिम प्रबंधन क्षेत्रों के संबंध में सभी प्रकार के आंकडों की आवश्यकता की जांच एवं परख की जा सकें.

आगे बैंक परिचालनात्मक जोखिम का प्रबंधन, नियंत्रण एवं न्यूनीकरण हेतु निम्न उपाय कर रहा है

- अनुदेश पुस्तिका/मैनुअल आवधिक अंतरालों पर अद्यतित किए जाते हैं. नियमित/वार्षिक स्तर पर समीक्षा के बाद विविध नीतियों का संशोधन किया जाता है.
- त्रैमासिक आधार पर धोखाधडी तथा अन्य पहलुओं के कारण घटी हानि संबंधी घटनाओं की सूचना परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है.
- आईटी सुरक्षा नीति बैंक में बनाई गई है तथा विविध आईटी सुरक्षा समाधान जैसे डाटा केन्द्र एवं शाखाओं को एण्टी वैरस, फायर वाल, एनक्रिप्शन तकनीकी, इनट्रूशन डिटेक्शन प्रणाली, रौटर आधारित सुरक्षा नीति, नेटवर्क सुरक्षा नीति का अनुपालन किया. अप्लिकेशन एक्सेस नियंत्रण संबंधी नीति, पासवर्ड सुरक्षा, पासवर्ड का दुरुपयोग संबंधी मार्गनिर्देश आदि का कार्यान्वयन कोर बैंकिंग क्षेत्र में किया है. बैंक के अपने नेट वर्क तथा डाटा सेंटर सुविधाओं की संवेदनशीलता, मूल्यांकन व भेदन परीक्षण किया जा रहा है ताकि कोई कमी हो तो उसे ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएंगे. तीसरी पार्टी के साफटवेयर अप्लिकेशन की आईएस लेखा परीक्षा बैंक द्वारा की जाती है ताकि गोपनीयता, समाकलन तथा इस के सभी आईटी स्रोतों की उपलब्धता में लगातार वृद्धि ला सकें.
- सिस्टम खराब होने की संभाव्यता को रोकने के लिए, जिसके कारण कारोबार में रुकावट हो सकती है, बैंक ने विविध स्तरों पर आपदा वसूली एवं कारोबार की निरंतरता तंत्र एवं उपायों को कार्यान्वयन किया है. विशेषतया संवेदनशील जैसे कोर बैंकिंग प्रणाली, नेटवर्क सुविधा, आईटीएमएस, आईआरएमएस, हेचआरएमएस के लिए.
- मौजूदा वर्ष 2008-09 में संशोधित आरबीआइए फार्मेट पर आधारित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा सभी शाखाओं में कार्यान्वित किया गया है.
- कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) के अन्तर्गत हमारे बैंक ने 100% उपलब्धता प्राप्त की है एवं सीबीसी प्रौद्योगिकी तथा जोखिम प्रबंधन पहलू दोनों में स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया.
- जोखिम एवं नियंत्रण स्व मूल्यांकन (आरसीएसए) कार्यान्वित किया गया तथा एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आईआरएमएस) परियोजना के बाह्य सलाहकार की सहायता से मुख्य जोखिम सूचक की पहचान की गई.
- हानि की घटनाओं/परिचालनात्मक जोखिम के कारण हानि संबंधी विस्तृत डाटा आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि आनेवाले दिनों में उन्नत मापन दृष्टिकोण की ओर आगे बढ सके.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण :

परिचालनात्मक जोखिम पर पूंजी प्रभार का परिकलन
3 वर्षों के लिए सकल आय का औसतन

(रु. करोडों में)

		31.03.07	31.03.08	31.03.09
1	निवल लाभ	331.34	361.28	262.48
	जोडें			
2	प्रावधान एवं आकस्मिताएँ	364.68	299.60	636.43
3	परिचालन व्यय	650.72	701.27	924.70
4	**उपकुल**	**1346.74**	**1362.15**	**1823.61**
	घटाएँ			
5	एचटीएम संवर्ग में प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त लाभ/हानि	0.00	0.00	221.51
6	बीमा क्रियाकलाप तथा बैंक के पक्ष में बीमा दावों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
7	अन्य अति साधारण या अनियमित आय की मद	10.50	0.00	0.00
8	वर्ष के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते में डाली गई राशि का निराकरण	42.40	5.37	54.61
9	चल अचल आस्तियों के निपटान से हुई हानि	-0.07	6.00	0.23
10	बैंक के पक्ष में कानूनी समझौतों से प्राप्त आय	0.00	0.00	0.00
11	**उपकुल**	**52.83**	**11.37**	**276.35**
12	परिचालन जोखिम की गणना के उद्देश्य से सकल आय	**1293.91**	**1350.78**	**1547.26**

3 वर्षों की सकल आय का औसतन = रु.1397.32 करोड
परिचालन जोखिम के लिए पूंजी प्रभार = सकल आय का औसतन * आल्फा (15%)
= रु.209.60 करोड
समान जोखिम भारित आस्तियाँ : रु.2328.89 करोड

तालिका डीएफ – 10
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

साधारण गुणात्मक प्रकटीकरण की आवश्यकता में आईआरआरबीबी की प्रकृति एवं मुख्य पूर्व धारणा, ऋण के पूर्व भुगतानों के संबंध में एवं अपरिपक्व जमा का व्यवहार तथा आईआरआरबीबी के बारंबार मापन

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन

बैंक द्वारा ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में कारोबार उद्देश्य, मुद्रा बाजार एवं ऋण पूंजी बाजार जिस में बैंक के परिचालन होते हैं को समझना तथा इन मानदण्डों के संदर्भ में बाजार जोखिम के लिए अपनी तैयारी को पहचानना व निर्धारित करना शामिल हैं.

तुलन पत्र में होनेवाले ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करने के लिए बैंक दो प्रक्रियाओं/दृष्टिकोणों को अपनाता है.

1) पारंपरिक गैप विश्लेषण परिणामों के आधार पर तुलन पत्र पर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) का पहला दृष्टिकोण. इस में ब्याज दर पर बैंक के नज़रिए पर आधारित होकर आस्ति एवं देयताओं का समतुलन/पुन:समतुलन सावधानी पूर्वक करना भी शामिल है ताकि जोखिम भरे ब्याज आय को दूर कर सकें. उचित प्रकार की (प्रकार एवं परिपक्वता) आस्तियों एवं देयताओं की धारणा करते हुए जोखिम को न्यूनतम कर सकने के अभ्यास के ज़रिए कथित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं तथा बैंक के कुछ लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं (जैसे लक्ष्य आय की प्राप्ति के साथ साथ जोखिम को कम करना)
2) बचाव व्यवस्था के जरिए तुलन पत्र से बाहर आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) करना दूसरा दृष्टिकोण है. बचाव व्यवस्था से तुलन पत्र के बाहर की स्थिति बनती है. ओटीसी व्युत्पन्न उत्पाद जिसका प्रयोग बैंक द्वारा अपने व्यापार संविभाग की बचाव व्यवस्था के लिए किया जाता है एवं कुछ देयताएँ ब्याज दर के स्वैप होते हैं (आईआरएस).

बाजार जोखिम प्रबंधन/आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एमआरएमसी/आल्को) अपनी पाक्षिक बैठकों में आस्ति देयता प्रबंधन पद्धतियों पर विचार-विमर्श करती हैं. इसके अलावा तुलन पत्र प्रबंधन समूह बैठकों में विचार विमर्श किया जाता है.

बैंक द्वारा प्रयुक्त विश्लेषण

बैंक नियमित रूप से निवेश सूची की अवधि एवं आशोधित अवधि का विश्लेषण करता है तथा ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए अपनी निवेश सूची को पुन: समतुलन करता है. आल्को/एमआरएमसी द्वारा पाक्षिक अंतरालों पर तथा मंडल द्वारा मासिक अंतरालों पर कथित निवेश सूची के प्रबंधन की समीक्षा की जाती है.

आस्ति देयता प्रबंधन संबंधी 1999 के मार्गनिर्देशों के अनुसार ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर विवरणी (आईआरएस) पाक्षिक आधार पर तैयार की जाती है. संवेदनशील आस्तियों की प्रतिशतता विविध दर-वार संवेदन अंतरों की पाक्षिक अंतरालों पर मंडल द्वारा निर्धारित छूट-सीमाओं के प्रति एमआरएमसी/आल्को द्वारा निगरानी रखी जाती है.

छूट सीमा के उल्लंघन पर संबंधित परिचालनीय तुलन पत्र की मदों के परिपक्वता प्रोफाइल की पुनर्संरचना के अनुदेश के साथ या बगैर एमआरएमसी/आल्को कथित उल्लंघन का अनुसमर्थन करता है. ब्याज दर एवं बाज़ार की स्थिति के मद्दे नज़र समानुपातिक है. ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणी तैयार करते समय निम्न पर किये गये व्यावहारिक विश्लेषण के परिणामों को ध्यान में रखा गया :

i) बचत जमा के अस्थित एवं कोर भाग
ii) सीसी/ओडी खातों की पुन: मूल्यनिर्धारण विशेषता
iii) निवेश सूची में अत:स्थापन के विकल्प

जोखिम पर आय (ईएआर) :

3 महीने, 6 महीने तथा 1 वर्ष के समतल तक ब्याज दर संवेदनशील आस्ति देयता अंतरों की आय रेखा पर समांतर एवं असमांतर विचलन के कारण आय जोखिम की गणना की जाती है. यह विश्लेषण पाक्षिक आधार पर किया जाता है एवं एमआरएमसी/आल्को की पाक्षिक बैठकों में और बाद में मंडल की मासिक बैठक में प्रस्तुत किया जाता है.

1 वर्ष तक के गैप प्रोफाइल पर आधारित होकर एवं ब्याज दर पर बैंक की मद्दे नजर, तुलनपत्र की मदों या बाह्य मदों की बचाव स्थिति की रणनीतियों में परिवर्तन करने वाली ईएआर राशि की पाक्षिक आधार पर निगरानी की जाती है.

परिमाणात्मक प्रकटीकरण

ख) ऊर्ध्वमुखी एवं अधोमुखी दर के परिवर्तन के लिए आय एवं आर्थिक मूल्य या प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपयुक्त मापन में वृद्धि (अवनति) आईआरआरबीबी को मापने के लिए प्रबंधन द्वारा अपनाई गई पद्धति, मुद्रा के कारण छिन्न भिन्न हुआ (जहाँ कुल पण्यावर्त के 5% से अधिक पण्यावर्त है)

जोखिम पर आय (ईएआर) :

100 आधार बिन्दु के लिए, ब्याज दर में पूर्व निर्धारित वृद्धि, एनआईआई पर 1 वर्ष अंतर के समतल के कारण प्रभाव *83.01* करोड.

बैंक ने छूट सीमा को रु.110 करोड में निर्धारित किया है अत:, ईएआर (83.01) का उपरोक्त प्रभाव सीमा के अंदर है.

आर्थिक मूल्य दृष्टिकोण

आर्थिक मूल्य यानी आर्थिक मूल्य पर 200 आधार बिन्दुओं पर ब्याज दर में परिवर्तन के कारण पूंजी निधि पर प्रभाव का मूल्यांकन, अवधि अंतर पद्धति के ज़रिए नियमित अंतरालों पर किया जाता है. विवेकपूर्ण उपाय के रूप में आस्ति व देयताओं की निवल अवधि अंतर के लिए एक सीमा निर्धारित की गई तथा नियमित अंतरालों पर इस की निगरानी की जाती है.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS : 2009-10

Business Growth

- Total business during the year crossed the landmark of Rs. One Lakh Crore, reaching Rs.1,03,867 Crore (recording 15 per cent increase Y-o-Y). Vijaya Bank is now placed in the league of Large Banks.
- Productivity, as measured by 'Business per Employee', improved from Rs.7.85 Crore to Rs.9.30 Crore, while Net profit Per Employee worked out to Rs.4.54 lakhs, from Rs.2.28 lakhs last year.
- Business per branch increased to Rs.90 Crore as against Rs.82 Crore recorded as at March 2009.
- Total deposits grew by 13.56 per cent to reach Rs.61932 Crore.
- Savings Bank Deposits crossed Rs.10000 Crore mark, reaching Rs.10721 Crore, with Y-o-Y growth of 20%.
- Gross advances reached Rs.41935 Crore, recording an annual growth of 16.9%.
- C.D. Ratio improved from 65.78% to 67.71% over the year.

Priority Sector Operations

- Priority sector advances aggregated to Rs.14553 Crore, accounting for 40.57% of Adjusted Net Bank Credit as compared to the 40 per cent norm.
- Agricultural advances posted an increase of 16 per cent, reaching Rs.5222 Crore.
- Advances to MSME segments clocked a 19 per cent growth to reach Rs.5436 Crore.
- Advances to Weaker Section increased to Rs.3462 Crore, constituting 9.7% of ANBC.
- Education loan was of the order of Rs.535 Crore, covering 28475 accounts and registering a Y-o-Y growth of 24 per cent.
- Number of Self Help Groups linked during 2009-10 reached 44243, involving disbursal of Rs.244 Crore (cumulatively 118257 SHGs have been financed so far by the Bank).

Infotech Progress

- 71 new ATMs were installed, thereby increasing the total number of ATMs to 435.
- Bank's clients have access to over 56000 ATMs of public/private sector banks through the National Financial Switch, of which Vijaya Bank is a member.
- Bank launched V-Mobile, the Mobile Banking Module, for ultimate convenience of tech-savvy clients.
- 'SMS Alert' services were launched and as at March 2010, 3.65 lakhs clients were registered.
- V-Net Banking, the Internet Banking Module offered by the Bank was upgraded facilitating a host of value added services.

Profit & Profitability

- Operating profit stood at Rs.1056.96 Crore, recording a Y-o-Y growth of 18 per cent.
- Net Profit crossed, for the first time ever, Rs.500 Crore, to reach Rs.507.29 Crore compared to Rs.262.48 Crore recorded during last Financial, signifying a Y-o-Y growth of 93.26%.
- Cost of deposit declined steeply by 135 bps to 6.21% from 7.56%, which more than offset a 83 bps decline in yield on advances.
- Return on Average Networth increased to 21.41% from 11.10%, while Return on Assets improved from 0.59% to 0.76% over the year.
- Net Interest Income recorded 28.83% growth to reach Rs.1449.07 Crore from Rs.1124.80 Crore. Net Interest Margin increased to 2.54% from 2.04% registering 50 bps improvement.
- Earnings per share improved to Rs.11.70 as compared to Rs.6.05 for the previous year and Book Value rose from Rs.51.35 to Rs.57.97.

Capital Adequacy

- Capital Adequacy Ratio (Basel II) stood at 12.50 per cent vis-à-vis the 9% norm.
- Tire I Capital Adequacy Ratio worked out to 7.69 % where as the Tire II Capital Adequacy Ratio was 4.81%.

PERFORMANCE AT A GLANCE

(Amount in Rs. Crore)

KEY PARAMETERS	2007-08	2008-09	2009-10
No. of Branches	1051	1101	**1158**
Reserves & Surplus	2026	2216	**2542**
Gross Profit	661	899	**1057**
Net Profit	361	262	**507**
Total Deposits	47952	54535	**61932**
% growth	27.52	13.73	**13.56**
Gross Credit	32019	35875	**41935**
% growth	29.93	12.04	**16.89**
Total Business	79971	90410	**103867**
% growth	28.47	13.05	**14.88**
Investments	16617	17388	**21107**
Advances to Priority Sector	11536	13450	**14553**
% to ANBC	46.81	42.00	**40.57**
Total Staff	11439	11975	**11565**
Business per employee	7.33	7.85	**9.30**
KEY RATIOS (%)			
Cost of Deposit	7.13	7.56	**6.21**
Yield on Advances	10.38	11.09	**10.26**
Net Interest Margin	1.98	2.04	**2.54**
Return on Assets	0.75	0.59	**0.76**
Capital Adequacy Ratio % (Basel II)	11.27	13.15	**12.50**

MESSAGE FROM THE CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

Dear Shareholders,

I am happy to share with you highlights of the working results of your Bank for the year 2009-10. As you are aware, 2009-10 was a year beset with lot of challenges for the Indian economy as well as the banking industry. While the Indian economy kept grappling with the challenges of inflationary pressures, slowdown in real sector ; a major challenge for the banking industry was to actively take part in the process of economic revival. For Vijaya Bank, the main challenges were to stay immune to the external pressures in the business environment and continue the revival process that had begun from the second half of the previous financial year. Simultaneously, a major task for your bank was to capitalize its strengths, especially in the IT sphere and grow stronger in fundamentals. It is a matter of great satisfaction that together we were able to surmount most of these challenges and on top of it, we could go past new milestones at the end of the last financial year. Let me acknowledge with gratitude that but for your unstinted cooperation and support, this would not have been possible.

Your Bank crossed three major milestones during 2009-10. We crossed, for the first time ever, the landmark Rs.500 Crore mark under net profit – a fitting culmination to the good and quality business growth that we recorded last year. Crossing the Rs.1,00,000 Crore mark under business was another milestone by virtue of which we now feature in the league of bigger PSU banks. Further, our business growth owes a lot to the consistently high growth in Savings Bank deposits that enabled us to speed past the Rs.10000 Crore mark, once again for the first time ever.

Against this background, let me briefly touch upon specific areas wherein we excelled last year. First and foremost, we consolidated our position in core earnings that has been a redeeming feature of the past several quarters. Probably, ours is one of those few PSU banks that have seen progressive improvement in core earnings – more commonly referred to as the Net Interest Income (NII). For the year, NII growth worked out to 29% that helped us clock a Net Interest Margin of 2.54%, an improvement of 50bps over the March 2009 position. Growth in NII was an outcome of our persistent efforts in the sphere of interest cost containment that offset the slackness in interest income growth.

Our interest income for the year registered a marginal decline, a trend observed across the industry, while our interest cost recorded a significant decline of 8.79%. As a result, a decline of 135 bps in cost of deposits greatly offset a 83 bps drop in yield on advances, giving rise to a much better interest spread. Containment of operating expenses was an active ally to our interest cost containment endeavours. For the year, our endeavors in cost containment aided a 18% growth in our operating profit, notwithstanding sluggish treasury earnings. For 2009-10, your Bank clocked an operating profit of Rs.1057 Crore.

The net profit for the year was Rs.507 Crore, that worked out to 94% growth y-o-y. Good growth in net profit brought in reasonable improvement in profitability as evident from a Return on Asset (RoA) of 0.76% as against 0.59% for the previous financial. Significant improvement in both NIM and RoA, enabled by realignment of business mix, was, thus, one of the most redeeming features of your Bank last year. I am sure, you would realize that our balance sheet growth was both in quantitative and qualitative terms – indicating the measure of our progress in fundamentals.

Let me now move onto key aspects of our top line growth. We ended the year with an aggregate business of Rs.103867 Crore, notching a growth of 14.9%. Our business volume comprised deposits of Rs.61932 Crore and advances of Rs.41935 Crore, with substantial realignment in business composition, especially deposits. We consciously phased out a large chunk of our high cost wholesale deposits that used to dent our profitability. In the sphere of advances, we continued the strategy of rebalancing with a retail centric focus although the headway therein was not so very significant, may be due to credit demand repression that was a feature of the first three quarters. Our outstanding retail advances at March 31, 2010 were Rs.9349 Crore, recording a marginal growth. As regards operations in the designated priority sectors, advances to these segments aggregated to Rs.14553 Crore, accounting for 40.57% of Adjusted Net Bank Credit as against the 40% norm. Within priority sectors, advances to agriculture, MSME and weaker section segments recorded good growth of 16%, 19% and 14% respectively, reaffirming our continued commitment to issues of national priority. In respect of education loan, one of our priority areas, total outstandings were of the order of Rs.535 Crore, signifying a y-o-y growth of 24%.

Support systems play a vital role in realizing various goals and as such, we continued to accord emphasis on basic aspects like branch expansion, technology up-gradation,

IT enabled delivery channel expansion, product innovation and a close watch on our capability in best practices like Basel II.

We added 57 new branches and 71 additional ATMs during the year taking the tally of our branches and ATMs to 1158 and 435 respectively. V-Net, the Internet Banking module offered by the Bank was also upgraded during the year, featuring new value propositions for the tech savvy clients. The year also saw launching of V-Mobile, the mobile banking module and with this, Vijaya joined the distinguished league of a few banks offering this form of virtual banking. We also started SMS alert services to the customers during the year and as at March 2010, 3.65 lakh of our deposit clients were already registered under this service. Further, average hits under the Real Time Gross Settlement (RTGS) and National Electronic Funds Transfer (NEFT) showed a marked improvement over the year. During the year, your Bank launched V-*Gen*UTH Unnati, a recurring deposit scheme for the GenNext clients, evoking good response from the existing and new clients. Let me reassure you that such and other support systems are going to be your Bank's major focus area in the overall business expansion strategy.

Slippage management was a major task on hand right from the beginning of the year under reference. We have been largely successful in bringing down the NPA ratio progressively although there is a fair distance to cover under absolute NPAs. Let me acknowledge that last year, addition to NPAs was very significant although those were mainly on accounts of unforeseen slippage in a few large accounts. However, your Bank has made requisite provisions as mandated by the regulator and we are committed that the worst is over as regards NPAs.

For the year 2010-11, we have envisaged a business goal of Rs.1,26,000 Crore that works out to a 21% growth y-o-y, comprising Rs.74000 Crore under deposits and Rs.52000 Crore under advances. We propose to add further 100 branches and 215 ATMs during the current year. We will continue the retail centric focus in our business mix so as to ensure that the Bank stays put on the profitable growth trajectory. We propose to re-enter third party business like insurance that would help augment our other income and launch services like Phone Banking and Online Trading Portal during FY11. With these strategies and concrete plans to contain our NPAs within 1%, I am sure, core earnings, our forte, would continue to exhibit consistent growth during the current year as well. At the end, I strongly believe that your continued support and our collective endeavours will enable the Bank to scale new peaks of excellence in the current year as well.

With best wishes

Yours Sincerely

ALBERT TAURO
Chairman & Managing Director

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE: BANGALORE - 560 001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation **56** of the Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003 that the Tenth Annual General Meeting of the Shareholders of VIJAYA BANK will be held on **Friday, the 09th July 2010** at **3 P.M.** at the Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank Head Office, M. G. Road, Bangalore - 560 001, to transact the following business:

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2010, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2010, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No.2: To declare dividend on the shares of the Bank for the Financial Year 2009-10.

By order of the Board of Directors
for VIJAYA BANK

Place : Bangalore
Date : 29.05.2010

(K.GOPALAKRISHNAN NAIR)
COMPANY SECRETARY

1. APPOINTMENT OF PROXY:

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. HOWEVER, THE PROXY SO APPOINTED WILL NOT HAVE ANY RIGHT TO SPEAK AT THE MEETING. NO PERSON SHALL BE APPOINTED AS A PROXY WHO IS AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF VIJAYA BANK. The Proxy Form in order to be effective, must be deposited/lodged at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Vijaya Bank, Board Secretariat, 41/2, M.G. Road, Bangalore 560 001, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours i.e.2.00 P.M. of Saturday, the 3rd July, 2010.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the Meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank with the Company Secretary, Vijaya Bank, Board Secretariat, H.O., Bangalore – 560 001 at least four days before the date of the meeting, i.e. on or before the closing hours i.e. 2.00 P.M. of Saturday, the 3rd July, 2010.

3. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS:

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders / Proxy Holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/ Authorized Representative of a shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.

4. CLOSURE OF REGISTER OF MEMBERS:

Pursuant to Clause 12 of Vijaya Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday the 6th July 2010 to Friday the 09th July 2010 (both days inclusive) in connection with the Tenth Annual General Meeting and to entitle the shareholders to get final dividend, if any.

5. PAYMENT OF DIVIDEND:

The dividend, as recommended by the Board, if declared at the Annual General Meeting, will be paid within 30 days of declaration thereof, to those shareholders who stand registered on the Bank's Register of Members:

a) As Beneficial Owners as at the end of business hours on 5th July 2010 as per the list to be furnished by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) in respect of shares held in dematerialized form.

b) As Shareholders whose names are registered in the Register of Members of the Bank as on 09th July, 2010.

The dividend warrants to such shareholders would be mailed or credited through ECS or other approved electronic mode by the Bank through the Share Transfer Agent, viz., M/s Link

Intime India Pvt Limited, Mumbai, within 30 days from the date of declaration, i.e., within 09th August 2010.

6. DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANT/ ELECTRONIC CLEARING SERVICE (CREDIT CLEARING) – (ECS):

SEBI has made it mandatory for all the listed companies, including banks, to mention in the dividend warrant, the Bank Account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the Electronic Clearing Service (ECS) facility wherever available. In the absence of ECS facility at certain centers and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the Bank details, as available with them in the dividend warrants.

The shareholders who are holding the shares in physical form may send their Bank Mandate details to Shares Division & Investors Grievances Cell at Vijaya Bank, Head Office, Bangalore or to our Share Transfer Agent M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai, for necessary updating of the records.

The shareholders who are holding the shares in demat form, may approach their Depository Participant for necessary action in this connection. A proforma of ECS Mandate/Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

7. UNCLAIMED DIVIDEND IF ANY:

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants/ not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for issual of the duplicate Dividend Warrants/ revalidation of Dividend Warrants.

Within 7 days from the expiry of 30days from the date of the declaration, if any shareholder has not encashed/ claimed the dividend, such amounts lying in the Bank Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled "Unpaid Dividend Account of Vijaya Bank for the year…."

As per the new Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 205 (C) of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

8. COPIES OF BALANCE SHEET:

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence shareholders are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at their registered addresses.

9. DEMATERIALISATION OF SHARES:

Shareholders who are still holding their share certificates in physical form are requested to get their shares dematerialized as SEBI has included the name of the Bank for the purpose of compulsory dematerialized trading of shares.

10. NOTIFYING CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders are requested to notify immediately of any change in address/ change in Bank Account numbers to:

a) Their respective Depository Participant in respect of holding of shares in dematerialized form.

b) The Share Transfer Agent, M/s Link Intime India Pvt Limited, Unit: Vijaya Bank, C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S.Road, Bhandup (West), Mumbai-400078 in respect of shares held in physical form.

11. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send the share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai for consolidation into a single folio.

12. RECORDING OF CHANGE OF STATUS:

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt Limited, Mumbai immediately of:

a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.

b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

13. OTHER INFORMATION:

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupon will be distributed at the meeting.

14. FINANCIAL CALENDER

Particulars	Date
Inform Stock exchanges about holding Board Meeting	21.04.2010 (Wednesday)
Board Meeting for approval of accounts & recommendation of dividend	30.04.2010 (Friday)
Submission of Accounts to the RBI (Before 30.06.2010).	31.05.2010 (Monday)
AGM Notice dated	29.05.2010 (Saturday)
AGM Notice to be published in the newspapers (21days before the date of Annual General Meeting and 7 days before the date of Book closure- L.A Clause 16)	31.05.2010 (Monday)
Inform Stock exchanges about Book closure (At least 15 days before book closure- L.A.Clause 16)	29.05.2010 (Saturday)
Despatching of Annual Reports to shareholders (Notice shall be dispatched at least 21 clear days before the meeting)	07.06.2010 (Monday) to 10.06.2010 (Thursday)
Book closure for the purpose of dividend payment	06.07.2010 (Tuesday) to 09.07.2010 (Friday)
Last date to receive proxy forms (4 days prior to meeting date)	03.07.2010 (Saturday)
Date of AGM for approval of accounts, Declaration of Dividend for the year 2009-10.(AGM to be conducted within 42 days from the date of submission of accounts to RBI)	09.07.2010 (Friday) at 3.00 p.m.

By order of the Board of Directors
for **VIJAYA BANK**

Sd/-
(K.GOPALAKRISHNAN NAIR)
COMPANY SECRETARY

Place : Bangalore
Date : 29.05.2010

Directors' Report 2009-2010

The Board of Directors have pleasure in presenting the 30th Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet as on March 31, 2010 and the Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2010.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

1. Economic Scenario

The global economy continues to recover amidst ongoing policy support and improving financial market conditions. The recovery process is led by Emerging Market Economies(EMEs), especially those in Asia, as growth remains weak in advanced economies. The global economy continues to face several challenges, such as, high levels of unemployment, which are close to 10% in the U.S. and the Euro area. Despite signs of renewed activity in manufacturing and improvement in retail sales, the prospects of economic recovery in Europe are clouded by fiscal strains in some countries.

Core Inflation levels in major advanced economies are still moderating as the output gap persists and unemployment remains high. Inflation expectations also remain well anchored. In contrast, core inflation in EMEs, especially in Asia, have been rising. This has prompted Central Banks in some EMEs to begin phasing out their accommodative monetary policies.

The Indian Economy performed well during 2009-10. The overall growth of GDP as per Advance Estimates of the Central Statistical Organisation (CSO) was 7.2% in 2009-10 representing an increase from 6.7% during 2008-09. The final real GDP growth for 2009-10, as perceived by RBI, may settle between 7.2-7.5%. The share of Agriculture, Industry and Services Sector in GDP is estimated at 14.6%, 28.2% and 57.2% respectively in 2009-10.

During 2009-10 (April '09 -Jan.'10), Exports stood at US $131.8 billion, posting a decline of 17.9% as against the growth of 22.8% during the corresponding period last year. Imports during the similar period also recorded a decline of 19.8% as against growth of 32% a year ago. India's Foreign Exchange Reserves stood at U.S. $ 279 billion at the end of March 2010. As regards recent Greek Debt Crisis, it could trigger short-term vulnerability, in terms of capital inflows in the Indian markets, though its long-term impact might not be severe. On the inflation front, Y-o-Y inflation in terms of Wholesale Price Index (WPI) was 9.9% as at March 2010, exceeding the RBI's baseline projection of 8.5% for March 2010. Inflation as measured by Consumer Price Index (CPI) stood much higher at 16.2% (Y-o-Y) in January 2010.

2. Banking Scenario

Growth in monetary and credit aggregates during 2009-10 remained broadly in line with the RBI's projections. Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs) recorded a Y-o-Y growth of 17% during the year, while Advances recorded a Y-o-Y growth of 16.7% compared to 18.2% last year. Scheduled Commercial Banks (SCBs) raised their deposit rates by 25-50 basis points between February and April 2010, signaling a reversal of the trend in deposit rates. On the lending side, the Benchmark Prime Lending rates (BPLRs) of SCBs have remained unchanged since July 2009, following reductions in the range of 25-100 basis points between March and June 2009.

For most part of 2009-10, the main focus of the RBI was on gradual withdrawal of accommodative monetary policy stance, which it had adopted earlier, in response to the global economic crisis of 2008. This was necessitated by the need to rein in the burgeoning fiscal deficit.

In continuation of the calibrated exit strategy, which it had pursed in the earlier year, the RBI, in its Monetary Policy Statement for 2010-11 has further raised the repo rate under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) by 25 basis points from 5 per cent to 5.25 per cent and the reverse repo rate under the LAF by 25 basis points from 3.5 per cent to 3.75 per cent with effect from April 20, 2010. Further, the CRR has been increased by 25 basis points from 5.75 per cent to 6 per cent. These measures are expected to anchor inflationary expectations and contain inflation going forward. As liquidity in the banking system is likely to remain comfortable, credit expansion for sustaining the recovery may not be affected.

3. Outlook

In its World Economic Outlook Update for January 2010, the IMF projected that global growth will recover from -0.8% in 2009 to 3.9% in 2010 and further to 4.3% in 2011. Three major factors that are likely to contribute to the global outlook are the massive monetary and fiscal support, improvement in confidence and a strong recovery in EMEs.

On the domestic front, the Indian Economy is firmly on the recovery path. Exports have been expanding since October 2009, a trend that is expected to continue. The industrial recovery is increasingly becoming broad based. A sustained increase in bank credit and in the financial resources raised by the commercial sector from non-bank sources also suggest that the recovery is gaining momentum.

On balance, under the assumption of a normal monsoon and sustenance of good performance of the industrial and services sectors on the back of rising domestic and external demand, the baseline projection of real GDP growth for 2010-11 is placed at 8 per cent with an upward bias. On the Inflation front, keeping in view the domestic demand-supply balance and the global trend in commodity prices, projection for WPI Inflation is placed at 5.5% for March 2011.

The need for sustainable developmental efforts by financial institutions in India has assumed urgency and banks, in particular, can help contribute to this effort. RBI in its notification dated 20th November 2007 has advised banks to take note of the issues raised and consider addressing the same by putting in place an appropriate plan of action towards helping the cause of sustainable development.

VIJAYA BANK'S PERFORMANCE IN 2009-10

4. Working Results

Operating profit posted by the Bank for the year 2009-10 was Rs.1056.96 Crore as compared to Rs.898.91 Crore in 2008-09, while the Net profit for the year 2009-10 amounted to Rs.507.29 Crore as compared to Rs.262.48 Crore in 2008-09, recording a growth rate of 93.27%. On the deposit front, average cost of deposits decreased from 7.56% in 2008-09 to 6.21% in 2009-10 mainly due to decrease in market interest rates and Bank's reduced recourse to high-cost bulk deposits. However, the yield on advances recorded a decrease from 11.09% in 2008-09 to 10.26% in 2009-10, which was in keeping with the industry trend.

The trends in Bank's financial results and important ratios are highlighted in the tables below:

TABLE-1

Income-Expenditure Parameters

(Rs. in Crore)

Sl. No.	Item	2008-09	2009-10	Annual increase (%)
1.	Interest Income	5238	5201	-0.71
2.	Interest Expenditure	4113	3752	-8.79
3.	Net Interest Income (1-2)	1125	1449	28.83
4.	Non-interest income	699	680	-2.77
i.	Profit on sale of investments	304	283	-6.84
ii.	Other non-interest income	395	397	0.51
5.	Net Total Income (3+4)	1824	2129	16.72
6.	Operating expense	925	1072	15.88
i.	Staff Expenses	598	706	18.10
ii.	Other operating expenses	327	366	11.83
7.	Operating profit (5-6)	899	1057	17.58
8.	Operating profit (excl. Treasury profit)	595	774	30.08
9.	Provisions and Contingencies	636	550	-13.63
10.	Net profit	262	507	93.27

TABLE-2

Profitability/Efficiency Ratios

Sl. No.	Parameters (%)	2008-09	2009-10
1.	Yield on funds	8.88	7.89
2.	Cost of funds	6.97	5.69
3.	Interest spread (1-2)	1.91	2.20
4.	Yield on advances	11.09	10.26
5.	Cost of deposits	7.56	6.21
6	Net Interest Margin	2.04	2.54
7.	Yield on investments - excluding Trading Profit - including Trading Profit	 7.72 9.38	 6.67 7.05
8.	Other operating expenses to Average working funds	0.55	0.56
9.	Cost-Income Ratio	50.71	50.34
10.	Establishment cost to average working funds	1.01	1.07
11.	Return on Assets	0.59	0.76
12.	Return on Equity	11.10	21.41
13.	Capital Adequacy Ratio - Basel I - Basel II	13.08 13.15	11.79 12.50
14.	Gross Non-Performing Assets	1.95	2.37
15.	Net Non-Performing Assets	0.82	1.40

5. Dividend

Taking into consideration the overall profitability position, the Board of Directors have recommended a dividend of Rs.2.50 per Equity Share of the face value of Rs.10/- for the year 2009-10, amounting to Rs.108.38 Crore.

6. Capital Adequacy

Bank's capital adequacy ratio (Basel II) stood at 12.50% as on 31.03.2010 vis-à-vis the Reserve Bank of India norm of 9%. The Tier I Capital Adequacy Ratio was 7.69% and Tier II ratio 4.81%.

7. Branch Network

Fifty seven additional branches were opened during the year taking the total network of branches from 1101 in March 2009 to 1158 in March 2010 with an all-India footprint. Three Extension Counters were opened during 2009-10, taking the tally of Extension Counters to 46.

8. Deposit Mobilisation

Total deposits of the Bank increased from Rs. 54535.43 Crore as on 31.3.2009 to Rs.61931.74 Crore as on 31.3.2010, recording an annual growth rate of 13.56 %. CASA deposits recorded a 16.35% growth, accounting for 24.6% in the aggregate deposits. CASA deposit growth was driven by 20% growth in SB deposits, which crossed the Rs.10000 Crore mark during the year.

During the year, Bank launched a new product 'V-*Gen*UTH Unnati' RD Account 'for the Generation Next' clients. The product received overwhelming response within a short span of about two months as 26139 accounts were opened with balance of Rs.1.64 Crore. A Deposit Campaign, covering Savings Account of different segments like the households, salaried class and other niche segments was also launched by virtue of which nearly 5 lakh accounts were opened mobilizing in all Rs.640.40 Crore. Apart from the Deposit campaigns, various activities were undertaken to nurture the new generation V-*Gen*UTH SB Account holders and HNI segment of SB accounts. All these led the SB deposit portfolio to post growth that was one of the highest.

9. Credit Expansion

Gross advances of the Bank increased from Rs. 35874.63 Crore in March 2009 to Rs.41934.53 Crore in March 2010, recording an annual growth rate of 16.89 %. The average gross credit recorded an annual growth rate of 8.35% from Rs.34540.16 Crore in 2008-09 to Rs.37424.90 Crore in 2009-10, reflecting low credit absorption trend for most part of the year under review.

Infrastructure Finance

Advances to Infrastructure sector increased from Rs.7722 Crore in March 2009 to Rs.10445 Crore in March 2010, registering a growth rate of 35.26%. Power sectors, Roads, Ports, Airports, Industrial Parks, SEZ, Pipelines for Gas/ Petroleum products transportation, Telecommunication sector etc., were the major areas under infrastructure financed by the Bank.

Retail Credit

The Bank continued to accord priority to its Retail Lending Schemes viz., Housing Loan, Education Loan, Jewel Loans etc. However, Retail Credit segment witnessed sluggish growth during the financial year 2009-10 in tune with the growth/trend prevailing in the industry on account of recessionary trends for most part of the year.

The Bank disbursed Rs 2857.98 Crore under Retail credit during the year & the amount outstanding as at March 2010 stood at Rs.9348.90 Crore. Retail Credit Portfolio accounted for at 22.26% of the Bank's Gross Credit.

The Bank disbursed Rs.614.40 Crore under Housing loan, Rs.144.44 Crore under Education loan and Rs.359.46 Crore under Vehicle loans and Rs.718.91 Crore under Jewel loan schemes during the year. The amount outstanding under Housing loan, Education loan, Motor Vehicles loans & Jewel Loan schemes, as on 31st March 2010, was Rs.4525.60 Crore, Rs.534.47 Crore, Rs. 791.98 Crore and Rs.571 Crore respectively. The Y-o-Y growth in Jewel loan segment was 65.90% and that under Education loan segment was 24%.

The Bank also introduced, during the year, a new Retail product called V-Gold Cash Credit in order to cater to the needs of small businessmen, Retail traders and professionals, particularly in semi-urban and urban areas.

During the year, the Bank entered into tie-up arrangements with auto majors like Ashok Leyland, Mahindra & Mahindra, V.E. Commercial Vehicles Ltd., (Eicher Motors) & TATA Motors Ltd, to step up the portfolio under vehicle loans.

Priority Sector Lending

Total Priority Sector advances of the Bank increased to Rs.14553 Crore as at the end of March 2010 as against Rs.13450 Crore as at March 2009, registering a growth

rate of 8.20% (Y-o-Y). Priority Sector Credit of the Bank constituted 40.57% of the Adjusted Net Bank Credit, as against the 40% stipulation.

Agricultural Finance

Direct Agricultural advances of the Bank as at March 2010 stood at Rs.3608 Crore, as against Rs.3053 Crore as at March 2009, registering a growth rate of 18.18% over March 2009. Total Agricultural advances (with 4.50% cap on Indirect Finance for agriculture) stood at Rs 5222 Crore, which formed 14.56% of the Adjusted Net Bank Credit, as against the norm of 18%.

Under Special Agricultural Credit Plan, the Bank disbursed Rs.4103 Crore during the year 2009-10, as against the target of Rs. 4713 Crore, which works out to an achievement ratio of 87.06%.

Kisan Credit Card scheme

During the year under review, the Bank issued 42348 Kisan Cards and disbursed Rs.336.27 Crore under the Scheme. The Bank also launched ATM enabled Kisan Credit Cards at some select branches for the benefit of farmers.

Coverage of new farmers

During the year, the Bank financed 39728 new farmers and disbursed Rs.430.47 Crore under various agricultural activities. The average number of new farmers financed comes to 78 as against the Govt. of India' stipulation of a minimum of 100 new farmers per rural and semi urban branch.

Financing Micro Small and Medium Enterprises (MSME):

Advances to Micro Small and Medium Enterprises increased to Rs.5436 crore as at March 2010 from Rs.4552 Crore as at March 2009, signifying a Y-o-Y growth of 19.42%. As per the directives of Government of India, advances under the Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are to be doubled over a period of five years ended 2009-10. The Bank achieved this in March 2008 itself.

Advances to Weaker Sections:

As at March 2010, outstanding advances to weaker sections stood at Rs.3462 Crore, which constitutes 9.65% of the ANBC as against the stipulated norm of 10%.

Credit to Women beneficiaries

Advances to Women beneficiaries stood at Rs. 2342 Crore as at March 2010 as against Rs.2052 Crore as at March 2009, registering a growth rate of 14.13%. Against the stipulated benchmark level of 5% of net bank credit to women, the Bank's achievement stood at 6.52%.

Advances to SC / ST beneficiaries

Bank's total advances to SC / ST clients stood at Rs.705 Crore as at March 2010, against Rs.441 Crore as at March 2009, showing a 59.86% growth during the year.

Credit to Minority Communities:

Advances to Minority Communities stood at Rs.1566 Crore as at March 2010, constituting 10.75% of total priority sector advances.

Lending under Govt. Sponsored Schemes:

Bank continued to accord emphasis on implementation of Government sponsored schemes. As at March 2010, total outstandings under such schemes amounted to Rs.243.74 Crore, involving 26141 beneficiaries.

Self Help Groups (SHGs)

During the year 2009-10, the Bank financed 44243 SHGs and disbursed Rs.244 Crore. Cumulatively, the Bank so far financed 118257 SHGs and disbursed Rs.646 Crore. In recognition of its stellar performance in this vital area, the Bank was conferred Best Performance Award for SHG–Bank Linkage in the State of Karnataka, for 2008-09.

Janashree Bima Yojana

It is one of the Schemes of LIC of India, wherein women members of SHGs are getting life cover and also insurance against permanent disability. Besides, their children studying in 9th to 12th Standard are also provided with scholarship. Bank implemented the scheme for the benefit of women members of various SHGs. It has so far covered 1735 members and disbursed scholarship of Rs.1.36 lakhs to eligible students.

Visveshvaraya Grameena Bank :

Visveshvaraya Grameena Bank (VGB), a Regional Rural Bank (RRB) sponsored by the Bank continued to make good progress during 2009-10. VGB with a total network of 30 branches in Mandya District of Karnataka State, had total deposits and advances of Rs.191.35 Crore and Rs.133.41 Crore respectively as at March 2010. The performance and working results of the VGB have been quite encouraging. VGB posted a net profit of Rs.335.48 lakh as on March 31, 2010.

Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme – 2008

The Bank actively participated in the Agriculture Debt Waiver and Debt Relief scheme of Government of India. Under the scheme, the Bank extended loan waiver benefit to 47807 small and marginal farmers amounting to Rs.147.12 Crore and identified relief benefit to 21664 other farmers amounting to Rs. 60.41 Crore.

Financial Inclusion

As at March 2010, Bank had 2.72 lakhs No-frill accounts, with balance of Rs 29.99 Crore. After successful implementation of the first phase of Financial Inclusion in all its three districts in Karnataka, Bank has taken forward the initiative to provide banking services at the door steps of its clients through Business Correspondent Model with Smart card/ Hand Held Machine. Under Branchless banking, Bank has covered 14 villages in Karnataka State through 5 business correspondents/sub-Agents and issued 2300 smart cards as on March 2010.

Under the Electronic Benefit Transfer Scheme (EBT), the Bank is disbursing Social Security Pension and wages under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). Bank is also making the said payments in entire Mandya district under "One District One Bank Model". The Bank opened 459 accounts and issued 229 cards under MGNREGS while 29 accounts were opened, with Cards issued under Social Security Pension (SSP) Scheme. Further, under the said schemes, the Bank is participating in three Districts of Karnataka viz., Chitradurga, Bellary & Gulbarga where the scheme of 'One District, Many Banks Model' is implemented by Govt. of Karnataka on a pilot basis. The Bank opened 754 accounts and issued 652 Smart Cards under MGNREGS. Under SSP, 161 accounts were opened and Cards were issued.

During the year under reference, the Bank also prepared a comprehensive Road Map on Financial Inclusion to be implemented over the next three years, covering over 500 villages involving 600 business Correspondents and 6.50 lakh households in the country. Under the road map, the Bank aims to cover all its 361 service area villages having population of over 2000 during 2010-11. It has plans to cover the other villages over the next two years.

In order to provide hassle-free credit to the 'No Frill account' holders for meeting general credit requirements, Bank introduced 'Vijaya General Credit Card Scheme' with a maximum Credit limit of Rs.25,000/- at interest rate of 9.50% p.a.(fixed), wherein no security/margin/commitment on end use is insisted. As at March 2010, Bank has financed 1825 accounts under Vijaya General Credit Card with balance of Rs.109.34 lakh.

Bank participated in the Platinum Jubilee Celebrations of RBI, by organising 'Out-reach Programme' at Kodihalli (Karnataka State) and provided banking services to all the villagers by opening 855 No frill accounts.

Loan Restructuring

Keeping in view the prevailing trends in Industry and other sectors, the Bank restructured eligible advances of needy borrowers, thus giving respite to these sectors affected by economic recession. During the year, the Bank restructured 7108 loan accounts involving an amount of Rs.1563 Crore, taking the cumulative number of accounts restructured and amount to 16760 and Rs.2573 Crore respectively.

10. Asset Quality

The Bank continued its focus on maintaining quality assets along with thrust on preventing fresh slippages. It initiated and continued to emphasise various measures in this direction, including the following:

- Accounts showing signs of stress / likely default in dues are identified and treated as Special Watch accounts and are closely monitored. Wherever feasible, such assets are restructured, with additional need-based credit limits considered in deserving cases, to prevent fresh slippages.
- In case of wilful defaulters, stringent recovery measures, including legal options like Securitisation, Lok Adalats / DRTs, etc., are promptly resorted to.
- To facilitate speedy recovery, 'Vijaya Adalats' are regularly conducted to settle dues of defaulters amicably. During the year, Bank could recover Rs.35.66 Crore under 5594 accounts by way of such settlements.

The gross Non-Performing Assets of the Bank as on March 2010 worked out to 2.37 per cent, while net NPA ratio was 1.40 per cent. During the year 2009-10, Bank could effect total cash recovery of Rs.424.82 Crore (including interest) and upgraded NPAs amounting to Rs.163.10 Crore. Further, the Bank also made provision of Rs.194.59 Crore for the unexpected defaults, apart from having a floating provision of Rs.213 Crore as on March 31, 2010. The Provision Coverage Ratio (including PWO) as at March 2010 worked out to 64.24%

11. Investment and Fund Management

Total investment portfolio of the Bank increased from Rs 17388 Crore as on March 31, 2009 to Rs 21107 Crore as on March 31, 2010. The average yield on investments (excluding profit on sale of investments) during the year worked out to 6.67% as against 7.72%

in 2008-09. The liquidity position in the Bank was generally comfortable throughout the year under review. The Bank also complied with CRR/SLR requirements as stipulated by Reserve Bank of India consistently during the year.

The Bank has successfully implemented the ITMS (Integrated Treasury Management Software) during the financial year and the same is interfaced with CBS platform.

Implementation of RTGS & NEFT

The Bank joined the Real Time Gross Settlement (RTGS) system on June 14, 2004 and has been undertaking customer transactions with effect from January 12, 2005. As on March 31, 2010, all Branches/ Extension counters/ Service Branches and Regional Offices of the Bank were RTGS enabled. The Bank joined the National Electronic Funds Transfer (NEFT) scheme with effect from December 7, 2006. NEFT facility has been extended to cover all our RTGS enabled branches /Offices.

12. Risk Management

Risk management function in the Bank is overseen by several committees, including Board level Committee, namely, Risk Management Committee of the Board (RMCB). The risk management policies are implemented through Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) at the corporate level, headed by the Chairman and Managing Director.

Apart from the primary risk policies, Bank has put in place several important risk related policies, such as, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Business Continuity and Disaster Recovery Plan, Disclosure, Stress Testing, Collateral Management, Adoption of External Rating, Managing Risks on Outsourcing of Financial Services, IT security, Country Risk Management policies, etc. These risk management policies are being reviewed and revised periodically.

The Bank has carried out self assessment of its Risk Profile, based on the RBI prescribed Risk Profile Templates, on quarterly basis, vetted by a Quality Assurance Team, before submission to RBI and the Board.

Credit Risk

Lending Policy of the Bank is being revised from time to time, to include, among others, such aspects as risk appetite, risk based pricing, risk diversification/mitigation strategy, prudential limits, exposure ceiling, preferred sector growth strategies, credit approval process, documentation and security standards, security valuation, etc.

In order to enhance the effectiveness of Loan Review Mechanism, the Bank introduced Onsite Credit Audit for exposures of Rs 5 crore and above and also modified its Loan Review Mechanism for exposures below Rs. 5 crore. The Bank has also complied with the RBI requirement of at least 30 to 40% of the credit exposures that are to be covered under the Loan Review Mechanism / Credit Audit. Stress Test on Credit Risk are also carried out on annual basis, in terms of the Stress Test policy of the Bank.

The Bank has put in place a comprehensive risk rating / scoring system that serves as a single point indicator of diverse risk factors on the counterparty and for taking credit decision in a prudent manner. A separate risk scoring model for Housing and other Retail sectors has also been evolved so as to ensure higher coverage under risk rating exercise, presently around 90%. Migration analysis is also carried out on quarterly basis in respect of exposures of Rs.1 Crore and above. From Sept 09, the Bank has introduced Credit risk rating software, which is Basel II compliant for conducting risk rating of all retail and non-retail loans. This software enables the Bank to ensure that all types of exposures are covered under risk rating before sanctioning of any loan so as to maintain the credit quality and also to move towards compliance with the advanced approaches under Basel II.

ALM and Market Risk

Asset Liability Management Committee (ALCO) in the Bank has devised appropriate tolerance limits for mismatches in different time buckets, for managing liquidity and interest rate risks. These limits are being monitored at fortnightly intervals and are also being placed before the Board.

Market risk assessment is done by tools like VaR (Value at Risk), AGL (Aggregate Gap Limit) and Duration Gap Analysis. Single country limits and group limits for all countries have also been put in place to manage and monitor the country risk. Mid-office reports on treasury operations are also placed before ALCO on a monthly basis, covering information about exceptions, reviews and compliance.

Interest rate risk on entire credit portfolio is identified and measured through tools like Earnings at Risk (EaR). Besides, Portfolio Sensitivity analysis is conducted and reviewed by the top management. Further, Contingency Funding Plans, Prudential Ratios / Limits have been set and actual

position is monitored as part of Liquidity Risk Management. Stress Test on Interest Rate Risk, Liquidity Risk, Forex, etc on different scenarios are also carried out on quarterly basis and appraised to ALCO. To monitor short term liquidity, ALM statements and Mid Office reports on daily basis are also generated.

Operational Risk

With a view to mitigating various Operational Risks, several studies were conducted during the year. These include studies on functioning of the data centre, Retail Assets Centralized Processing Cells, RTGS/NEFT etc. The Bank has started implementing the qualifying criteria for the Standardized Approach by putting critical business processes under RCSA (Risk & Control Self Assessment) exercise. Two RCSA workshops at Head Office level and 8 RCSA workshops at Regional Office level were conducted during the year wherein assessment of risks and the corresponding control measures were evaluated in respect of 7 operational areas. The Bank has constituted a Business Continuity Management Committee (BCMC) at the apex level and various Emergency Response Teams at HO/RO/ Branches to oversee implementation and management of the business continuity and related activities. During the year, the Bank also reviewed its Business Continuity & Disaster Recovery Plan.

Basel-II Compliance

In order to comply with the Basel II norms, the Bank has been carrying out parallel run exercise on the capital adequacy calculation in the RBI prescribed format, on a quarterly basis and apprising the Board, apart from submitting the same to RBI.

Besides, the Bank has entered into MOU with four rating agencies viz. CRISIL, ICRA, CARE and Fitch, for risk rating of its corporate clients.

In compliance with the RBI guidelines on Standardised Approach for Credit Risk, Standardised Duration Approach for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk, Bank has complied with Basel II norms and the overall Capital Adequacy Ratio as at 31st March 2010 worked out to 12.5 %, as against the minimum stipulated norm of 9%.

Integrated Risk Management System (IRMS) Project.

In order to facilitate smooth and effective transition to the Basel-II framework, the Bank has taken up implementation of an Integrated Risk Management System (IRMS).

The IRMS Project consists of six solutions, viz., Credit Risk Management (CRM), Market Risk Management (MRM), Operational Risk Management (ORM), Credit Risk Rating Solution (CRR) (Retail & Non-Retail), Asset Liability Management (ALM) and Funds Transfer Pricing (FTP) Solution. During the year, the Bank implemented Phase I of this project i.e. achieving the Standardized Approaches and is steadily moving forward towards implementing the Advanced Approaches.

I3. International Banking

As at March 2010, foreign business turnover of the Bank stood at Rs.12530 Crore, comprising Rs.5479 Crore under export, Rs.2360 Crore under imports and Rs.4691 Crore under remittance business.

The Bank is participating in the Rupee Drawing Arrangement with six Exchange Houses and three non-resident banks from Middle East. Besides, it has drawing arrangement and the Cheque collection facility with correspondent Banks abroad to serve clients.

"Vijaya Bank Speed Remittance" facility facilitates on-line credit of remittances from Gulf Countries through Exchange houses directly to the customer's account with the Bank's branches. Presently, this facility is extended to UAE Exchange Centre LLC. Abu Dhabi, UAE. Similar arrangements are planned to be forged with other Exchange Houses also.

With a view to improving the NRI deposits, the bank has deputed its officials to UAE for canvassing NRI accounts of expatriate Indians.

14. Merchant Banking & Allied Activities

Vijaya Bank is a SEBI registered category I Merchant Banker, Bankers to Issue, Debenture Trustee and Depository Participant. The Bank is also registered as 'Self Certified Syndicate Bank' (SCSB) for accepting IPO/Rights issue applications under Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) scheme.

The Bank undertakes Payment Bankers Assignments for payment of Interest/Dividend/Refund orders of Corporates.

Bank also offers Depository Services to its clients. Towards providing value added service to the investor community, the Bank proposes to launch an Online Trading portal, now in advanced stage of implementation.

Government Business

Amongst various Government business, Bank is collecting Direct Tax at its 288 designated branches and also Indirect Tax at 37 branches. E-Payment facility for the payment of taxes is available to customers through all branches. Besides, PPF accounts can be opened in 153 designated branches and State and Central pension payments are disbursed through all the branches of the Bank.

15. Card Business

Under Credit card operations of the Bank, the cumulative card base as of March 2010 was 1.48 lakh, with a turnover of Rs.445 Crore. There are 1098 Merchant Establishment enrolled with the Bank.

Under Debit cards, the bank continued to make good progress during 2009-10. As at March 2010, Debit card base of the bank stood at 11.35 lakh compared to 7.05 lakh as at the end of last financial year.

Bank offers a special Savings Bank deposit scheme, V-GenUTH SB account, for minors. Account holders of the scheme who are above 12 years of age are issued with specially designed ATM cards, for cash withdrawal at the Bank's ATMs.

16. Marketing Setup

Marketing Division at the bank's H.O. is actively engaged in designing new products, reviewing and fine-tuning existing products, conducting marketing campaigns, creating awareness on technology-backed Alternate Delivery Channels (ADC) offered by the Bank.

To nurture the customer friendly schemes of the Bank, like V-*Gen*UTH SB Account, V-*Gen*UTH Unnati RD Account, V-Platinum SB Account etc, Bank is sending Greeting cards to the customers on important occasions like birthdays, Examinations, Festivals etc. To enhance the hidden talents among children, V-*Gen*UTH Drawing Competitions for different age groups were also conducted and over 5000 responses were received. Interactive events like V-*Gen*UTH 'Hungama' were held at apartment complexes in major cities to give a boost to the growth of the new generation products of the bank. The Bank also conducted the 24th State Level Inter-High School Vijaya Bank V-*Gen*UTH Quiz Contest during the year. All these initiatives yielded very encouraging results for the Bank's core deposit portfolio and stronger relationship building with such clients.

17. Publicity and Public Relations

The Bank is continuing the existing outdoor publicity projects aimed at achieving heightened visibility through displays at prominent locations like Railway Stations, Bus Stands and hoardings at prominent public places, highways and airports. During the last financial year, the Bank also carried out a major print media Ad campaign in the North and Central India in Hindi and regional language to elevate the visibility of Bank and its products /services.

18. Customer Service and Redressal of Complaints

There is a full fledged Grievance Redressal Mechanism in the Bank and all efforts are being made to resolve complaints within the stipulated time. The Bank has constituted a Standing Committee on Customer Service, which includes a customer as its member. A Customer Service Committee of the Board, which also includes a customer as one of its members, has also been constituted by the Bank. These Committees are meeting periodically and evaluating and monitoring the customer service and addressing the deficiencies. The Bank also conducted a Customer Service study in Bangalore city and arrived at informative inference. The study is proposed to be extended to other metro cities, for proactively involving customers as integral part of Bank's overall business strategy.

Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI)

Bank is a member of BCSBI and it has already adopted the voluntary Codes formulated by BCSBI i.e. (i) 'Code of Bank's Commitment to Customers' (ii) 'Code of Bank's Commitment to Micro and Small Enterprises'. Bank has also formulated and complied with several policies as per the guidelines of BCSBI.

19. Information Technology (IT)

InfoTech Progress

The Bank implemented, to varying extents, an Integrated Treasury Management System (ITMS), Human Resources Management System (HRMS), and Integrated Risk Management System (IRMS) during the year 2009-10. These systems have been operationalised and integrated with the Core Banking System on a centralized platform. These projects are expected to be rolled out enterprise wide during the current financial year.

Having brought all branches under Core Banking Solution, RTGS and NEFT services are available to

the Bank's customers from all its branches. Since Straight Through Processing (STP) has been enabled in RTGS and NEFT, the customers do enjoy the benefit of immediate inter-bank fund transfer facility.

During the year under review, SMS Alert facility was launched by the Bank. As at March 31, 2010, about 3.65 lakh customers of the Bank have opted for this service offered free with value propositions.

The Bank has upgraded the infrastructure including the hardware at its Data Centre at Bangalore and the Disaster Recovery Centre at Mumbai to take care of the increased requirement of computing capacity after migration of all branches to CBS.

V-Moblie

During the year 2009-10, Bank launched V-Mobile, its mobile banking module. The product offers facilities like balance enquiry, mini statements, funds transfer, bill payment, mobile currency charging facilities etc. As on 31.03.2010, there were 17840 registered users of V-Mobile.

Internet Banking:

V-Net Banking, the internet banking module of the Bank was upgraded to a higher version during 2009-10. V-Net Banking now facilitates features like online funds transfer to other Banks through NEFT/RTGS, Online Registration of beneficiary, availability of the latest challan formats for remittance of service tax, Central Excise etc in addition to the earlier facilities like balance enquiry, account statement, intra bank funds transfer, transaction related SMS alerts, payment of indirect taxes, direct taxes and utility bill payments etc. With all the branches working on Core Banking platform, all customers of the Bank can avail this facility with the convenience of accessing and transacting in their account from any location at any time through Internet. So far, 44887 clients are enrolled under the V-Net banking module.

Alternate Delivery Channels

In order to ensure that technology driven Alternate Delivery Channels are utilized to the mutual advantage of the customers and the Bank, Marketing Cell has undertaken a number of activities. Mailers were sent to customers highlighting the advantages of using Alternate delivery Channels like internet banking, use of Debit Card, on-line purchases, funds transfer through RTGS/NEFT etc. In all the training programmers of the Staff College, one session on Alternate Delivery Channel is conducted for the benefit of frontline staff. In order to ensure that these facilities percolate to the customer, staff members are being familiarized with these channels through workshops. Apart from in-house workshops, IDRBT has already conducted workshops on RTGS/NEFT in Bangalore, Mangalore, and Hyderabad.

ATMs

During the year 2009-10, 71 more ATMs were operationalised, taking the number of Bank's ATMs to 435 as at the end of March 2010. Bank's customers have now access to more than 56000 ATMs connected under National Financial Switch (NFS) across the country.

Internal Control (IT)

The Bank has well documented policies for IT & IS Security, Internet Banking, IT Procurement, Internet usage, e-mail usage, Business Continuity, Disaster Recovery, Outsourcing etc., covering wide range of functions at the field and administrative levels. Adequate controls are built-in to mitigate the risks associated with each of these activities. These policies are reviewed periodically.

Information Security

The Bank is having well laid down policies on IT & IS Security, which are regularly reviewed and approved by the Board of Directors. Time tested systems are also put in place and best practices are followed for the protection of information system assets.

Networking

Bank has brought all its branches, Extension Counters and offices under the corporate Wide Area Network (WAN) and achieved 100% networking of the branches. It also makes use of the latest technologies like MPLS, VSATs, Radio frequency, CDMA etc. for establishing seamless connectivity.

Cheque Truncation System (C.T.S)

As directed by the Reserve Bank of India, the Bank has successfully implemented cheque truncation system in NCR of Delhi. Bank is awaiting RBI's directions for rollout of the C.T.S. in other centres.

20. Human Resources Management

Manpower & Staff Productivity :

Total staff strength of the Bank stood at 11565 in March 2010 as compared to 11,975 in March 2009. Of the total staff, 5194 are Officers, 3866 Clerical Staff and 2505 are in the subordinate cadre. The number of women employees as at the end of March 2010 stood at 2211 consisting of 905 Officers and 1306 Award Staff, constituting 19.12% of total employees in the Bank. As

at the end of March 2010, there were 199 employees belonging to physically challenged category and 568 employees belonging to Ex-Servicemen category.

Productivity, measured by Business per Employee as of March 2010 stood at Rs.9.30 Crore as against Rs.7.85 Crore for the financial year ended March 2009.

Recruitment and Promotions:

Bank is in the process of recruiting of 500 Clerks, besides recruiting 123 officers in JMG-S-I and 3 officers in MMG-II. Through Lateral recruitment, the Bank also roped in 112 officials in MMG-S-II and 6 officials in MMG-S-III cadres during 2009-10.

Training:

Training system in the Bank has been strengthened by providing additional and competent manpower and enhanced budgetary allocation. The training curriculum has also been fine-tuned, in tune with the changing market dynamics.

Four executives attended Seminars/ Conferences held abroad during the year, while 348 Branch Heads and 6 Faculty Members were trained on 'Effective Branch Management' programme conducted by NIBM, Pune. The Bank had imparted Comprehensive Training for 85 officials in Credit, 60 officials in Forex and 90 officials in Marketing during the year 2009-10.

In all, the Bank, during the last financial year, imparted training to 7031 employees constituting about 61% of the total employees. While 6289 employees had undergone training in the Bank's own establishments, 742 were trained at reputed external training institutions including overseas institutions.

SC/ST Employees:

Out of the total manpower of 11565 as at the end of March 2010, 1636 employees belong to SC category and 588 to ST category. A separate Cell for SC/ST has been created to look into the matters pertaining to these employees and also to supervise implementation of Government of India guidelines in service matters in respect of SCs/STs. SC/ST Cells are functioning in all the Regional Offices as well. The Chief Liaison Officer at H.O. is involved in all the policy decisions concerning SC/ST employees. Quarterly meetings are held between representatives of SC/ST employees and the management. The Bank is also arranging pre-recruitment / pre-promotion training for SCs/STs regularly.

Further, the Bank has designated one General Manager as Chief Liaison Officer to attend to the grievances of OBC and Minority Community Employees. Bank is complying with the Reservation Policy of the Govt. of India, including reservation for Persons with Disability.

Staff Relation :

Continuation of the pro-active and humanistic approach by the Bank during the year yielded positive results for the Bank as it scaled new heights of excellence. Industrial relations in the Bank were cordial and harmonious, during the year. The consultative committee meetings and negotiating committee meetings were held with the representatives of the recognized unions at regular intervals to sort out the grievances of the employees and to settle the disputes, if any, amicably. These meetings were attended by the top executives of the Bank as well.

Promotion of Sports Activity

During the year under reference, Bank continued to accord emphasis on promotion of Sports and Sports personalities on its rolls. Several sports personnel of the Bank participated in the various events and won prizes during the year.

Basketball: Bank's Basketball team participated and won the State Association Cup Basketball Championship for the 14th successive year. The team also won the State Senior League Championships -2009. Four members of the Bank's team represented Karnataka State for the National Basketball Championship held at Ludhiana during the year.

Cricket: Bank's Sri R. Vinay Kumar was nominated as captain of the Karnataka state team for the K.S.Subbiah Pillai Trophy held at Chennai. Sri. C.M.Goutham and Sri S.I. Akshay also represented the Karnataka state.

Sri R. Vinay Kumar and Sri C.M. Goutham also represented the South Zone team for the Duleep trophy and Deodhar trophy championships in 2009-10.

Sri R. Vinay Kumar who took active and rewarding part in the 3rd edition of the IPL, was crowned with the India cap for the T20 World Cup scheduled during end-April, 2010 in the West Indies.

Kabaddi: Bank's Kabaddi Team participated in the Karnataka State Industries Kabaddi tournament and State A Division League Championship and won both the events. Besides, Sri K Manoj and Sri. Selvaraj, members of Bank's Kabaddi team, were selected to attend the National Kabaddi Coaching Camp held at SAI Sports Complex, Sonepat during October 2009.

Weight Lifting: Sri S. Prakasha, member of Bank's weight lifting team participated and secured second place [silver medal- in 77kg weight class] in the State weight lifting championship held at Bangalore during the year.

Staff welfare measures:

The Bank is having various staff welfare schemes, such as, Canteen Subsidy, conveyance, Annual Health Check up, Health Clinic at HO, annual medical aid to the employees retired on superannuation, newspaper reimbursement, grant of Silver Jubilee awards, house rent reimbursement, Holiday Homes etc.,

The Bank is having a separate Staff Welfare Fund Trust with an objective of providing welfare facilities to the employees and their dependents viz., Awarding scholarships to the wards of the employees, reimbursement of residual claim of hospitalization expenses, reimbursement of cost of spectacles, funeral expenses to the dependents of the deceased employee, Cash Incentive to the employees who retire from the services of the bank on attaining the age of superannuation etc.,

Family Welfare Scheme has also been devised under which contributions collected from the members of that scheme are distributed among the family members (nominees) of deceased employees.

Human Resources Management System:

To enable faster decision making and error-free centralized employees' data management, the Bank is implementing HRMS (Peoplesoft) Software. Several Modules of the software have already been operationalised.

21. Housekeeping

Reconciliation with regard to all inter bank transactions has been drawn up to 31.03.2010. As against the Reserve Bank of India Benchmark of six months for reconciliation of outstanding inter branch entries, Bank's present status is 3 months. All outstanding entries under different sensitive accounts are also being followed up promptly. Except entries relating to pending court cases, all other long outstanding entries have been eliminated.

22. Internal Inspection

The Bank has put in place a well-defined Audit policy. The Audit Committee of Board oversees the performance of audit functions on a regular basis, providing guidance and directions for improvement in the audit system and internal controls in the Bank.

The Bank conducts regularly Risk Based Internal Audit and Surprise Inspections. In addition, inspection of 41 Forex Branches, 12 Services Branches, 27 Currency Chests, 10 Regional Offices and 7 Head Office Departments were conducted during the year. Branches are also subjected to IS Audit in accordance with the IS Audit Policy.

Bank has covered 76.54% of its business under concurrent audit by external firms of Chartered Accountants whereas 17 branches were subjected to Concurrent Audit by our Internal Inspectors. Bank is making use of Information Technology in its audit system including Automation in Risk Based Internal Audit System (RBIA).

Know Your Customer / Anti Money Laundering.

Due to technological advancement, Money Launderers move funds faster across continents making detection and prevention thereof difficult. Bank has taken several initiatives to be more vigilant while opening account as well as in monitoring operations more closely, as per the guidelines under Prevention of Money Laundering Act.

- Bank has a Policy on 'Know Your Customer' & 'Anti Money Laundering' in place as per the guidelines issued by Reserve Bank of India and Indian Banks' Association.
- Account Opening Forms have also been modified to capture the risk category of the customers.
- Anti-Money Laundering Software (AML Software) for detecting suspicious transactions in CBS environment has been installed and Suspicious Transaction Reports (STRs) are being generated and submitted to FIU, India. The Counterfeit Currency Reports (CCRs) are also being sent to FIU (I) as per the guidelines.
- Cash Transaction Report (CTR) in Electronic form is also regularly submitted to Financial Intelligence Unit (FIU), India on a monthly basis.

Bank has included a special session in training programmes to sensitize the staff on the importance of and adherences to Know Your Customer/ Anti Money Laundering concepts

23. Vigilance

The Vigilance Department at the Bank's Head Office is headed by Chief Vigilance Officer in the rank of Chief General Manager. The Fraud Prevention & Monitoring Cell is also functioning under the Vigilance

Department. The Vigilance Department overseas all vigilance functions of the Bank as per the guidelines of Central Vigilance Commission. Cases of frauds involving Rs.1 lakh & above are placed before the Board of Directors, reports forwarded to RBI as and when frauds are detected and reported. The Audit Committee of the Board is also apprised of frauds of Rs.1 lakh & above on quarterly basis. In compliance with RBI guidelines, a Special Committee of the Board is constituted to review large value frauds involving Rs.1 Crore & above. After studying modus operandi of frauds detected, Bank issues suitable instructions to the field functionaries as a preventive Vigilance measure. Bank has also put in place "Whistle-Blowers" Policy; accordingly, it is the bounden duty of staff members to report to the Chief Vigilance Officer/ Executive Director/ Chairman & Managing Director the incidence of fraud/malpractices, etc. which come to their knowledge in the course of their day-to-day functioning.

Further, the Vigilance Department carries out surprise inspection of branches, concentrating on preventive vigilance by Field Vigilance Officers stationed at Regional Offices. All efforts are made to plug the loopholes in the existing system to prevent recurrence of similar frauds and to strengthen the preventive vigilance machinery.

24. Compliance

Board approved Compliance Policy is a requirement under the extant RBI guidelines and accordingly, the Bank adopted a Compliance Policy. The Compliance Department, H.O. ensures compliance with various communications received at Head Office from Govt. of India, Reserve Bank of India, IBA and others by sending all such communications to the concerned operational Departments for necessary action. The Compliance Department is headed by the Chief Compliance Officer who is in the rank of a Deputy General Manager.

25. Right to Information Act, 2005

Government of India has enacted the Right to Information Act, 2005 which has come into force on October 12, 2005. The Act provides for right to every citizens to secure access to information under the control of public authorities, consistent with public interest. It aims to promote openness, transparency and accountability in administration and in relation to matters connected therewith or incidental thereto.

The second line Executive at the Regional Offices are designated as the Public Information Officer and the Regional Heads are designated as the Appellate Authority under the Act. At the Head Office, a Deputy General Manager is designated as the Public Information Officer and a General Manager as the Appellate Authority.

As per the provisions of the Act, various information sought under the Act is being provided within the prescribed time frame. During the year 2009-10, the Bank received 377 applications and 52 appeals under the Act and the same have been responded to by the Bank.

26. Security Arrangements

The Bank has a well-established Security set-up, facilitating all the essential and mandatory security arrangements at branches and currency chests as per RBI/IBA guidelines. 1056 Branches of the Bank are provided with strong room conforming to RBI specification. However, branches without strong room as per RBI specification are proposed to be shifted to new premises in a phased manner. CCTV Surveillance System has been installed at select branches keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance.

The Bank has 29 currency chests. Police guards have been provided to 28 currency chests. A private security agency sponsored by Directorate General of Resettlement has been arranged for round the clock guarding of Bank's Bhubaneshwar Currency Chest.

Training, including firing practice organized for Armed Guards deployed at currency chests / branches, is imparted on an annual basis. Security Committees formed at Regional Offices and at the Head Office meet periodically to review various security aspects.

The Bank has 414 Armed Guards posted to vulnerable branches / cash escort duties at currency chests and for guarding Head Office.

There were no incidents of Dacoity /Robbery, except, eight incidents of Burglary at branches reported. However, there was no loss of cash or property.

27. Progressive Use of Hindi

Bank could achieve Hindi correspondence percentage of 94.58% in area 'A', 90.87% in area 'B' and 69.63% in area 'C' as on 31.03.2010, thanks to enterprise-vide initiatives and efforts.

Seven of the Bank's Regional Offices conducted Hindi symposium in which School/ college teachers, students, customers and staff members participated. Special Hindi workshops were conducted for 134 Bank Executives. A session on 'Unicode' has been included in all Hindi Workshops, as it is required to be followed as per the Presidential Orders on recommendation of Parliamentary Committee on Official Language. The Bank actively participated in the National Seminar in Hindi organised by C.A.B. RBI, Pune. 82 Hindi workshops were conducted for staff members in which 1439 staff members were trained. The Bank also has a Bilingual website.

The Parliamentary Committee on Official Language (Draft and Evidence Committee) inspected Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) Bhubaneshwar and appreciated the work done by the Bank in progressive use of Hindi.

28. Awards

In recognition of performance in implementing Hindi Language, the Bank was awarded III prize under the prestigious INDIRA GANDHI RAJBHASHA PURASKAR for the year 2007-08. The Bank has also been awarded II prize in Region 'C" for Progressive Use of Hindi under Reserve Bank Rajbhasha Shield Scheme for the year 2008-09.

The Bank was awarded I prize by Regional Implementation Office (North- East), Ministry of Home, Govt. of India in North Eastern Region for Progressive Use of Hindi for the year 2008-09. SLBC Gujarat also conferred on the Bank III prize for effective implementation of the Official Language.

The Bank's Regional Office, Bangalore (North) was awarded I Prize by TOLIC, Bangalore for effective Implementation of Official Language for the year 2008-09. Also Regional Offices, Kolkata and Hubli, were awarded II Prize by TOLIC, Kolkata and Hubli respectively for effective Implementation of Official Language. Regional Office, Ahmedabad has been awarded Consolation prize by TOLIC, Ahmedabad during the year.

The staff members working in Bangalore city participated in the Inter-Bank competitions conducted under the aegis of TOLIC. 12 competitions were conducted, in which our Bank bagged 9 prizes, out which 2 were First prizes.

During the year, the Bank received an award from the NABARD in recognition of the highest share of SHG business to its overall business, under SHG Bank linkage programme for the year 2008-09, among commercial Banks in the State of Karnataka.

29. Corporate Social Responsibility

As a responsible and responsive corporate citizen, Vijaya Bank consistently engages itself in community and social investment. Among the various initiatives,

- For the cause of promoting Education, Bank donated a class Room to St. Maria Goretti Higher Primary School at Kukkundur, Karkala, contributed Rs.5 lakhs to Bharatiya Vidya Bhavan, Shimoga, for construction of Building, donated computers to S.B. High School at Holalkere, contributed to 'Akshaya Patra' school children's mid-day meal programme, in Karnataka State.
- Bank contributed Rs.33.70 lakhs for the development of a Circle at Mangalore named after Sri A.B.Shetty, the founder Chairman of the Bank.
- To encourage cultural activities, Bank contributed Rs.10 lakhs for Vishwa Tulu Koota- a congregation of village folk for cultural activities at Ujire organized by Sri Kshetra Dharmastala Rural Development Programme and contributed Rs.2 lakh for the popular Dasara Cultural activities at Mysore.
- In a move towards promoting health care, donations were given to Helpage India, Bangalore for conducting Cataract operations, to Nazareth Hospital, Lucknow for providing beds to poor patients. Bank also provided drinking water Cooler to SSA Mandal at Akkalkot, Maharastra, in addition to putting up educative/public utility sign Boards at Bangalore, Mysore and Konkan Railway Stations.
- Apart from the above, the Bank has Vijaya Rural Development Foundation (VRDF) and Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes (VIBSETI) devoted to the cause of imparting training under various job-oriented activities.
- Financial Inclusion is yet another aspect where the Bank has actively involved itself.

Vijaya Rural Development Foundation:

During the year, VRDF conducted 66 training / awareness programmes, covering a wide range of subjects, benefiting 5074 persons. Free health camps have also been organised for the benefit of the rural masses.

The Foundation also granted scholarships to poor meritorious students hailing from villages and studying in Government schools. The Foundation has since expanded its activities to other districts like Haveri, Dharwad and Mandya, where the Bank has Lead Bank Responsibility.

VIBSETIs (Vijaya Bank Self-Employment Training Institutes):

Bank has a Self-employment Training Institute, Vijaya Bank Self Employment Training Institute (VIBSETI) at Mandya in Karnataka. The Institute has its own Campus with residential facilities for the trainees. It has been conducting various vocational training / skill up-gradation / awareness programmes and product development workshops etc. During the year, the Institute conducted 56 Programmes involving 472 training days and trained 1843 beneficiaries, of whom 1330 are settled with own ventures/gainful self-employment. Cumulatively 355 programmes were conducted training 12417 beneficiaries of which 8677 have settled with gainful self-employment. The second VIBSETI at Haveri established in the year 2003, conducted 72 programmes during the year involving 277 training days and trained 2968 candidates, of whom 2462 are settled with various gainful self-employment ventures. Cumulatively, 324 programmes have been conducted by the institute training 11966 beneficiaries of whom 8861 have settled with gainful self-employment.

30. Board meetings and Meetings of other Sub Committees of the Board

During the year, 12 Meetings of the Board of Directors, 19 Meetings of the Management Committee of the Board, 9 Meetings of the Audit Committee of the Board, 4 Meetings of the Directors' Promotion Committee, 6 Meetings of the Risk Management Committee of the Board, 4 Meetings of the Committee to Review Large Value Frauds of Rs.1 Crore and above, 2 Meetings of the Remuneration Committee, one Meeting of the Nomination Committee, 4 Meetings of the Customer Service Committee, 4 Meetings of the Shareholders'/ Investors' Grievances Committee and 12 Meetings of the Share Transfer Committee were held.

31. Board of Directors

During the year 2009-10, the following changes have taken place in the Constitution of the Bank's Board :-

1. Shri. S C Kalia, Executive Director demitted the Office of Vijaya Bank on 20.11.2009.
2. Mrs. Shubhalakshmi Panse has been appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. 20.11.09 vice Shri. S.C. Kalia.
3. Shri. Brij Mohan Sharma, Non Official Director appointed under CA category ceased to be the Director w.e.f. 2.1.2010.

The Bank's Board as on 31st March, 2010 comprised the following Directors:-

i. Shri Albert Tauro, Chairman & Managing Director
ii. Mrs. Shubhalakshmi Panse, Executive Director
iii. Shri G.B. Singh, Government Nominee Director
iv. Shri K. Venkatappa, RBI Nominee Director
v. Shri P. Shantharam Shetty, Workmen Director
vi. Shri Ranjan Shetty, Officer-employee Director
vii. Shri Nishank Kumar Jain, Non Official Director
viii. Shri Sridhar Cherukuri, Non Official Director
ix. Shri B. Ibrahim, Non Official Director
x. Shri Ashok Kumar, I.A.S (Retd.), Shareholder Director
xi. Shri Ashok Kumar Shetty, Shareholder Director
xii. Shri S. Ananthan, Shareholder Director

The Board of Directors place on record their appreciation of the valuable services rendered by Shri. S.C. Kalia and Shri. Brij Mohan Sharma during their respective tenure in the Bank.

Acknowledgement

The Board of Directors place on record their sincere appreciation for the excellent support and co-operation extended to the Bank by all customers, shareholders, staff members, financial institutions and other Banks, the Reserve Bank of India, the State Governments, the Securities and Exchange Board of India and the Government of India in improving its overall performance during the year 2009-10.

for and on behalf of the Board of Directors

Head Office, Bangalore — Albert Tauro
Dated, the 30 April, 2010 — Chairman & Managing Director

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF VIJAYA BANK ON CORPORATE GOVERNANCE 2009-10

1. Introduction

Bank aims to attain highest standard of Corporate Governance mandated by Clause 49 of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and also as per the recommendations by Dr. Ganguly Committee Report on Corporate Governance. Bank remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders including the Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators.

2. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

Corporate Governance stands for responsible and value creating management and control of the Bank. Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but are also based on its commitment to operate in the best interest of the Stakeholders.

Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which Organisations are directed and controlled to enhance their wealth generating capacity. Since Corporates employ a vast quantum of resources of the society, it is necessary that these resources are utilized in a manner that meets stakeholders' aspirations and society's expectations.

Bank's Corporate Governance principles are based on the following broad ethos:

1. Generating profitable Growth to ensure sustainable success. This helps wealth maximization of our stakeholders.
2. Satisfying the spirit of the Law and not just the letter by maintaining high degree of transparency and disclosure level.
3. Maintaining a work force as a network of Knowledge and learning. Our Corporate Culture is by open dialogue, mutual respect, clear goals and decisive leadership.
4. A Management which is open, transparent, proactive, merit based and free from bias ensuring fair justice to all sections of the society.

Thus bank considers itself as a Trustee of the Shareholders and Stake holders and acknowledges the responsibility, towards them by creating and safeguarding their wealth. Bank adopts this through efficient Corporate Strategies, proactive business plans, policies and procedures to satisfy ethical and legal responsibilities.

3. BOARD OF DIRECTORS

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Nationalized banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,1980, which satisfies the requirements of Corporate Governance.

3.1. Composition of Board of Directors as on 31.03.2010

EXECUTIVE	2
NON-EXECUTIVE	10
TOTAL	**12**

The Directors have been contributing their diversified knowledge, experience and expertise in respective areas of their specialization for the development of the Bank. The composition of the Board is in conformity of the Listing Agreements with Stock Exchanges.

3.2. Particulars of Board of Directors

Sl.no	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assuming Office
1.	Shri Albert Tauro	Chairman & Managing Director	Executive	w.e.f. 02.08.2008
2.	Shri S.C. Kalia*	Executive Director	Executive	w.e.f. 08.10.2008
3.	Smt Shubhalakshmi Panse**	Executive Director	Executive	w.e.f 20.11.2009
4.	Shri G.B. Singh	Nominee - GOI	Non Executive	w.e.f. 20.08.2007
5.	Shri K. Venkatappa	Nominee - RBI	Non Executive	w.e.f. 27.02.2007
6.	Shri P.Shantharam Shetty	Workmen Director	Non Executive	w.e.f. 02.11.2007
7.	Shri Ashok Kumar Shetty	Nominee – Shareholders	Non Executive Independent	w.e.f. 08.08.2008
8.	Shri Ashok Kumar, IAS (Retd)	Nominee – Shareholders	Non Executive Independent	w.e.f. 08.08.2008
9.	Shri Brij Mohan Sharma***	Non-official Director, Chartered Accountant	Non Executive Independent	w.e.f. 02.01.2007
10.	Shri Nishank Kumar Jain	Non-official Director	Non Executive Independent	w.e.f. 03.01.2008
11.	Shri Sridhar Cherukuri	Non Official Director	Non Executive Independent	w.e.f. 10.07.2008
12.	Shri S. Ananthan	Nominee – Shareholders	Non Executive Independent	w.e.f. 08.08.2008
13.	Shri Ranjan Shetty	Officer-Employee Director	Non Executive	w.e.f 09.09.2008
14.	Shri B. Ibrahim	Non Official Director	Non Executive Independent	w.e.f 02.03.2009

GOI-Government of India
RBI – Reserve Bank of India

* Shri S. C. Kalia ceased to be the Executive Director of the Bank on his appointment as Executive Director of Union Bank Of India by Government of India with effect from 20.11.2009.

** Smt Shubhalakshmi A Panse has been appointed as Executive Director of the Bank by the Government of India with effect from 20.11.2009.

*** Shri Brij Mohan Sharma ceased to be Director of the Bank on the expiry of term on 02.01.2010.

3.3 Profile of Directors Appointed During the Year 2009-10

NAME **DATE OF BIRTH** **AGE** **QUALIFICATION**	**Smt Shubhalakshmi A Panse** 28.01.1954 56 Years M.Sc.DBM.MMS.MBA.(USA).CAIIB.
NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Executive Director Appointed as Executive Director of the Bank by Government of India, under sub section 3 (a) of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act,1970/1980 vide notification No.F.No.9/12/09-BO.1dated. 20.11.09
EXPERIENCE	Smt Shubhalakshmi A Panse has to her credit over 33 years of illustrious banking experience accredited with several rewards and recognition in diverse fields. A Gold medalist in M.Sc.from Pune University and an MBA from Drexel University, USA, she has wide exposure and expertise in diverse disciplines like credit management, recovery, treasury and information technology at various levels in several locations in the country in Bank of Maharashtra.

3.4. Board Meetings:

During the year under review, **12** Board Meetings were held on following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

28.04.2009	25.05.2009	09.07.2009	25.07.2009	28.08.2009	29.09.2009
29.10.2009	04.12.2009	29.12.2009	23.01.2010	06.03.2010	29.03.2010

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings held during their respective tenure are as under.

3.5. Details of Attendance of the Directors at the Board Meetings

Name of Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Attendence in last AGM
1. SHRI ALBERT TAURO	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	YES
2. SHRI S. C. KALIA	01.04.2009 - 20.11.2009	7	7	YES
3. SMT SHUBHALAKSHMI A PANSE	20.11.2009 - 31.03.2010	5	5	N.A
4. SHRI G.B.SINGH	01.04.2009 - 31.03.2010	12	10	NO
5. SHRI P.SHANTHARAM SHETTY	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	NO
6. SHRI SRIDHAR CHERUKURI	01.04.2009 - 31.03.2010	12	9	YES
7. SHRI ASHOK KUMAR SHETTY	01.04.2009 - 31.03.2010	12	10	YES
8. SHRI ASHOK KUMAR, IAS, (Retd)	01.04.2009 - 31.03.2010	12	11	YES
9. SHRI K.VENKATAPPA	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	NO
10. SHRI BRIJ MOHAN SHARMA	01.04.2009 - 01.01.2010	9	9	YES
11. SHRI NISHANK KUMAR JAIN	01.04.2009 - 31.03.2010	12	11	YES
12. SHRI S. ANANTHAN	01.04.2009 - 31.03.2010	12	11	YES.
13. SHRI RANJAN SHETTY	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	YES.
14. SHRI B. IBRAHIM	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12	YES

4. COMMITTEES OF BOARD

In line with the requirements of SEBI and RBI, the Board has constituted the following Committees of Directors. These Committees monitor the activities falling within their terms of reference and as per guidelines of SEBI and RBI. The Board constituted the following committees:-

1. Management Committee	7. Directors' Promotion Committee
2. Audit Committee	8. Customer Service Committee
3. Shareholders' / Investors' Grievances Committee	9. Remuneration Committee
4. Share Transfer Committee	10. Nomination Committee
5. Risk Management Committee	11. Special Committee for Settling Election Disputes
6. Committee to Review High Value Frauds	

4.1. Management Committee of Board

The Management Committee of the Board is constituted in pursuance of Clause-13 of Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 read with the Directives of the Ministry of Finance, Government of India.

Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like approval for introduction of new deposit schemes, sanction of limits whether fund based or non fund based, compromise/write-off, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc. The committee exercises such powers as may be delegated to it by the Board with the approval of Central Government and concurrence of Reserve Bank of India.

During the period under review, the Management Committee of the Board (MCB) met **19** times. The details of meetings of MCB held during the year & the attendance of director members are as detailed below:

27.04.2009	25.05.2009	27.06.2009	09.07.2009	24.07.2009	17.08.2009
28.08.2009	23.09.2009	28.10.2009	16.11.2009	05.12.2009	21.12.2009
29.12.2009	12.01.2010	22.01.2010	08.02.2010	22.02.2010	12.03.2010
29.03.2010					

4.1.1 Details of Attendance of the Directors at the MCB Meetings

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	19	19
2. SHRI S. C. KALIA* Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 20.11.2009	10	10
3. SMT.SHUBHALAKSHMI PANSE** Executive Director	MEMBER	20.11.2009 - 31.03.2010	09	09
4. SHRI P. SHANTHARAM SHETTY *** Workmen- Director	MEMBER	28.08.2009 - 27.02.2010	11	11
5. SHRI SRIDHAR CHERUKURI **** Non executive Director	MEMBER	25.03.2010 - 31.03.2010	1	1
6. SHRI ASHOK KUMAR SHETTY ***** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 27.08.2009	6	6
7. SHRI ASHOK KUMAR, IAS, (Retd) #1 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 25.09.2009	8	6
8. SHRI K.VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	19	19
9. SHRI BRIG MOHAN SHARMA #2 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 01.01.2010	13	13
10. SHRI NISHANK KUMAR JAIN #3 Non Executive Director	MEMBER	25.09.2009 - 25.03.2010	10	9
11. SHRI S. ANANTHAN #4 Non Executive Director	MEMBER	09.01.2010 - 31.03.2010	6	6
12. SHRI RANJAN SHETTY #5 Officer- Employee Director	MEMBER	01.04.2009 - 27.06.2009 & 06.03.2010 - 31.03.2010	5	5
13. SHRI B IBRAHIM #6 Non Executive Director	MEMBER	09.07.2009 - 08.01.2010	10	9

* Shri S. C. Kalia was ceased to be member of the Management committee on his appointment as Executive Director of Union Bank Of India Vide GOI notification No.F.No.9/12/09-BO.1 dated 20.11.2009

** Smt Shubhalakshmi A Panse has become member of Management Committee on her appointment as Executive Director of the Bank vide GOI notification no.F.No.9/12/09-BO-1 dated 20.11.2009

*** Shri P. Shantharam Shetty was a member of the committee during the period 28.08.2009 to 27.02.2010

**** Shri Sridhar Cherukuri is a member of the committee from 25.03.2010.

***** Shri Ashok Kumar Shetty was a member of the committee during the period 01.04.2009 to 27.08.2009

#1 Shri Ashok Kumar IAS (Retd) was a member of the committee during the period 01.04.2009 to 25.09.2009

#2 Shri Brig Mohan Sharma was a member of the committee from 01.04.2009 to 02.01.2010.

#3 Shri Nishank Kumar Jain was a member of the committee during the period 25.09.2009 to 25.03.2010.

#4 Shri S Ananthan has become a member of the committee w.e.f.09.01.2010.

#5 Shri Ranjan Shetty was a member of the committee during the period 01.04.2009 to 27.06.2009 & again from 06.03.2010

#6 Shri B Ibrahim was a member of the committee from 09.07.2009 to 08.01.2010

4.2 Audit Committee of the Board

The directives of Reserve Bank of India, provisions of Companies Act, 1956 and Listing Agreements govern the formation and functioning of Audit Committee of the Board (ACB). The ACB provides direction as also oversees the operation of the total audit function in the Bank comprising the organization and quality control of internal audit and inspection within the Bank and follows up the statutory/external audit of the Bank and inspections of Reserve Bank of India. All the members of the Committee are financially literate.

The functions of Audit Committee include the following:

- Overseeing the Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information;
- Reviewing with the Management, Quarterly Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance of accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualifications in the audit report, compliance with stock Exchange and legal requirements concerning financial institutions, related party transaction, etc.
- Reviews the findings of investigation by the internal auditors into matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggests strengthening of control mechanism.
- Interacts with Statutory Central Auditors before the finalization of the annual / half yearly and quarterly accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, qualification in the draft Audit Report, etc.,
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of statutory and internal auditors and adequacy of internal control system, discussion with internal auditors any significant findings and follow up there on.
- The Committee specially focuses on the follow up on:

  a) Inter Branch Adjustment Accounts

  b) Unreconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts

  c) Arrears in balancing of books at various branches.

  d) Frauds and

  e) Major areas of house keeping.

The Bank in its appreciation of the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of Reserve Bank of India has constituted an Audit Committee of the Board comprising of 5 Directors with Non-Executive Independent Director with financial knowledge as the Chairman of the Committee.

As per the requirements of RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times a year. During the year, the Audit Committee met **9** times on the following dates:

04.04.2009	28.04.2009	19.06.2009	25.07.2009	07.09.2009
29.10.2009	12.11.2009	29.12.2009	23.01.2010	

4.2.1. Details of Attendance of the Directors at the ACB Meetings

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. SHRI S ANANTHAN * Non-Executive Director-Chartered Accountant	CHAIRMAN	02.01.2010 - 31.03.2010	1	1
2. SMT SHUBHALAKSHMI PANSE ** Executive Director	MEMBER	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
3. SHRI K VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	9	9
4. SHRI G.B.SINGH Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	9	8
5. SHRI ASHOK KUMAR, IAS (Retd) Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	9	7
6. SHRI BRIJ MOHAN SHARMA*** Non Executive Director-Chartered Accountant	CHAIRMAN	01.04.2009 - 01.01.2010	8	8
7. SHRI S C KALIA**** Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 20.11.2009	7	7

* Shri S.Ananthan has become the Chairman of the Committee w.e.f 02.01.2010

** Smt Shubhalakshmi A Panse has become a member of the committee on her appointment as Executive Director by the Government vide notification no F.NO.9/12/09-BO-1 dated. 20.11.2009

*** Shri Brig Mohan Sharma ceased to be member of the committee on his retirement from Board w.e.f 02.01.2010.

**** Shri S. C. Kalia was ceased to be member of Audit Committee on his appointment as Executive Director of Union Bank Of India by the Government of India vide notification F.No.9/12/09-BO-1 dated 20.11.2009

4.3 Shareholders'/Investors' Grievances Committee:

The Shareholder's/Investors' Committee has been constituted by the Bank with the purpose of redressal of Shareholders and Investors' complaints on matters of their interest.

The Committee monitors the shareholders' grievances with respect to transfers, transmission, splitting and consolidation of shares issued by the bank and any other grievances of the shareholders. The Committee further monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner.

The Committee met **4** times during the year under review on the following dates.

27.04.2009	24.07.2009	29.10.2009	08.02.2010

4.3.1. Details of Attendance of the Directors at the Shareholders'/Investors' Grievances Committee

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during The Period of their tenure	Meeting Attended
1. SHRI ASHOK KUMAR SHETTY Non Executive Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	4	3
2. SHRI S.C.KALIA* Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 20.11.2009	3	3
3. SMT.SHUBHALAKSHMI PANSE** Executive Director	MEMBER	20.11.2009 - 31.03.2010	1	1
4. SHRI NISHANK KUMAR JAIN*** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 22.08.2009	2	1
5. SHRI ASHOK KUMAR IAS(RTD) Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
6. SHRI SRIDHAR CHERUKURI**** Non Executive Director	MEMBER	23.08.2009 - 31.03.2010	2	2
7. SHRI S. ANANTHAN Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4

* Shri S. C. Kalia ceased to be member of the committee on his appointment as the Executive Director of union Bank Of India vide GOI notification no.F.No.9/12/09-BO-1 dated 20.11.2009

** Smt Shubhalakshmi Panse has become member of the committee on her appointment as the Executive Director of our Bank vide GOI notification no.F.No.9/12/09-BO-1 dated 20.11.2009

*** Shri Nishank Kumar Jain ceased to be member of the committee w.e.f. 23.08.2009

**** Shri Sridhar Cherukuri is a member of the committee from 23.08.2009 to 31.03.2010

Shri K.Gopalakrishnan Nair, Company Secretary has been functioning as Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of Securities & Exchange Board of India, Listing Agreements with Stock Exchanges, Registrar of Companies and for monitoring the share transfer process etc

4.4. Share Transfer Committee:

Besides the Directors' sub committee on Share holders/ Investors' Grievances, the Bank constituted a Share Transfer Committee of Directors with Chairman and Managing Director or Executive Director (in the absence of CMD) and two non-official Directors as its members. The committee meets at least once in a fortnight with a view to effect speedy transfer of Shares. The Committee met 12 times during the period under review with details as under. Further, some of the share transfers were approved by agendas sent to the Committee members by circulation, which were subsequently approved and ratified in the regular meetings.

28.04.2009	25.05.2009	09.07.2009	24.07.2009
28.08.2009	29.09.2009	29.10.2009	04.12.2009
29.12.2009	23.01.2010	06.03.2010	29.03.2010

4.4.1. Details of Attendance of the Directors at the Share Transfer Committee

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. SHRI ALBERT TAURO Chairman &Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	12	12
2. SHRI P.SHANTHARAM SHETTY* Workmen- Director	MEMBER	01.04.2009 - 22.08.2009	4	4
3. SHRI S ANANTHAN ** Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 22.08.2009	4	3
4. SHRI SRIDHAR CHERUKURI*** Non Executive Director	MEMBER	23.08.2009 - 31.03.2010	8	6
5. SHRI RANJAN SHETTY**** Officer-Employee Director	MEMBER	23.08.2009 - 31.03.2010	8	8

* Shri P. Shantharam Shetty ceased to be the member of the committee w.e.f. 23.08.2009.

** Shri S. Ananthan ceased to be the member of the committee w.e.f. 23.08.2009

*** Shri Sridhar Cherukuri has become member of the committee w.e.f.23.08.2009

**** Shri Ranjan Shetty has become the member of the committee w.e.f. 23.08.2009

4.5. Risk Management Committee:

In terms of the recommendations of Dr. Ganguly Committee, the Risk Management Committee of the Board was constituted on 23.07.2003, to devise Bank's Risk Management Policy and strategy for Integrated Risk Management and to co-ordinate with different Risk management Committees in the Bank.

Functions of the Committee

1. To devise the Risk Management Policy and strategy for Integrated Risk Management and to co-ordinate with the different Risk Management Committees in the Bank.
2. Framing policies and guidelines for risk measurement.
3. Management and reporting in all the areas of risk.
4. Ensuring that risk management process (including people, system, operation, limit and control) satisfies Bank's policy.
5. Ensuring robustness of financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

The Committee met **6** times during the period under review with details as under.

27.04.2009	27.06.2009	17.08.2009	29.10.2009	29.12.2009	22.02.2010

4.5.1. Details of Attendance of the Directors at the Risk Management Committee

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1 SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	6	6
2. SHRI S.C.KALIA* Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 20.11.2009	4	4

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
3 . SMT.SHUBHALAKSHMI A PANSE** Executive Director	MEMBER	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4. SHRI K.VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	6	6
5. SHRI.NISHANK KUMAR JAIN*** Non Executive Director	MEMBER	23.08.2009 - 31.03.2010	3	3
6. SHRI ASHOK KUMAR IAS(Retd) #1 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 22.08.2009	3	2
7. SHRI SRIDHAR CHERUKURI#2 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 22.08.2009	3	2
8. SHRI SHANTHARAM SHETTY #3 Workmen- Director	MEMBER	23.08.2009 - 31.03.2010	3	3

* Shri S.C.Kalia ceased to be member of the committee on his appointment as Executive Director of Union Bank Of India vide GOI notification no.F.No.9/12/09-BO-1 dated 20.11.2009

** Smt Shubhalakshmi A Panse was appointed as the Executive Director of the Bank vide Government of India notification No.F.No.9/12/2009-Bo-1 dated 20.11.2009.

*** Shri Nishank Kumar Jain has become member of the committee w.e.f.23.08.2009 .

#1 Shri Ashok Kumar was a member of the committee during 01.04.2009 to 22.08.2009

#2 Shri Sridhar Cherukuri was a member of the committee during 01.04.2009 to 22.08.2009.

#3 Shri Shantharam Shetty has become member of the committee w.e f. 23.08.2009

4.6. Committee to Review High Value Frauds

With a view to provide focused attention on monitoring of frauds involving amounts of rupees one Crore and above, a Committee of the Board has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

The Committee met **4** times during the period under review as under:

25.05.2009	24.07.2009	04.12.2009	08.02.2010

4.6.1 Details of Attendance of the Directors at the Committee to Review High Value Fraud Cases

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
2. SHRI S.C.KALIA* Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 20.11.2009	2	2
3. SMT.SHUBHALAKSHMI A PANSE** Executive Director	MEMBER	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4. SHRI ASHOK KUMAR IAS(Retd) Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
5. SHRI RANJAN SHETTY*** Officer –Employee Director	MEMBER	23.08.2009 31.03.2010	2	2
6. SHRI B IBRAHIM**** Non Executive Director	MEMBER	23.08.2009 31.03.2010	2	2
7. SHRI. SRIDHAR CHERUKURI #1 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 22.08.2009	2	NIL
8. BRIJ MOHAN SHARMA #2 Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 22.08.2009	2	2

* Shri S. C. Kalia was ceased to be member on his appointment as Executive Director of Union Bank Of India by Government of India, vide notification No.F.No.9/12/2009-BO.I dated 20.11.2009

** Smt Shubhalakshmi A Panse has become member on her appointment as Executive Director of the Bank vide Government of India notification No.F .No.9/12/2009-BO.1 dated 20.11.2009.

*** Shri Ranjan Shetty is a member of the committee during 23.08.2009 to 31.03.2010.

**** Shri B Ibrahim is a member of the committee from 23.08.2009 to 31.03.2010

1 Shri Sridhar Cherukuri ceased to be the member of the committee w.e.f. 23.08.2009

2 Shri Brij Mohan Sharma ceased to be member of the committee w.e.f. 23.08.2009

4.7. Customer Service Committee

Pursuant to directives of RBI, Customer service Committee has been constituted by the Board on 08.09.2004.

The Customer Service Committee of the Board is expected to:

1. Oversee the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and performance Audit on Customer Services;
2. Address the formulation of a Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his account, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services;
3. Introduce innovative measures for enhancing the quality of customer service; and
4. Improve the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times.

The Committee met 4 times during the period under review as under:

25.05.2009	09.07.2009	21.12.2009	12.03.2010

4.7.1 Details of Attendance of the Directors at the Customer Service Committee

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1 SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
2. SHRI S.C.KALIA* Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 20.11.2009	2	2

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
3. SMT SHUBHALAKSHMI A PANSE** Executive Director	MEMBER	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4. SHRI K.VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
5. SHRI B.T.RUDRAPPA Representative of customers	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	4	3
6. SHRI P. SHANTHARAM SHETTY *** Workmen- Director	MEMBER	01.04.2009 - 22.08.2009	2	2
7. SHRI B IBRAHIM**** Non Executive Director	MEMBER	23.08.2009 - 31.03.2010	2	1

* Shri S. C. Kalia ceased to be member of the committee on his appointment as the Executive Director of Union Bank Of India By the Government of India , vide notification no.F.NO.9/12/2009-BO-1 dated 20.11.09

** Smt Shubhalakshmi A Panse was appointed as the Executive Director of the Bank by Government of India,vide notification no.F.No.9/12/2009-BO-1 dated 20.11.2009.

*** Shri Shantharam Shetty was a member of the committee between 01.04.2009 to 22.08.2009

**** Shri B Ibrahim has become a member of the committee on 23.08.2009.

4.8. Directors Promotion Committee

A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982 to review the cases of executives in SMG Scale-V and above. The Committee oversees disciplinary cases and promotions of top executives (Scale VII) of the Bank.

It was constituted for the purpose of review and retirement of officer employees on or at any time after the completion of 55 years of age or at any time after completion of 30 years of total service. The membership comprises of CMD, Executive Director, Government Director and the RBI Nominee Director.

The Committee met **4** times during the period under review as under:

25.05.2009	28.08.2009	04.12.2009	06.03.2010

4.8.1. Details of Attendance of the Directors at the Directors Promotion Committee

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. SHRI ALBERT TAURO Chairman & Managing Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
2. SHRI S.C.KALIA* Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 20.11.2009	2	2
3. SMT SHUBHALAKSHMI PANSE** Executive Director	MEMBER	20.11.2009 - 31.03.2010	2	2
4. SHRI G.B. SINGH Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4
5. SHRI K. VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	4	4

* Shri S. C. Kalia ceased to be member on his appointment as Executive Director of the Union Bank Of India by Government of India, vide notification No.F.No.9/12/2009-BO.I dated 20.11.2009

.** Smt Shubhalakshmi A Panse was appointed as the Executive Director of the Bank by Government of India ,vide notification no.F.No.9/12/2009.BO-1 dated 20.11.2009.

4.9. REMUNERATION COMMITTEE

Remuneration to Directors is paid as per Government of India guidelines. In terms of the GOI letter F.No.20/1/2005-BO.1 Dt.09.03.2007,Board of Directors of the Bank constituted the Remuneration Committee on 30.07.2007.The Committee is formed to evaluate the performance linked incentives to whole time Directors, viz., Chairman & Managing Director and the Executive Director, and to award eligible incentive as on 31st March of the relevant year.

The details of remuneration including performance linked incentive paid to CMD and ED during the year 2009-10 is detailed below:

Particulars

	Sri Albert Tauro. (CMD)	Mrs.Shubhalakshmi Panse (ED)	Sri S C Kalia (EX.ED)
Salary	Rs.13,89,601.60	Rs.3,59,568.19	Rs.7,68,351.33
Allowances	--	--	--
Contribution on PF	Rs.1,28,547.50	Rs. 28,279.90	Rs.69,177.33
Other(LFC,etc.)	--	--	Rs.85,027.00
Other Perquisites	Rs.19584.00	Rs. 6.873.00	Rs.12.068.00
Total	Rs.15,37,733.10	Rs.3,94,721.09	Rs.9,34,623.66
Stock Option	--	--	--

The non-executive/independent Directors are not being paid any remuneration, except the Sitting Fees, traveling and halting expenses for attending the meetings of the Board / Committees as per the guidelines of Government of India.

The Committee met on 28.08.2009 & 22.01.2010 during the period under review.

4.9.1. Details of Attendance of the Directors at the Remuneration Committee

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. SHRI G B SINGH Non Executive Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2
2. SHRI K.VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2
3. SHRI ASHOK KUMAR SHETTY Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2
4. SHRI S ANANTHAN Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	2	2

4.10. NOMINATION COMMITTEE

As directed by the Reserve Bank of India, vide their letter DBOD.No.BC.No.47/29.39001/2007-08 dated 01.11.2007, the Nomination Committee of the Board was constituted on 28.12.2007, to undertake process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the persons to be elected as directors under Sec.9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1980. The Committee consists of the following members:

1. Government Nominee Director : Chairman of the Committee
2. RBI Nominee Director : Member
3. Non-Official Director (CA-Category) : Member

The Committee met once during the period under review on 27.04.2009 and found that the persons elected as directors fulfill the 'fit & proper' criteria stipulated by the Reserve Bank of India.

4.10.1. Details of Attendance of the Directors at the Nomination Committee

Name of Director	Designation	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended
1. SHRI G.B.SINGH Non Executive Director	CHAIRMAN	01.04.2009 - 31.03.2010	1	1
2. SHRI K.VENKATAPPA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 31.03.2010	1	1
3. SHRI BRIJ MOHAN SHARMA Non Executive Director	MEMBER	01.04.2009 - 02.01.2010	1	1

4.11 COMMITTEE TO SETTLE ELECTION DISPUTES

A Special Committee was formed in terms of Clause (b) & (c) of Subsection (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. As per this Clause the Committee consists of the following members:

1. Chairman and Managing Director : Chairman of the Committee
2. Government Nominee Director : Member
3. RBI Nominee Director : Member

During the year no meeting of the committee was held.

Particulars of Shareholdings of Non-Executive/Shareholder Directors:

Name of Director	Number of shares held
1. Shri Ashok Kumar Shetty	3,900
2. Shri Ashok Kumar IAS (Retd)	100
3. Shri S. Ananthan	1,200

5. CODE OF CONDUCT:

Bank has been following the Code of Conduct as stipulated in clause 49 of the Listing Agreement. Accordingly, confirmation has been obtained from all Directors/ top management personnel on an annual basis for compliance of the same.

6. GENERAL BODY MEETING

The details of the last three Annual General Body Meeting held are furnished below:

Date	Time	Venue
27.06.2007	11.00 a.m.	Mulki Sunderram Shetty Auditorium, Vijaya Bank M.G. Raod Bangalore.
25.07.2008	10.15 a.m.	
10.07.2009	10.15 a.m	

The following Directors were present during the Ninth Annual General Body Meeting. There was no special Resolution passed in these Meetings.

1. Shri Albert Tauro - Chairman & Managing Director
2. Shri S.C.Kalia - Executive Director
3. Shri.Brij Mohan Sharma - Director(Chartered Accountant Category& Chairman of .ACB)
4. Shri Ashok Kumar, IAS (Retd) - Shareholder Director
5. Shri Ashok Kumar Shetty - Shareholder Director
6. Shri S Ananthan - Shareholder Director
7. Shri Sridhar Cherukuri - Non Official Director
8. Shri Nishank Kumar Jain - Non Official Director
9. Shri Ranjan Shetty - Officer-Employee Director.
10. Shri B Ibrahim - Non Official Director

Shri M.Sahu,Under Secretary ,Ministry of Finance, was present at the meeting as an observer, representing the Government of India, Ministry of Finance. Only the aforesaid one General Body Meeting was held during the year 2009-10.

7. SHARE TRANSFER SYSTEM & REDRESSAL OF INVESTORS' GRIEVANCES:

Share transfers, dividend payments and all other investor related activities are attended to and processed at the office of our Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfer of Shares is duly effected within the period of one month from the date of their lodgement. The Board has constituted Investors' Grievances Committee and Share Transfer Committee to redress shareholders grievances, to consider transfer of Shares and other related matters. The Committees meet at regular intervals and review the status of Investors' Grievances besides confirming transfer of Shares.

The Bank appointed M/s Link Intime India Pvt Limited as its Registrar & Transfer Agent whose duty is to process Share transfers, dividend payments, recording of Shareholders' requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares. The Investors may lodge their transfer deeds/requests/complaints with the Registrar at the following address:

M/s Link Intime India Private Limited
(Unit: Vijaya Bank)
C-13, Pannalal Silk Mills Compound,
L.B.S.Road, Bhandup (West)
MUMBAI-4000078
Tel: (022) 25963838, 25946970-78
Fax: (022) 25946969
E-mail: mumbai@linkintime.co.in and rnt.helpdesk@linkintime.co.in

For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances / complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Bangalore at the following address:

General Manager,
Board Secretariat (Shares Division)
Vijaya Bank, Head Office,
41/2, M.G.Road,
Bangalore – 560 001
Karnataka.
Telephone : 080 25594737.
080 25584066 Extn.271 or Extn.514
Fax : 080 25594737.
e-mail : sdigc@vijayabank.co.in
website : www.vijayabank.com

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is fully ensured.

Share Transfer System:

The Transfers of Bank's Equity Shares are effected by our Share Transfer Agent- M/s Link Intime India Private Limited, Mumbai. The share transfer requests, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, is processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialization/ rematerialization/ split/ replacement/ consolidation etc., are placed before the Share Transfer Committee of the Board for approval. The Meeting of the share Transfer Committee is held on fortnightly basis for this purpose. After getting the approval from the Share Transfer Committee, M/s Link Intime India Private Limited, effects the transfers, demat etc., and sends it to the shareholders. The Bank ensures that all transfer of Shares is duly effected within the period of one month from the date of their lodgement.

As per Clause 47 of the Listing Agreement with Stock Exchanges, a report on share transfers effected by the R & T Agent and approved by the Share Transfer Committee is placed before the Board of Directors of the Bank for information.

Number of Complaints received, resolved and pending

All the complaints from shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Private Limited, Mumbai and those received by the bank are forwarded to them. The details of requests / complaints received and resolved during 2009-2010 and pending as on 31.03.2010 are as follows:

	Pending As on 01.04.2009	Received	Resolved	Pending As on 31.03.2010
a) No. of Requests	NIL	3680	3680	NIL
b) No. of Complaints	NIL	2076	2076	NIL

None of the above complaints were pending for more than one month. As on 31.03.2010, no share transfer requests were pending at our end.

8. DISCLOSURE, COMMUNICATION AND RELATIONSHIP WITH SHAREHOLDERS

There are no materially significant Related Party Transactions of the Bank with its Promoters/ Directors, Management, their Subsidiaries and/or relatives that would have potential conflict with the interests of the Bank at large.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the stock exchanges or SEBI or any other statutory authorities during the financial year 2009-10. The Bank conducted the Annual General Meeting and paid dividend to the eligible shareholders within the statutory time frame.

Information relating to bank is sent mainly through the Annual Report which includes the Chairman's statement, the Directors Report, audited accounts, cash flow statements and consolidated accounts etc. The shareholders are also intimated on the quarterly, half yearly and annual performances through publication in News Papers, intimation to stock exchanges, press releases and also through Bank's website www.vijayabank.com.

During the year the quarterly/ half yearly/ annual results of the bank, were published in the following newspapers in addition to other newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Kannada	
Year ended March 2009	Deccan Herald	Udayavani	29.04.2009
Quarter ended June 2009	Business Standard	Udayavani	26.07.2009
Half year ended September 2009	Deccan Herald	Udayavani	30.10.2009
Quarter ended December 2009	Financial Express	Udayavani	24.01.2010

9. MANDATORY AND NON-MANDATORY REQUIREMENTS

9.1 The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in Clause 49 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges.

9.2 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

	REQUIREMENT	COMPLIANCE
9.2.1	A non-executive Chairman should be entitled to maintain the Chairman's office at the company's expense and also be allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	The Bank is headed by an Executive Chairman appointed by Government of India and as such this requirement is not applicable.
9.2.2	The half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, should be sent to each household of shareholders.	The Bank sends yearly financial results along with the summary of significant developments during the year, to all the shareholders. Bank's quarterly Financial Results are published through Newspapers, Stock Exchanges and also through Bank's Website, after approval of the same by the Board of Directors.
9.2.3	Postal Ballot	The Bank has not taken up for consideration any of the critical matters, which require to be decided by postal ballot.

10. SHAREHOLDERS' INFORMATION:

The Bank is a Scheduled Commercial Bank having its Head Office at Bangalore. The Bank has its presence in all parts of the country with 1,158 network of Branches as on 31.03.2010.. The Bank's shares are listed on the following major Stock Exchanges:

1) **Bombay Stock Exchange Limited**
Corporate Relationship Department,
1st Floor, New Trading Ring,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort, Mumbai-400 001
BSE CODE : 532401

2) **National Stock Exchange of India Ltd.**
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No.C/1, G Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051
NSE CODE : Vijaya Bank EQ AE BE BT

3) **Banglore Stock Exchange Limited**
P.B.No.27024,
No.51, Stock Exchange Towers,
1st cross, J.C.Road,
Banglore-560027

The annual listing fee to the stock exchanges for the year 2009-10 have been paid within prescribed due dates.

10.1 Dematerialisation of Securities:

Dematerialisation of shares of the Bank is not compulsory but the Bank has its shares Demated with National Securities Depository Ltd. and Central Depository of Securities Ltd. Bank has been allotted ISIN Code No. INE705A01016 for the Dematerialized Equity Shares. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with at three Stock Exchanges.

Bank has complied with SEBI requirements with regard to secretarial audit for the purpose of reconciliation of the total admitted capital with both the depositories i.e. NSDL and CDSL and the total issued and listed capital of the Bank and in respect of other matters covered under the directions of SEBI, by a practising Company Secretary.

Particulars of shares in Demat and Physical form held by the Equity shareholders as of 31.03.2010 are as under:

	No of share holders	No. of shares	Percentage Shareholding
DEMAT			
President of India	1	23,35,17,800	53.87
Others in NSDL	153518	15,11,68476	34.87
Others in CDSL	52383	2,03,46,353	4.69
Total	**205902**	**40,50,32,629**	**93.43**
PHYSICAL	84364	28485171	6.57
OTHERS	**----**	**-----**	**------**
Grand Total	**290266**	**43,35,17,800**	100

10.2 Electronic Clearing Services (ECS):

Electronic Clearing Services (ECS) is a novel method of payment of dividend/interest etc., where the amount due to investor can directly be credited into his/her Bank account. The Bank has offered the services to the shareholders to avail the ECS facility.

The ECS (Electronic Clearing System) mandate form is enclosed with the Annual Report, which may be sent to the Registrar & Transfer Agent. The option to receive dividend through ECS may be discontinued at any time at the instance of the Shareholder.

Dividend paid by the Bank during the year 2009-2010:

During the year 2009-10, Bank paid a dividend of 10% to the shareholders pertaining to the financial year 2008-09. The dividend was recommended by the Board of Directors of the Bank in its Board Meeting held on 28.04.2009 and the same was declared by the shareholders in the Ninth Annual General Meeting held on 10.07.2009. Book closure for the purpose of AGM and payment of Final Dividend for the year 2008-09 was fixed from 06.07.2009 to 10.07.2009. All the Dividend Warrants were dispatched/ECS credit was effected by 10.08.2009.

10.3 Share Capital of the Bank:

As per section 3 (2A) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking)Act 1980, the Central Government, may after consultation with RBI and by notification in the Official Gazette, increase or reduce the Authorised Capital as it thinks fit, and after such increase or reduction, the Authorised Capital shall not exceed three thousand Crore or be less than one thousand five hundred Crore of rupees.

The Government of India vide notification dated 10/11/2009 increased the Authorised Capital of the Bank from Rs.1500 Crore to Rs.3000 Crore. Accordingly Authorised Capital of the Bank at present is Rs.3000 Crore divided into 300 Crore fully paid shares of Rs.10 each.

Government of India holds 53.87% Equity Share capital of the Bank and is the major shareholder of the Bank. The Government of India on 31.03.2009 infused a Capital of Rs.500 Crore against the issue of 50 Crore Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.10 each, interest payable at coupon rate of Repo plus 100 basis points. Accordingly the present Paid up Capital of the Bank is as follows:

	(Rs. Crore)
Authorised Capital:	
300 Crore Shares of Rs.10 each	Rs.3000.00
Paid up Capital:	
50 Crore Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.10 each	Rs. 500.00
43,35,17,800 Equity Shares of Rs.10 each	Rs. 433.52
Total Paid up Capital	Rs. 933.52

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on 31.03.2010

	Category	No. of Shares held	Percentage of Shareholding
A	**Promoter's Holding**		
1	Promoters -Indian Promoters (Govt. of India) -Foreign Promoters	 23,35,17,800 -	 53.87 -
2	Persons Acting In Concert	-	-
	Sub –Total	**23,35,17,800**	**53.87**

B	**Non – Promoters Holding**		
3	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	48,61,097	1.12
	b) Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central / State Institutions / Non – Government Institutions)	5,59,16,177	12.88
	c) FIIs/FMFs	194,69,959	4.49
	Sub – Total	**8,02,47,233**	**18.49**
C	**Others**		
	a) Private Corporate Bodies	1,64,01,559	3.78
	b) Indian Public	10,04,79,721	23.20
	c) NRIs / OCBs	28,71,487	0.66
	d) Any Other	-NIL-	-NIL-
	Sub – Total	**11,97,52,767**	**27.64**
	GRAND TOTAL	**43,35,17,800**	**100.00**

Table 2: Total Foreign Shareholding as on 31.03.2010_

Sl. No.	Particulars	Number of Shares	Percentage of Shareholding
1	GDR & ADR holding	----- Nil -----	----- Nil -----
2	Foreign Promoters	----- Nil -----	----- Nil -----
3	Foreign Institutional Investors	1,59,82,996	3.69
4	Foreign Mutual Funds	34,86,963	0.80
5	NRIs	28,71,387	0.66
6	Foreign Banks	----- Nil -----	----- Nil -----
7	Foreign National	100	0.00
	Total	**2,23,41,446**	**5.15**

Table 3: List of Shareholders holding more than 1% of equity shares of the bank as on 31.03.2010.

Sl. No.	Name of share Holders	No. of shares Held	Percentage of Shareholding	Category
1	President of India	23,35,17,800	53.87	Indian promoter
2	LIC of India	52,83,784	1.22	Govt. Sponsored Financial Institution
3	LIC of India	1,99,85,814	4.61	Govt. Sponsored Financial Institution
4	LIC of India Money Plus	1,38,13,333	3.19	Govt Sponsored Financial Institution

10.4. Whistle Blower Policy:

Bank reiterated time and again through internal circulars, that staff members can address genuine information of significant value to the organization in the form of complaints/ suggestions / grievances through proper channel.

In case of urgency/exigency it can be addressed directly to the appropriate authority without any reservation or fear. Staff members can thus effectively perform the role of a genuine 'Whistle Blower' in bringing to the notice of the management, in writing duly signed, any deviation which is in the interest of the organization and needs to be checked/rectified.

10.5. Stock Market Data

The monthly high & low quotations and the volume of shares traded on for NSE and BSE for the period April 2009 to March 2010 are as follows:

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE)						
Month	High (Rs.)	Low (Rs.)	Close (Rs.)	Close Date	Volume of Shares Traded	NSE NIFTY
April 2009	29.70	23.05	**26.15**	29.04.2009	41654074	3473.95
May 2009	47.05	26.40	**46.20**	29.05.2009	88082210	4448.95
June 2009	50.00	41.05	**45.70**	30.06.2009	87247251	4291.10
July 2009	46.85	37.00	**43.70**	31.07.2009	35291381	4636.45
August 2009	45.00	40.10	**42.70**	31.08.2009	23398558	4662.10
September 2009	51.90	41.30	**51.50**	30.09.2009	125478802	5083.95
October 2009	55.50	43.25	**43.95**	30.10.2009	92419016	4711.70
November 2009	56.65	40.75	**51.60**	30.11.2009	110657626	5032.70
December 2009	58.70	49.70	**51.90**	31.12.2009	127636987	5201.05
January 2010	56.50	46.60	**50.25**	29.01.2010	79968758	4882.05
February 2010	52.00	45.65	**47.65**	26.02.2010	37259050	4922.30
March 2010	51.30	46.25	**47.45**	31.03.2010	39439731	5249.10

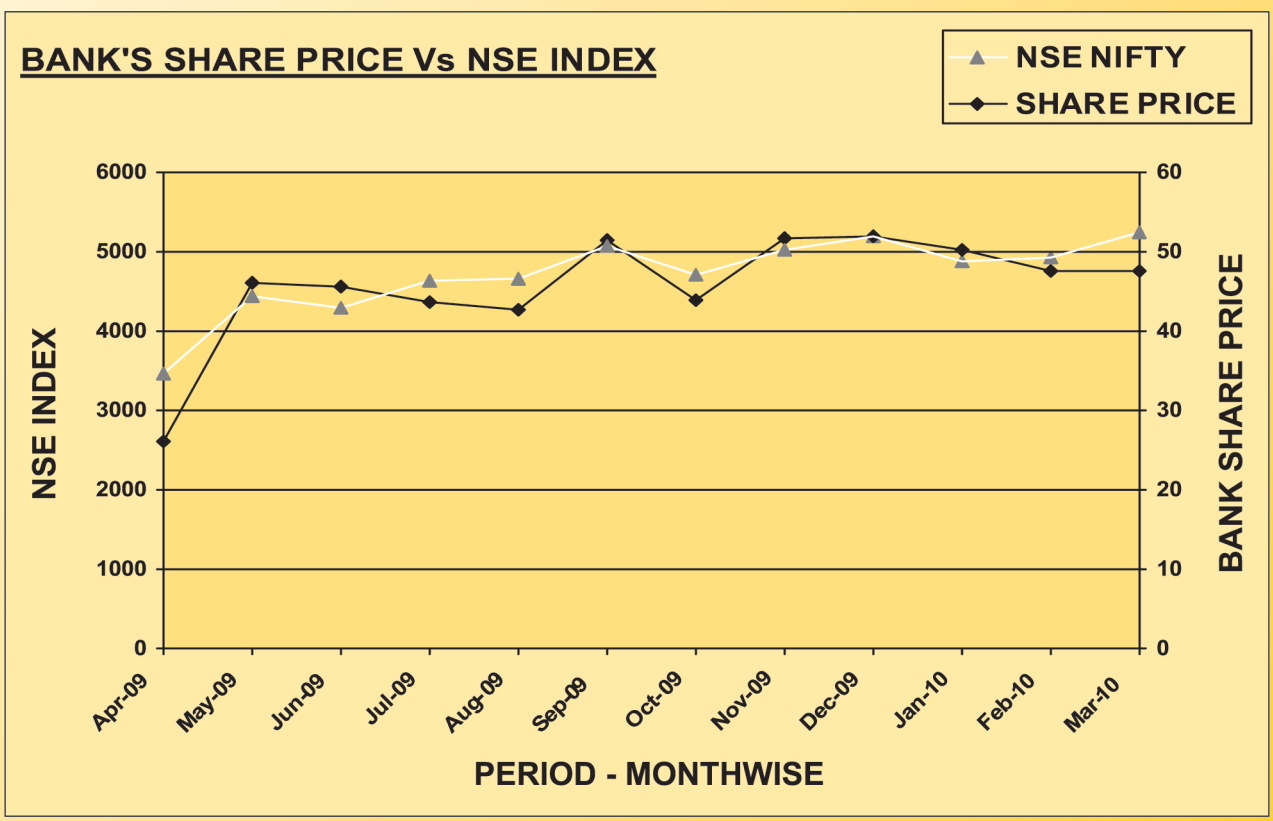

BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED (BSE)						
Month	High (Rs.)	Low (Rs.)	Close (Rs.)	Close Date	Volume of Shares Traded	BSE SENSEX
April 2009	29.75	23.00	**26.20**	29.04.2009	15768646	11403.25
May 2009	47.00	26.00	**46.25**	29.05.2009	23160505	14625.25
June 2009	50.00	41.20	**45.90**	30.06.2009	24122335	14493.84
July 2009	46.80	37.00	**43.60**	31.07.2009	9477795	15670.31
August 2009	45.00	40.25	**42.70**	31.08.2009	7356780	15666.64
September 2009	51.90	41.00	**51.50**	30.09.2009	34378183	17126.84
October 2009	55.45	43.00	**43.85**	30.10.2009	22753271	15896.28
November 2009	56.65	40.90	**51.55**	30.11.2009	28551416	16926.22
December 2009	58.75	49.70	**51.95**	31.12.2009	24787379	17464.81
January 2010	56.55	46.75	**50.30**	29.01.2010	14796217	16357.96
February 2010	52.00	45.85	**47.75**	26.02.2010	5410881	16429.55
March 2010	51.30	46.20	**47.35**	31.03.2010	6967391	17527.77

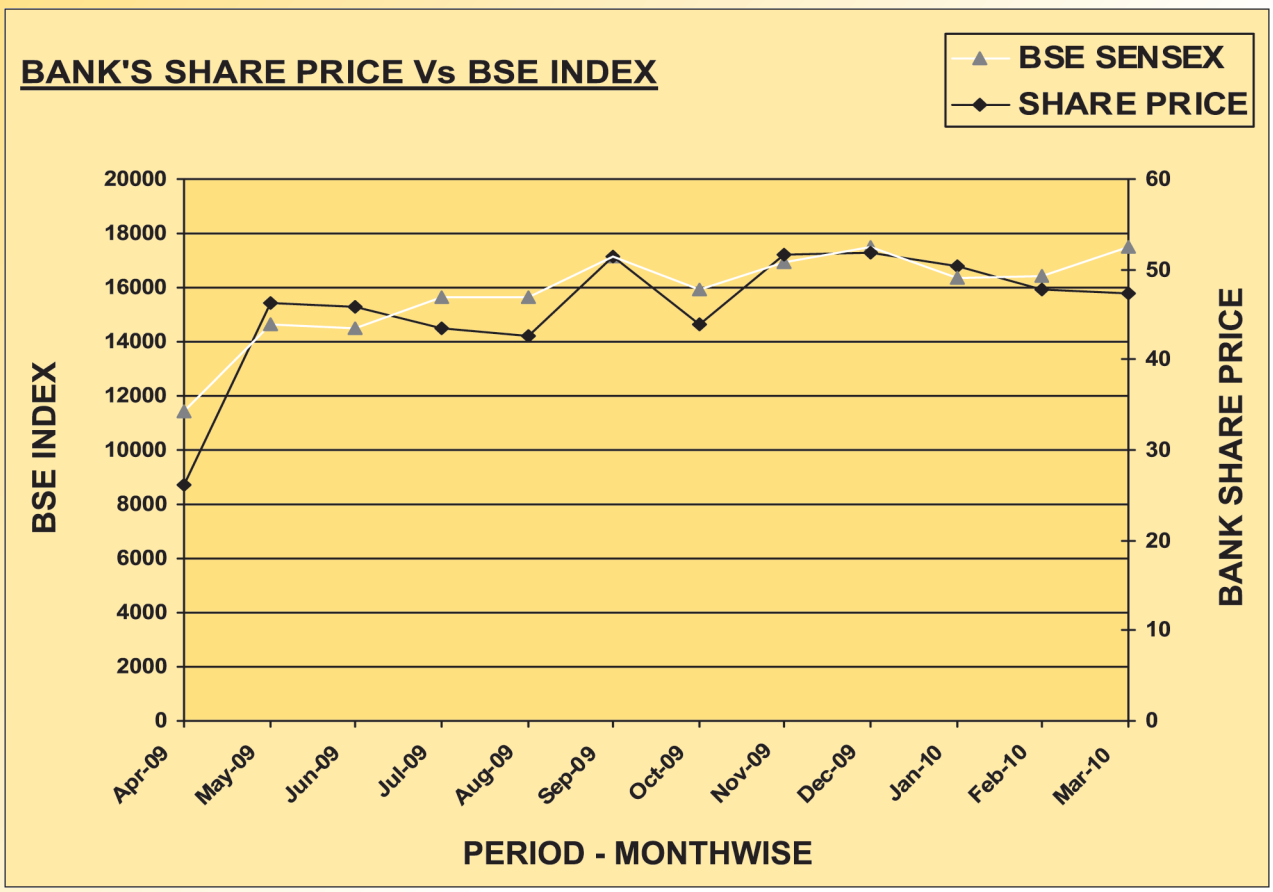

10.6. Value wise Distribution of Share holding of Vijaya Bank as on 31.03.2010

Shareholding of Nominal value. Rs.	Shareholders		Shares	
	Nos.	Percentage	Rs.	Percentage
Up to 2500	2,11,054	72.71.	242989420	5.60
2501 to 5000	42,231	14.55	178984680	4.13
5001 to 10000	24982	8.60	219107110	5.05
10001 to 20000	7548	2.60	116860920	2.70
20001 to 30000	1553	0.54	39956770	0.92
30001 to 40000	849	0.29	31242210	0.72
40001 to 50000	532	0.19	25369530	0.59
50001 to 100000	787	0.27	58424510	1.35
100001 and above	730	0.25	3422242850	78.94
TOTAL	**290266**	**100**	**433,51,78,000**	**100.00**

Albert Tauro Chairman & Managing Director	**Shubhalakshmi Panse** Executive Director	**G.B. Singh** Director
K.Venkatappa Director	**P. Shantharam Shetty** Director	**Ranjan Shetty** Director
Sridhar Cherukuri Director	**Ashok Kumar Shetty** Director	**Ashok Kumar** Director
Nishank Kumar Jain Director	**S. Ananthan** Director	**B. Ibrahim** Director

Place : Bangalore
Date : 29.05.2010

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To

The Members of Vijaya Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by VIJAYA BANK for the year ended on 31st March 2010, as stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement of the said Bank with Stock Exchanges.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreement to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month, against the Bank, as per the records maintained by the Shareholders'/Investors' Grievances Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For M/s V.KHANNA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000200C

[V.K.KHANNA]
Partner
Membership No:008276

For M/s M.THOMAS & CO
Chartered Accountants
Registration No: 004408S

[MURALI RAMANAN]
Partner
Membership No: 080972

For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 006117N

[PRADEEP TYAGI]
Partner
Membership No:084840

For M/s R.BANSAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 002736N

[R.S.BANSAL]
Partner
Membership No: 013000

For M/S M.P.CHITALE & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 101851W

[ULHAS CHITALE]
Partner
Membership No:032292

For M/s P.CHANDRASEKAR
Chartered Accountants
Registration No: 000580S

[LAKSHMY C.]
Partner
Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 29.05.2010

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 2010

PARTICULARS	Schedule No.	[Rupees 000's omitted] As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
CAPITAL AND LIABILITIES			
Capital	1	**933 51 78**	933 51 78
Reserves and Surplus	2	**2541 63 30**	2215 77 71
Deposits	3	**61931 74 55**	54535 42 47
Borrowings	4	**1938 56 15**	2269 24 16
Other Liabilities and Provisions	5	**2876 62 57**	2428 19 87
TOTAL		**70222 08 35**	62382 15 99
ASSETS			
Cash and Balance with Reserve Bank of India	6	**4099 57 69**	5730 40 57
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	7	**1449 67 78**	1941 77 65
Investments	8	**21107 44 64**	17387 70 26
Advances	9	**41521 71 80**	35467 66 86
Fixed Assets	10	**493 16 14**	493 24 46
Other Assets	11	**1550 50 30**	1361 36 19
TOTAL		**70222 08 35**	62382 15 99
Contingent Liabilities	12	**10764 81 62**	11887 74 53
Bills for Collection		**1185 37 77**	1331 82 31
Accounting Policies	17		
Notes on Accounts	18		

Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

ALBERT TAURO CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**K.VENKATAPPA** DIRECTOR	**NISHANK K. JAIN** DIRECTOR
S. ANANTHAN DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR** DIRECTOR	**P.SHANTHARAM SHETTY** DIRECTOR
RANJAN SHETTY DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**K.JAYAKAR SHETTY** GENERAL MANAGER	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s V.KHANNA & CO. Chartered Accountants Registration No: 000200C **[V.K.KHANNA]** Partner Membership No:008276	**For M/s M.THOMAS & CO** Chartered Accountants Registration No: 004408S **[MURALI RAMANAN]** Partner Membership No: 080972	**For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.** Chartered Accountants Registration No: 006117N **[PRADEEP TYAGI]** Partner Membership No:084840
For M/s R.BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N **[R.S.BANSAL]** Partner Membership No: 013000	**For M/S M.P.CHITALE & CO.** Chartered Accountants Registration No: 101851W **[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No:032292	**For M/s P.CHANDRASEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S **[LAKSHMY C.]** Partner Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 30.04.2010

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2010

[Rupees 000's omitted]

	PARTICULARS	Schedule No.	For the year ended 31.03.2010	For the year ended 31.03.2009
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	**5200 64 63**	5237 82 52
	Other Income	14	**679 45 19**	698 81 03
	TOTAL		**5880 09 82**	5936 63 55
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	**3751 56 59**	4113 02 43
	Operating Expenses	16	**1071 56 76**	924 69 97
	Provisions and Contingencies		**549 66 60**	636 43 17
	TOTAL		**5372 79 95**	5674 15 57
III.	**PROFIT / LOSS**			
	Net Profit for the year		**507 29 87**	262 47 98
	Add: Profit brought forward		**750 46 67**	750 69 39
	TOTAL		**1257 76 54**	1013 17 37
IV.	**APPROPRIATIONS**			
	Transfer to Statutory Reserve		**126 82 47**	65 62 00
	Transfer to Special Reserve in terms of Sec. 36 (1) (viii) of the Income Tax Act		**25 00 00**	-
	Transfer to Capital Reserve		**87 89 87**	1 46 28 37
	Transfer to (from) General Reserve		**2 37 89**	- 1 23
	Proposed Dividend Preference Share Capital (inclusive of tax)		**35 09 85**	9 62
	Proposed Dividend - Equity Share Capital (inclusive of tax)		**126 79 86**	50 71 94
	Balance carried forward to Balance Sheet		**853 76 60**	750 46 67
	TOTAL		**1257 76 54**	1013 17 37
	Earnings Per Share - Basic		**11.70**	8.33
	- Diluted		**11.70**	8.33
	Accounting Policies	17		
	Notes on Accounts	18		

Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Profit & Loss Account.

ALBERT TAURO
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

SHUBHALAKSHMI PANSE
EXECUTIVE DIRECTOR

K.VENKATAPPA
DIRECTOR

NISHANK K. JAIN
DIRECTOR

S. ANANTHAN
DIRECTOR

ASHOK KUMAR SHETTY
DIRECTOR

ASHOK KUMAR
DIRECTOR

P.SHANTHARAM SHETTY
DIRECTOR

RANJAN SHETTY
DIRECTOR

B. IBRAHIM
DIRECTOR

K.JAYAKAR SHETTY
GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s V.KHANNA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000200C

[V.K.KHANNA]
Partner
Membership No:008276

For M/s M.THOMAS & CO
Chartered Accountants
Registration No: 004408S

[MURALI RAMANAN]
Partner
Membership No: 080972

For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 006117N

[PRADEEP TYAGI]
Partner
Membership No:084840

For M/s R.BANSAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 002736N

[R.S.BANSAL]
Partner
Membership No: 013000

For M/S M.P.CHITALE & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 101851W

[ULHAS CHITALE]
Partner
Membership No:032292

For M/s P.CHANDRASEKAR
Chartered Accountants
Registration No: 000580S

[LAKSHMY C.]
Partner
Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 30.04.2010

SCHEDULES TO BALANCE SHEET AND PROFIT & LOSS ACCOUNT

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
SCHEDULE - 1 :		
CAPITAL		
AUTHORISED CAPITAL	**3000 00 00**	1500 00 00
300,00,00,000 Shares of Rs.10/- each		
ISSUED, SUBSCRIBED AND CALLED UP CAPITAL		
43,35,17,800 Equity Shares of Rs.10/- each	**433 51 78**	433 51 78
50,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.10/- each	**500 00 00**	500 00 00
PAID UP CAPITAL		
(a) Held by Central Government 23,35,17,800 Equity Shares of Rs.10/- each	**233 51 78**	233 51 78
(b) Held by the Public and Others 20,00,00,000 Equity Shares of Rs.10/- each	**200 00 00**	200 00 00
(c) Held by Central Government 50,00,00,000 Perpetual Non-Cumulative Preference Shares of Rs.10/- each at annual floating coupon to be benchmark to repo rate with a spread of 100 basis points to be readjusted annually based on prevailing repo rate on the relevant date.	**500 00 00**	500 00 00
TOTAL	**933 51 78**	933 51 78
SCHEDULE - 2 :		
RESERVES AND SURPLUS		
1. STATUTORY RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**684 31 16**	618 69 16
Add : Additions during the year	**126 82 47**	65 62 00
TOTAL	**811 13 63**	684 31 16
II. CAPITAL RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**161 60 24**	15 31 88
Add : Additions during the year	**87 89 87**	146 28 36
TOTAL	**249 50 11**	161 60 24
III. SHARE PREMIUM	**140 00 00**	140 00 00
IV. REVALUATION RESERVE		
Balance as per last Balance Sheet	**331 22 28**	352 64 22
Add : Additions during the year	**-**	-
Less : Deduction on account of depreciation adjusted from Profit & Loss Account	**19 54 57**	21 41 94
TOTAL	**311 67 71**	331 22 28

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
V. REVENUE AND OTHER RESERVES		
[a] Special Reserve in terms of Sec.36 (1) (viii) of the Income Tax Act		
Balance as per last Balance Sheet	**137 72 74**	137 72 74
Add : Additions during the year	**25 00 00**	-
TOTAL	**162 72 74**	137 72 74
[b] General Reserve		
Balance as per last Balance Sheet	**10 44 62**	10 45 85
Add : Transfer during the Year	**2 37 88**	- 1 23
TOTAL	**12 82 50**	10 44 62
[c] Balance in Profit & Loss Account	**853 76 61**	750 46 67
TOTAL	**853 76 61**	750 46 67
TOTAL [a+b+c]	**1029 31 85**	898 64 03
TOTAL { I+II+III+IV+V}	**2541 63 30**	2215 77 71
SCHEDULE - 3 :		
DEPOSITS		
DEPOSITS IN INDIA		
I. Demand Deposits		
i) From Banks	**19 53 59**	21 73 26
ii) From Others	**4504 10 24**	4115 93 51
II. Savings Bank Deposits	**10721 02 41**	8969 38 01
III. Term Deposits		
i) From Banks	**73 34 78**	30 38 46
ii) From Others	**46613 73 53**	41397 99 23
TOTAL	**61931 74 55**	54535 42 47
SCHEDULE - 4 :		
BORROWINGS		
I. BORROWINGS IN INDIA	**-**	-
i) Reserve Bank of India	**-**	-
ii) Other Banks	**-**	18 98
iii) Other Institutions & Agencies	**187 35 65**	619 05 18

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
SCHEDULE - 4 : (Contd..)		
iv) Sub-ordinated Debts - Bonds raised as Tier- II Capital		
1) 7.5 Year Bonds 2010 @ 7.50%	**150 00 00**	150 00 00
2) 10 Years & 3 months Bonds 2015 @ 7.15%	**250 00 00**	250 00 00
3) 10 Years Bonds 2016 @ 9.25%	**250 00 00**	250 00 00
4) 15 Years Bonds 2022 @ 10.10%	**300 00 00**	300 00 00
5) 10 Years & 3 months Bonds 2017 - 9.50%	**200 00 00**	200 00 00
6) 10 Years & 4 Months Bonds 2018 - 9.35%	**200 00 00**	200 00 00
7) 15 Years Bonds 2023 - 9.45%	**300 00 00**	300 00 00
II. BORROWINGS OUTSIDE INDIA	**101 20 50**	-
TOTAL	**1938 56 15**	2269 24 16
SCHEDULE - 5 :		
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
(i) Bill Payable	**996 82 92**	412 05 42
(ii) Interest Accrued	**285 63 21**	209 85 57
(iii) VRS Bonds @ 11%	**-**	-
(iv) Provision against standard assets *	**238 44 79**	228 34 44
(v) Provision against Restructured Advances sub-standard	**-**	-
(vi) Others [including Provisions]	**1355 71 65**	724 48 22
(vii) Inter Office Adjustments [net]	**-**	853 46 22
TOTAL	**2876 62 57**	2428 19 87
*Including Provision for Re-structured accounts (standard)		
SCHEDULE - 6		
CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I. Cash in Hand [including foreign currency notes]	**213 49 98**	193 71 02
II. Balances with Reserve Bank of India in Current Accounts	**3849 99 52**	5485 14 10
III. Balances with Reserve Bank of India in Other Accounts	**36 08 19**	51 55 45
TOTAL	**4099 57 69**	5730 40 57
SCHEDULE - 7 :		
BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE		
I. IN INDIA		
(i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	**111 75 15**	85 45 43
b) in Other Deposit Accounts	**64 70**	7
II. Money at Call and Short Notice		
a) with Banks	**11 99 19 16**	15 29 60 36
b) with Other Institutions		50 00 00
TOTAL	**1311 59 01**	1665 05 86

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	As on 31.03.2010	As on 31.03.2009
SCHEDULE - 7 : (Contd..)		
II. OUTSIDE INDIA *		
a) in Current Accounts	**129 47 40**	38 47 42
b) in Other Deposit Accounts	**8 61 37**	238 24 37
TOTAL	**138 08 77**	276 71 79
TOTAL {I+II}	**1449 67 78**	1941 77 65
* Includes pipeline and unadjusted items in Nostro Mirror Balances		
SCHEDULE - 8 :		
INVESTMENTS		
INVESTMENTS IN INDIA [GROSS]	**21326 33 64**	17844 37 84
Less : Provision for Depreciation and Non Performing Investments	**218 89 00**	456 67 58
Net Investments in India	**21107 44 64**	17387 70 26
Break up :		
i) Government Securities	**17882 95 53**	14299 71 88
ii) Other Approved Securities	**18 85 29**	37 13 52
iii) Shares	**195 76 55**	132 44 67
iv) Debentures & Bonds	**1014 46 25**	1309 98 92
v) Investments in Associates (on Equity Method)	**3 96 39**	6 32 64
vi) Others (Units, Kissan/Indira Vikas Patra, NABARD- RIDF, PSU Deposits)	**1991 44 63**	1602 08 63
TOTAL	**21107 44 64**	17387 70 26
SCHEDULE - 9 :		
ADVANCES		
[A] i) Bills Purchased & Discounted	**1233 44 92**	888 23 11
ii) Cash Credits, Overdrafts & Loans Repayable on Demand	**18147 14 02**	12987 31 05
iii) Term Loans	**22056 60 32**	21480 07 18
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**84 52 54**	112 05 52
TOTAL	**41521 71 80**	35467 66 86
[B] i) Secured by Tangible Assets [includes advance against book debts]	**27348 80 28**	29007 61 13
ii) Covered by Bank/Government Guarantees	**3133 47 05**	1667 95 88
iii) Unsecured	**10954 91 93**	4680 04 33
iv) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme - 2008	**84 52 54**	112 05 52
TOTAL	**41521 71 80**	35467 66 86
[C] Advances in India		
i) Priority Sector	**14407 08 80**	12418 87 31
ii) Public Sector	**9495 28 45**	6672 84 84
iii) Banks	**44 87 06**	98 53
iv) Others	**17489 94 95**	16262 90 66
v) Claim receivable under Agricultural Debt Waiver Scheme 2008	**84 52 54**	112 05 52
TOTAL	**41521 71 80**	35467 66 86

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS			For the year ended 31.03.2010	For the year ended 31.03.2009
SCHEDULE - 10 :	**31.03.2010**	31.03.2009		
FIXED ASSETS		-		
I. PREMISES				
Gross Block [at cost/re-valued amount]		-		
As per last Balance Sheet	**566 28 10**	563 89 84		
Additions during the year*	**11 23 41**	2 38 26		
Deductions during the year	**-**	-		
	577 51 51	566 28 10		
*Includes addition of Nil on account of revaluation during the year				
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**183 38 48**	159 24 72		
Add : Depreciation charged during the year	**22 32 12**	24 13 76		
Less : Deduction during the year	**-**	-		
Depreciation to date - includes on account of revaluation Rs.162,10,30 thousands (Previous year: 142,55,73 thousands)	**205 70 60**	183 38 48		
Written Down Value			**371 80 91**	382 89 62
II. OTHER FIXED ASSETS				
[including Furniture & Fixture]				
Gross Block (at cost)				
As per last Balance Sheet	**378 43 62**	343 97 98		
Additions during the year	**58 82 89**	43 76 57		
	437 26 51	387 74 55		
Deductions during the year	**5 90 35**	9 30 93		
	431 36 16	378 43 62		
Depreciation				
Balance as per last Balance Sheet	**268 08 78**	240 80 90		
Add : Depreciation charged during the year	**46 15 00**	34 26 32		
	314 23 78	275 07 22		
Less : Deduction during the year	**4 22 85**	6 98 44		
Depreciation to date	**310 00 93**	268 08 78		
Written Down Value*			**121 35 23**	110 34 84
* Includes WDV of leased assets amounting to Rs. 10/- (Previous Year Rs.10/-)				
TOTAL			**493 16 14**	493 24 46

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2010	For the year ended 31.03.2009
SCHEDULE - 11 :		
OTHER ASSETS		
i. Interest accrued	**458 29 46**	422 58 57
ii. Tax paid in Advance / Tax Deducted at Source [net of provision]	**309 09 48**	521 03 67
iii. Deferred Tax Asset (Net)	**150 38 90**	92 12 15
iv. Stationery & Stamps	**1 12 77**	80 99
v. Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	**7 62**	7 62
vi. Others [net of provision]	**178 48 22**	324 73 19
vii. Inter-office adjustments (Net)	**453 03 85**	0
TOTAL	**1550 50 30**	1361 36 19
SCHEDULE - 12 :		
CONTINGENT LIABILITIES		
i. Claims against the Bank not acknowledged as debts	**9 61 91**	10 19 40
ii. Liability for Partly Paid Investments	**-**	-
iii. Liability on account of Outstanding Forward Exchange Contracts	**5187 79 95**	5375 82 97
iv. Guarantees given on behalf of Constituents- in India	**3023 78 45**	3231 64 33
v. Acceptances, Endorsements and Other Obligations	**1110 52 68**	1083 12 42
vi. Other items for which the Bank is contingently liable	**1429 11 37**	2136 02 31
vii. Capital contracts remaining to be executed	**3 97 26**	50 93 10
TOTAL	**10764 81 62**	11887 74 53

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2010	For the year ended 31.03.2009
SCHEDULE - 13 :		
INTEREST EARNED		
i. Interest / Discount on advances/bills	**3838 51 38**	3829 96 06
ii. Income on Investments	**1281 83 24**	1316 41 40
iii. Interest on Balances with Reserve Bank of India & other Inter-bank funds	**23 40**	4 18 95
iv. Others	**80 06 61**	87 26 11
TOTAL	**5200 64 63**	5237 82 52
SCHEDULE - 14 :		
OTHER INCOME		
i. Commission, Exchange & Brokerage	**85 19 20**	128 80 29
ii. Profit on Sale of Investments	**289 04 04**	313 76 68
Less: Loss on Sale of Investments	**5 61 16**	9 52 94
	283 42 88	304 23 74
iii. Profit/(Loss) Net on revaluation of Investments	**-**	-
Less: Amortisation of premium on HTM securities	**-**	-
	-	-
iv. Profit on Sale of Land, Building & Other Assets	**18 53**	54 69
Less: Loss on Sale of Land, Building & Other Assets	**44 76**	31 63
	- 26 23	23 06
v. Profit on Exchange Transactions	**42 21 56**	40 91 34
Less: Loss on Exchange Transactions	**3 67**	1
	42 17 89	40 91 33
vi. Miscellaneous Income	**268 91 45**	224 62 61
TOTAL { i+ii+iii+iv+v+vi }	**679 45 19**	698 81 03
SCHEDULE - 15 :		
INTEREST EXPENDED		
i. Interest on Deposits	**3523 98 04**	3803 22 86
ii. Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank borrowings	**95 36**	11 66 51
iii. Others	**226 63 19**	298 13 06
TOTAL	**3751 56 59**	4113 02 43

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS			For the year ended 31.03.2010	For the year ended 31.03.2009
SCHEDULE - 16 :				
OPERATING EXPENSES				
i. Payments to and provisions for employees			**705 61 51**	597 46 89
ii. Rent, Taxes and Lighting			**78 08 82**	70 06 76
iii. Printing & Stationery			**6 64 93**	6 89 10
iv. Advertisement and Publicity			**5 04 60**	8 87 63
	31.03.2010	31.03.2009		
v. Depreciation on Banks' Property	**68 47 12**	58 40 08		
Less: Depreciation adjusted from Revaluation Reserve	**19 54 57**	21 41 94	**48 92 55**	36 98 14
vi. Directors' Fees, Allowances & Expenses			**61 41**	55 73
vii. Auditors' Fees & Expenses [inclusive of Branch Auditors]			**13 18 29**	10 02 97
viii. Law charges			**61 43**	61 73
ix. Postage, Telegrams, Telephones etc.,			**12 68 45**	8 03 23
x. Repairs and Maintenance			**1 86 06**	2 37 96
xi. Insurance			**53 35 10**	50 83 54
xii. Other Expenditure			**144 93 61**	131 96 29
TOTAL			**1071 56 76**	924 69 97

ALBERT TAURO
CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

SHUBHALAKSHMI PANSE
EXECUTIVE DIRECTOR

K.VENKATAPPA
DIRECTOR

NISHANK K. JAIN
DIRECTOR

S. ANANTHAN
DIRECTOR

ASHOK KUMAR SHETTY
DIRECTOR

ASHOK KUMAR
DIRECTOR

P.SHANTHARAM SHETTY
DIRECTOR

RANJAN SHETTY
DIRECTOR

B. IBRAHIM
DIRECTOR

K.JAYAKAR SHETTY
GENERAL MANAGER

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s V.KHANNA & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 000200C

[V.K.KHANNA]
Partner
Membership No:008276

For M/s M.THOMAS & CO
Chartered Accountants
Registration No: 004408S

[MURALI RAMANAN]
Partner
Membership No: 080972

For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 006117N

[PRADEEP TYAGI]
Partner
Membership No:084840

For M/s R.BANSAL & CO
Chartered Accountants
Registration No: 002736N

[R.S.BANSAL]
Partner
Membership No: 013000

For M/S M.P.CHITALE & CO.
Chartered Accountants
Registration No: 101851W

[ULHAS CHITALE]
Partner
Membership No:032292

For M/s P.CHANDRASEKAR
Chartered Accountants
Registration No: 000580S

[LAKSHMY C.]
Partner
Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 30.04.2010

SCHEDULE – 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 2009-10

1) ACCOUNTING CONVENTION

The financial statements have been prepared by following the going concern concept on historical cost basis except as otherwise stated and in accordance with the applicable accounting standards read with guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) and conform to the statutory provisions and practices prevailing within the banking industry in India.

The preparation of the financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues, expenses and disclosure of contingent liabilities in the financial statements. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Any revisions to the accounting estimates are recognised prospectively in current and future periods.

2) FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS

I. Transactions other than FCNR/EEFC/RFC Accounts

a) Foreign Currency balances both under assets and liabilities and outstanding forward exchange contracts and swaps are evaluated at the year end rates as quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). The resultant profit/loss is shown as income/loss.

b) Income and expenditure items have been translated at the exchange rates ruling on the dates of the transactions.

c) Contingent liabilities on account of acceptances, endorsements and other obligations including guarantees and Letters of Credit issued in Foreign Currencies, shown in the Balance Sheet are valued at FEDAI notified exchange rates prevailing at the year end.

II. Transactions relating to FCNR/EEFC/RFC accounts

Foreign Currency Deposits in FCNR/EEFC/RFC accounts including interest accrued and also the corresponding assets are recorded at market related notional rates, which are periodically reviewed. Assets and Liabilities at the year end are revalued at rates quoted by Foreign Exchange Dealers' Association of India. The resultant difference is recognised in the statement of profit and loss as income/loss.

3) INVESTMENTS

I. Investments are grouped and shown in Balance Sheet under the following six groups:

a) Government Securities
b) Other Approved Securities
c) Shares
d) Debentures and Bonds
e) Investments in Subsidiaries/Joint Ventures/ Associates
f) Others (Commercial Paper, Units of Mutual Fund, NABARD-RIDF, Preference Shares, Venture Capital Funds etc.)

II. The Investment portfolio of the Bank is classified into the following three categories:

a) Held to Maturity
b) Available for Sale
c) Held for Trading

Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. Transfer of securities from one category to another is done at the least of the acquisition cost/ book value/ market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for and the book value of the security is changed.

III. Valuation

a) Held to Maturity

i) Investments classified under this category are valued at the year end at the acquisition cost, except where the acquisition cost is more than the face value, in which case the premium is amortized on constant yield method.

ii) In the case of investments in subsidiaries/ joint ventures, any diminution in value, other than temporary, is recognized and provided for each investment individually. Investment in RRB is valued at carrying cost.

iii) Profit on sale of investments in this category is first taken to Profit and Loss Account and thereafter appropriated to the “Capital Reserve Account”. Loss on sale is recognised in the Profit and Loss Account.

b) Available for Sale

(i) The individual scrips in this category are valued at the market rates available on the Balance Sheet date from trades/quotes on the Stock Exchanges, SGL account transactions, price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA). Un-quoted securities are valued as per the Reserve Bank of Indiam guidelines.

(ii) The net depreciation under each group referred to in item 3(I) above is recognised and fully provided for. The net appreciation under each group is ignored. The net depreciation required to be provided for in any one group is not reduced on account of net appreciation in any other group.

(iii) The book value of the securities is not changed after revaluation, except as required by the Reserve Bank of India guidelines.

(iv) Profit or loss on sale of investments in this category is accounted for in the Profit and Loss account.

c) Held for Trading

(i) The individual scrips are valued and the appreciation if any is ignored and depreciation is recognized in the Profit & Loss account. For valuation, the market rates available on the Balance sheet date from trades/quotes on the Stock Exchanges, SGL account transactions, price declared by the Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA) are adopted. Unquoted securities are valued as per the Reserve Bank of India guidelines.

(ii) The book value of the individual scrip is not changed after each revaluation, wherever depreciation is effected, except as required by the Reserve Bank of India guidelines.

(iii) Profit or loss on sale of investments in this category is accounted in the Profit and Loss account.

IV. Prudential Norms

(a) (i) Securities with guarantees of the Central Government are treated as performing investments, notwithstanding arrears of principal/interest payments. However, interest if not realized for more than 90 days is recognized as income only on cash basis.

(ii) Securities guaranteed by the State Government, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days as on 31.03.2010, are treated as Non Performing Investments and provided for as per the RBI guidelines. Further, for securities guaranteed by the State Governments, where the principal/interest is due but not paid for a period of more than 90 days, interest is recognized as income only on cash basis.

(b) Securities not guaranteed by the Central Government/State Governments/Preference shares: Where the Principal/Interest/Fixed Dividend is due but not paid for a period of more than 90 days at the year end are treated as Non Performing Investments and provided for as per the Reserve Bank of India guidelines.

(c) In the case of debentures/bonds where principal/ interest is in arrears, provision is made as in the case of advances.

(d) If any credit facility availed by the issuer from the Bank is NPA, investments in any of the securities issued by the same issuer is also treated as Non Performing Investments.

(e) The depreciation/provision requirement in respect of non-performing investments is not set off against the appreciation in respect of other performing investments.

(f) The equity shares in the Bank's portfolio has been marked to market on periodical basis. Equity shares for which current quotations are not available or where the shares are not quoted on the stock exchanges, are valued at break-up value (without considering revaluation reserves if any) which is ascertained from the Company's latest balance sheet (Not more than one year prior to the date of valuation). In case the latest balance sheet is not available the shares are valued at Rs.1 per company.

(g) In the case of Equity Shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re.1 per company on account of the non availability of the quotation or latest balance sheet in accordance with the RBI guidelines,

those equity shares would also be reckoned as Non Performing Investment.

4) TRANSACTIONS RELATING TO DERIVATIVES

Derivative contracts are designated as hedging or trading and accounted for as follows:

a) **Hedge Swaps:** The interest rate swaps which hedges interest bearing assets and liabilities are accounted for on accrual basis except the swaps designated with an asset or liability that is carried at market value or lower of cost or market value in the financial statements. In that case the swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded as an adjustment to the market value of designated asset or liability.

The gain or loss on the terminated swaps is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or the remaining life of the asset/liability.

b) **Re-designation of Hedge items:** If a hedge is redesignated from one item of asset/liability to another item of asset/liability, such redesignation is accounted for as the termination of one hedge and acquisition of another. On the date of redesignation, the swap is marked to market and the mark to market value is amortized over the shorter period of the remaining life of the swap or remaining life of the asset/liability. The offsetting mark to market entry adjustments would be treated as premium received or paid for hedge on the newly designated item of asset/liability and this would be amortized over the life of the redesignated asset/ liability or remaining term of the swap whichever is shorter.

c) **Trading Swaps:** The trading swaps are marked to market with the resulting gain or loss recorded in the income statement. Gain or loss on termination of the swap is recorded as immediate income or expense.

5) FIXED ASSETS/DEPRECIATION

(I) Fixed Assets

(a) Premises of the bank include free hold as well as lease hold properties. Land and buildings purchased or allotted have been capitalised based on agreements/letters of allotment and physical possession. Other Fixed Assets are capitalized on the date put to use. Premises and other Fixed Assets are stated at their historical cost except those which were revalued. Such Fixed Assets are stated on the revalued amount.

b) Advance payments made for acquisition of capital assets and deposits made in respect of properties taken on lease/rent are included under 'Other Assets'.

(II) Depreciation

a) Fixed Assets (other than Computers including software) are depreciated at the rates prescribed under the 'Income Tax Rules' on reducing balance method including on the composite cost of certain properties where it is not possible to segregate the land cost. Computers (including operating software) are depreciated on Straight Line Method at the rate of 33.33% per annum. Other software expenses treated as intangible assets are amortized at 100% in the current year. Depreciation on additions to Fixed Asset during the financial year is provided at 100% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for 180 days and above during the year and at 50% of the rate of depreciation prescribed, if the asset is put to use for less than 180 days during the year. No depreciation is provided in the year of sale/disposal of fixed assets.

b) Incremental depreciation on revalued amount in respect of premises is adjusted from Revaluation Reserve account.

6) LEASED OUT ASSETS

Accounting for leased assets is done as per the Guidance Note of the Institute of Chartered Accountants of India and the Accounting Standard 19 as applicable for the respective period. Provision in respect of non-performing assets, is made by applying the asset classification norms prescribed by the RBI for advances.

7) NON BANKING ASSETS

Non-Banking assets are shown at cost.

8) ADVANCES

Advances are classified as per the RBI guidelines into standard, sub-standard, doubtful and loss assets after considering subsequent recoveries to date. Provision for non-performing assets is made in conformity with the RBI guidelines.

a) In terms of the guidelines of the Reserve Bank of India, advances are classified as "Performing" and "Non-Performing" assets based on recovery of principal/interest and advances are classified as "Non Performing Assets" with 90 days delinquency norms. In case of State Government Guaranteed advances, requirement of invocation of the Guarantee has been de-linked for classification of an account as NPA. Non Performing Advances (NPAs) are categorized as Sub-Standard, Doubtful and Loss Assets for the purpose of computing provision requirements.

Advances shown in the Balance Sheet are net of provisions [including floating provisions] in respect of non-performing advances, interest suspense and ECGC/DICGC claims received.

b) Advances include the Bank's participation in/ contributions to Pass Through Certificates (PTCs) and /or to the asset-backed assignment of loan assets of other banks / financial institutions where the Bank has participated on risk-sharing basis.

c) Amounts recovered against bad debts written off in earlier years are recognised to the Profit and Loss account.

d) Provisions no longer considered necessary in context of the current status of the borrower as a performing asset, are written back to the Profit and Loss account to the extent such provisions were charged to the Profit and Loss account.

e) Provisions on Standard Advances are shown under "Other Liabilities and Provisions".

f) Provision on advances is made as per the RBI guidelines as under:

1. **Standard Assets:** 1% of standard advances to Commercial Real Estate Sector, 0.25% of the outstanding advances under direct agriculture & SME Sectors and 0.40% on all other outstanding advances.

2. **Sub Standard Assets:** 10% of the outstanding advances. However, in case of sub standard assets which are identified ab-initio as "unsecured exposures" provision at 20% of the outstanding balance is made.

3. **Doubtful assets:** 20% to 100% as applicable on the secured portion of advances, depending upon the period for which the asset has remained doubtful and 100% of the unsecured portion of the outstanding advance after netting realized amount in respect of DICGC scheme and realized/realizable amount of guarantee cover under the ECGC/CGSTI Schemes.

4. **Loss Assets:** 100% of the outstanding advances.

g) Restructured / rescheduled accounts:

In case of restructured / rescheduled accounts provision is made for the sacrifice against erosion/ diminution in fair value of restructured loans, in accordance with the general framework of restructuring of advances issued by RBI vide circular dated August 27, 2008 and Master Circular dated July 07, 2009.

The erosion in fair value of the advances is computed as the difference between fair value of the loan before and after restructuring.

Fair value of the loan before restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the existing rate charged on the advance before restructuring and the principal, discounted at a rate equal to the Bank's BPLR as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.

Fair value of the loan after restructuring is computed as the present value of cash flows representing the interest at the rate charged on the advance on restructuring and the principal, discounted at a rate equal to Bank's BPLR as on the date of restructuring plus the appropriate term premium and credit risk premium for the borrower category on the date of restructuring.

The restructured accounts have been classified in accordance with RBI guidelines, including special dispensation wherever allowed.

9) REVENUE RECOGNITION

Income/Expenditure is accounted on accrual basis except in the following cases:

a) In the case of Non Performing Assets, income is recognized on cash basis, in terms of guidelines of the Reserve Bank of India. Where recovery is not adequate to upgrade the Non Performing Assets accounts by way of regularization, such recovery is being appropriated towards the principal/book balance in the first instance and towards interest dues thereafter. In respect of Non Performing

Investments, the same accounting treatment as above is followed except on mutually agreed terms.

b) In the case of advances guaranteed by the Central/ State Governments, income is recognized on cash basis if the interest is not realized for more than 90 days.

c) Income from Units of Mutual Funds, Commission on insurance and depositary participants business, Merchant Banking transactions, General Insurance business, Money transfer services, sale of mutual fund products, locker rent, commission on Government business, etc. are accounted on cash/ realisation basis.

d) Commission earned from Non-fund based business viz., Letter of Credits and Bank Guarantees is accounted on cash basis.

e) Interest on securities which is due and not paid for a period of more than 90 days is recognized on realisation basis as per RBI guidelines.

f) Pursuant to revised guidelines issued by the Reserve Bank of India, Savings Bank Deposit Rate of Interest is provided for, on Matured Term Deposits and Inoperative Savings Deposits.

g) Expenses arising out of claims in respect of employee matters under dispute/negotiation are accounted during the year of final settlement/ determination.

h) In the case of suit filed accounts, legal expenses are charged to the profit and loss account. Similarly, at the time of recovery of legal expenses in respect of such suit filed accounts, the amount recovered is accounted as income.

i) Premium on insurance policies taken by the Bank in respect of V-Housing Loans is charged in the year of payment.

10) NET PROFIT

The net profit is arrived at after

a) Provisions for Income Tax & Wealth Tax in accordance with statutory requirements

b) Provision on advances/investments

c) Adjustments to the value of investments

d) Transfers to provisions and contingencies

e) Provision for Inter Branch accounts lying unadjusted for more than six months as per RBI norms

f) Other usual and necessary provisions

11) EMPLOYEES' BENEFITS

a) In respect of employees who have opted for Provident Fund scheme, matching contribution as applicable is made by the Bank to the recognised Provident Fund. For others who have opted for pension scheme, contribution to Pension Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15 (revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India.

b) Contribution to Gratuity Fund is made based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15 (revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India.

c) Liability towards leave encashment, privilege leave and sick leave is provided based on actuarial valuation, as per Accounting Standard 15 (revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India.

12) PROVISION FOR TAXATION

Tax expenses comprise current and deferred taxes. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income Tax Act, 1961. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years. Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date.

13) Segment Reporting:

In accordance with the guidelines issued by RBI, Bank has adopted Segment Reporting as under:

1. **Treasury** includes all investment portfolio, profit/ loss on sale of investments, profit/loss on foreign exchange transactions, equities, income from derivatives and money market operations. The expenses of this segment consist of interest expenses on funds borrowed from external sources as well as internal sources and depreciation / amortisation of premium on Held to Maturity category investments.
2. **Corporate/ Wholesale Banking** includes lending and deposits from corporate customers and identified earnings and expenses of the segment.
3. **Retail Banking** includes lending and deposits from retail customers and identified earnings and expenses of the segment.
4. **Other Banking Operations** includes all other operations not covered under Treasury, Wholesale Banking and Retail Banking.

14) Earnings per Share:

Earnings per share are calculated by dividing the net profit or loss for the period attributable to equity shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of equity shares outstanding during the period. Diluted earnings per equity share have been computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding as at end of the year.

15) Contingent liabilities and Provisions:

A provision is recognised when there is an obligation as a result of past event. It is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current best estimates.

16) Others:

Cash and cash equivalents in the cash flow statement comprise cash and balances with RBI (Schedule 6) and balances with banks and money at call and short notice (Schedule 7).

17) The Bank has followed the same accounting policies as in the previous years subject to regulatory changes, if any.

ALBERT TAURO CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**K.VENKATAPPA** DIRECTOR	**NISHANK K. JAIN** DIRECTOR
S. ANANTHAN DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR** DIRECTOR	**P.SHANTHARAM SHETTY** DIRECTOR
RANJAN SHETTY DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**K.JAYAKAR SHETTY** GENERAL MANAGER	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s V.KHANNA & CO. Chartered Accountants Registration No: 000200C	**For M/s M.THOMAS & CO** Chartered Accountants Registration No: 004408S	**For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.** Chartered Accountants Registration No: 006117N
[V.K.KHANNA] Partner Membership No:008276	**[MURALI RAMANAN]** Partner Membership No: 080972	**[PRADEEP TYAGI]** Partner Membership No:084840
For M/s R.BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N	**For M/S M.P.CHITALE & CO.** Chartered Accountants Registration No: 101851W	**For M/s P.CHANDRASEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S
[R.S.BANSAL] Partner Membership No: 013000	**[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No:032292	**[LAKSHMY C.]** Partner Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 30.04.2010

SCHEDULE – 18 : NOTES ON ACCOUNTS

1. Reconciliation of entries outstanding as on 31.03.2010 in the inter-branch and other accounts has been drawn. Matching of entries outstanding in inter-branch and inter-bank accounts including balances with foreign banks and Reserve Bank of India, drafts accounts, suspense accounts, branch adjustment accounts, clearing transactions, funds transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to dividends / interest / refund orders paid / payable accounts, advances paid for acquisition of assets, etc. is complete upto 31.12.2009 and is under progress for the remaining period. In the opinion of the Bank, consequential effect of the above on the revenue / assets / liabilities is not material.

2. In respect of certain premises acquired by the Bank having written down value of Rs.10.60 crore, (previous year Rs.11.65 crore) documentation / registration are yet to be completed pending legal or other formalities

3. In the case of un-audited branches, the returns / classification of advances as reported by the concerned branches have been adopted.

4. Claims pending and to be preferred with ECGCI Limited amounting to Rs.4.14 crore (previous year Rs.5.36 crore) have been considered as realisable for the purpose of computing provisions

5. No provision has been considered necessary by the Management in respect of disputed tax liabilities in view of the judgements in favour of the Bank. Further, certain deductions have been considered while working out tax provisions in respect of some claims under Income Tax Act based on the legal opinions obtained.

6. In terms of the guidelines issued by the Reserve Bank of India, the following disclosures are made:

i) Capital (Rs. in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1.	CRAR (%)		
	Basel I	**11.79**	13.08
	Basel II	**12.50**	13.15
2.	CRAR – Tier I Capital (%)		
	Basel I	**7.28**	7.71
	Basel II	**7.69**	7.74
3.	CRAR – Tier II Capital (%)		
	Basel I	**4.51**	5.37
	Basel II	**4.81**	5.41
4.	Percentage of the shareholding of Government of India	**53.87**	53.87
5.	Amount of sub-ordinated debt raised as Tier –II Capital (Rs. in crore)	**-**	-
6.	Amount of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) raised as Tier I Capital during the year (Rs. in crore)	**-**	500.00

ii) Investments (Rs. in crore)

Sl.No.	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1.	Value of Investments		
	Gross value of investments		
	In India	**21326.34**	17844.38
	Outside India	**-**	-
	Provisions for depreciation and NPI		
	In India	**218.89**	456.68
	Outside India	**-**	-
	Net value of investments		
	In India	**21107.45**	17387.70
	Outside India	**-**	-
2.	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	Opening balance	**437.43**	346.74
	Add: i) Provision made during the year	**-**	90.69
	ii) Diminution on shifting of investments	**56.21**	145.53
		493.64	582.96
	Less: Write off / write back of excess provisions	**294.00**	145.53
	Closing balance	**199.64**	437.43

iii) The particulars of repo transactions (including those from RBI under LAF Repo) are as under:

(Rs. in crore)

Particulars	Outstanding during the year			As on 31st March 2010
	Minimum	Maximum	Daily average	
Securities sold under Repos	0.00	187.21	7.99	0.00
Securities purchased under reverse Repos	0.00	2400.00	517.71	0.00

iv) Issuer composition of Non-SLR Investments

(Rs. in crore)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of 'below investment grade' securities	Extent of 'un-rated' securities	Extent of 'un- listed' securities
01	PSUs	308.76	234.60		20.92	10.72
02	Financial Institutions	2044.36	1890.25	52.80	1895.38	1895.55
03	Banks	221.81	102.05		20.00	
04	Private Corporates	783.77	564.32	27.10	76.40	42.01
05	Subsidiaries / joint ventures/associates	10.38	10.38		10.38	10.38
06	Others	--	--	--	--	--
07	Provision held towards depreciation and NPI	163.44	XXX	XXX	XXX	XXX
	TOTAL	**3205.65**	**2801.16**	**79.90**	**2023.08**	**1958.66**

v) a) Non-Performing Non-SLR Investments

(Rs in crore)

Particulars	Amount
Opening Balance as on 01.04.2009	21.33
Additions during the year	0.00
Reductions during the year	0.00
Closing Balance as at 31.03.2010	21.33
Total provisions held	19.25

b) Movement in provision for Non Performing Investments

(Rs in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Opening balance	**19.25**	21.54
Add: Provision made during the year	**0.00**	0.06
Less: Write off / write back of excess provisions	**0.00**	2.35
Closing balance	**19.25**	19.25

vi) Derivatives :

a) Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap

(Rs. in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
a. The notional principal of swap agreements	**1125.00**	1925.00
b. Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	**11.99**	47.32
c. Collateral required by the bank upon entering into swaps	**--**	--
d. Concentration of credit risk arising from the swaps	**--**	--
e. The fair value of the swap book	**(64.43)**	(85.17)

1) Interest Rate Swaps were undertaken for the purpose of hedging interest rate risk on assets / liabilities and for trading purpose.

2) The terms of swaps are to receive fixed interest rate against floating interest rate or vice versa.

3) The counterparties for the swaps are banks and the exposure with each banks, is within the approved credit exposure limits.

4) FRA deals are done back-to-back with customer's deal i.e sold to customer and covered the same in the inter-bank market.

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives (Rs. in crore)

Sl. No.	Particulars	Amount
01	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	Nil
02	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2010 (instrument-wise)	Nil
03	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil
04	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	Nil

vii) Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosure

Bank has put in place a comprehensive derivative policy for undertaking derivative transactions for hedging, trading and servicing customers purpose as per RBI guidelines duly approved by the Board. The policy lays down the type, scope and usage with appropriate limits for derivative transactions. From the view point of operational efficiency and risk oversight, the derivative desk is segregated into Front Office, Mid Office and Back Office with clear segregation of portfolio. The derivative hedges are continuously monitored for effective performance as per laid down policy and corrective measures taken for mitigating the risk. A note on derivative transactions is placed before the Board of Directors every month. Accounting Policy is in place for accounting and recognition of income.

b) Quantitative Disclosures (Rs. in crore)

Sl. No.	Particulars	Currency Derivatives		Interest rate derivatives	
		31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
i)	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	-	-	775.00	1625.00
	b) For trading	-	-	350.00	300.00
ii)	Marked to Market Positions [1]				
	a) Asset (+)	-	-	11.99	47.32
	b) Liability (-)	-	-	76.42	132.49
iii)	Credit Exposure [2]			22.99	75.07
iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
	a) on hedging derivatives	-	-	(75.87)	(134.12)
	b) on trading derivatives	-	-	(7.21)	(8.81)
v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging - Maximum - Minimum	- -	- -	(134.59) (75.43)	(168.62) (31.97)
	b) on trading - Maximum - Minimum	- -	- -	(10.36) (7.21)	(9.63) (5.76)

viii) Asset Quality

a) Non Performing Asset (Rs in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	**1.40**	0.82
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
Opening balance	**698.82**	511.50
Additions during the year	**1207.58**	666.93
Reductions during the year	**911.95**	479.61
Closing balance	**994.45**	698.82
(iii) Movement of Net NPAs		
Opening balance	**292.29**	181.61
Additions during the year	**289.54**	110.68
Reductions during the year	**0.00**	-
Closing balance	**581.83**	292.29
(iv) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
Opening balance	**400.84**	328.52
Provisions made during the year	**475.15**	134.24
Write-off / write-back of excess provisions	**467.59**	61.92
Closing balance	**408.40**	400.84

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring (Rs. in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
a.	Total amount of loan assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**1633.88**	974.33
	Of which under CDR	**58.80**	-
b.	The amount of Standard assets subjected to restructuring, re-scheduling, re-negotiation	**1473.76**	913.32
	Of which under CDR	**58.80**	-
c.	The amount of sub standard assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	**100.81**	60.36
	Of which under CDR	**-**	-
d.	The amount of doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation*	**59.31**	0.65
	Of which under CDR	**-**	-
	Note: (a = b + c + d)		
	*Out of the above, accounts migrated to loss assets during the year as per IRAC norms – Rs.0.95 crores.		

	Debt restructuring for SME accounts	31.03.2010	31.03.2009
a.	Total amount of assets of SMEs subjected to restructuring (b+c+d)	**220.63**	113.49
b.	Amount of standard assets of SMEs subjected to restructuring	**205.57**	96.05
c.	Amount of sub-standard assets of SMEs subjected to restructuring	**12.51**	17.31
d.	Amount of doubtful assets of SMEs subjected to restructuring*	**2.55**	0.13
	*out of the above, accounts migrated to loss assets during the year as per IRAC norms – Rs.0.33 crores		

c) Particulars of Accounts Restructured (Rs. in crore)

		CDR Mechanism	SME Debt Restructuring	Others
Standard Advances Restructured	No. of Borrowers	9	2312	10349
	Amount Outstanding	58.80	205.57	1209.39
	Sacrifice (diminution in the fair value)	5.01	0.59	7.14
Sub-standard Advances Restructured	No. of Borrowers	-	1256	1946
	Amount Outstanding	-	12.51	88.30
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0.05	0.82
Doubtful Advances Restructured *	No. of Borrowers	-	188	166
	Amount Outstanding	-	2.55	56.76
	Sacrifice (diminution in the fair value)	-	0.01	0.03
* out of the above accounts migrated to loss assets during the year as per IRAC norms are, MSME- 12 accounts with balance o/s of Rs.0.33 cr, diminution in fair vaue NIL & others – 19 accounts with balance o/s of Rs.0.62 cr, diminution in fair value Rs.0.01 cr.				
TOTAL	No. of Borrowers	**9**	**3756**	**12461**
	Amount Outstanding	**58.80**	**220.63**	**1354.45**
	Sacrifice (diminution in the fair value)	**5.01**	**0.65**	**7.99**

d) In respect of the advances restructured under the Prudential Guidelines of the Reserve Bank of India dated 27th August 2008 and the subsequent clarifications / guidelines issued from time to time in this respect, the Bank has provided a sum of Rs.1365 lakhs (previous year Rs.289.97 lakhs) as diminution in the fair value of advances on account of such restructuring which in the Bank's opinion is considered adequate in view of upward revision in rate of interest on such restructured advances. The full implementation of the conditions laid down for restructuring in the said Circular are being complied with.

e) Details of Assets sold to Securitisation Company / Reconstruction Company, for Assets Reconstruction

(Rs. in crore)

Sl. No.	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
01	Number of accounts	2	-
02	Aggregate Value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	4.67	-
03	Aggregate consideration	38.39	-
04	Additional consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	-	-
05	Aggregate gain / loss over net book value	33.72	-

f) Details of non-performing financial assets purchased/sold

i) Details of non-performing financial assets purchased (Rs. in crore)

		Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1.	(a)	No. of accounts purchased during the year	-	-
	(b)	Aggregate outstanding	-	-
2.	(a)	Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
	(b)	Aggregate outstanding	-	-

ii) Details of non-performing financial assets sold (Rs. in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1. No. of accounts sold	**2**	-
2. Aggregate outstanding	**38.89**	-
3. Aggregate consideration received	**38.39**	-

g) Provision on Standard Asset (Rs. in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Provisions towards Standard Assets	223.40	223.40
Provisions towards Restructured Accounts – Standard	15.04	4.94
TOTAL	**238.44**	**228.34**

h) Business Ratios (Rs. in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Interest Income as a percentage to Working Funds	7.89%	8.88%
Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.03%	1.18%
Operating Profit as percentage to Working Funds	1.60%	1.52%
Return on Average Assets	0.76%	0.59%
Average Business [Deposits + Advances] per employee	8.36	7.56
Net profit per employee	0.045	0.023

ix) Asset Liability Management : Maturity pattern of certain items of assets and liabilities: (Rs. in crore)

	1 day	2 – 7 days	8 – 14 days	15 – 28 days	29 days - 3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Deposits	170.67	1153.36	2370.59	2626.72	7000.10	9890.18	17506.51	20127.39	791.02	295.20	**61931.74**
Advances*	1079.22	182.19	230.99	394.68	1848.20	1754.13	2657.73	24601.02	3986.41	4787.16	**41521.73**
Investments*	133.00	121.09	327.06	294.10	615.54	363.60	48.02	705.84	4135.50	14363.69	**21107.44**
Borrowings**	0.00	0.00	0.00	0.00	150.04	0.21	0.10	176.97	2.05	1507.99	**1837.36**
Foreign Currency Assets	114.36	16.06	24.96	4.45	157.77	84.99	8.10	0.03	0.00	0.00	**410.72**
Foreign Currency Liabilities	99.74	1.99	3.22	27.33	38.63	87.54	93.50	51.55	7.22	0.00	**410.72**

Assets and Liabilities are classified as per the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

* Figures are broadly net of provision

** Borrowings in India

x) Lending to Sensitive Sectors

a) Exposure to Real Estate Sector (Rs. in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
1) Direct exposure		
a. Residential mortgages		
(i) Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	**5700.57**	4427.88
(ii) Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances (included in the above)	**4318.42**	3355.72
b. Commercial Real Estate		
Lendings secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc.) Exposure would also include non-fund based (NFB) limits:	**4100.25**	4199.04
c. Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures -		
i) Residential	**0.87**	1.66
ii) Commercial Real Estate	**5.00**	5.00
2) Indirect Exposure		
Fund based and non fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	**469.99**	192.94
Total exposure to real estate sector	**10276.68**	8826.52

b) Exposure to Capital Market (Rs. in crore)

Sl.No.	Particulars	31.03.2010	31.03.2009
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	**333.17**	344.22
(ii)	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds.	**0.16**	0.02
(iii)	Advances for any other purpose where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	**-**	1.07
(iv)	Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	**0.58**	0.63
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market markers.	**-**	-
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	**-**	-
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	**-**	-
(viii)	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	**-**	-
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading.	**-**	-
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance with the capital market exposure ceilings (both direct and indirect)	**-**	12.50
	Total exposure to capital market	**333.91**	358.44

xi) Risk Category-wise Country Exposure (Rs. in crore)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2010	Provision held as at 31.03.2010	Exposure (net) as at 31.03.2009	Provision held as at 31.03.2009
Insignificant	**221.97**	-	405.72	-
Low	**156.14**	-	262.42	-
Moderate	**6.63**	-	9.90	-
High	**0.08**	-	1.48	-
Very High	**0.57**	-	0.94	-
Restricted	**--**	-	-	-
Off credit	**--**	-	-	-
Total	**385.39**	-	**680.46**	-

The net funded exposure of the Bank in respect of foreign exchange transactions with each country is within 1% of the total assets of the Bank and hence no provision is required to be made as per the Reserve Bank of India Circular DBOD. BP.BC.71/21.04.103/2002-03 dated 19.02.2003 read with DBOD.BP.BC.96/21.04.103/2003-04 dated 17.06.2004.

xii) Details of Credit Exposures where the Bank had exceeded the Prudential Exposure during the year

(Rs. in crore)

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure ceiling	Limit sanctioned	Period during which limit exceeded	Amount outstanding during the period limit exceeded	Board sanction details	Position as on 31.03.2010
01	Indian Potash Limited	694.26	725.00	April' 09 - 553.17 May' 09 - 202.44 Jun' 09 - 102.12 Jul' 09 - 101.98 Aug' 09 - 101.93 Sep' 09 - 101.93 Oct' 09 - 141.71 Nov' 09 - 141.11 Dec' 09 - 141.17 Jan' 10 - 141.17 Feb' 10 - 141.11 Mar' 10 - 566.17	NIL	CD/MC(SAC-12)A:213/08-09 dated 24.11.2008 Credit limits Renewed up to 23.05.2010	566.17
2	Steel Authority of India Limited (SAIL)	694.26	925.00	Jan' 10 - 928.93 Feb' 10 - 928.93 Mar' 10 - 930.45	Amount exceeded represents monthly interest debited and equity investment of Rs. 2.39 crore).	MC (SAC-12) / CIR – 3: 2010 dated 23.01.2010	930.45*

* excess over the limit representing investment exposure of Rs 2.39 crore and monthly interest of 3.06 crore.

xiii) The Bank has not made any financing for margin trading and also not securitised any assets during the year

xiv) Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs (as compiled by the Bank)

a) Concentration of Deposits (Rs. in crore)

Total Deposits of twenty largest depositors	**11868.19**
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the bank	**19.16%**

b) Concentration of Advances (Rs. in crore)

Total Advances to twenty largest borrowers	**10334.26**
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the bank	**24.69%**

c) Concentration of Exposures (Rs. in crore)

Total Exposure to twenty largest borrowers/customers	**12275.83**
Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the bank on borrowers/customers	**29.33%**

d) Concentration of NPAs (Rs. in crore)

Total Exposure to top four NPA accounts	**182.17**

xv) Sector-wise NPAs

Sl. No.	Sector	Percentage of NPAs to Total Advances in that sector
1	Agriculture & allied activities	**1.77%**
2	Industry (Micro & small, Medium and Large)	**5.70%**
3	Services	**0.95%**
4	Personal Loans	**9.14%**

xvi) Movement of NPAs (Rs. in crore)

Particulars	Amount in
Gross NPAs as on 1st April 2009	**698.82**
Additions (Fresh NPAs) during the year	1207.58
Sub-total (A)	1906.40
Less:-	
(i) Upgradations	163.10
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	270.19
(iii) Write-offs	478.66
Sub-total (B)	**911.95**
Gross NPAs as on 31st March 2010 (A-B)	994.45

xvii) Overseas Assets, NPAs and Revenue : NIL

xviii)Off-balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	**Overseas**
NIL	NIL

xix) During the year, Bank has transferred unclaimed Nostro and Mirror credit balances with individual value of less than USD 2500 or equivalent originated upto 31st March 2002, aggregating to Rs.24051875 to profit & loss account and appropriated in General Reserve, in accordance with Reserve Bank of India circular no.DBOD.BP.BC.No.133/21.04.018/2008-09 dt.11.05.2009

xx) Provision coverage ratio: Coverage ratio as of 31.03.02010 is 64.24% as per RBI guidelines

xxi) Unsecured advances : The Bank has no unsecured advances wherein intangible securities have been taken as collateral securities.

xxii) During the year 2009-10, the Bank had issued 42 letters of comfort amounting to USD 101,846,135.46 covering import of goods into India. These letter of comfort have been issued after due assessment of its financial impact on the Bank and with the approval of the competent authority of the Bank. As on date of the balance sheet 18 letters of comfort amounting to USD 32,601,875.91 (approximately Rs.146.64 cr (@Rs.44.98 per USD) are outstanding which, in our opinion, will not have any significant impact on the Bank's financial position

xxiii) During the year 2009-10, the Bank has not carried out any bancasurance business

7. Compliance with Accounting Standards

i) There were no material prior period income/ expenditure required to be disclosed as per "AS -5".

ii) In terms of accounting policy No.9 of the bank, some items are recognised on cash basis. However, the management is of the view that since the amount involved is not material, it does not require any disclosure under "AS-9".

iii) The Bank is revaluing foreign currency transactions consistently at the weekly average rate of the last week of the preceding month, prescribed by FEDAI, instead of the rate at the date of the transaction as per AS 11. The management is of the view that there is no material impact on the accounts for the year.

iv) The following information is disclosed in terms of Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Accounting Standard 15 (revised) (Rs. in crore)

Sl. No.	Particulars	Gratuity	Pension
I.	**Principal Actuarial Assumptions**		
	Discount Rate	8.20%	8.40%
	Salary escalation rate	5.50%	5.50%
	Rate of Escalation in Basic Pay		2.50%
	Attrition rate	1.50%	1.50%
	Expected rate of return on Plan Assets	8.30%	8.70%
II.	**Changes in the Present Value of the Obligation (PVO)**		
	PVO as at the beginning of the period	226.10	525.50
	Interest Cost	15.78	40.58
	Current Service Cost	13.56	28.90
	Benefits Paid	(19.83)	(36.58)
	Actuarial gain / (loss) on obligation (balancing figure)	5.60	92.72
	PVO as at the end of the period	241.22	651.12
III.	**Changes in the Fair Value of Plan Assets**		
	Fair Value of Plan Assets as at the beginning of the period	251.24	403.87
	Expected return on Plan Assets	19.47	38.36
	Contributions	4.00	118.90
	Benefits Paid	(19.83)	(36.58)
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets (balancing figures)	8.18	16.81
	Fair Value of Plan Assets as at the end of the period	263.06	541.35
IV.	**Actual Return on Plan Assets**		
	Expected return on Plan Assets	19.47	38.36
	Actuarial gain / (loss) on Plan Assets	8.17	16.81
	Actual return on Plan Assets	27.64	55.17
V.	**Actuarial gain / (loss) recognised**		
	Actuarial gain / (loss) for the period – Obligation	(5.60)	(92.72)
	Actuarial gain / (loss) for the period – Plan Assets	8.17	16.81
	Total gain / (loss) for the period	(2.57)	75.91
	Actuarial gain / (loss) recognised in the period	(2.57)	(75.91)

Sl. No.	Particulars	Gratuity	Pension
VI.	**Amounts recognised in the Balance Sheet and related analysis**		
	Present Value of the obligation	241.22	651.12
	Fair Value of Plan Assets	263.06	541.35
	Difference	(21.84)	109.77
	Amount recognised in the Balance Sheet		109.77
VII.	**Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**		
	Current Service Cost	13.57	28.90
	Interest Cost	15.78	40.58
	Expected return on Plan Assets	(19.47)	(38.36)
	Net Actuarial gain / (loss) recognised in the year	(2.57)	75.91
	Effect of the limit in Para 59 (b)	21.83	
	Expenses recognised in the statement of Profit and Loss	29.14	107.03
VIII.	**Movements in the liability recognised in the Balance Sheet**		
	Opening net liability	(25.14)	121.64
	Expense as above	29.14	107.03
	Contribution Paid	(4.00)	(118.90)
	Closing Net Liability	--	109.77
IX.	**Amount for the Current Period**		
	Present Value of obligation	241.22	651.12
	Plan Assets	263.06	541.35
	Surplus / (Deficit)	21.83	(109.77)
	Experience adjustments on Plan Liabilities – gain / (loss)	(11.65)	(24.50)
	Experience adjustments on Plan Assets – gain / (loss)	8.18	16.81
X.	**Major categories of Plan Assets (As percentage of Total Plan Assets)**		
	Government of India Securities	25.00%	20.00%
	State Government Securities	4.00%	20.00%
	High Quality Corporate Bonds	70.00%	48.00%
	Others (to specify)	1.00%	12.00%
	Total	100.00%	100.00%
XI.	**Enterprise's Best Estimate of Contribution during next year**	**4.00**	**110.00**

v) Details of Provisions made for various Long Term Employee Benefits during the year are as follows:

(Rs. in crore)

Sl. No.	Other Long Term Benefits	31.03.2010	31.03.2009
1.	Pension	119.77	121.64
2.	Leave Encashment	62.25	30.56
3.	Gratuity	-	1.00
4.	Sick Leave	0.00	9.17

vi) Business segments (Rs. in crore)

Business Segments #	Treasury		Corporate/Wholesale Banking		Retails Banking		Other Banking Operations		Total	
	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09	31.03.10	31.03.09
Revenue	1641.69	1715.37	2168.39	2085.41	1670.11	1744.55	399.89	391.30	5880.10	5936.63
Result	308.76	270.37	407.81	328.41	314.10	274.55	75.20	62.56	1105.89	935.89
Unallocated Expenses									48.93	36.98
Operating Profit									1056.96	898.91
Provisions & Contingencies									355.82	357.41
Provision for Taxes									193.85	279.02
Extraordinary Profit/Loss										
Net Profit									507.29	262.48
Other Information										
Segment Assets	24462.48	21501.93	26651.28	21904.19	17782.41	17470.91	373.27	399.17	69269.44	61276.20
Unallocated Assets									952.64	1106.40
Total Assets									70222.08	62382.60
Segment Liabilities	23514.29	20785.07	25618.24	21173.92	17093.14	16888.45	358.80	385.86	66584.47	59233.30
Unallocated Liabilities									3637.61	3149.30
Total Liabilities									70222.08	62382.60

For the purpose of segment reporting in terms of AS-17 of ICAI and as prescribed in RBI guidelines, the business of the Bank has been classified into four segments i.e., a) Treasury Operations (b) Corporate/Wholesale Banking, (c) Retail Banking and (d)Other Banking Operations.

Since the Bank does not have any Overseas branch, reporting under geographic segment is not applicable.

Apportionment of expenses has been made based on segment revenue.

Assets and liabilities wherever directly related to segments have been accordingly allocated to segments and wherever not directly related have been allocated on the basis of segment revenue.

The above information has been compiled based on data available at Head Office.

vii) The Bank has identified the following as related party as per AS-18 on Related Party Disclosures :

a) Key Management Personnel :

1) Shri Albert Tauro, Chairman & Managing Director

2) Shri S.C. Kalia, Executive Director (upto 19.11.2009)

3) Smt Shubhalakshmi Panse, Executive Director (from 20.11.2009)

b) Associates: Visvesvaraya Grameena Bank- Regional Rural Bank sponsored by the Bank (Ownership Interest-35%).

The transactions with Related parties during the year are as under:

a) (i) Remuneration paid to Key Management Personnel during the year. **Amount (in Rs.)**

Shri. Albert Tauro, C & MD (01.04.09 to 31.03.2010)	14,09,185.60
Shri. Subash Chandra Kalia, ED (01.04.2009 to 20.11.2009)	8,65,446.33
Smt. Shubhalakshmi Panse, ED (20.11.2009 to 31.03.2010)	3,66,441.19

(ii) Shri Albert Tauro, Chairman and Managing Director availed housing loan of Rs.50.00 lacs from the Bank and o/s as on 31.03.2010 is Rs.44.30 lacs. (Rs. in crore)

Particulars	Details of Transaction by Associate with Bank	Amount outstanding as on 31.03.2010	Maximum during the year
Borrowings	Cash Credit	0.0003	15.00
	Overdraft		
Deposits	Fixed Deposits	29.65	29.65
Investments	Shares	3.10	3.10
	Bonds		
Interest paid		0.33	
Interest received		1.64	

viii) Earning Per Share

The Bank reports basic earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 on "Earnings per Share". Basic earnings per share for the period is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Calculation of Basic EPS	
a. Net Profit after tax available for equity share holders (Rs. in crore)	507.30
b. Weighted average number of equity shares (Numbers in crore)	43.35
c. Basic EPS (in rupees)	11.70
d. Nominal Value per share (in rupees)	10.00

There are no diluted potential shares.

ix) Accounting for Taxes on Income

The Bank has accounted for Taxes on Income in compliance with Accounting Standard 22 - "Accounting for Taxes on Income" issued by the ICAI. Accordingly, deferred tax assets and liabilities are recognised.

a) The components of deferred tax are as under: (Rs. in crore)

Timing Difference	Deferred Tax Asset		Deferred Tax Liability	
	31.03.2010	31.03.2009	31.03.2010	31.03.2009
1. Carry forward loss		-	-	-
2. Provision for leave encashment	**48.98**	32.87	-	-
3. Provision for Pension	--	-	-	-
4. Expenditure u/s 40(a)(ia).	-	-	-	-
5. Depreciation on Computer Software	--	-	-	-
6. Depreciation on Computer	--	-	-	-
7. Fixed Assets	**3.13**	0.83	-	-
8. Provision for Wage Revision	**79.54**	20.39	-	-
9. Loss on Derivative Transactions	**18.74**	38.04	-	-

b) Amount of provisions made for Income Tax during the year: (Rs. in crore)

Particulars	31.03.2010	31.03.2009
Provision for Income Tax	**251.64**	218.43
Provision for Fringe Benefit Tax	**NIL**	3.80
Provision for deferred tax	**(58.27)**	12.73
MAT Credit entitlement	--	44.06

x) As per AS -26 – "Intangible Assets" issued by ICAI, software (other than operating software) have been considered as intangible assets. The bank has amortised the cost of software put to use @ 100% in the year of acquisition. During the year Rs.18.72 crore (previous year Rs.9.67 crore) has been charged to Profit & Loss account.

xi) In the opinion of the Management, there is no material impairment of any of the Fixed Assets of the Bank as per Accounting Standard 28 – Impairment of Assets.

xii) The Bank has provided for Rs.20.68 crore towards provision for Contingent Liabilities(Previous year Rs.0.45 crores).

8. a) Customer Complaint

(a)	No. of complaints pending at the beginning of the year	19
(b)	No. of complaints received during the year	1671
(c)	No. of complaints redressed during the year	1669
(d)	No. of complaints pending at the end of the year	21

b) Awards passed by the Bank's ombudsman

(a)	No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	1
(b)	No. of Awards passed by the Banking Ombudsmen during the year	6
(c)	No. of Awards implemented during the year	5
(d)	No. of unimplemented Awards at the end of the year	2*

*Both the cases under appeal / review

9. Reserve Bank of India has not imposed any penalty during the year.

10. Break up of provisions and contingencies (Rs. in crore)

Break up of 'Provisions and contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss A/c	**31.03.2010**	**31.03.2009**
Provision for depreciation on investment	**-181.03**	124.32
Provisions towards NPA	**474.35**	134.24
Provisions towards Standard Assets	**0.00**	25.50
Provisions made towards Income Tax :		
i) Current Tax	**252.12**	218.43
ii) Deferred Tax	**-58.26**	12.73
iii) Fringe Benefit Tax	**--**	3.80
iv) MAT credit entitlement	**--**	44.06
Other Provision and Contingencies :		
i) Provision for Contingencies	**20.68**	0.45
ii) Others	**65.81**	127.51
iii) Excess Provision written back	**(24.00)**	(54.61)
Total	**549.67**	**636.43**

11. Floating Provisions (Rs. in crore)

Particulars	**31.03.2010**	**31.03.2009**
(a) Opening balance	**213.00**	213.00
(b) Floating provisions made during the year	**--**	-
(c) Amount withdrawn during the year	**--**	-
(d) Closing balance	**213.00**	213.00

12. Pending finalization of industry level settlement and wage revision, a sum of Rs.114.00 Crore has been provided on an estimated basis during the year towards arrears and included under Employees' cost.

13. Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme 2008

i) As per the Agricultural Debt Wiver And Debt Relief Scheme-2008 guidelines, RBI has reimbursed Rs.99.05 crores towards the final claim amount of Rs.147.12 crores under ADWDRS-Debt waiver scheme for small and Marginal farmers. Amount received during the year 2009-10 is Rs.36.33 crores. The amount yet to be received is Rs.48.07 crores.

ii) As per the Agricultural Debt Relief Scheme-2008 guidelines, the OTS relief (25% of the eligible amount) can be passed on to the 'Other farmers' only on payment of their entire share (75% share of eligible amount) by them. As such Rs.36.14 cr has been passed on to the respective 'Other farmers' being 25% of the relief amount available from GOI.

The Bank has already submitted ' Preliminary Claim' on 26.09.2009 for Rs.29.48 cr (11315 accounts) to RBI for reimbursement of the amount and in view of the extension of cut off date for payment by OTS beneficiaries upto 30.06.2010 and as per RBI guidelines, 'Final Claim' will be submitted after verification by Statutory Central Auditors before 30.06.2010/30.06.2011. The amount outstanding under ' Debt Waiver Scheme 2008 (Other farmers)' receivable from GOI is Rs.36.14 crore as on 31.03.2010

iii) Pending finality of the eligible claim due under the scheme, provision for interest receivable from Government of India has not been considered.

14. Bank is not having adequate information in respect of Suppliers/Service providers covered under Micro, Small Medium Enterprises Development Act, 2006. In view of this, information required to be disclosed u/s 22 of the said Act is not given.

15. Previous year's figures have been re-grouped / re-classified / re-cast wherever necessary to conform to current year's classification.

ALBERT TAURO CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**K.VENKATAPPA** DIRECTOR	**NISHANK K. JAIN** DIRECTOR
S. ANANTHAN DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR** DIRECTOR	**P.SHANTHARAM SHETTY** DIRECTOR
RANJAN SHETTY DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**K.JAYAKAR SHETTY** GENERAL MANAGER	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s V.KHANNA & CO. Chartered Accountants Registration No: 000200C **[V.K.KHANNA]** Partner Membership No:008276	**For M/s M.THOMAS & CO** Chartered Accountants Registration No: 004408S **[MURALI RAMANAN]** Partner Membership No: 080972	**For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.** Chartered Accountants Registration No: 006117N **[PRADEEP TYAGI]** Partner Membership No:084840
For M/s R.BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N **[R.S.BANSAL]** Partner Membership No: 013000	**For M/S M.P.CHITALE & CO.** Chartered Accountants Registration No: 101851W **[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No:032292	**For M/s P.CHANDRASEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S **[LAKSHMY C.]** Partner Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 30.04.2010

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31.03.2010

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2010	For the year ended 31.03.2009
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
Interest Earned during the year	**5200 64 63**	5237 82 52
Other Income	**679 45 19**	698 81 03
	5880 09 82	5936 63 55
Less:		
Interest paid during the year on deposits, borrowings etc.,	**3751 56 59**	4113 02 43
Operating Expenses, Provisions & Contingencies	**1621 23 36**	1561 13 14
Profit on Sale of Assets	**- 26 23**	23 06
	507 56 10	**262 24 92**
Add:		
Depreciation on Fixed Assets	**48 92 55**	36 98 14
Provisions & Contingencies	**549 66 60**	636 43 17
	1106 15 25	**935 66 23**
I CASH PROFIT GENERATED FROM OPERATIONS		
(Prior to changes in operating Assets & Liabilities)		
II CASH FLOW FROM OPERATING ASSETS & LIABILITIES		
Increase/ (Decrease) in Liabilities		
Deposits	**7396 32 08**	6583 41 14
Other Liabilities and Provisions	**-263 39 84**	-361 75 36
(Increase) / Decrease in Assets		
Advances	**-6054 04 94**	-3778 45 25
Investments	**-3719 74 38**	-770 38 24
Other Assets	**-189 14 11**	-88 77 29
TOTAL OF II	**-2830 01 19**	**1584 05 00**
A. NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (I+II)	**-1723 85 94**	**2519 71 23**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
Sale/ Disposal of Fixed Assets		
Purchase of Fixed Assets	**-48 84 23**	-22 40 40
B. NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	**-48 84 23**	**-22 40 40**

[Rupees 000's omitted]

PARTICULARS	For the year ended 31.03.2010	For the year ended 31.03.2009
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Share Capital	-	500 00 00
Share Premium	-	-
Other Reserves & Surplus	**-19 54 57**	-21 41 94
Borrowings	**-330 68 01**	-1299 63 04
Amount paid off on redemption of Sub-ordinated Debt	-	-
Amount raised through fresh issue of Sub-Ordinated Debt	-	-
Dividend paid : Dividend declared previous year and paid during the current year	-	-101 43 88
Interim dividend declared and paid during the current year	-	-
D. NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	**-350 22 58**	**-922 48 86**
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR (A+B+C)	**-2122 92 75**	**1574 81 97**
Increase / (Decrease) in Cash Flow		
I. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
A) Cash and Balances with the RBI	**5730 40 57**	5661 54 94
B) Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**1941 77 65**	435 81 31
TOTAL I	**7672 18 22**	**6097 36 25**
II. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
A) Cash and Balances with the RBI	**4099 57 69**	5730 40 57
B) Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	**1449 67 78**	1941 77 65
TOTAL- II	**5549 25 47**	**7672 18 22**
TOTAL CASH FLOW DURING THE YEAR	**-2122 92 75**	**1574 81 97**
Increase / (Decrease) in Cash Flow (I - II)		

The above cash flow statement has been taken on record by the Board of Directors of the Bank at its meeting held on 30.04.2010

ALBERT TAURO CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR	**SHUBHALAKSHMI PANSE** EXECUTIVE DIRECTOR	**K.VENKATAPPA** DIRECTOR	**NISHANK K. JAIN** DIRECTOR
S. ANANTHAN DIRECTOR	**ASHOK KUMAR SHETTY** DIRECTOR	**ASHOK KUMAR** DIRECTOR	**P.SHANTHARAM SHETTY** DIRECTOR
RANJAN SHETTY DIRECTOR	**B. IBRAHIM** DIRECTOR	**K.JAYAKAR SHETTY** GENERAL MANAGER	

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

For M/s V.KHANNA & CO. Chartered Accountants Registration No: 000200C	**For M/s M.THOMAS & CO** Chartered Accountants Registration No: 004408S	**For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.** Chartered Accountants Registration No: 006117N
[V.K.KHANNA] Partner Membership No:008276	**[MURALI RAMANAN]** Partner Membership No: 080972	**[PRADEEP TYAGI]** Partner Membership No:084840
For M/s R.BANSAL & CO Chartered Accountants Registration No: 002736N	**For M/S M.P.CHITALE & CO.** Chartered Accountants Registration No: 101851W	**For M/s P.CHANDRASEKAR** Chartered Accountants Registration No: 000580S
[R.S.BANSAL] Partner Membership No: 013000	**[ULHAS CHITALE]** Partner Membership No:032292	**[LAKSHMY C.]** Partner Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 30.04.2010

REPORT OF THE AUDITORS

To

The President of India

1) We have audited the attached Balance Sheet of Vijaya Bank as at 31st March, 2010 and also the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches audited by us and 1018 branches audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 120 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 0.43% of advances, 1.19% of deposits, 0.40% of interest income and 0.97% of interest expenses. These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2) We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3) The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.

4) Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980 and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

5) In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable accounting standards.

6) Without qualifying our opinion, we invite attention to :

   a) Note No. 12 regarding provision of Rs. 114 crore made for wage arrears on estimated basis.

   b) Note No: 13 regarding claims of Rs.36.14 crore from the Govt. of India eligible under the Agricultural Debt.

   Waiver and Debt Relief Scheme 2008 which is subject to our audit ; and

7) In our opinion, as shown by books of bank and to the best of our information and according to the explanations given to us.

   i) The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at 31st March, 2010 in conformity with accounting principles generally accepted in India;

   ii) The Profit and Loss Account read with the notes thereon shows a true balance of profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

   iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

For M/s V.KHANNA & CO.	For M/s M.THOMAS & CO.	For M/s SHIROMANY TYAGI & CO.	For M/s R.BANSAL & CO.	For M/S M.P.CHITALE & CO.	For M/s P.CHANDRASEKAR
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
Registration No: 000200C	Registration No: 004408S	Registration No: 006117N	Registration No: 002736N	Registration No: 101851W	Registration No: 000580S
[V.K.KHANNA]	[MURALI RAMANAN]	[PRADEEP TYAGI]	[R.S.BANSAL]	[ULHAS CHITALE]	[LAKSHMY C.]
Partner	Partner	Partner	Partner	Partner	Partner
Membership No:008276	Membership No: 080972	Membership No:084840	Membership No: 013000	Membership No:032292	Membership No:028508

Place : Bangalore
Date : 30.04.2010

BASEL II DISCLOSURES DOCUMENT AS AT 31st MARCH 2010

TABLE DF-1

SCOPE OF APPLICATION

Not applicable as the Bank does not have any group entities where consolidation of accounts takes place, though we have an affiliate - Visvesvaraiah Grameena Bank. Our Bank has no subsidiary.

TABLE DF - 2

CAPITAL STRUCTURE

Qualitative Disclosures (a) Summary information on the terms and conditions of the main features of all capital instruments, especially in the case of capital instruments eligible for inclusion in Tier 1 or in Upper Tier 2	Bank's authorized capital is enhanced from Rs.1500 crores to Rs.3000 crores on 10.11.2009. The issued & paid up equity capital is Rs.433.52 crores. During the year 2008-09 the Bank has (in March 2009) received capital support of Rs.500 crores from Govt. of India, in the form of Perpetual Non-Cumulative Pref. Shares. The Bank has also raised Rs.1650 crores in the form of Unsecured Redeemable Subordinated Debts in the form of Promissory note, of which Rs.1500 crores is reckoned for Tier II capital. The terms & condition of above debt instruments are as under:

Details of outstanding Tier I/Tier II issues of the Bank as on 31.03.2010

Sl. No.	Issue Details	Amount raised (Rs. Cr.)	Tenor	Date of Allotment	Due Date	Coupon Rate (Payable annually on 31st March)	Rating
1.	Tier I Perpetual Non-cumulative Preference Shares	500.00	Perpetual	31.03.2009	-	Floating – 100 bps over Repo rate to be adjusted annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.	- NA -
2.	Upper Tier II Series I	300.00	180 months with call option at the end of 10th year	20.03.2007	20.03.2022	10.10% p.a. with step up of 50 bps after 10th year, if call option not exercised	PR1 + by CARE
3.	Upper Tier II Series II	300.00	180 months with call option at the end of 10th year	17.03.2008	17.03.2023	9.45% p.a. with step up of 50 bps after 10th year, if call option not exercised	PR1 + by CARE
4.	Lower Tier II Series III	150.00	90 months	08.11.2002	08.05.2010	7.50% p.a.	PR1 + by CARE
5.	Lower Tier II Series IV (Interest rate swap with Barclay's Bank)	250.00	123 months	15.03.2005	15.06.2015	7.15% p.a.	PR1 + by CARE
6.	Lower Tier II Series V	250.00	120 months	01.08.2006	01.08.2016	9.25% p.a.	PR1 + by CARE
7.	Lower Tier II Series VI	200.00	123 months	31.07.2007	31.10.2017	9.50% p.a.	PR1 + by CARE
8.	Lower Tier II Series VII	200.00	124 months	31.12.2007	30.04.2018	9.35% p.a.	PR1 + by CARE
Total Rs. 2150 Crores							

Quantitative Disclosures **Rs. in Crore**

(b)	The amount of Tier 1 capital		
	Paid up capital :		**433.52**
	Perpetual non-cumulative Pref. shares :		**500.00**
	Reserves :		**1376.19**
	Surplus :		**853.76**
	Innovative instruments		Nil
	Other capital instruments		Nil
	Adjustment for illiquid investment		**(-) 35.00**
	Amounts deducted from Tier 1 capital :		
	Other intangible assets (Deferred Tax Asset)		**(-) 150.39**
	Total Tier I capital		**2978.08**
(c)	The amount of Tier 2 capital (net of deductions from Tier 2 capital)		
	(i) Revaluation Reserve	140.25	
	(ii) General Provision	223.41	**363.66**
(d)	Debt Capital instruments eligible for inclusion in Upper Tier 2 capital :		**600.00**
	• Total amount outstanding	600.00	
	• Of which amount raised during the year	Nil	
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	600.00	
(e)	Subordinated debt eligible for inclusion in lower Tier II capital:		**900.00**
	• Total amount outstanding	1050.00	
	• Of which raised during the year	Nil	
	• Amount eligible to be reckoned as capital funds	900.00	
(f)	Other deductions from capital if any:		**NIL**
	Total Tier 2 Capital:		**1863.66**
(g)	**Total eligible capital:** Tier 1 Capital :	2978.08	
	Tier 2 Capital :	1863.66	**4841.74**

TABLE DF-3

CAPITAL ADEQUACY

Qualitative Disclosures		
a)	A summary discussion of the Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.	As per RBI directives on Basel II, our Bank has adopted 'Standardised Approach' for Credit Risk, 'Standardised Duration Approach' for Market risk and 'Basic Indicator Approach' for Operational risk w.e.f. 31.03.2009. For assessment of additional Capital to support the current and future activities, the Bank follows ICAAP policy, put in place by the Bank. ICAAP is being reviewed on a half yearly basis in order to maintain adequate capital above the regulatory minimum on a continuous basis taking care of the future growth in business.

Quantitative Disclosures		(Rupees in crore)		
(b)	Capital requirements for Credit Risk:			
	• Portfolios subject to standardised approach	**Rs.3082.96 (including other assets)**		
	• Securitisation exposures	**NIL -** as the Bank has no exposure under securitisation.		
(c)	Capital requirements for Market Risk Standardised duration approach:	**Rs. 193.82**		
	• Interest rate risk	Rs. 137.70		
	• Foreign Exchange Risk	Rs. 1.85		
	• Equity Risk	Rs. 54.27		
(d)	Capital requirements for Operational Risk – Basic Indicator Approach	**Rs. 209.60**		
	Capital required:	**Rs. 3486.38 - Minimum Capital required**		
	Capital Maintained:	**Rs. 4841.74 - Capital Fund as at 31.03.2010**		
(e)	Total and Tier 1 Capital Ratio		**Basel I**	**Basel II**
		CRAR ---- :	**11.79%**	**12.50%**
		CRAR – Tier 1 Capital :	7.28%	7.69%
		CRAR – Tier 2 Capital :	4.51%	4.81%
	• For the top consolidated group)	Not applicable, as our Bank has no subsidiary.		
	• For significant Bank subsidiaries)			

TABLE DF-4

CREDIT RISK – GENERAL DISCLOSURES

Qualitative Disclosures		
(a)	The general qualitative disclosure requirement with respect to Credit Risk, including	The Credit Risk Management Process of the Bank is driven by sound system, procedures and policies. While the Board of Directors and the Risk Management Committee of the Board gives directions, the Credit Risk Management Committee consisting of senior executive ensures its implementation. Policy guidelines for Credit Risk Management, Collateral Management and Credit Risk Mitigants (CRM), Ratings etc. are put in place, wherein the set of objectives, scope and nature of risk reporting, its measurement systems, policies, strategies to be adopted in containing / minimizing the risk through CRM, processing steps, developing monitoring and supervision mechanisms for the continuing effectiveness of mitigants have been detailed. To move towards advanced approach of Basel II norms, the Bank has taken up implementation of integrated Risk Management System through six solutions for Credit Risk Rating, Credit Risk, Market Risk, Operation Risk, ALM & FTP. **The Bank's policy on IRAC (Income Recognition & Asset Classification) norms** is in tune with guidelines issued by the Reserve Bank of India, as amended from time to time. Ninety days delinquency norm is being followed in classifying the assets as 'performing' & 'non-performing' assets. The entire IRAC data has been subjected to audit. Adequate provisions as prescribed have been made on both Standard Assets (performing) and Non-Performing Assets. Apart from these, the Bank has created a general floating provision and additional provision for restructured assets.
	• Definitions of past due and impaired (for accounting purposes)	
	• Discussion on the Bank's Credit Risk Management Policy	

		Definition of impaired assets (for accounting purposes): An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank when (a) interest and/or installment of the loan remains 'overdue' (*) for a period of more than 90 days in respect of term loan (b) the account remains 'out of order' (#) for a period of more than 90 days, in respect of operative limits such as Cash Credit (Hyp./Misc.) (c) the bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in cases of bills purchased /discounted (d) the interest charged during any quarter, not fully serviced within 90 days from the end of the quarter (e) the installment of principal or interest thereon remains overdue for 2 crop seasons in the case of short duration crop loans and if installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season in the case of long duration crop loans, as far as agricultural loans are concerned (f) 90 days from the date of crystallization of non-fund based commitments expire. * 'overdue' means any amount due to the Bank under any credit facility, if not paid on the due date fixed, or on crystallization of non fund based commitment. # 'out of order' means the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power or if there are no requisite amount of credits continuously for 90 days or where credits in the account are not enough to cover the interest debited prior to 90 days. **Discussions on Bank's Credit Risk Management Policy:** The Bank has formulated a comprehensive Credit Risk Management Policy and constituted various committees such as Credit Risk Management Committee, Basel II Working Group etc. to address host of management techniques which help the Bank in identifying, measuring, monitoring and controlling of credit risks by taking into account both external and internal factors affecting the credit risk. The Bank has fine tuned the Risk Management Policies & Lending Policy, to include credit appraisal standard like benchmark/hurdle ratios on key financial indicators, internal ceilings, prudential norms for large credit proposals, standards for loan collateral, portfolio management, credit concentration, Loan Review Mechanism / Credit Audit, special review of high value borrowal accounts (Comprehensive Credit Monitoring Report), risk concentration / monitoring and pricing based on risk ratings, and review based on risk ratings etc, besides covering exposure ceiling for sensitive sectors such as capital market, real estate and commodity sector. A comprehensivse Recovery Policy of the Bank is also put in place and revised from time to time.
Quantitative Disclosures		**Gross Credit exposure:**
(b)	Total gross Credit Risk exposures - fund based & non-fund based separately.	**Fund based : Rs. 58055.93 crore** **Non fund based : Rs. 4134.31 crore** **Total : Rs. 62190.24 crore**
(c)	Geographical distribution of exposures - fund based & non fund based separately • Overseas • Domestic	Overseas: Fund based & Non fund based: Nil Domestic: Fund based : Rs. 58055.93 crore Non fund based : Rs. 4134.31 crore **Total : Rs.62,190.24 crore**

(d) Industry type distribution of credit	INDUSTRYWISE DEPLOYMENT OF CREDIT	(Rs. in crore)
	Infrastructure - Telecommunication, Roads, Ports, water supply etc.)	10444.80
	Electricity	5323.80
	Petroleum	1364.31
	Iron & Steel	1874.56
	Construction	608.46
	Commercial Real Estate	2676.63
	Mining	68.91
	Cement	101.12
	Other Metals	81.25
	Engineering, Electronics	430.19
	Gems & Jewellary	358.90
	Textiles (Cotton, Jute & Others)	380.13
	Tobacco & Tobacco products	65.92
	Paper & paper products	75.36
	Leather & leather products	**42.45**
	Food Processing (Marine & Other food)	**85.75**
	Chemicals / Dyes / Paints. Drugs / Pharmaceuticals	**163.10**
	NBFCs	**860.02**
	OTHER INDUSTRIES	**1322.17**

(e) Residual contractual maturity breakdown of assets as at 31.03.2010 : **(Rs. in crores)**

	1 day	2-7 days	8-14 days	15-28 days	29 days-3 months	Over 3 months to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 year to 3 years	Over 3 years to 5 years	Over 5 years	Total
Advances	1079.22	182.19	230.99	394.68	1848.20	1754.13	2657.73	24601.02	3986.41	4787.16	**41521.73**
Investment	133.00	121.09	327.06	294.10	615.54	363.60	48.02	705.84	4135.50	14363.69	**21107.44**
F.C.Assets	114.38	16.06	24.96	4.45	157.77	84.99	8.10	0.03	0.00	0.00	**410.72**

Position as on 31.03.2010 **(Rs. in crores)**

(g)	Amount of NPAs (Gross)	**994.45**
	• Substandard	500.71
	• Doubtful 1	247.71
	• Doubtful 2	229.84
	• Doubtful 3	9.79
	• Loss	6.53
(h)	Net NPAs	**581.84**
(i)	NPA Ratios:	
	• Gross NPAs to gross advances	**2.37%**
	• Net NPAs to net advances	**1.40%**
(j)	Movement of NPAs (Gross):	
	• Opening balance	698.82
	• Additions	1207.58
	• Reductions	911.95
	• Closing balance	994.45

		(Rs. in crores)
	Movement of NPA (Net)	
	• Opening balance	292.29
	• Additions	289.54
	• Reductions	0.00
	• Closing balance	581.83
	•	
(k)	Movement of provisions for NPAs	
	• Opening balance	400.84
	• Provisions made during the period	475.15
	• Write off	467.59
	• Write back of excess provisions	--
	• Closing balance	408.40
(l)	Amount of Non-Performing Investments	21.33
(m)	Amount of provisions for depreciation on investments (NPI)	19.25
(n)	Movement of provisions for depreciation on investments:	
	• Opening balance	19.25
	• Provisions made during the period	0.00
	• Write off	0.00
	• Write back of excess provisions	0.00
	• Closing balance	19.25

TABLE DF-5

CREDIT RISK: DISCLOSURES FOR PORTFOLIOS SUBJECT TO THE STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures (a) For portfolios under the standardised approach: • Names of credit rating agencies used plus reasons for any changes	The Bank has used ratings given by RBI approved external credit rating agencies, viz CRISIL / ICRA / FITCH / CARE only. In order to facilitate the process of external rating and enabling the customers to solicit external ratings for their exposure, the Bank has entered into a separate MOU with these four credit rating agencies. The agreement provides for concessional fees for Bank's customers.
• Types of exposure for which each agency is used	All Corporate exposure above Rs.5 Crore and exposure to public sector entities.
• A description of the process used to transfer public issue ratings onto comparable assets in the banking book	Bank has used only bank ratings which are available in public domain. Further the Bank has not used any public issue ratings.
Quantitative disclosures (b) For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardised approach, amount of a bank's outstandings (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted:	**Credit exposure (Rs. in Crore)**
• Below 100% risk weight	39673.44
• 100% risk weights	17189.92
• More than 100% risk weight	2303.81
• Deducted	3023.07
• **TOTAL**	**62190.24**

TABLE DF-6

CREDIT RISK MITIGATION: DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

Qualitative disclosures	
(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:	
• Policies and processes for and an indication of the extent to which the Bank makes use of, on and off balance sheet netting	The general principles, like having a specific lien, requisite minimum margin stipulation, valuation, legal certainty, documentation, periodical inspection, easy liquidity etc. as enumerated in Basel II final guidelines of RBI has been used for credit risk mitigation techniques. All the prescribed haircuts with adjustments for currency mismatch & maturity mismatch are done. The financial collaterals available are netted out of the credit exposure before assigning the risk weights. The effect of CRM is not double counted.
• Policies and processes for collateral valuation and management • A description of the main types of collateral taken by the bank	The financial collaterals taken for the purpose of CRM includes Bank's own term deposits, cash margin, life policies, NSCs, KVPs, gold benchmarked to 99.99 purity.
• The main type of guarantor counterparty and their creditworthiness	Guaranteed exposure includes those guaranteed by central / state Governments, ECGC, CGSTME.
• Information about (market or credit) risk concentration within the mitigation taken	The CRM / Guaranteed exposure are not subject to any market fluctuation and these exposures are diversed.

Quantitative disclosures

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio, the total exposure (after where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.

(Rs. in crores)

Credit risk exposure	Loans & advance	Non fund based	Investment	Total
Exposure	41934.53	4134.31	16121.40	62190.24
CRM / fin. collaterals	2301.15	721.92	0.00	3023.07
Net exposure	39633.38	3412.39	16121.40	59167.17

(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on or off balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)

(Rs. in crores)

Guarantee Status	Loans & Advance	Non fund based	Investment	Total
Exposure	41934.53	4134.31	16121.40	62190.24
Central Govt.	966.68	0.00	14180.25*	15146.93
State Govt.	2110.75	0.00	20.30	2131.05
ECGC	410.46	0.00	0.00	410.46
CGSTME	9.20	0.00	0.00	9.20
Total:	**3497.09**	**0.00**	**14200.55**	**17697.64**
Net exposure	**38437.44**	**4134.31**	**1920.85**	**44492.60**

* this includes bonds/instruments issued by the Central/State Government and/or guaranteed by Central Government.

For the credit risk portfolio under the standardised approach (fund & non-fund based), the total eligible financial collaterals are reckoned after the application of haircuts wherever applicable.

TABLE DF-7
SECURITISATION
DISCLOSURES FOR STANDARDISED APPROACH

The Bank has not securitised any asset during the financial year 2009-10 either in Banking book or in trading book.

TABLE DF-8
MARKET RISK IN TRADING BOOK

Qualitative disclosure

(a) The general qualitative disclosure requirement for market risk including the portfolios covered by the standardised approach

Market Risk is the potential risk due to market movements in interest rates, equity prices, foreign currencies and commodity prices.
Basel-II proposes two approaches for Market Risk viz Standarised Duration Approach and Internal Model Approach. At present, the bank has implemented "Standardized Duration Approach" and moving forward to implement Internal Model Approach. The Standardized Duration Approach has got following features.

1. The capital requirement under standardized approach is calculated based on Interest rate risk, Equity price risk, Foreign Exchange risk and Commodity risk.
2. The general Market risk is calculated based on modified duration and change in yield.
3. The specific risk is calculated based on external risk rating , duration of the instrument etc.

Quantitative disclosures

(b) The capital requirements for

- Interest rate risk
- Equity position risk
- Foreign Exchange risk

For the purpose of calculation of capital charge, the bank has adopted 'Standardised Duration Approach', as detailed below:

Aggregation of the capital charge for Market Risk as on 31.03.2010

Rs.in crore

Risk Category				Capital charge
(A)	**Capital Charge for Market Risk for securities held under HFT**			**0.00**
	Interest Rate (a+b)			0.00
	a.	General Market Risk		0.00
		(i)	Net position (parallel shift)	0.00
		(ii)	Horizontal disallowance (curvature)	0.00
		(iii)	Vertical disallowance (basis)	0.00
	b.	Specific risk		0.00
(B)	**Capital charge for Market Risk for securities held under AFS**			
	Interest Rate (a+b)			**137.70**
	a.	General Market Risk		98.82
		(i)	Net position (parallel shift)	93.75
		(ii)	Horizontal disallowance (curvature)	4.81
		(iii)	Vertical disallowance (basis)	0.26
	b.	Specific risk		38.88
(C)	**Alternative total capital charge for securities held under AFS**			**45.47**
	I.	**Interest rate related instruments {A+(B or C whichever is more)}**		**137.70**
	II.	**Equity (a+b)**		**54.27**
		a.	General market risk	27.06
		b.	Specific risk	27.21
	III.	**Foreign Exchange & Gold**		**1.85**
	IV.	**Total capital charge for Market Risks (I+II+III)**		**193.82**
Total Risk Weighted Assets				**2153.55**

TABLE DF - 9

OPERATIONAL RISK

Qualitative disclosures

As stipulated in the RBI final guidelines on Basel II, the Bank is adopting Capital charge calculations for Operational Risk as per 'Basic Indicator Approach'. The Bank has set up Operational Risk Management Committee to identify, monitor and control all operational risks apart from measures to mitigate such risks, by putting in place detailed policy guidelines on BCP, BCDRP, managing risks on 'outsourcing', KYC norms and Anti-Money Laundering guidelines. The Bank has identified 'Risk Monitors' at executive level and 'Regional Risk Officers' at senior officers level at Regional Offices to take care of all the requirements in respect of risk management areas.

Further the Bank has put in place the following measures to manage, control and mitigate operational risks:-

- Book of Instructions/Manuals are being updated at periodic intervals besides revising various policies on review at regular/annual level.
- Loss Events on account of fraud and other aspects are being reported to Operational Risk Management Committee on quarterly basis
- The Bank has put in IT Security Policy and has implemented various IT security related solutions like Anti Virus for Data Centre and Branches, Fire Walls, Encryption Technologies, Intrusion Detection Systems, Router based security policies, Network Security Policies. The Bank has implemented policies relating to application access controls, password security, guidelines to avoid misuse of passwords, etc. in the Core Banking scenario. The Bank has been subjecting its network and data centre facilities to vulnerability assessment and penetration testing to find the loop holes if any and taking steps to correct. The Bank has been subjecting all its third party software applications to the process of IS audit to continuously improve the confidentiality, integrity, and availability of all its IT resources.
- In order to mitigate the probability of system disruptions resulting in the business discontinuity, the Bank has implemented various levels of disaster recovery and business continuity mechanisms and measures specially for critical applications like Core Banking System, Network Facilities, ITMS, IRMS, HRMS.
- Risk Based Internal Audit (RBIA) is made applicable for all the branches in the year 2008-09 based on the revised RBIA format.
- Our Bank has achieved 100% coverage under the Core Banking Solution (CBS) and adequate training is imparted to staff members both on CBS technology & risk management aspects.
- Risk & Control Self Assessment (RCSA) process is being put in place and Key Risk Indicators are being identified through the assistance of reputed external consultant for the Integrated Risk Management System (IRMS) project
- The process of building a comprehensive data base of loss Events / losses due to operational risks is initiated so as to move towards Advanced Measurement Approach at a later date.

Quantitative disclosures:

Calculation of capital charge on Operational Risk

AVERAGE OF GROSS INCOME FOR THE LAST 3 YEARS

(Rupees in Crore)

		31.03.07	31.03.08	31.03.09
1	Net Profit	331.34	361.28	262.48
	ADD			
2	Provisions & contingencies	364.68	299.60	636.43
3	Operating Expenses	650.72	701.27	924.70
4	Sub Total	**1346.74**	**1362.15**	**1823.61**
	LESS			
5	Realised Profit / Loss from the sale of securities in the HTM category	0.00	0.00	221.51
6	Income from insurance activities and insurance claims in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
7	Extraordinary / Irregular item of income and expenditure	10.50	0.00	0.00
8	Reversal during the year in respect of provisions and write offs made during the year	42.40	5.37	54.61
9	Income from the disposal of items of movable and immovable property	-0.07	6.00	0.23
10	Income from legal settlements in favour of the Bank	0.00	0.00	0.00
11	Sub Total	**52.83**	**11.37**	**276.35**
12	GROSS INCOME FOR THE PURPOSE OF COMPUTATION OF OPERATIONAL RISKS	**1293.91**	**1350.78**	**1547.26**

Average of 3 years gross income = Rs.1397.32 Crores
CAPITAL CHARGE FOR OPERATIONAL RISKS = Average of gross - Income * alpha (15%)
= Rs. 209.60 crores
Equivalent Risk weighted Assets: : Rs.2328.89 crores.

TABLE DF - 10

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK (IRRBB)

Qualitative disclosures

The general qualitative disclosure requirement including the nature of IRRBB and key assumptions, including assumptions regarding loan prepayments and behaviour of non-maturity deposits and frequency of IRRBB measurement.

Interest Rate Risk Management:

The process of Interest rate risk management by the bank involves determination of the business objectives, understanding the money markets and debt capital markets in which it operates and within the context of these parameters, recognizing and quantifying its appetite for market risk.

The Bank uses two techniques/approaches to manage interest rate risks inherent in the Balance sheet:

1) The first approach is the on-balance sheet Asset Liability Management (ALM) using the results of the Traditional Gap analysis. This involves careful balancing/rebalancing of assets and liabilities, based on the interest rate view of the bank, so as to eliminate the interest earnings at risk. This is achieved through an exercise towards minimizing exposure to risks by holding the appropriate combination (type and maturity) of assets and liabilities so as to meet certain objectives of the bank (such as achieving targeted earnings while simultaneously minimizing risk).

2) The second approach is off-balance sheet Asset Liability Management (ALM) through hedging. Hedging creates off-balance sheet positions. The OTC derivative product used by the Bank to hedge its trading portfolio and certain liabilities are the Interest Rate Swaps (IRS).

The Asset Liability Management techniques are deliberated by the Market Risk Management/Asset Liability Committee (MRMC/ALCO) in its fortnightly meetings, in addition to the discussions in the Balance Sheet Management Group meetings.

Analytics used by the Bank:

The Bank regularly analyses the Duration and Modified duration of Investment portfolio and rebalances the portfolio to minimize interest rate risk. This portfolio management technique is reviewed by the ALCO/MRMC fortnightly and the Board at monthly intervals.

The Interest Rate Sensitivity (IRS) Gap statement based on the 1999 Guidelines on Asset Liability Management is prepared on a fortnightly basis. The bucket-wise rate sensitive gaps as a percentage of the rate sensitive assets are monitored by the MRMC/ALCO, at fortnightly intervals, against the Board stipulated Tolerance limits.

In the event of the tolerance limit breach, the MRMC/ALCO ratifies the breach with or without directing the operational departments to restructure the maturity profile of the Balance sheet items. This is commensurate with the view on interest rates and the market scenario. While preparing the Interest Rate Sensitivity statement, the Bank takes into account the results of the behavioral analysis conducted on the following:

(i) Volatile and Core portion of Savings deposits.
(ii) Repricing character of CC/OD accounts.
(iii) Embedded options in the investment portfolio.

Earnings at Risk (EaR):

The Earnings at Risk (EaR) due to parallel and non-parallel shifts in the yield curve on the interest rate sensitive asset liability gaps up to the 3 months, 6 months and 1 year horizon is calculated. This analysis is conducted on a fortnightly basis and placed before the MRMC/ALCO in the fortnightly meetings and later to the Board in its monthly meetings.

Based on the gap profile upto 1 year and the Bank's interest rate view, the EaR amount that should trigger on or off balance sheet hedging strategies, is tracked on a fortnightly basis.

Quantitative disclosure:

(b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, broken down by currency (where the turnover is more than 5% of the total turnover):

Earnings at Risk (EaR):

For a 100 basis point assumed increase in interest rates, the impact on NII for a 1 year gap horizon **Rs.83.01 crores**

The Bank has fixed the tolerance limit at Rs. 110 crore. Hence, the above impact of EaR (83.01) is within the limit.

Economic value approach:

The economic value, i.e. impact on Capital Fund due to change in interest rate by 200 bps is assessed through Modified Duration Gap method. As a prudential measure, limits have been fixed for net duration gap of the assets and liabilities and the same is monitored at regular intervals.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय, सं. 41/2, एम. जी. रोड,बेंगलूर - 560 001

प्रिय शेयरधारक,

विषय : इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं के जरिए लाभांश का भुगतान(ईसीएस)

अगर आपने, हमारे रजिस्ट्रार, मेसर्स लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. अथवा आपके निक्षेपी सहभागीदार (डीमैट होल्डिंग के मामले में) को ईसीएस/बैंक खाते के विवरण न भेजे हों तो, हमारा अनुरोध है कि आप, नीचे दिए गए प्रारूप में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं जिससे कि वक्त पर, सुरक्षित ढंग से और सही तरीके से घोषित होते ही लाभांश का भुगतान किया जा सके.

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार/निक्षेपी सहभागीदार को प्रस्तुत किए गए आपके ब्योरे सही हों, क्योंकि उसमें कोई गलती होने पर संभव है कि लाभांश की रकम गलत खाते में जमा हो जाए.

ईसीएस के जरिए और/अथवा नामोद्दिष्ट बैंक खाते में, जो लाभांश वारंट पर दिखाई देगा, लाभांश का भुगतान करने से लाभांश वारंटों में धोखाधडी से भुनाई नहीं हो सकेगी.

कृपया हमें, आपकी बेहतर सेवा करने का मौका दें.

भवदीय,
कृते विजया बैंक

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ईसीएस आदेश/बैंक खाते के विवरण के लिए फार्म

मैं/हम,_____ विजया बैंक को प्राधिकार देता हूं/देते हैं कि वह

- मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे छपाए
- मेरी लाभांश रकम, ईसीएस के जरिए सीधे मेरे बैंक खाते में जमा करें

(* जो लागू न हो उसे काट दें) मेरा/हमारा फोलियो नं: एचबी _____

डीपीआईडी नं._____ ग्राहक आईडी सं._____

बैंक खाते के विवरण

क	बैंक का नाम	:	_____
ख.	शाखा का नाम	:	_____
	पता (केवल आदेश के लिए)	:	_____
ग.	एमआईसीआर चेक पर दिखाई देनेवाली बैंक की 9 अंकवाली कूट सं. और शाखा	:	_____
घ.	खाते का प्रकार(बचत/चालू)	:	_____
ङ.	चेक बुक में दिखाई देनेवाली खाता संख्या	:	_____
च.	शेयरधारक की एसटीडी कूट तथा टेलीफोन सं.	:	_____

अगर ईसीएस को अमल में न लाया जा सका अथवा किसी वजह बैंक, ईसीएस को बंद कर दे तो, मैं/हम बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे.

इस पते पर भेजें * लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. यूनिट : विजया बैंक
सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कांपउण्ड, एल.बी.एस रोड भांडूप (पश्चिम) मुम्बई - 400 078, महाराष्ट्र.

.....
शेयरधारक के हस्ताक्षर

9 अंकोंवाली कूट संख्या की यथातथ्यता का सत्यापन करने के लिए कृपया आपके उक्त खाते से संबंधित आपके बैंक द्वारा जारी चेक अथवा रद्द किए गए चेक की फोटो प्रति संलग्न करें.

आपके पास अमूर्त रूप में शेयर हों तो, कृपया अपने निक्षेपागार सहभागी से कहे कि वह,आपके बैंक खाते के विवरण/ईसीएस आदेश को नोट करें.

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE, No.41/2, M.G.ROAD, BANGALORE - 560001

Dear Shareholders (s)

Re.: Payment of dividend through Electronic Clearing Services (ECS)

In case you have not already sent the ECS/Bank Account particulars to our Registrar, M/s Link Intime India Private Limited or to your Depository Participant (in case of demat holdings) we would request you to provide the said particulars in the format given below to facilitate prompt, safe and correct payment of dividend as soon as it is declared.

Please ensure that the details submitted by you to the Registrars/ Depository Participant are correct as any error therein could result in the dividend amount being credited to wrong account.

Payment of dividend through ECS and /or to the designated Bank Account which appear on the dividend warrant will help to prevent fraudulent encashment of dividend warrants.

Kindly help us in our endeavor to serve you better.

Yours faithfully

For **Vijaya Bank**

Authorised Signatory

FORM FOR ECS MANDATE /BANK ACCOUNT PARTICULARS

I/We_____ do hereby authorise Vijaya Bank

- Print the following details on my /our dividend warrant
- Credit my dividend amount directly to my Bank account by ECS

(* Strike out whichever is not applicable) My /our Folio No. : _____

DPID No._____ Client ID No._____

Particulars of Bank Account :

A. Bank Name : _____

B. Branch Name : _____

Address (for Mandate only) : _____

C. 9 Digit Code No. of the Bank & Branch as appearing on the MICR Cheque : _____

D. Account Type (Saving/Current) : _____

E. Account No. as appearing in the Cheque Book : _____

F. STD Code & Telephone No. of Shareholder : _____

I/We shall not held the Bank responsible if the ECS could not be implemented or the Bank discontinue the ECS for any reason.

Mail to ---------->

Link Intime India Pvt. Limited. Unit : Vijaya Bank
C-13, Pannalal Silk Mills Compound, L.B.S.Road,
Bhandup (West), Mumbai-400078, Maharashtra.

Signature of the shareholder

Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above account for verifying the accuracy of the nine digit code number.

In case you are holding shares in demat form, kindly advice your Depository Participant to take note of your Bank Account particulars/ECS mandate.

विजया बैंक

प्रधान कार्यालय : बेंगलूर – 560 001.

फार्म 'ख'

प्रॉक्सी फार्म

(शेयर धारक द्वारा भरा जाए एवं हस्ताक्षर किए जाएं)

पंजीकृत फोलियो सं. : ..... (अगर अमूर्तीकरण न किया गया हो तो)
डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं. ..... (अगर अमूर्तीकरण किया गया हो तो)

मैं/हम, ... निवासी ....., ज़िला ....., राज्य .....,विजया बैंक का/के शेयर धारक हूँ/हैं, श्री/श्रीमती..... निवासी ....., ज़िला ....., राज्य ..... को या उनके न होने पर श्री/श्रीमती ..... निवासी .....,ज़िला ....., राज्य ....., मुल्की सुंदर राम शेट्टी सभागृह, विजया बैंक, प्रधान कार्यालय, एम.जी.रोड, बेंगलूर – 560 001 में शुक्रवार, 09 जुलाई, 2010 को संपन्न होने वाली बैंक के शेयर धारकों की दसवीं वार्षिक सामान्य बैठक में और उस पर किसी प्रकार के कार्यस्थगन पर, मेरी/हमारी ओर से, मेरे/हमारे लिए वोट देने हेतु, प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

..... के दिन, ... 2010 को हस्ताक्षरित

कृपया पन्द्रह पैसे का राजस्व टिकट चिपकाएँ

..... (प्रॉक्सी धारक के हस्ताक्षर)

..... (प्रथम धारक/एकमात्र धारक के हस्ताक्षर)

नाम .....

पता .....

.....

.....

VIJAYA BANK

Head Office : Bangalore - 560 001

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. ------------------------------ (if not Dematerialised)
DPID / Client ID No. ------------------------------ (if Dematerialised)

I/We , --resident of--- in the District of----------------------------in the state of-------------------------------------, being a shareholder/ shareholders of Vijaya Bank, hereby appoint Shri/Smt--- resident of--- ---------------------in the District of ---in the State of-------------------- or failing him, Shri/Smt -- resident of -------------------- ----------------- in the district of --- in the State of -- as my/ our proxy to vote for me/us and on/my/our behalf at the TENTH ANNUAL GENERAL MEETING of the shareholders of the Bank to be held on Friday the 09th July, 2010, at Mulki Sunder Ram Shetty Auditorium, Vijaya Bank, Head Office , M.G. Road, Bangalore - 560 001 and at any adjournment thereof.

Signed this…………….........……… Day of……………..………………..2010

Please affix 15 paise Revenue Stamp

……………………………….. (Signature of the Proxy)

……………………………………….......................... (Signature of the first holder/sole holder)

Name ………………………………………......…………….

Address ………………………………………......…………….

………………………………………......…………….

………………………………………......…………….

Notes

Notes